खण्ड-416, अंक-1
शुक्रवार, 23 आषाढ़, शक संवत् 1917
(14 जुलाई, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल उपस्थित सदस्य	क–ढ
राष्ट्रीय-गीत	1
प्रश्नोत्तर	2–99
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को सुने जाने की मांग ...	99–102
सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत के गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने के संबंध में निन्दा का प्रस्ताव (जारी)	102–107
सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने विषयक निन्दा प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	107–113
सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव (स्वीकृत)	113–114
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	115–116
शाहजहांपुर नगर में पीने के पानी का भयंकर संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116
मिर्जापुर नगर में सफाई की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	116
भदोही तथा वाराणसी जनपद के कतिपय विकास खण्डों में हैण्डपम्प न लगाये जाने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	116–117
देवरिया जनपद के कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	117–118
बांदा जिले के कर्वी क्षेत्र में नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद हरदोई के कतिपय मार्गों के जीर्णोद्धार की मांग विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	118
वाराणसी के कोनिया (कज्जाकपुरा) मोहल्ले के अव्यवस्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय को घनी आबादी से हटाकर दूर नया चिकित्सालय बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	118–119
समाजवादी पार्टी के चार सदस्यों द्वारा अपने दल के निर्देशों का उल्लंघन कर नया दल समाजवादी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	119–124
नयी सरकार के गठन पर श्री राज्यपाल के सम्बोधन बिना सदन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	124–126
नियम–301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	126–127
मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थित राज्य अतिथि-गृह में आयोजित बैठक में सुश्री मायावती एवं बसपा विधायकों के साथ सपा विधायकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	127–131
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	131
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	131
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	131
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 (सदन के पटल पर रखा गया)	131
श्री मयंकेश्वर शरण सिंह (स० वि० स०) द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना के संबंध में जानकारी	131–132
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	132–135
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सुने जाने की मांग ...	135–136
प्रदेश के कतिपय जनपदों को सम्मिलित करके एक नया प्रदेश गठित किये जाने विषयक संकल्प (प्रस्तुत)	136
प्रदेश की जाट जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने विषयक संकल्प (प्रस्तुत)	136

विषय	पृष्ठ संख्या
आगरा महानगर की मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु निःशुल्क शौचालयों की व्यवस्था किये जाने विषयक संकल्प (प्रस्तुत)	137
प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर की लगातार गिरावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक संकल्प (प्रस्तुत)	137
आय-व्ययक की टेलीविजन रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु सदन का स्थगन ...	137
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के वितरण की सूचना ...	137–138
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण (प्रस्तुत किया गया) ...	138–166
वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	167
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित एवं जारी)	167
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर चर्चा की मांग...	168
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक 1995 (पारित) ...	176
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	177
नत्थियां	178–204

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1–अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2–अकबर अली, श्री — जालौन
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखलाख, श्री — मेरठ
5–अखिलेश, श्री — महराजगंज
6–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7–अक्षयवर भारती, श्री — मऊ
8–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12–अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13–अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14–अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15–अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16–अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
19–अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20–अम्बिका सिंह, श्री — देवरिया
21–अ० रईस, श्री — सुल्तानपुर
22–अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
23–अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
24–अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25–अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
26–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27–अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28–अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29–अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30–अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31–आनन्द यादव, श्री — देवरिया
32–आर० के० चौधरी, श्री — इलाहाबाद
33–इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
34–इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
35–इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
36–इरशाद, श्री — आजमगढ़
37–इश्तियाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
38–इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
39–उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
40–उदय भान सिंह, श्री — आगरा
41–उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
43–उमाशंकर यादव, श्री — जौनपुर
44–उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
45–उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
46–ऊदल, श्री — वाराणसी
47–ऊषा यादव, श्रीमती — एटा
48–ओंकार सिंह, श्री — एटा
49–ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
50–ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
51–ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
52–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
53–करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
54–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़

55–कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
56–काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
57–किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
58–किशन लाल, श्री — पीलीभीत
59–किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
60–कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
61–कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
62–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली गढ़वाल
63–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
64–कोकब हमीद, श्री — मेरठ
65–गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
66–गजाधर सिंह, श्री — रायबरेली
67–गनपत सिंह, श्री — महराजगंज
68–गया चरण दिनकर, श्री — बांदा
69–गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री — रायबरेली
70–गोपाल काली, श्री — मेरठ
71–गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री — अल्मोड़ा
72–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
73–घनश्याम शुक्ल, श्री — गोण्डा
74–घूरा राम, श्री — बलिया
75–चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
76–चन्द्र भान मौर्य, श्री — आगरा
77–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री — फर्रुखाबाद
78–चन्द्र मणि कान्त, श्री — बहराइच
79–चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री — मुरादाबाद
80–चन्द्र शेखर, श्री — गाजीपुर
81–चन्द्र शेखर सिंह, श्री — बस्ती
82–चरन सिंह, श्री — मेरठ
83–चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
84–चैनसुख भारती, श्री — जालौन
85–छब्बू पटेल, श्री — वाराणसी
86–छोटे लाल, श्री — हरदोई
87–छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
88–छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
89–जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
90–जगदम्बा सिंह, श्री — बस्ती
91–जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
92–जगदीश मुनि, श्री — हरिद्वार
93–जगन्नाथ प्रसाद, श्री — खीरी
94–जगरनाथ चौधरी, श्री — जौनपुर
95–जगराम सिंह, श्री — कानपुर नगर
96–जगवीर सिंह, श्री — अलीगढ़
97–जदुरानी, श्रीमती — हरदोई
98–जमुना प्रसाद मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
99–जयपाल सिंह, श्री — मेरठ
100–जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
101–जयराम कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
102–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री — इटावा
103–जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री — इलाहाबाद
104–जवाहर लाल दिवाकर, श्री — इलाहाबाद
105–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री — गोरखपुर
106–जुगेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
107–जोखू लाल यादव, श्री — इलाहाबाद
108–ज्योत्सना, श्रीमती — वाराणसी
109–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
110–तिलक राज बेहड़, श्री — नैनीताल
111–तीरथ राज, श्री — सोनभद्र
112–तुलसीदास राय चन्दानी, श्री — गोण्डा
113–तुलाराम सैनी, श्री — मुरादाबाद
114–तेजपाल सिंह, श्री — बिजनौर
115–तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा

116–तेजपाल सिंह पंवार, श्री हरिद्वार
117–तेज भान सिंह, श्री सुल्तानपुर
118–त्रिपाल सिंह, श्री मेरठ
119–दया सिन्धु शंखधर, श्री बदायूं
120–दरोगा प्रसाद सरोज, श्री आजमगढ़
121–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
122–दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
123–दीनानाथ चौधरी, श्री बलिया
124–दीनानाथ भाष्कर, श्री वाराणसी
125–दीपक कुमार, श्री उन्नाव
126–देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
127–दौलत राम, श्री सीतापुर
128–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
129–धनीराम वर्मा, श्री इटावा
130–धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव, श्री बुलन्दशहर
131–धामू राम भाष्कर, श्री फैजाबाद
132–धीरेन्द्र बहादुर सिंह, खीरी
133–धू राम चौधरी, श्री हमीरपुर
134–नजमउद्दीन, श्री इलाहाबाद
135–नन्द किशोर मिश्र, श्री देवरिया
136–नन्द लाल, श्री सुल्तानपुर
137–नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट, श्री इलाहाबाद
138–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
139–नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
140–नरेन्द्र सिंह, श्री मैनपुरी
141–नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
142–नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री कानपुर देहात
143–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
144–नरेश अग्रवाल, श्री हरदोई
145–नवल किशोर, श्री बुलन्दशहर
146–नसीम भाई, श्री [illegible]
147–नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
148–निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री खीरी
149–निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
150–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
151–परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
152–परशुराम यादव, श्री फैजाबाद
153–पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
154–पीतम सिंह, श्री एटा
155–पुत्तू सिंह यादव, श्री शाहजहांपुर
156–पूर्णमासी देहाती, श्री देवरिया
157–पृथ्वी सिंह विकसित, श्री हरिद्वार
158–प्रणत पाल सिंह, श्री मथुरा
159–प्रताप सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
160–प्रभा रावत, श्रीमती गोरखपुर
161–प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
162–प्रवीण सिंह ऐरन, श्री बरेली
163–प्रीतम सिंह, श्री देहरादून
164–प्रीतम सिंह, श्री मुरादाबाद
165–प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
166–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
167–प्रेम सिंह, श्री गाजियाबाद
168–फजलुर्रहमान अंसारी, श्री बहराइच
169–फ्रेन्सिस डब्लू मूर, श्री नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय इलाहाबाद
170–फौजदार प्रसाद, श्री मऊ
171–बंशीधर, श्री नैतीताल
172–बचनू राम पटेल, श्री वाराणसी
173–बच्ची सिंह रावत, श्री अल्मोड़ा

174–बच्चा पाठक, श्री बलिया
175–बदन सिंह, श्री आगरा
176–बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
177–बनवारी सिंह, श्री बदायूं
178–बरकत अली खां, श्री सुल्तानपुर
179–बी० आर० वर्मा, श्री आजमगढ़
180–बरफिया लाल जुवांठा, श्री उत्तरकाशी
181–बलराम यादव, श्री आजमगढ़
182–बशीर उद्दीन, श्री हमीरपुर
183–बाबू खां, श्री हरदोई
184–बाबू राम यादव, श्री मैनपुरी
185–बाबू राम वर्मा, श्री बस्ती
186–बाबू लाल, श्री उन्नाव
187–बाल गोविन्द राजवंशी, श्री सीतापुर
188–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
189–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
190–बालेश्वर यादव, श्री देवरिया
191–बावन सिंह गोण्डा
192–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
193–बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
194–बेचन राम, श्री गोरखपुर
195–बेनी प्रसाद, श्री बाराबंकी
196–बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
197–ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
198–ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
199–भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
200–भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री लखनऊ
201–भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर देहात
202–भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
203–भागवत पाल, श्री मिर्जापुर
204–भैरो प्रसाद मिश्र, श्री बांदा
205–मंजूर अहमद, श्री बरेली
206–मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
207–मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
208–मदन भइया, श्री मेरठ
209–मनोरमा, श्रीमती कानपुर देहात
210–मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
211–मयंकर सिंह, श्री बहराइच
212–मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
213–मसूद अहमद, डा० फैजाबाद
214–महबूब अली, श्री मुरादाबाद
215–महराज सिंह यादव, श्री इटावा
216–महाबीर सिंह, श्री बिजनौर
217–महाबीर सिंह, कुंवर हरदोई
218–महिपाल सिंह यादव, श्री बरेली
219–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री आगरा
220–महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
221–महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री फतेहपुर
222–महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) पिथौरागढ़
223–महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
224–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
225–माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा० सहारनपुर
226–माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
227–मारकण्डेय सिंह, श्री बलिया
228–मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
229–मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री बदायूं
230–मुक्ति नाथ, श्री देवरिया
231–मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
232–मुनव्वर हसन, श्री मुजफ्फरनगर
233–मुनीश गौड़, श्री अलीगढ़
234–मुरलीधर, श्री फतेहपुर

235–मुलायम सिंह यादव, श्री — फिरोजाबाद
236–मेवा लाल बागी, श्री — वाराणसी
237–मोलई, श्री — गोरखपुर
238–मोहम्मद अरशद खान, श्री — जौनपुर
239–मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
240–मोहर सिंह, श्री — सहारनपुर
241–मोहसिन, डा० — गोरखपुर
242–यश पाल आर्य, श्री — नैनीताल
243–यश पाल चौधरी, श्री — खीरी
244–यश पाल सिंह चौधरी, श्री — सहारनपुर
245–योगेन्द्र कुमार सागर, श्री — बदायूं
246–रंगनाथ मिश्र, श्री — वाराणसी
247–रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भइया, कुंवर — प्रतापगढ़
248–रघुवीर सिंह, श्री — एटा
249–रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
250–रणधीर सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
251–रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
252–रतन पाल पंवार, श्री — मुजफ्फरनगर
253–रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
254–रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — देवरिया
255–रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
256–रमेश कान्त लवानियां, श्री — आगरा
257–रमेश चन्द्र चंचल, श्री — फिरोजाबाद
258–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० — चमोली गढ़वाल
259–रमेश बहादुर, श्री — प्रतापगढ़
260–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर — मेरठ
261–रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
262–रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री — देवरिया
263–रवीन्द्र शुक्ल, श्री — झांसी
264–राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
265–राकेश सोनकर, श्री — कानपुर नगर
266–राजकुमार शिवहरे, श्री — बांदा
267–राजबली जैसल, श्री — इलाहाबाद
268–राजबली यादव, श्री — आजमगढ़
269–राज बहादुर, श्री — गाजीपुर
270–राज लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
271–राजबीर सिंह, श्री — अलीगढ़
272–राजा राम त्यागी, श्री — रायबरेली
273–राजीव कुमार, श्री — नैनीताल
274–राजेन्द्र कुमार, श्री — मऊ
275–राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
276–राजेन्द्र प्रसाद, श्री — लखनऊ
277–राजेन्द्र सिंह, श्री — देहरादून
278–राजेन्द्र सिंह, श्री — बिजनौर
279–राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
280–राजेश यादव, श्री — बदायूं
281–राजेश कुमार, श्री — वाराणसी
282–राधेश्याम, श्री — बाराबंकी
283–राधेश्याम गुप्ता, श्री — फतेहपुर
284–रानी देव लता, श्रीमती — सहारनपुर
285–राम अचल राजभर, श्री — फैजाबाद
286–राम अधार यादव, श्री — महराजगंज
287–राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
288–राम औतार मिश्रा, श्री — शाहजहांपुर
289–राम करन आर्य, श्री — बस्ती
290–राम किशोर बिन्द, श्री — वाराणसी
291–राम कुमार वर्मा, श्री — खीरी
292–राम कुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
293–राम कृष्ण वर्मा, इंजी० — मेरठ

294–राम खेलावन, श्री उन्नाव
295–राम गोपाल, श्री खीरी
296–राम जीत भारद्वाज, श्री वाराणसी
297–राम तेज, श्री बहराइच
298–राम दर्शन यादव, श्री आजमगढ़
299–राम दवर, श्री जौनपुर
300–राम दास पाल, श्री कानपुर देहात
301–राम देव पटेल, श्री फैजाबाद
302–राम धनी, श्री गाजीपुर
303–राम नरेश यादव, श्री रायबरेली
304–राम पाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
305–राम प्रकाश, श्री बस्ती
306–राम प्रकाश गुप्त, श्री लखनऊ
307–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री फर्रुखाबाद
308–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
309–राम प्रसाद टम्टा, श्री अल्मोड़ा
310–राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
311–राम प्रसाद, श्री बस्ती
312–राम बाबू हरित, डा० आगरा
313–राम मूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
314–राम लखन यादव, श्री प्रतापगढ़
315–राम लखन वर्मा, श्री फैजाबाद
316–राम लोटन सिंह पटेल, इन्जी० मिर्जापुर
317–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
318–राम वीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
319–राम सजीवन निर्मल, श्री इलाहाबाद
320–राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
321–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
322–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
323–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
324–राम स्वरूप, श्री एटा
325–राम स्वरूप शर्मा, स्वामी मथुरा
326–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
327–रामेश्वर दयाल, श्री मैनपुरी
328–रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री गोण्डा
329–रेखा छागला, श्रीमती इटावा
330–लक्ष्मी चन्द्र, श्री बुलन्दशहर
331–लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री प्रतापगढ़
332–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
333–लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
334–लालजी, श्री वाराणसी
335–लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री जौनपुर
336–लाल बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
337–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
338–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
339–वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
340–विक्रम सिंह, श्री बलिया
341–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
342–विजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
343–विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री गोण्डा
344–विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
345–विश्वनाथ, श्री देवरिया
346–विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री गोण्डा
347–विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
348–विश्वम्भर सिंह, श्री मथुरा
349–वीर अभिमन्यू सिंह, श्री फतेहपुर
350–वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
351–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
352–वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री पीलीभीत
353–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री अलीगढ़

354–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
355–शराफत यार खां, श्री बरेली
356–शशि बाला पुण्डीर, श्रीमती सहारनपुर
357–शशि बाला भारती, श्रीमती खीरी
358–शाकिर, श्री देवरिया
359–शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
360–शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री महराजगंज
361–शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
362–शिव दानी, श्री इलाहाबाद
363–शिव प्रताप यादव, डा० गोण्डा
364–शिव प्रताप शुक्ला, श्री गोरखपुर
365–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
366–शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
367–शिव सागर लाल, डा० उन्नाव
368–शिवेन्द्र, श्री महराजगंज
369–शूरवीर सिंह सजवाण, श्री टिहरी गढ़वाल
370–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
371–श्याम देव राय चौधरी, श्री वाराणसी
372–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
374–श्रीराम पाल, श्री जालौन
375–श्रीराम, श्री मिर्जापुर
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया
378–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
379–सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री एटा
380–सतीश कुमार, श्री बिजनौर
381–सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सत्य प्रकाश, श्री मुरादाबाद
384–सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
385–सत्येन्द्र सिंह, श्री मुरादाबाद
386–सन्त बक्श रावत, श्री लखनऊ
387–सफदर रजा खां, श्री सुल्तानपुर
388–समई, श्री आजमगढ़
389–समर पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
390–समीर भाटी, श्री गाजियाबाद
391–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
392–सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली
393–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री मुरादाबाद
394–सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर
395–सियाराम सागर, डा० बरेली
396–सुखदेव, श्री आजमगढ़
397–सुखदेवी, श्रीमती इटावा
398–सुधीर कुमार बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
399–सुन्दर पाल सिंह, श्री सीतापुर
400–सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बाराबंकी
401–सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
402–सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
403–सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री गढ़वाल
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री मुजफ्फरनगर
406–सुरेश पासी, श्री प्रतापगढ़
407–सुरेश प्रताप सिंह चौहान, डा० मुरादाबाद
408–सुरेश संगल, श्री मुजफ्फरनगर
409–सुशीला सरोज, श्रीमती हरदोई
410–सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
411–स्वयंवर चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
412–स्वामी नाथ, श्री देवरिया
413–हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल
414–हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी

415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिशंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
418–हरी किशन, श्री — कानपुर देहात
419–हरी शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
420–हरीश कुमार गंगवार, श्री — बरेली
421–हरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
422–हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी — रामपुर
423–हाजी मोहम्मद हयात्, श्री — मुरादाबाद
424–हीरा मनि पटेल, श्री — इलाहाबाद
425–हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल वोरा

मंत्रि-परिषद्

1–सुश्री मायावती, मुख्य मंत्री ।	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय, विधायी, गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास, सिंचाई, आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, कृषि, उत्तरांचल विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नियोजन, खाद्य, राज्य सम्पत्ति, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स, चिकित्सा शिक्षा एवं लोक निर्माण ।
2–श्री राम लखन वर्मा	वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग ।
3–श्री आर० के० चौधरी	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग ।
4–श्री राजेन्द्र कुमार	राजस्व
5–श्री अकबर अली	कारागार, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

6–श्री हृदय नारायण दीक्षित	पंचायती राज एवं संसदीय कार्य
7–श्री अवध पाल सिंह यादव	दुग्ध विकास
8–श्री चौधरी जगवीर सिंह गूजर	सहकारिता
9–श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण
10–श्री सुखदेव राजभर	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा
11–श्री नन्द लाल पटेल	परिवहन
12–श्री चैनसुख भारती	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

1–श्री श्याम लाल यादव	श्रम
2–श्री बशीरुद्दीन	अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ ।
3–श्री राम किशोर बिन्द	नगर विकास
4–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	पशुधन
5–श्री फौजदार प्रसाद	उद्यान

राज्य मंत्री

1–श्री इश्तियाक अन्सारी 2–श्री अंगद यादव 3–श्री लाल जी चौहान	वन, लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री
4–श्री नजमउद्दीन	राजस्व मंत्री
5–श्री हीरामणि पटेल 6–श्री राम विलास बाल्मिकी	कारागार, होमगार्ड एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री
7–श्री भागवत पाल	दुग्ध विकास मंत्री
8–श्री राम अचल राजभर	परिवहन मंत्री
9–श्री जयराम कुशवाहा 10–श्री भगवती प्रसाद सागर	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा मंत्री
11–श्री धूराम चौधरी	पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री
12–श्री चौधरी तेजपाल सिंह 13–श्री राम दवर	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

14–श्री घूरा राम	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं
15–श्री प्रवीण सिंह ऐरन	प्रोद्योग मंत्री ।
16–श्रीमती सुशीला सरोज	समाज कल्याण मंत्री

नेता विरोधी दल

श्री मुलायम सिंह यादव — समाजवादी पार्टी

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

कार्यवाहक, अध्यक्ष

श्री बी० आर० वर्मा,

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना,

अधिष्ठाता मण्डल

1–श्री ऊदल, सदस्य विधान सभा, वाराणसी ।
2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा, सीतापुर ।
3–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य विधान सभा, मिर्जापुर ।
4–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, सदस्य विधान सभा, इलाहाबाद ।
5–श्रीमती उर्मिला राजपूत, सदस्य विधान सभा, फर्रुखाबाद ।
6–श्री भगेलू राम, सदस्य विधान सभा, सुल्तानपुर ।
7–श्री लालजी यादव उर्फ जोगी, सदस्य विधान सभा, जौनपुर ।
8–श्री चन्द्र भान मौर्य, सदस्य विधान सभा, आगरा ।
9–श्री रणजीत सिंह जूदेव, सदस्य विधान सभा, झांसी ।
10–श्री किरन पाल सिंह, सदस्य विधान सभा, बुलन्दशहर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	छोटे लाल श्री	हरदोई
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	जगराम सिंह, श्री	कानपुर नगर
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अरिमर्दन सिंह, श्री	हमीरपुर	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जवाहर यादव उर्फ पंडित जी, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ	
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदाँयूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्म शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई)	पिथौरागढ़
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौधरी, श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी

राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्प विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

राष्ट्रीय-गीत

(श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के पीठासीन होने पर राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" प्रारम्भ होते ही समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के अनके सदस्य "लाठी गोली की यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी" के नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

वन्दे मातरम्
वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥
सुजलाम ।
सुफलाम ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ॥
शुभ्र ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

[सदन में राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम्" आरम्भ होते ही समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के श्री अम्बिका चौधरी, श्री इश्तियाक अहमद, श्री ओम प्रकाश, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री शारदानन्द अंचल, श्री जोखूलाल यादव, श्री उमाशंकर यादव तथा श्री आर० डी० पाल आदि सदस्य अध्यक्ष पीठ की तरफ कागज के गोले बनाकर फेंकते रहे और रिपोर्ट्स टेबुल के ऊपर चढ़ कर नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने आसन पर जाकर अपना आसन ग्रहण करें ।

(घोर व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायं ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संकया–1 पुकारे जाने पर)

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर,.....

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाहक आधे घण्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 03 मिनट पर मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा० कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया गया है ।)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

वर्तमान सरकार की उच्च शिक्षा विषयक नीति

** 1–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार की उच्च शिक्षा की नीति क्या है? क्या सरकार ने सभी इच्छुक छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की है? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

सरकार की नीति यह है कि प्रदेश के प्रत्येक इच्छुक योग्य छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त हो । इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा सुलभ कराने हेतु प्रवेश में आरक्षण की नीति भी रखी गयी है । राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए इच्छुक एवं योग्य छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उद्यमियों से विद्युत, ईंधन एवं अन्य अधिभार अलग से न लिये जाने की मांग

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि औद्योगिक कनेक्शनों पर बिजली टैरिफ में ईंधन अधिभार जोड़ देने के बाद उद्यमियों को दिये गये इस आश्वासन कि वर्ष 1995 तक ईंधन या अन्य अधिभार अलग

नोट :– ** प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

से नहीं लिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अब ईंधन अधिभार पुनः दिनांक 13 मार्च, 1995 से लगा दिया गया है और वह भी दिनांक 16-7-94 से ? क्या पिछले 8 माह का बिल भी भेज दिया गंया है ? यदि हां, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पिछली टैरिफ में 15-7-94 तक लागू ईंधन व अधिष्ठान अधिभार का समावेश करके ही 16-7-94 से नई टैरिफ घोषित की गयी थी । इस प्रकार का कोई आश्वासन उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया था कि नई टैरिफ पर वर्ष 1995 तक कोई ईंधन अधिभार नहीं लगेगा । नई टैरिफ में 31-3-95 तक अधिष्ठान अधिभार शून्य रखा गया ।

नई टैरिफ लागू होने के पश्चात् कोयला तेल व आयातित ऊर्जा के व्यय में जो वृद्धि हुई उसकी प्रतिपूर्ति हेतु टैरिफ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 13-3-95 द्वारा 16-7-94 से 30-9-94 की अवधि के लिये ईंधन अधिभार घोषित किया गया ।

जी हां ।

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये लागू विद्युत दर सूची में पूर्व विद्युत टैरिफ की भांति यह प्राविधान निहित है कि विद्युत गृह पर कोयले और तेल के लागत मूल्यों तथा एन०- टी० पी० सी० आदि से आयातित ऊर्जा दर में वृद्धि के आधार पर एक निश्चित सूत्र के अनुसार ईंधन अधिभार आंकलित करके वसूल किया जायेगा ।

[शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

लखनऊ विद्युत प्रदेय इकाई में लगभग दस साल से कार्यरत जे० एम० टी० के स्थानान्तरण की मांग

*1–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद् के लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट, लखनऊ में वर्तमान समय में कितने जे० एम० टी० पद पर कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जो लगभग 10 वर्षों से अधिक एक ही स्थान लेसू में ही कार्यरत हैं ? क्या इस संबंध में एक स्थान पर लगातार कार्य करने की कोई अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ऐसे जे० एम० टी० कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने के आदेश सरकार जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट, लखनऊ में वर्तमान समय में जे० एम० टी० के पद पर कुल 78 कर्मचारी कार्यरत है ।

उन 78 कर्मचारियों में से ऐसे 36 कर्मचारी हैं जो लगभग 10 वर्षों से अधिक अवधि से एक ही स्थान पर लेसू में कार्यरत हैं ।

जी हां ।

स्थानान्तरण आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

लखनऊ विद्युत प्रदेय इकाई में नियुक्त श्री एच० के० डी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता लेसू के विरुद्ध श्री ब्रज कुमार बंसल के शिकायती-पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही की मांग

*2–श्री समर पाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान समय में लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट, लखनऊ में नियुक्त श्री एच० के० डी० शर्मा (अधीक्षण अभियन्ता) एवं 6 जे० एम० टी० के विरुद्ध जून, 1994

से अब तक कितने शिकायती पत्र ब्रज किशोर बंसल सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा उनके भ्रष्ट कार्य कलापों के संबंध में प्राप्त हुए ? क्या यह सही है कि विशेष सचिव मा० मुख्य मंत्री के पत्र सं०–पी०एस०–95–41/सी०एम०–2/94, दिनांक 18 अगस्त, 94 तथा पत्र सं०–पी० एस०–14022/सी० एम०–2/94, दिनांक 22-12-94 द्वारा अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० परिषद् को प्रेषित करते हुए उनके विरुद्ध जांच कराने एवं उनका स्थानान्तरण लखनऊ से बाहर किये जाने हेतु आदेशित भी किया गया था ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक अध्यक्ष, रा० वि० परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

श्री ब्रज कुमार बंसल, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा श्री एच० के० डी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता एवं 6 जे० एम० टी० के विरुद्ध विभिन्न तिथियों के कुल 4 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं।

प्रश्न में उल्लिखित माननीय मुख्य मंत्री जी के विशेष सचिव, के पत्रों में मामले की केवल जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। फिर भी श्री एच० के० डी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण मण्डल (द्वितीय) लेसू लखनऊ को लेसू से अन्यत्र स्थानान्तरित कर सम्बद्ध पद पर वाणिज्यिक संगठन लखनऊ में तैनात कर दिया गया।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच परिषद् की सतर्कता इकाई को सौंपी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर की पेयजलापूर्ति में सुधार हेतु विश्व बैंक पोषित परियोजना में की गयी अनियमितताओं की जांच, दोषियों को दंड एवं पेयजलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने की मांग

*3–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की पेयजलापूर्ति में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजना की शर्तों के अनुसार उसे कब पूर्ण होना था ? निर्धारित समय पर उक्त कार्य पूरा न होने का कारण क्या है ? उक्त कार्य को निश्चित अवधि में पूरा न करने से व्यय भार में कितना फर्क पड़ा ? उक्त कार्य में लापरवाही और अनियमितता की जांच कराकर ठेकेदार तथा अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा पेयजलापूर्ति के गम्भीर संकट को दूर करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

समस्त कार्य मार्च, 1994 तक पूर्ण होना था।

ठेकेदारों से विवाद उत्पन्न होने के कारण कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं हो सके।

लगभग 1.66 करोड़ रुपया का व्यय भार का आंकलन किया गया है।

उक्त कार्य में लापरवाही/अनियमितता के लिये किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया है। एक ठेकेदार द्वारा कार्य बीच में छोड़ दिये जाने के कारण अनुबन्ध की धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा चुकी है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नदी स्रोत से 150 एम० एल० डी०, नलकूप से 18 एम० एल० डी० तथा हैण्ड पम्प से लगभग 4 एम० एल० डी० पानी की वृद्धि की जानी थी, जिसके विरुद्ध अब तक क्रमशः 25 एम० एल० डी०, 18 एम० एल० डी० तथा 4 एम० एल० डी० की वृद्धि की जा चुकी है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रमों जैसे–नागर

पेयजल, सूखा राहत एवं पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत 3 नलकूप चालू किये जा चुके हैं। 5 नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 200 नग इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प लगाकर लगभग 10 एम० एल० डी० पानी की वृद्धि की जा चुकी है।

पुराना किला, कैन्ट रोड, लखनऊ स्थित मस्जिद के पीछे वाली गली की नियमित सफाई की मांग

*4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ पुराना किला, कैन्ट रोड पर स्थित मस्जिद की पीछे वाली गली में व्याप्त गन्दगी, नाली चोक होने और सीवर लाइन के ओवरफ्लो की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-1-95 जो माननीय नगर विकास राज्य मंत्री द्वारा उसी दिनांक को नगर स्वास्थ्य अधिकारी, लखनऊ नगर निगम, जोन–प्रथम को प्राप्त कराया गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है तथा उक्त गली में स्थित सीवर लाइन की सफाई कब-कब की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

जी नहीं, बल्कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-1-95 प्राप्त हुआ।

पुराना किला, कैण्ट रोड पर स्थित मस्जिद की पीछे वाली गली की सफाई करवा दी गयी है, नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था सुचारु रूप से कराये जाने हेतु उक्त क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों तथा सिनेटरी सुपरवाइजर को निर्देशित भी कर दिया गया है तथा सीवर लाइन खुलवा दी गयी है। दिनांक 11-7-95 को उक्त सीवर लाइन की सफाई एवं चेकिंग का कार्य कराया गया है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में पर्वतीय अंचल से आये अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में वापस जाने हेतु कार्यमुक्त किये जाने की मांग

*5–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ से सम्बद्ध सहकारी समिति पंजियन शाखा में विगत पांच वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके पैतृक विभागों में, विशेष तौर पर पर्वतीय अंचल से आये अधिकारियों और कर्मचारियों को वापस करने के आदेश शासन द्वारा दिये हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है किन्तु प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो शासनादेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या सरकार उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर उनके पैतृक विभागों में वापस करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रतिनियुक्ति पर तैनात परिषद् के सहकारिता अनुभाग में कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षक जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष हो गयी थी, विशेष तौर पर पर्वतीय अंचल से आये अधिकारियों को शासन के आदेश दिनांक 4-5-95 के अनुपालन में दिनांक 30 जून से 4 जुलाई, 1995 के मध्य कार्यमुक्त किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कानपुर में गंगा बैराज विषयक प्रस्ताव की जानकारी

*6–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में गंगा बैराज बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है एवं कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

उक्त परियोजना की लागत 233.00 करोड़ रु० है, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा दिनांक 14-6-94 को अनुमोदित कर दिया गया है । परियोजना की लागत राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाना है । राज्यांश के रूप में 1.24 करोड़ रु० अवमुक्त किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 1995-96 में 10.00 करोड़ रु० का प्राविधान प्रस्तावित है । भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि 8.00 करोड़ रु० अब तक प्राप्त हो चुकी है । बैराज का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु सिंचाई विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ।

लखनऊ में इन्दिरानगर की सीमा पर इस्माइलगंज के उत्तर में स्थित झील के पानी के निकासी हेतु उपाय किये जाने की मांग

*7–चौधारी यशपाल सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित तारां० प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत ग्राम की जल निकासी हेतु क्या फैजाबाद रोड के समानान्तर एक नाला बनाकर और उस नाले को राजकीय पालीटेक्निक, फैजाबाद रोड, लखनऊ के समीप स्थित मुख्य नाले में मिलाकर इस ग्राम के जल निकासी की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत ग्राम–इस्माइलगंज की जल निकासी हेतु नाला निर्माण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत क्षेत्रों में बरसात होने पर जल भराव हो जाता है यह अस्थायी समस्या है, जिसका निराकरण समय-समय पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा कर दिया जाता है ।

आवासीय स्थलों एवं भवनों के लीज प्रणाली को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक शासनादेश की जानकारी

*8–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या आवास एवं विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् तथा जिलों में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा जो भूमि एवं भवन इच्छुक क्रेताओं को आवंटित किये जाते हैं, उन्हें लीज पर आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के करोड़ों आवंटियों के हितों को

देखते हुए भूमि एवं भवनों को लीज से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने की नीति शासन द्वारा लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 10 मई, 1995 को निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति भूमि का मुआवजा दिलाने की मांग

*9–इन्जि० राम कृष्ण वर्मा–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जनपद में मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो किसानों की भूमि अध्याप्ति की है उसमें कितने किसानों को मुआवजे का भुगतान अवशेष है तथा इसका वर्ष 1990 से 1995 तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है ? अवशेष मुआवजे को कब तक किसानों को भुगतान करा देंगे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विद्युत उत्पादन एवं वितरण को प्राइवेट सेक्टर में दिये जाने की मांग

*10–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उत्पादन व वितरण को निजी क्षेत्र में देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1994 में ऊर्जा नीति घोषित की गयी थी जिसके अनुसार विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्र में भी दिया जायगा इसी प्रकार विद्युत वितरण निजी क्षेत्र में स्थानीय रूप में दिये जाने की भी शासन की नीति है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में जल निगम द्वारा गांव में लगने वाले नल की योजना

*11–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में जल निगम द्वारा गांव में लगने वाले नल की योजना के अन्तर्गत बोरिंगों के लिये पी० वी० सी० पाइपों में छिदाई के उपरान्त जो स्क्रेप प्राप्त होती है उससे जल निगम को वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 तक कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? एक मीटर की छिदाई (स्क्रेप) में कितने छीजन की प्राप्ति होती है ? क्या उक्त कार्य निविदा द्वारा कराया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 में अलग-अलग किस रेट पर विभाग द्वारा निविदायें स्वीकृत की गयीं ? क्या यह सही है कि आवंटित पी० वी० सी० पाइपों से जो छीजन

प्राप्त हुआ है, उसके राजस्व का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत प्रकरण की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जनपद गोण्डा में जल निगम द्वारा ग्रामों में लगाये गये नल की योजना के अन्तर्गत बोरिंग के लिये किसी भी पी० बी० सी० पाइप में छिदाई नहीं कराई गयी है जिससे कोई स्क्रेप प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1989-90 से वर्ष 1994-95 में किसी राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

लागू नहीं होता।

लागू नहीं होता।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

लखनऊ–फैजाबाद रोड, ए ब्लाक स्थित नीलगिरी काम्पलेक्स के समीप 33000 वोल्ट हाइटेंशन की लाईन को ऊंचा अथवा अन्डर ग्राउन्ड किये जाने की मांग

*12–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ-फैजाबाद रोड पर ए-ब्लाक स्थित नीलगिरी काम्प्लेक्स के सामने से वर्षों पुरानी एक 33000 वोल्ट हाईटेंशन की लाइन गुजरती है, जो अत्यन्त नीची है, जिससे अनेकों बार दुर्घटनाओं में कई व्यक्तियों की मृत्यु विद्युत करेन्ट लगने से हो चुकी है ? यदि हां, तो फैजाबाद रोड के बाईं ओर स्थित लाइन को अविलम्ब ऊंचा करने या अन्डर ग्राउन्ड करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां। यह सत्य है कि नीलगिरी काम्प्लेक्स के सामने स्थित उच्च विभव की लाइन कुछ हिस्सों में नीची है। उक्त लाइन मूलतः 33000 वोल्ट के लिये निर्मित है, परन्तु अद्यतन स्थिति में 11000 वोल्ट पर ऊर्जीकृत है। इस लाइन की भूमितल से ऊंचाई निर्माण के समय भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के प्राविधानों की अनुरूपता में थी। तत्पश्चात् सड़क ऊंची करने के कारण लाइन के कुछ हिस्से में भूमितल से ऊंचाई उक्त नियमावली के प्राविधानों से कम हो गयी है।

जी हां, उक्त लाइन को ऊंचा करके भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के प्राविधानों के अनुरूप करने की कार्यवाही की जायेगी।

उक्त कार्यवाही सितम्बर, 1995 के अन्त तक पूरी कर दिये जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद, राजनगर डुप्लेक्स योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का निर्माण, व्यवसायिक भूमि पर होने से मूल्य में वृद्धि

*13–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों के विकास हेतु स्वीकृत मास्टर प्लान में भू-प्रयोग परिवर्तन का अधिकार क्या उक्त नगर के विकास प्राधिकरण को है ? यदि हां, तो प्राधिकरण के किस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है ? क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राज नगर में डुप्लेक्स राजकुन्ज योजना द्वितीय पर निर्मित आवासीय भवनों का मूल्य निर्धारित करते

समय भूमि का मूल्य व्यवसायिक दर से लगाकर प्रत्येक भवन की कीमत लगभग 2 लाख रुपये बढ़ा दी है ? यदि हां, तो क्या योजना के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करते समय उक्त भवनों का जो मूल्य प्रचारित किया गया था, उसमें प्रयुक्त भूमि का मूल्य आवासीय दर से लगाया गया था ? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त योजना में प्रयुक्त भूमि का भू-प्रयोग क्या है ?

सुश्री मायावती–

भू-प्रयोग परिवर्तन का अधिकार उक्त नगर के विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है । भू-प्रयोग परिवर्तन के प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत होने पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । यह अधिकार शासन को प्राप्त है ।

राजनगर में डुप्लेक्स योजना में निर्मित आवासीय भवन व्यवसायिक भूमि पर बनाये जाने के कारण उनका मूल्य व्यवसायिक दर पर लगाये जाने के कारण मूल्य में वृद्धि हुई है ।

योजना के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करते समय उक्त भवनों के अनुमानित प्रस्तावित मूल्य में आवासीय दर लगायी गयी है ।

वर्तमान में उक्त योजना मै भूमि का प्रयोग ''उपनगरीय वाणिज्य'' है ।

उ० प्र० नगर पंचायतों के चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

*14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव कब तक पूर्ण कराये जायेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

यथा सम्भव नवम्बर, 1995 तक प्रदेश में नगर पंचायतों के चुनाव कराये जा सकेंगे ।

पाण्डेयपुर आवासीय योजना, जनपद वाराणसी में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

*15–श्री ऊदल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पाण्डेयपुर आवासीय योजना जिला वाराणसी में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ने 32 एकड़ के करीब जमीन एक्वायर की थी ? क्या यह सही है कि उसमें से 18 एकड़ के आस-पास की जमीन पर ही आवासीय योजना लागू की गयी और 13/14 एकड़ जमीन पर दूसरे लोगों ने मकान बना लिया है और मकानों का नम्बर भी नगर निगम, वाराणसी पूर्व नगर महापालिका, वाराणसी में दर्ज है ? क्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर हेराफेरी करके यह कार्य किया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

वाराणसी विकास प्राधिकरण की पाण्डेयपुर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम–खजुरी व पाण्डेयपुर की क्रमशः 4/95 एवं 31.26 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गयी थी ।

उक्त अधिगृहीत भूमि में से 22.9733 एकड़ भूमि का कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है, जिसमें से 15.0733 एकड़ भूमि पर प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराया गया है तथा 1.25 एकड़ रिक्त है । शेष 6.65 एकड़ भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य कराया

गया है, जिन पर नगर निगम द्वारा भवन संख्या दी गयी है। अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ० प्र० नगर एवं विकास योजना अधिनियम, 1973 की धारा 27 एवं 28 के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी है। इन पर न्यायालय का स्थगनादेश भी है।

13.2392 एकड़ भूमि में से 2.1817 एकड़ भूमि सुलहनामे के आधार पर भू-धारकों के पक्ष में छोड़ दी गयी तथा 11.0575 एकड़ भूमि आबादी भूमि व न्यायालय से स्थगनादेश होने के कारण प्राधिकरण को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के राजस्व गांव बसारा, उचसिया, शेरगंज, धरमगदपुर, खमरिया, नवदिया में श्री राम किशोर पुत्र श्रीराम द्वारा अनधिकृत कब्जे की शिकायत

1–श्री राम सरन वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तहसील बीसलपुर, जनपद पीलीभीत के राजस्व गांव बसारा, उचसिया, शेरगंज, धरमगदपुर, खमरिया, नवदिया तथा नगर बीसलपुर के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद में नगर बीसलपुर निवासी श्री राम किशोर पुश्र श्री श्रीराम ने अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम से पट्टे करवाकर अथवा अनधिकृत कब्जे करके भूमियों पर कृषि कराकर अथवा निर्माण कर लिया है जिसकी जानकारी परगनाधिकारी एवं प्रभारी न० पा० बीसलपुर श्री बी० एल० यादव को है ? यदि हां, तो अब तक वांछनीय कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ? क्या इस हेतु अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम किशोर बिन्द–

ग्राम बसारा में श्री राम किशोर के पिता श्रीराम के नाम श्रेणी–2 तथा ग्राम उचसिया में स्वयं राम किशोर एवं उनके पिता के नाम श्रेणी–4 क के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ग्राम शेरगंज, धरमगदपुर एवं खमरिया नवदिया में श्री राम किशोर अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पट्टे या अनधिकृत कब्जे की कोई भूमि नहीं है। केवल नगरपालिका परिषद् बीसलपुर में मो० दुर्गा प्रसाद में श्री राम किशोर के अनधिकृत कब्जे में नगरपालिका परिषद् भूमि है, जिस पर पक्का निर्माण 15 वर्ष पुराना चला आ रहा है।

ग्राम बसारा एवं उचसिया ग्राम की भूमि की जानकारी तत्कालीन परगनाधिकारी श्री आई० सी० शर्मा को वर्ष 1993 में हुई थी।

जांचोपरान्त नियमानुसार पी०पी० ऐक्ट में कार्यवाही सक्षम अधिकारियों द्वारा की गयी। ग्राम बसारा की भूमि का पट्टा तत्कालीन परगनाधिकारी बीसलपुर द्वारा निरस्त कर भूमि ग्राम समाज में निहित की जा चुकी है। भूमि मौके पर खाली पड़ी है। ग्राम उचसिया की भूमि संबंधी वाद तथा मो० दुर्गा प्रसाद में नगरपालिका की भूमि पर श्री राम किशोर के अनधिकृत कब्जे से संबंधी वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में डम्प पड़े विद्युत उपकरणों की जानकारी

2–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भण्डारागारों में फिजिकल वेरीफिकेशन के अनुसार किन-किन स्थानों पर विद्युत उपकरण सहित अन्य वस्तुएं कितनी मात्रा में और कब से डम्प पड़ी हुई हैं ? इनको क्रय करने वाले अधिकारी कौन-कौन हैं ? उनके नाम, पदनाम,तैनाती स्थान क्या हैं ? कितना धन उक्त क्रय में अन्य मदों में से परिषद् का व्यय किया गया है । क्या यह सत्य है कि विद्युत सम्बन्धी उपकरणों एवं अन्य वस्तुओं के क्रय में अनियमितता बरती गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? उनमें से कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत सामानों एवं उपकरणों के खरीद में क्वालिटी कन्ट्रोल पर ध्यान दिया जाता है ? क्या घटिया स्तर का सामान भी ऊंचे दामों पर खरीदा गया है ? यदि हां, तो ऐसे मामले किन-किन स्थानों के लम्बित हैं तथा वह सामान/उपकरण क्या हैं ? इन पर कितनी धनराशि अब तक व्यय की गयी है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू लखनऊ के अधीन फर्जी भुगतान और गबन के मामलों की जानकारी

3–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य) लेसू लखनऊ के अधीन कार्ड कोड सं० 42 के माध्यम से वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में कितनी धनराशि के फर्जी भुगतान सम्बन्धी आंकड़े फीड करके परिषद् के राजस्व का गबन किया गया है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त वर्षों में कौन-कौन अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता एवं डाटा फीडिंग का डिस्पैच क्लर्क नियुक्त रहा है ? क्या यह सत्य है कि भुगतान संबंधी आंकड़े फीड करने हेतु किसी अवर अभियन्ता को कार्य पर लगाया गया है ? यदि हां,तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त स्थान पर लेखाकार को न लगाये जाने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

विशेष सम्प्रेक्षा की अन्तरिम आख्यानुसार रु० 12,98,122.72 का फर्जी क्रेडिट देकर 3/93 से 8/93 के मध्य गबन किया गया है ।

प्रश्नगत अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति का विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

सहायक लेखाकार के साथ-साथ भुगतान संबंधी आंकड़े फीड करने हेतु अवर अभियन्ता को भी आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया गया था ।

लेखाकार न होने के कारण उक्त स्थान पर एक सहायक लेखाकार को लगाया गया था ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 78–79 पर)

अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, स० वि० द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

4–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओवरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के अधीक्षण अभियन्ता (तृतीय) श्री आर० डी० एस० मौर्य द्वारा उनके कार्यकाल में कौन सा कार्य किस फर्म से और कब-कब कराया गया और कितना भुगतान हुआ ? क्या उक्त फर्म से इन कार्यों के कराने के आदेश अपने उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-1-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या परिषद् को हुई हानि की क्षतिपूर्ति कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के एम० जी० आर० की खुदाई परियोजनान्तर्गत भुगतान विवरण

5–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री तीरथ राज–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के एम० जी० आर० की 4.00 से 5.00 किलोमीटर की बीच की गयी खुदाई का समस्त मिट्टी के निस्तारण व भुगतान परियोजना द्वारा पूर्वी रेलवे को वर्ष 1980-81 में किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना भुगतान किया गया था ? क्या यह सत्य है कि इस कार्य से निकली मिट्टी की ढुलाई दिखाकर अलग से अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना किया गया और किसको ? इन दोनों कार्यों को कराने वाले कौन-कौन अधिकारी थे तथा दोनों की शर्तें क्या थीं ?

सुश्री मायावती–

पूर्वी रेलवे से डिपाजिट कार्य के रूप में कार्य कराये गये थे । जिसके लिये कुल रु० 7,16,50,537.00 का भुगतान पूर्वी रेलवे को वर्ष 1980-81 में किया गया ।

पूर्वी रेलवे को केवल खुदाई के कार्य का भुगतान किया गया था । चूंकि एम० जी० आर० कार्यशाला के कार्यस्थल पर मिट्टी की भराई का कार्य होना था, अतः खुदी हुई तथा पटरी के किनारे रखी हुई अतिरिक्त मिट्टी को एम० जी० आर० के भराई करने के लिये अनुबन्ध संख्या 40/ईई-3/85-86, दिनांक 25-7-1986 के द्वारा मेसर्स के० एन० कांस्ट्रक्शन, अनपरा से कार्य कराया गया, जिस पर रु० 16,40,327.30 की लागत आयी । मिट्टी ढुलाई कर एम० जी० आर० में डालने का कार्य श्री ए० के० अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कराया गया था तथा श्री बी० पी० खन्ना उनके अधीक्षण अभियन्ता थे । एम० जी० आर० से मिट्टी खुदाई का कार्य श्री एन० के० वार्ष्णेय, अधिशासी अभियन्ता एवं श्री एन० सी० गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कराया गया था ।

मा० श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा अभिदेश वाद संख्या 137/83 में निर्गत एवार्ड के परिपालन की मांग

6–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उप श्रमायुक्त, आगरा क्षेत्र, 32–गार्डेन रोड, आगरा ने माननीय श्रम न्यायालय, आगरा द्वारा अभिदेश वाद संख्या–137/83 में दिये गये एवार्ड के पालन में रुपया 39,422.96 की वसूली अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, हाथरस, अलीगढ़ एवं उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से किये जाने हेतु आदेश संख्या–6734 दिनांक 26-6-92 कलेक्टर, अलीगढ़ को जारी किया है ? यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत रु० 39,422.96 की वसूली अभी तक न करने के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? क्या यह सही है कि संबंधित कर्मचारी श्री हरी मोहन पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव द्वारा कलेक्टर, अलीगढ़ को दि० 15-2-93 व 3-1-94 को पत्र लिखकर उक्त राशि की वसूली का भुगतान कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा किस तिथि तक धनराशि की वसूली करके कर्मचारी को भुगतान करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, हाथरस को इस आदेश की जानकारी जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा धनराशि की वसूली हेतु अपने अमीन को भेजे जाने पर हुई ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का कोई अधिकारी इस हेतु दोषी नहीं है ।

यह बिन्दु ऊर्जा विभाग/उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित नहीं है ।

जिलाधिकारी द्वारा परिषद् से उक्त वसूली कार्यवाही किये जाने पर प्रश्नगत धनराशि का परिषद् द्वारा चेक संख्या–121183, दिनांक 28-1-94 द्वारा भुगतान श्रमिक श्री हरी मोहन, पुत्र श्री जमुना प्रसाद यादव को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी का आवास आवंटित किये जाने की मांग

7–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो द्वितीय श्रेणी की आवासीय सुविधा पाने के पात्र हैं तथा जिन्हें अभी तक द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित नहीं किये गये हैं ? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु पात्रता की तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि इन कर्मचारियों से कनिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी के आवास आवंटित कर उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कनिष्ठ कर्मचरियों के नाम, पदनाम, परियोजना पर तैनाती की तिथि व द्वितीय श्रेणी आवास हेतु प्रात्रता की तिथि क्या है ? वरिष्ठ कर्मचारियों को द्वितीय श्रेणी का आवास किस तिथि तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

1615 कर्मचारी हैं ।

ऐसे 175 कर्मचारी हैं ।

विवरण अनुसंलग्नक "क" में दर्शाया गया है । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

हां । मात्र एक कर्मचारी है जिसे चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर विशेष परिस्थिति में आवास आवंटित कराया गया है ।

अनुसंलग्नक "क" के क्रम सं० 99 पर विवरण संलग्न है । यह कर्मचारी दि० 9-6-87 से द्वितीय प्रकार के आवास हेतु पात्रता रखते हैं ।

आवासों की कमी के कारण कोई निश्चित तिथि इंगित करना संभव नहीं है ।

विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में आवंटियों के वेतन से की गयी एच० आर० ए० की कटौती वापस किये जाने की मांग

8–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 220 के० वी० एवं 132 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र आजमगढ़/जौनपुर की आवासीय कालोनी में किन-किन श्रेणी के कुल कितने आवासीय भवन निर्मित हैं तथा कब से कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी रह रहे हैं ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थल, खण्ड का नाम एवं मकान नं० क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि उनके वेतन से एच० आर० ए० की कटौती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों में रहने वालों से उनके वेतन से कटौती नहीं की जा रही है ? क्या एक समान नीति के अनुसार जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन से एच० आर० ए० की कटौती की जा चुकी है उसे वापस कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार की जांच विषयक, प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

9–श्री परशुराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 26-4-1994 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? क्या शासन द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में साधन सहकारी समितियों में सचिव एवं आंकिक के पदों में अनुसूचित वर्ग का कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

10–श्री योगन्द्र कुमार सागर–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ विभाग में अनुसूचित वर्ग का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो उ० प्र० में कितने कर्मचारी, साधन सहकारी समितियों में सचिव, आंकिक के पद पर कार्यरत हैं ? यदि कोटा पूर्ण नहीं है, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

सहकारिता मंत्री (चौ० जगवीर सिंह गूजर)–

प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में सचिव एवं आंकिक पद पर अनुसूचित वर्ग का कोटा पूर्ण नहीं है ।

वर्तमान में प्राप्त सूचना के आधार पर साधन सहकारी समितियों में 6152 कैडर सचिव कार्यरत हैं । उनमें आरक्षण का कोटा पूर्ण नहीं है एवं समितियों में आंकिकों का संवर्ग न होने के कारण आरक्षण कोटा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है । कैडर सचिवों की नियुक्ति संभागीय कमेटी द्वारा उ० प्र० प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली 1976 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है । भविष्य में रिक्तियां होने पर भर्ती के समय अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों से आरक्षण कोटे की पूर्ति की जा सकेगी । आंकिक की नियुक्ति की व्यवस्था समिति के संचालक मण्डल द्वारा, समिति की आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय के अनुरूप की जाती है । चूंकि आंकिक का कोई कैडर नहीं है अतएव इनका कोटा पूर्ण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मार्टिन पुरवा, हजरतगंज लखनऊ में खराब पड़े इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प ठीक किये जाने की मांग

11–श्री चरण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया अवगत हैं कि मार्टिन पुरवा, हजरतगंज, लखनऊ में लगे इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प खराब हो जाने के कारण भयंकर पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या पेयजल समस्या के निवारण हेतु उक्त हैण्ड पम्प जल निगम, लखनऊ द्वारा अविलम्ब ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं, मार्टिन पुरवा हजरतगंज लखनऊ में पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति की जा रही है । इस क्षेत्र में 6 नग इण्डिया मार्क हैण्डपम्प स्थापित हैं जिनमें से 5 चालू हालत में हैं, एक हैण्डपम्प बोरिंग फेल हो जाने के कारण बन्द है ।

सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्ड पम्प के रिबोर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जनपद बलिया के साधन सहकारी समिति विठुआ, विकास खण्ड सीयर में सचिव पद पर कार्यरत श्री दूबे पर लगे गंभीर वित्तीय आरोप

12–श्री मुक्ति नाथ–

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि साधन सहकारी समिति, विठुआ, विकास खण्ड सीयर, जपनद बलिया पर कार्यरत सचिव, श्री दूबे इस समय निलम्बित चल रहे हैं ? क्या यह सही है कि वह कुछ दिन पहले भी जनपद बलिया से ही निलम्बित हुए थे ? यदि हां, तो किस नियम के तहत जिला सहायक निबन्धक द्वारा उनका निलम्बन आदेश समाप्त कर उन्हें बहाल करके विठुआ समिति का चार्ज दिया गया ? क्या यह सही है कि सचिव दूबे द्वारा विठुआ समिति पर जाकर भी भ्रष्टाचार किया गया ? क्या

किसानों को बीज, धान, खरीफ की फसल हेतु न बांटने पर वे निलम्बित हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इसमें सहायक निबन्धक, बलिया भी दोषी पाये गये हैं ? क्या उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी हां ।

जी हां ।

गंभीर वित्तीय आरोप नहीं होने के कारण जिला प्रशासनिक कमेटी बलिया द्वारा उन्हें बहाल करते हुए बिठुआ साधन सहकारी समिति विकास खंड सीयर में नियुक्त किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं । श्री दूबे को वित्तीय अनियमितता हेतु निलम्बित किया गया है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेसू लखनऊ में सी० सी० 42 के माध्यम से कम्प्यूटर को फर्जी भुगतान के आंकड़े भेजकर गबन करने का प्रकरण

13–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र०-राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के अधीन अगस्त, 1993 में सी सी 42 के माध्यम से कम्प्यूटर को फर्जी भुगतान के आंकड़े भेजकर गबन करने का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में कितने उपभोक्ता एवं कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित थे ? गबन की धनराशि एवं अवधि क्या थी, क्या इस गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या गबन धनराशि की वसूली की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

गबन का सर्वप्रथम अगस्त, 93 में जो मामला प्रकाश में आया था उसमें प्रथम दृष्टया 52 उपभोक्ता और कम से कम एक अधिकारी एवं एक सहायक लेखाधिकारी की सहभागिता लग रही थी । विशेष सम्प्रेक्षा अन्तरिम आख्यानुसार कुल 368 उपभोक्ता 3 अधिकारी व 3 कर्मचारी उपरोक्त गबन हेतु अन्तर्ग्रस्त पाये गये हैं । इनके अतिरिक्त 9 सहायक अभियन्ता वाणिज्य पर्यवेक्षीय असफलता के लिये उत्तरदायी पाये गये हैं ।

विशेष सम्प्रेक्षा की अन्तरिम आख्यानुसार रु० 12,98,122=72 का फर्जी क्रेडिट देकर 3/93 से 8/93 के मध्य गबन किया गया है ।

जी नहीं ।

गबन करने वाले व्यक्तियों की ठीक ठीक चिन्हित न हो पाने के कारण थाने में प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराई गई थी । दो अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जा चुका है और उन्हें निन्दा प्रविष्टि का दण्ड दिया गया है । सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण किया गया है ।

जी नहीं ।

विशेष आडिट की औपचारिक आख्या प्राप्त होने पर ही कार्यवाही किया जाना सम्भव है ।

जनपद बलिया के साधन सहकारी समिति बिठुआं विकास खण्ड सीयर में कार्यरत सचिव श्री दुबे और अन्य सचिवों पर लगे गम्भीर वित्तीय आरोप

14–श्री राम करन आर्य–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि साधन सहकारी समिति, विठुआं, विकास खण्ड सीयर, जनपद बलिया पर कार्यरत सचिव श्री दूबे व उनके अन्य साथियों पर कितने गोल माल समिति के धन का करने का आरोप सिद्ध हुआ है ? कब तक उक्त पैसे की वसूली उनकी निजी सम्पति से कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

साधन सहकारी समिति लि० विठुआं विकास खण्ड सीयर जनपद बलिया पर श्री प्रेम शंकर दुबे निलम्बित सचिव के ऊपर वर्तमान में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर 54,616.36 रुपये गबन का मामला प्रकाश में आया है । इसके अतिरिक्त श्री दुबे के अन्य साथी, जो बिठुआं समिति में आंकिक/विक्रेता आदि के पद पर कार्यरत हैं, के विरुद्ध दौरान जांच में कोई आरोप अभी तक प्रकाश में नहीं आया है ।

आरोप सिद्ध, धनराशि की वसूली की कार्यवाही नियमानुसार श्री दुबे से यथाशीघ्र की जायेगी ।

उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेसू लखनऊ के अधीन अधिशासी अभियन्ता (वा०) द्वारा नये कनेक्सनों के प्रति की गयी कथित लापरवाही की शिकायत

15–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय आदेश सं० 8763-एन जी/एस ई बी-75(IV) 37ए/1975, दिनांक 1-9-75 एवं सर्कुलर सं० 3070/एच सी सी/आई बी एम-8 दिनांक 26-8-83 के अनुसार लेसू लखनऊ के अधीन अधिशासी अभियन्ता (वा०) द्वारा नये कनेक्शन के पश्चात् उपभोक्ता का एग्रीमेन्ट एवं पत्रावली डिवीजनल एकाउन्टेन्ट (रेवेन्यू) को न सौंप कर पिछले लगभग 15 वर्षों से मीटर रीडर एवं मीटर चेन्जर को सौंपी जाती है और वही उपभोक्ताओं के बिलिंग भी करवाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लेसू लखनऊ में हजारों उपभोक्ता कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट सं० 8 के अनुसार ऐसे हैं जिनकी अनेक वर्षों से रीडिंग नहीं ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या इसका कारण उन उपभोक्ताओं का गलत किताब में लेजराइज किया जाना एवं उनकी मीटर शीटें न लगाना है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, लेसू, लखनऊ के अधीन अधि० अभि० (वा०) के कार्यावधि में परिषदीय आदेश सं०–1691/के/14–ए/एसईबी/89 दिनांक 28-3-89 के प्रस्तार 10 में निहित निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत मामले में कार्यवाही की जा रही है जिसके अन्तर्गत एग्रीमेन्ट एवं पत्रावली उपखण्ड अधिकारी रखते हैं । इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व में वाणिज्य खण्ड में किसी लेखाकार की नियुक्ति न होने पर यह कार्य सहायक अभियन्ता (वा०) के द्वारा कराया जाता था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । कुछ उपभोक्ताओं की रीडिंग विभिन्न कारणों से नियमित रूप से नहीं हो पाती है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों/निवासों पर लगे टेलीफोनों के व्यय का विवरण

16–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों/निवासों पर लगे टेलीफोन पर पिछले तीन वर्षों 1991-92, 92-93 एवं 93-94 में टेलीफोन व्यय क्या रहा है ? क्या परिषद् द्वारा टेलीफोन पर होने वाले व्यय के लिये कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? कितने ऐसे अधिकारी दोषी पाये गये हैं, जिन्होंने उक्त नीति का उल्लंघन किया है ? इनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ स्थित कार्यालयों/निवासों पर लगे दूरभाष पर पिछले तीन वर्षों में व्यय निम्नवत् रहा:–

वर्ष	कार्यालय	निवास
1991-92	18,57,543.40	21,84,878.00
	कुल योग=	40,42,421.40
1992-93	1622166.60	1739442.00
	कुल योग=	3361608.60
1993-94	2784835.00	1806807.85
	कुल योग=	4591642.85

जी हां ।

नीति सम्बन्धी परिषदादेश सं० 3082जए/राविप–87–16 जीए/74 दिनांक सितम्बर, 19,1987 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

कोई नहीं । क्यों कि सीमा से अधिक काल्स परिषदीय नीति के प्राविधानानुसार उच्च नियंत्रक अधिकारी की अनुमति से परिषदीय कार्यहित में की गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 180–182 पर)

जनपद महराजगंज के सिसवा बाजार से जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर गौनहा, विशुनपुरा टोला, इकडग्गी तक के० वी० लाइन के निर्माण में तार और खम्भों की चोरी की जानकारी

17–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सिसवा बाजार, जनपद महराजगंज से जनपद देवरिया के ग्राम रामपुर गोनहा, विशुनपुरा टोला इकडग्गी तक 11 हजार वोल्ट की लाइन विद्युतीकरण के लिये लोहे के रेल लाइन गाड़ कर तार खींची गई थी ? क्या उक्त विद्युत लाइन के खम्भे/तार 10 कि० मीटर तक के गायब हो गये हैं, जिसकी प्राथमिकी भी आज तक दर्ज नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं०–1390 पी० ए०/रा० वि० प०/91 (कम्प्यूटर सं०–532), दिनांक 26 अगस्त, 1991 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये लिखा था ? यदि हां, तो आज तक उक्त कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सिसवा बाजार से ग्राम रामपुर गोनहा, विशुनपुरा टोला एकडगी तक लगभग 27 किलोमीटर लम्बी 11 के० वी० लाइन का निर्माण लगभग 27 वर्ष पूर्व गंडक परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु किया गया था। उक्त लाइन का निर्माण ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये नहीं किया गया था।

उक्त लाइन के 65 खम्भे तथा 6.40 किलोमीटर लाइन के तार चोरी हो गये, जिसकी एफ- आई० आर० कराये जाने की पुष्टि में कोई प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है।

जी हां।

श्री होसिला प्रसाद शर्मा के शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच तीन अधिशासी अभियन्ताओं की जांच समिति द्वारा की जा रही है।

प्रश्नगत शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 183–184 पर)

18–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

जनपद गाजियाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं से सांठ-गांठ करके विद्युत परिषद को पहुंचायी गयी हानि का विवरण

19–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-3-94 जो कि मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, ऊर्जा को संबोधित था और जिसमें गाजियाबाद में विद्युत उपभोक्ताओं से गांठ-सांठ करके विद्युत परिषद् को प्रत्येक माह करोड़ों रुपये की

क्षति पहुंचाने का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कुल भूमि पर अनधिकृत आधिपत्य में होने की जानकारी

20–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कुल भूमि अनधिकृत आधिपत्य में है ? यदि हां, तो प्राधिकरण ने अपनी भूमि को अनधिकृत आधिपत्य से मुक्त कराने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की है ? क्या मंत्री जी अनधिकृत आधिपत्य करने वालों, उनके आधिपत्य की भूमि तथा अनधिकृत आधिपत्य को हटाने के लिये की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

सुश्री मायावती–

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की कुल भूमि में से 404.49 एकड़ भूमि अनधिकृत कब्जे में थी । अनधिकृत कब्जे हटाने के उपरान्त 308.6500 एकड़ भूमि अनधिकृत कब्जे में शेष थी । अनधिकृत कब्जों को हटाने के लिये वर्ष 1994 में 48 अभियान चलाये गये । अनधिकृत आधिपत्यों के विरुद्ध लगभग 60 मुकदमें पी० पी० एक्ट के अन्तर्गत दायर किये गये हैं ।

अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ट–185–188 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में कर्मचारियों को दिये जाने वाले ओवर टाइम के औचित्य की जानकारी

21–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ में कर्मचारियों को प्रतिमाह कितने रुपये ओवरटाइम के रूप में दिये जाते हैं ? इसके लिये परिषदीय नाम क्या है ? क्या यह सत्य है कि ओवर टाइम में कार्य न करने वाले कर्मचारियों को भी ओवर टाइम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी प्रत्येक सब स्टेशन में दिये जा रहे ओवर टाइम का विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं,तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लेसू लखनऊ में कर्मचारियों को त्रैमासिक ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है जो कार्य के अनुसार घटता-बढ़ता रहता है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान तीन त्रैमास (नौमाह) का कुल रुपये 72.69 लाख का भुगतान कर्मचारियों को किया गया जिसका मासिक औसत लगभग रु० 8.7 लाख होता है ।

कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत मैसर्स यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, लखनऊ के अधिग्रहण से चली आ रही परम्परा के अनुसार लेसू में कर्मकारों को सामान्य कार्य अवधि के अतिरिक्त अवधि में कार्य करने हेतु ओवर टाइम का भुगतान किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न हीं उठता।

प्रत्येक सब-स्टेशन पर दिये जा रहे ओवर टाइम का औसत मासिक विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ–189–191 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ० भुगतान के लम्बित मामलों की जानकारी

22–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, जी० पी० एफ० के कितने मामले सितम्बर, 1994 तक लम्बित हैं ? क्या इस संबंध में प्रान्तीय मंत्री श्री नन्द लाल जायसवाल, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र सं० 1233/उ० प्र० वि० म० स०, दिनांक 16-6-94 जो कि मुख्य अभियन्ता (जलविद्युत) एवं अनुसचिव पेंशन, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के कर्मचारी वर्ग–3 की अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

23–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, उ० प्र० लखनऊ के अधीन जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, गोरखपुर के कर्मचारी वर्ग–3 के वरिष्ठता निर्धारण दिनांक 30-7-83 के पूर्व क्या थी ? क्या वरिष्ठता निर्धारण में अलग-अलग नीतियां अपनाई गई हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-3-94 द्वारा अन्तिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन में अधिकारियों द्वारा धांधली बरती गई थी ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध किन-किन कर्मचारियों ने प्रत्यावेदन दिये ? उनके नाम, पदनाम, क्या हैं ? उनके प्रत्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के कर्मचारी वर्ग–3 की अन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 21-8-82 को प्रकाशित की गई।

जी नहीं।

उक्त सूची के प्रकाशन के पूर्व अनन्तिम सूची पर आपत्तियों का निस्तारण तत्समय प्रभावी नियमों के अन्तर्गत किया गया था। इस प्रकार कोई अलग नीति नहीं बनाई गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। वर्ष 1988-89 को अनन्तिम ग्रेडेशन सूची पर आपत्तियां प्राप्त कर उनका निस्तारण उ०प्र० सहकारी समिति कर्मचारी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 83 संशोधित विनियम 26 के आधार पर करते हुए अन्तिम सूची दिनांक 16-3-89 को प्रकाशित हुई।

उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवामण्डल लखनऊ के 8 कर्मचारियों ने अन्तरिम ग्रेडेशन सूची के विरुद्ध प्रत्यावेदन दिये थे उनके नाम व पद निम्नांकित है :–

नाम	पद
1–श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव	वर्ग–3
2–श्री परमहंस	,,
3–श्री हृदय नारायण जायसवाल	,,
4–श्री रामदुलारे प्रसाद	,,
5–श्री हरिवंश पाण्डेय	,,
6–श्री बाल्मीक गुप्त	,,
7–श्री राधेश्याम	,,
8–श्री राकेश चन्द्र	,,

इन प्रत्यावेदनों का निस्तारण मण्डल स्तर से कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

24–डा० सरजीत सिंह डंग–

।न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद हापुड़ की गरीब बस्तियों में शौचालय बनाये जाने की मांग

25–श्री गजराज सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 30-6-94 को प्रश्नकर्ता ने हापुड़ की गरीब बस्तियों में शौचालय बनाने के विषय में एक पत्र उनको दिया था, जिस पर निदेशक, नोएडा को सुलभ शौचालय नोयडा द्वारा वायोगैस के द्वारा निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये थे ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

हापुड़ की मलिन बस्तियों के प्रस्तावित स्थल में शौचालय वायोगैस की स्थापना हेतु सर्वेक्षण कराया गया है । उपयुक्तता के आधार पर केवल गनेश पुरवा मलिन बस्ती उपयुक्त पायी गई जिसके लिये नगर पालिका द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है । भूमि की उपलब्धता पर अग्रिम कार्यवाही निर्भर करेगी ।

अनपरा तापीय परियोजना (अ) सोनभद्र में उसके निर्माण हेतु खरीदी गई कौरग्रेटेड गैलवनाईज्ड आयरन के प्रयोग में हुई अनियमितता

26–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना "अ" सोनभद्र में उसके निर्माण के समय कुल कितनी सी० जी० आई० (कौरग्रेटेड गैलवनाईज्ड आयरन) शीटें खरीदी गयी थी ? वह कहां-कहां लगवाई गयीं ? क्या उन शीटों को किसी अनुबन्ध के तहत उखड़वाया गया था ? यदि हां, तो कुल कितनी शीटें उखड़वायी गयीं और वे इस समय कहां हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शीटों के उपलब्ध होते हुए भी क्या महाप्रबन्धक अनपरा ने वर्ष 1993 में टाण्डा तापगृह से सीटें मंगवायी थी ? यदि हां, तो क्यों ? कुल कितनी शीटें मंगवाई गयी और कहां-कहां लगवाई गयी ?

सुश्री मायावती–

425.64 मैट्रिक टन सी० जी० आई (कौरग्रेटेड गैलवनाईज्ड आयरन) शीट खरीदी गयी थी ।

लगभग 365 मैट्रिक टन शीटें पावर हाऊस के विभिन्न कार्यों, स्टोर शेडों, अस्थायी कालोनी, फिल्ट्रेशन प्लांट की छतों आडोटोरियम की छत तथा कालोनी में स्थित कई अन्य सार्वजनिक स्थानों में बने अस्थायी शेड़ों में प्रयोग की गयी तथा लगभग 62.62 मैट्रिक टन शीटें, परिषदीय कार्य हेतु, अन्य परियोजनाओं खण्डों को उनकी आवश्यकतानुसार हस्तान्तरित की गयी ।

जी हां । लगभग 33.00 मैट्रिक टन शीट उखाड़वाकर स्टोर में लौटायी गयी, जहां से वह पुनः अन्य कार्यों में उपयोग में लायी गयी ।

जी नही । आनपारा परियोजना में उस समय शीटें उपलब्ध नहीं थीं । अतः टाण्डा परियोजना से मंगवाई गई ।

मंगवाई गयी शीटें लगभग 13.0 मैट्रिक टन थीं जिनमें से तीन-तीन मैट्रिक टन शीटों का उपयोग साईकिल स्टैण्ड तथा डोजर शेड बनाने में एवं अवशेष 7 मैट्रिक टन शीटों का उपयोग कालोनी तथा पावर हाउस के अनुरक्षण कार्यों में किया गया ।

जनपद गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में वर्ष 1988 से अनधिकृत रूप से रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी

27–श्री वासुदेव सिंह, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सतीश भाटिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर स्थित विद्युत परिषदीय आवासों में वर्ष 1988 से दि० 6-10-94 तक अनधिकृत रूप से कौन-कौन अधिकारी स्थानान्तरण के उपरान्त भी आवंटित आवासों में कितनी अवधि तक रहते रहे हैं ? उनके नाम पदनाम तैनाती स्थल क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उनमें से कितनों से पेनल रेंट से कितनी कटौती की गयी तथा कितनों से नहीं की जा रही है ? इस भेदभाव का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगरपालिका हरदोई के सीमा विस्तार विषयक की जानकारी

28–श्री समर पाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद की नगर पालिका हरदोई की सीमा क्षेत्र शहर के चारों ओर 5 कि० मी० बढ़ायी जाने विषयक शासनादेश संख्या–68/6/37-3-86-5 एन० के० बी०–82, दिनांक 28-6-86 द्वारा ग्राम महोलिया शिवपार ब्लाक बावन का आधा भाग नगर पालिका क्षेत्र तथा गांव का आधा भाग जिला पंचायत के अन्तर्गत रखने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि अधिकारियों द्वारा उक्त परिसीमन का कार्य गलत ढंग से करके वहां के आधे गांव के निवासियों को शहरी क्षेत्र की मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर उक्त सम्पूर्ण गांव को नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित किये जाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगरपालिका हरदोई का सीमा विस्तार शासनादेश संख्या 68/6/37–86–5 एन० के० बी०–82 दिनांक 28-6-1986 द्वारा नहीं किया गया है बल्कि नगरपालिका हरदोई सीमा विस्तार निर्धारण वर्ष 1933 में हुआ था । उस समय ग्राम महोलिया शिवपार सीतापुर मार्ग से 300 फिट दोनों ओर तक सीमा निश्चित की गई थी जिसके कारण ग्राम महोलिया शिवपार का आधा भाग नगरपालिका क्षेत्र में तथा आधा भाग जिला पंचायत के अन्तर्गत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी को नगर पंचायत घोषित करने की मांग

29–श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम-ग्योड़ी जनपद हमीरपुर को नगर पंचायत घोषित किये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या थे तथा इसे कब तक नगर पंचायत घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

माननीय सदस्य ने निम्न तथ्यों के आधार पर ग्राम सभा ग्योड़ी को नगर पंचायत घोषित करने हेतु अनुरोध किया है :–

(1) प्रश्नगत गांव की आबादी 20 हजार है ।

(2) इस ग्राम की वार्षिक आय 30,000/- है ।

(3) इसकी 75% जनसंख्या कृषि कार्य के अलावा अन्य रोजगार में तल्लीन है ।

संविधान के 74वें संशोधन के फलस्वरूप नगर पंचायत के गठन के संबंध में अधिनियम में संशोधन किया गया है और तद्नुसार नगर पंचायतों के निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान में किसी ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी तथा अन्य ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था किये जाने की मांग

30–श्री अरिमर्दन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हमीरपुर के ग्राम ग्योड़ी तथा अन्य ग्रामों के समूह को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 1994 उन्हें प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो उसमें इंगित तथ्य क्या हैं ? उक्त पत्र में उल्लिखित सुविधायें कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के वि० ख० कबराई के ग्राम ग्योड़ी में विद्युतीकरण के बाद विद्युत खम्भों आदि की चोरी तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31–श्री छोटे लाल वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1994 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल के अता० प्र० सं०–110 के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े एवं दलित बाहुल्य बड़ी आबादी के गांव के कितने व्यक्तियों ने विद्युत संयोजन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन-पत्र जमा किये थे क्या विद्युतीकरण होने के लगभग एक वर्ष बाद ही उक्त ग्राम के खम्भे, तार एवं ट्रान्सफार्मर आदि गायब हो गये ? यदि हां, तो विधान द्वारा पुलिस में एफ० आई० आर० कब दर्ज करायी गयी तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला ? जिन व्यक्तियों को नियमतः कनेक्शन दिये गये थे, उन्हें पुनः विद्युत संयोजन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम ग्योड़ी में जनवरी, 1995 के अन्त तक सात व्यक्तियों ने विद्युत संयोजन हेतु रु० 25.00 अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करके आवेदन-पत्र जमा किये थे ।

जी हां । विद्युतीकरण के कुछ समय पश्चात् अज्ञात चोरों द्वारा लाइन के तार एवं अन्य सामान गायब कर दिये गये । विभाग द्वारा दिनांक 10-3-1994 को एफ० आई० आर० दर्ज करायी गयी । पुलिस जांच के निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

ग्राम ग्योड़ी का पुनः ऊर्जीकरण दिनांक 6-2-1995 को कर दिया गया है तथा पुनः विद्युत संयोजन दिये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास अनुभाग–2 में दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 28-7-94 पत्रांक 113/94, अनुसचिव आवास अनुभाग–2 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पत्र पर कोई कार्यवाही हुई । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ का विद्युत बिल बकाया

33–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ का विद्युत बिल बकाया लगभग 25 लाख है ? यदि हां, तो राज्य विद्युत परिषद् उक्त राशि के वसूली हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मेसर्स आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ का माह 1/95 के अन्त तक कुल बकाया रु० 30.43 लाख है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उपरोक्त राशि को 10 किश्तों में विभाजित कर बकाया राशि वसूली जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर में विद्युत विस्तार हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र को आवंटित धन एवं उसके उपभोग का विवरण

34–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सुल्तानपुर में विद्युत विस्तार हेतु प्रति विधान सभा क्षेत्र हेतु लगभग 13 लाख रुपये आवंटित हुए हैं, जिनमें 10.10 लाख रुपये 4 मास पूर्व प्रति विधान सभा क्षेत्र राज्य विद्युत परिषद् को दिये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक विद्युत विस्तार क्यों नहीं किया गया ?

सुश्री मायावती–

जनपद सुल्तानपुर में पड़ने वाले आठ विधान सभा क्षेत्रों के 83 ग्रामों/पुरवों के विद्युतीकरण हेतु पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत रु० 81.14 लाख राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुए हैं ।

आवश्यक स्टोर सामग्री की प्राप्ति की प्रक्रिया तथा कार्य सम्पादन में सामान्यतः लगने वाले समय के कारण समस्त विद्युत विस्तार कार्य अभी पूरे नहीं किये जा सके हैं।

सेक्टर 11 राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ की सड़क, नाली इत्यादि ठीक कराये जाने की मांग

35–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सेक्टर 11, राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ में सड़क ठीक न होने के कारण बरसात का पानी जगह-जगह गड्ढों में भरा रहता है जिस कारण से उक्त क्षेत्र के निवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त सेक्टर–11, राजाजीपुरम् लखनऊ में टूटी हुई सड़कों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं।

सेक्टर–11 में नगर निगम द्वारा वर्ष 1994-95 में सी० सी० रोड से गोल चौराहे तक सड़क का सुधार कार्य माह फरवरी, 1995 में पूर्ण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नैपियर रोड सचिवालय कालोनी भाग–2 ठाकुरगंज, लखनऊ में लगी स्ट्रीट लाइट में ट्यूब, बल्ब इत्यादि लगाये जाने की मांग

36–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नैपियर रोड सचिवालय कालोनी, भाग–2, ठाकुरगंज, लखनऊ में लगी स्ट्रीट लाईट में ट्यूब व बल्ब आदि न लगे होने के कारण उक्त कालोनी में अन्धेरा छाया रहता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कालोनी में स्ट्रीट लाईट व्यवस्था को ठीक कराने हेतु कोई आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

वर्तमान में प्रकाश बिन्दु जल रहे हैं।

परिवहन निगम मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्र का ड्यूटी में लगातार लम्बी अवधि से अनुपस्थित होने के संबंध में जानकारी

37–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि परिवहन निगम कार्यालय (मुख्यालय) लखनऊ के आडिट एवं सम्परीक्षा सेल में कार्यरत लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार श्री कृष्ण कुमार मिश्र (अपनी ड्यूटी से विगत डेढ़ साल से अनुपस्थित चल रहे हैं ? यदि हां, तो इसका गजट नोटिफिकेशन दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम

से करके, उनकी गुमशुदगी का प्रकाशन कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि क्या उन्हें विभाग द्वारा लम्बी अवधि की छुट्टी प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए कार्यहित तथा लोकहित में अपने स्तर से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नन्द लाल पटेल)–

श्री कृष्ण कुमार मिश्र, वरिष्ठ लेखाकार का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण चिकित्सा/उपार्जित अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके कार्यालय नहीं आ रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मिश्र के द्वारा मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

[पहले सोमवार में अता० प्र० सं०–82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में विद्युतीकरण के संबंध में जानकारी

39–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के बारीपुर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड गौरा वि० खण्ड शिवगढ़ विकास खण्ड पट्टी व विकास खण्ड मंगरौरा के गांवों में सघन विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या यह सही है कि वहां पर अनेकों गांवों में खम्भे गड़े है व तार नहीं है ? क्या यह भी सत्य है कि खम्भे व तार दोनों नहीं है जबकि उक्त गांव विद्युतीकरण में वर्षों से ले लिये गये हैं ? क्या नोड़ेरा ग्राम इसमें सम्मिलित है ? क्या वहां पर रिक्त रानीगंज पावर हाउस में चारों फीडर नहीं है ? क्या इस बारे में विद्युत विभाग के कार्यरत अभियन्ता/अभियन्ताओं के द्वारा कार्यवाही करायी जाती है ? क्या उक्त पावर हाउस, गौरा का निर्माण कार्य वर्षों से लंबित पड़ा है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वर्तमान सरकार की नीति इस संबंध में क्या है ? यदि विद्युतीकरण कराया जायेगा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

विकास खण्ड गौरा में एक, विकास खण्ड शिवगढ़ में सात, विकास खण्ड पट्टी में पांच तथा विकास खण्ड मंगरौरा में दो (कुल पन्द्रह) ऐसे ग्राम हैं जिनको मार्च, 1989 में विद्युतीकृत घोषित किया गया है जबकि केवल खंभे गाड़े गये हैं ।

जी नहीं । रानीगंज उपकेन्द्र से तीन फीडर निकलते हैं जिन पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी हां । वर्ष 1989-90 में भूमि लिये जाने के पश्चात् से अन्य कार्य लंबित है ।

शासन की नीति सीमित उपलब्ध संसाधनों के अधीन यथासंभव अधिकाधिक गांवों को विद्युतीकृत करने की है। चूंकि यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है, अतः कोई समय सीमा इंगित करना संभव नहीं है।

कानपुर नगर निगम द्वारा किये गये विकास कार्य

40–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 1994 से माह जनवरी, 1995 तक कानपुर नगर निगम द्वारा कितनी धनराशि से विकास कार्य करवाये गये हैं ? क्या यह कार्य कानपुर महानगर के लिये पर्याप्त हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर निगम, कानपुर द्वारा अप्रैल, 1994 से जनवरी, 1995 तक विभिन्न क्षेत्रों में धनांक रु० 257.83 लाख के विकास कार्य कराये गये है।

जी नहीं।

कानपुर महानगर में पेयजल की व्यवस्था की मांग

41–श्री सतीश महाना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में पीने के पानी की परेशानी है ? यदि हां, तो सरकार ने इसके निराकरण हेतु क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 मिलियन लीटर प्रतिदिन पेयजल बढ़ाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। कार्यों को 3/96 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों के विकास हेतु व्यवस्था की जानकारी

42–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की तरह से नगरीय क्षेत्रों में भी विकास कार्यों के स्थल चयन आदि में विधायकों की भूमिका पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कब लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर विकास विभाग द्वारा संचालित योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्रों के स्थल चयन से संबंधित नेहरू रोजगार योजना की उपयोजना नगरीय मजदूरी रोजगार योजना में प्रस्तावित निर्माण कार्यों का चयन

संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किये जाने तथा उसका जिला नगरीय विकास अभिकरण की बैठक में अनुमोदित कराने के बाद कार्य की स्वीकृति दिये जाने की व्यवस्था है ।

जनपद गोण्डा के उतरौला विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993 से 1995 तक विद्युतीकरण में परिव्यय की गई धनराशि की जानकारी

43–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गोण्डा जिले के उतरौला विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्राम सभा का विद्युतीकरण किया गया है कुल परिव्यय कितना निर्धारित किया गया है ? क्या विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993-94 में एक ग्राम सभा का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया गया है तथा वर्ष 1994-95 में किसी भी ग्राम सभा का विद्युतीकरण कार्य पूरा नहीं किया गया विद्युतीकरण ग्राम सभा के लिये रु० 2.36 लाख का परिव्यय निर्धारित था ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के नगर बांदा में नवाब टैंक स्थित पशु बाजार में गायों की अवैध बिक्री

44–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के नगर बांदा में नवाब टैंक स्थित आराजी संख्या 2604/4. 2605/2 एवं 2609/1 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा पर दिनांक 22-10-81 से लगने वाले पशु बाजार में तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा डा० शंकरदत्त ओझा के आदेश दिनांक 3-9-92 के माध्यम से संबंधित पशु बाजार से गोवंश की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के बावजूद पशु मेला मालिक एम० ए० खान तथा उसके पुत्रों द्वारा गोवंश की अवैध बिक्री जारी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों एवं मेला मालिक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करते हुये गोवंश की बिक्री पर रोक लगाने हेतु जिलाधिकारी, बांदा जनपद बांदा को आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत इन्दिरानगर योजना, लखनऊ में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु डाली गई पाइप लाइनों की जानकारी देने की मांग

45–श्री विश्राम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा नगर लखनऊ योजना के अन्तर्गत सेक्टर 4 ए, ब्लाक भवन संख्या 1407/I से 1407–II तक आवास एवं विकास परिषद् के एलाट भवन स्वामियों

के प्रयोग के लिये 2 इंच की वाटर लाइन डाली गई थी ? यदि हां, तो क्या प्राइवेट भू-स्वामियों को कनेक्शन देने के लिये पाइप दो इंच की जगह मोटा पाइप डाला गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को क्या श्री गनेश राम चौरसिया व श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता को कनेक्शन दिया गया ? यदि हां, तो किस प्लम्बर द्वारा तथा उसका नाम क्या है ? लाइसेन्स नम्बर क्या और किस अवर अभियन्ता द्वारा कितने धन का इस्टीमेट दिया गया, किस दिनांक को किस रसीद संख्या पर स्टेटमेन्ट जमा कराया गया, तथा किस अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृति दी गयी, उसका डिस्पैच नम्बर क्या है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण विवरण की जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजस्व विभाग में सह० कुर्क अमीनों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग

46–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका सं० 738-80 के निर्णय दिनांक 16-11-85 के अनुसार सह० कुर्क संग्रह अमीनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उ० प्र० में कार्यरत लगभग 3000 सहकारी कुर्क अमीनों को राजस्व विभाग जैसी सुविधायें मिल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० जगवीर सिह गूजर–

जी हां ।

जी नहीं । मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उक्त निर्णय पुनर्निरीक्षण हेतु भेज दिया है । चूंकि वाद के पुनः निरीक्षण का मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्णय नहीं दिया गया है । अत अभी तक सहकारिता विभाग के सहकारी कुर्क अमीनों को राजस्व विभाग जैसी सुविधायें नहीं दी जा रहा है ।

कुर्क अमीनों द्वारा वसूली किया गया कलेक्शन चार्ज के व्यय मद की जानकारी

47–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेशानुसार तथा उ० प्र० भू राजस्व (संशोधित) अधिनियम, 1965 तथा उ० प्र० भू राजस्व नियमावली 1966 के प्राविधानों के अनुसार 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्ज सह० समिति के बकायादार सदस्यों का सह० कुर्क अमीनों द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो वह किस खाते में जमा किया जाता है और किस मद में खर्च होता है ? क्या इस मद का आडिट भी होता है ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी हां ।

जिला सहकारी संग्रह कोष खाते में जमा किया जाता है और इसका व्यय सहकारी बकाया वसूली से संबंधित कार्यों एवं संग्रह योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि में किया जाता है ।

जी हां ।

48–श्री हरदेव सिंह–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

नई बस्ती मशकगंज, लखनऊ की नजूल भूमि पर अवैध कब्जा/निर्माण की जानकारी

49–श्री बैजनाथ रावत–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास संख्या 192/16, नई बस्ती वार्ड मशकगंज, लखनऊ के मालिक द्वारा रास्ते की नजूल की भूमि पर अतिक्रमण व अवैध पक्का निर्माण किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-4-94 मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री, नगर विकास का पत्रांक 475/ वी० आई० पी० दिनांक 3-4-94 व पत्रांक 504/ वी० आई० पी० दिनांक 23-4-94 उपाध्यक्ष व सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या उन पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो जांच अधिकारी का नाम व पदनाम, जांच प्रारम्भ, समाप्त व जांच आख्या शासन को प्राप्त होने की तिथियां क्या हैं ? क्या उक्त अतिक्रमण/अवैध निर्माण हटाया गया है ? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कार्यवाही के परिणाम से प्रश्नकर्ता को शासन की नीति/आदेश के अनुरूप अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो पत्र संख्या, तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

आवास संख्या 192/16 नई बस्ती मशकगंज वार्ड में टीन शेड के अवैध निर्माण/अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त शिकायती-पत्र के आधार पर स्थलीय जांच करायी गई, जांचोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत भूमि नजूल की भूमि नहीं है, बल्कि बन्दोबस्त 1862 के अनुसार खसरा नं० 32 पार्ट रास्ता सरकार की भूमि है, जिसके रखरखाव का कार्य नगर निगम लखनऊ द्वारा किया जाता है । तदनुसार रास्ते पर किये गये निर्माण/अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नगर निगम को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर जांच दिनांक 26-7-94 को प्रारम्भ कर श्री हीरालाल पाल नजूल अमीन द्वारा 1-8-94 को पूर्ण की गयी है । जांच आख्या प्रभावी कार्यवाही हेतु नगर निगम लखनऊ को भेजी गयी है ।

प्रश्नगत अतिक्रमण/निर्माण रास्ते की भूमि पर है जिसको हटाये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु नगर भूमि को निर्देश दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

नगर निगम लखनऊ से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् यथा समय प्रश्नकर्ता को अवगत करा दिया जायेगा ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में श्री राकेश कुमार विशेष कार्याधिकारी के विद्युत परिषद् सेवा में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की शिकायत

50–श्री बैजनाथ रावत–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-5-94 व 14-12-94 अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, विद्युत सेवा आयोग व मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को श्री राकेश कुमार, विशेष कार्याधिकारी के विद्युत परिषद् सेवा अवधि में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के अतिरिक्त विद्युत मूल्य भुगतान व उत्पीड़न विषयक पूर्ण प्रत्यावेदनों पर कार्यवाही के संबंध में प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति/आदेश के अनुरूप उन पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है तथा प्रश्नकर्ता को परिणाम

से अवगत कराया गया है ? यदि हां, तो कब तथा वेतन निर्धारण में संशोधन तथा विद्युत मूल्य भुगतान संबंधित निर्गत आदेशों की संख्या, तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने की मांग

51–श्री अक्षयवर लाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कितने पद में वर्तमान में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त हैं ? क्या उन पदों पर प्रोन्नति पर प्रतिबन्ध लगा होने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिबन्ध को हटाते हुए निकट भविष्य में रिक्त पदों पर प्रोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के वर्तमान में 28 पद रिक्त हैं । सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के रिक्त 28 पदों में से 22 पद प्रोन्नति के कोटे के तथा 6 पद सीधी भर्ती के कोटे के हैं । प्रोन्नति के इन 22 पदों में से 8 पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित हैं तथा शेष 14 पद सामान्य जाति के हैं ।

उक्त अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों के 8 प्रोन्नति के पदों में से 4 पद सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, संचालन संवर्ग के हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा अपने पोषक स्टेशन अधीक्षक संवर्ग में निर्धारित अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण नहीं भरा जा सका है । सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्राविधिक संवर्ग के अनुसूचित जाति के लिये प्रोन्नति के आरक्षित 4 पद सीनियर फोरमैन ग्रेड–1 की वरिष्ठता विवादग्रस्त होने के कारण नहीं भरे जा सके ।

सामान्य जाति के अभ्यर्थी के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के प्रोन्नति के शेष 14 पद प्रोन्नति में शासन का प्रतिबन्ध प्रभावी होने के कारण नहीं भरे जा सके हैं ।

निगम के अधिकारी वर्ग के विभिन्न पदों का मानक पुनरीक्षित कर दिये जाने पर शीघ्र ही परिवहन निगम पदों को भर सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति की गई भूमि का विवरण

52–इन्जि० राम कृष्ण वर्मा–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकरण के पास कितनी ऐसी भूमि है जो अध्याप्ति तो कर ली गयी है परन्तु वह न तो किसी को बेची गयी है तथा न ही उस पर मकान बनाने की कोई आवासीय योजना है ? इस प्रकार बेकार पड़ी भूमि से जो राष्ट्रीय हानि हो रही है उसको बचाने का कोई कार्यक्रम है ? यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

सन् 1976 में गठन से अब तक 4160.90 एकड़ भूमि का कब्जा लिया जा चुका है । इसमें 2158.27 एकड़ भूमि विकसित की जा चुकी है तथा शेष लगभग 2011.63 एकड़ भूमि पर वित्त पोषण की उपलब्धता के आधार पर वाह्य व आन्तरिक विकास कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग एवं काली दास मार्ग के मध्य रह रहे ईसाई समुदाय की कालोनियों की सड़कों पर मरम्मत कार्य कराने की मांग

53–श्री रामदेव पटेल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग एवं कालीदास मार्ग के मध्य ईसाई समुदाय के लोगों की एक बहुत बड़ी कालोनी स्थित है परन्तु इस कालोनी में आज तक खड़ंजा आदि नहीं लगाया गया है जिससे बरसात में वहां के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या अल्प संख्यक समुदाय के लोगों की इस कालोनी में अविलम्ब खड़ंजा लगाये जाने व पक्की सड़क बनाये जाने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

उक्त कालोनी एक अनधिकृत कालोनी है, जो एंग्लिकन चर्च आफ इण्डिया की भूमि पर बनी है । इसी कारण यहां अब तक खड़ंजा व पक्का मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है ।

उक्त कालोनी के अध्यासियों द्वारा विकास शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवासीय नीति के अधीन विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा विकास कार्य कराया जा सकता है ।

नगर निगम गाजियाबाद या उसकी पूर्ववर्ती संस्था (सिटीबोर्ड) को प्राप्त अनुदान एवं उसके व्यय की जानकारी

54–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम गाजियाबाद या उसकी पूर्ववर्ती संस्था (सिटी बोर्ड) की वर्ष 1994-95 में विभिन्न मदों में शासन से कितना-कितना अनुदान प्राप्त हुआ ? उक्त अनुदान से किये गये कार्यों के स्थल चयन का आधार क्या था ?

श्री राम किशोर बिन्द–

नगर निगम, गाजियाबाद को वर्ष 1994-95 में शासन से निम्न अनुदान प्राप्त हुए:–

(1) सामान्य सड़क अनुदान	रु० 17,60,000/-
(2) अतिरिक्त सड़क अनुदान	रु० 1,00,00,000/-
(3) मलिन बस्तियों के सुधार हेतु अनुदान	रु० 15,00,000/-
(4) संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु अनुदान	रु० 11,00,000/-
(5) पथ प्रकाश हेतु अनुदान	रु० 37,500/-

मद सं०–1 व 2 में सड़कों की दयनीय अवस्था, जनता की मांग तथा जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए स्थल चयन किया गया है । मद संख्या–3 के अन्तर्गत शासन द्वारा स्वीकृत मलिन बस्तियों में सुधार कार्य कराये गये हैं, जबकि मद सं०–4 के अन्तर्गत शासन द्वारा सफाई तथा कीटनाशक दवाओं की खरीददारी हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है । मद सं०–5 में पथ प्रकाश व्यवस्था के लिये धनराशि अवमुक्त की गयी है ।

जनपद गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर स्थित टी० एम० सी० उद्योग द्वारा अनधिकृत निर्माण कराये जाने की शिकायत

55–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित टी० एम० सी० उद्योग व उसके चारों सिस्टरकन्सर्स ने कितना निर्माण, स्वीकृत मानचित्र, के अनुसार किया है ? उक्त उद्योग द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही की है ? उक्त कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद वाराणसी उत्तरी विधान सभा की मलिन बस्तियों और अविकसित कालोनियों के विकास की मांग

56–श्री अमर नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी मलिन बस्तियां हैं ? उसमें से किन-किन बस्तियों का विकास हुआ है ? क्या अवशेष मलिन बस्तियों का विकास अब तक नहीं हुआ ? यदि हां,तो क्या बजट सत्र 1995-96 में उक्त बस्तियों का विकास किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

वाराणसी उत्तर विधान सभा क्षेत्र में वाराणसी नगर निगम सीमान्तर्गत 57 मलिन बस्तियां अवस्थित है ।

उनमें से जिन 42 बस्तियों का विकास कार्य किया गया है, उनके नाम संलग्नक–एक में उल्लिखित हैं ।

जी हां ।

जो बस्तियां योजना के निर्धारित मानकों को पूर्ण करती हैं, उनमें धन की उपलब्धता के आधार पर यथासमय विकास कार्य कराये जाते हैं ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 192 पर)

57–श्री अमर नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 243, वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितनी अविकसित कालोनी हैं ? क्या नागर कालोनी, बलभद्र कालोनी, इमलाक कालोनी एवं दास कालोनी की सड़कों का निर्माण 95-96 के बजट में प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

वाराणसी उत्तरी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित कालोनी में कोई कालोनी अविकसित नहीं है ।

प्रश्नगत कालोनियों की सड़कों का निर्माण वर्ष 1995-96 के बजट में प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि ये कालोनियां अनधिकृत हैं ।

कैसरबाग बस डिपो, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की जानकारी एवं कार्यवाही

58–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा कैसरबाग बस डिपो, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत पुस्तिका एवं पत्र के माध्यम से क्रमशः दिनांक 4 जून एवं 5 जून, 1994 को की गयी है ? यदि हां, तो शिकायत के संदर्भ में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी हां ।

मा० सदस्य द्वारा कैसरबाग बस डिपो, लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत, परिवाद पुस्तिका में दिनांक 4-6-94 को दर्ज कराई गई है । पत्र दिनांक 4 जून, एवं 5 जून, 1994 प्राप्त नहीं हुए हैं ।

शिकायत के संदर्भ में समुचित जांच कराई गयी । जांच से बस परिचालक श्री शेष नारायण पाण्डेय, बस चालक श्री गजेन्द्र सिंह एवं कैसरबाग डिपो के लिपिक श्री आर० के० रस्तोगी दोषी पाये गये । बस परिचालक श्री शेष नारायण पाण्डेय की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर चालक श्री गजेन्द्र सिंह एवं लिपिक श्री आर० के० रस्तोगी को भविष्य में सचेत रहने की चेतावानी दी गयी । श्री रस्तोगी का पटल परिवर्तन करने की कार्यवाही की गयी है ।

जनपद बांदा के नगर बांदा के मौजा लड़ाकापुरवा में पशु बाजार लगाने का मामला

59–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के नगर बांदा में मौजा लड़ाकापुरवा के आराजी नम्बरान 2605, 2607 एवं 2609 पर ही एक अन्य पशु बाजार स्थान नवाब टैंक, बांदा पर "ग्रामीण विकास पशु मेला" नाम से लगाने के आदेश अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद् बांदा द्वारा अपने पत्रांक 1030/लाइसेन्स/मेला बाजार के माध्यम से दिनांक 27-7-93 को पशु मेला मालिक एम० ए० खान के पुत्र अयूब अली खान के नाम पारित किये गये हैं ? क्या उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3854/बा०/XI/ख-11(8)68 दिनांकित 8-8-1968 द्वारा एक ही मोहल्ले में दो पशु बाजार लगाने की अनुमति नहीं है ? यदि हां, तो मंत्री जी संदर्भित प्राविधान के पालनार्थ प्रश्नगत प्रकरण में

अय्यूब अली खान के नाम निर्गत लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश जिलाधिकारी, जनपद बांदा को देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां । ग्राम लड़ाकापुरवा आराजी नम्बर 2606, 2607 एवं 2608 पर पशु बाजार लगाने की अनुमति दी गयी है ।

जी हां ।

जी नहीं । पशु बाजार ग्रामीण क्षेत्र में है जबकि उक्त शासनादेश नगर सीमा में लागू है ।

जनपद बांदा स्थित नवाब टैंक पर लगने वाले पशु मेला के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

60–श्री राज कुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 3854/बा०/XI/का–11181/68, दिनांकित 8 अगस्त, 1968 ई० का उल्लंघन कर जनपद बांदा के नगर बांदा स्थित नबाब टैंक पर लगने वाले ग्रामीण विकास पशु मेला के संबंध में पिछले वर्ष रवि प्रकाश "चेपू" पूर्व सभासद नगर पालिका बांदा का शिकायती-पत्र दिनांकित 20-11-93 जिलाधिकारी, बांदा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक जिलाधिकारी, जनपद बांदा द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी न होने के कारण प्रश्नगत शासनादेश इस प्रकरण में लागू नहीं है । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा की नगरपालिका उतरौला की पेयजल व्यवस्था का मामला

61–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के नगरपालिका उतरौला की पेयजल व्यवस्था सुधार हेतु ओवर हेड टैंक और ट्यूबवेल तथा लाइन बनाने का प्रस्ताव उ० प्र० जल निगम द्वारा सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कानपुर महानगर में के० डी० ए० द्वारा निर्मित सभी कालोनियों में विद्युत आपूर्ति की मांग

62–श्री सतीश महाना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में के० डी० ए० द्वारा निर्मित सब कालोनियों में केसा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गयी है ? क्या जाजमऊ मोती नगर के० डी० ए० कालोनी में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

के० डी० ए० द्वारा अब तक 14 विभिन्न कालोनियों में विद्युत आपूर्ति हेतु केसा से आवेदन किया गया है, जिनमें से 10 कालोनियों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है ।

जी नहीं । मोतीनगर कालोनी के विद्युतीकरण हेतु के० डी० ए० द्वारा विद्युतीकरण राशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिये जाने पर, वहां की नागरिक समिति ने मोतीनगर कालोनी के कुछ भाग के विद्युतीकरण हेतु अनुरोध किया था जिसका भुगतान वहां के नागरिकों द्वारा करना था । इस मद में उक्त कालोनी के निवासियों द्वारा जमा की जाने वाली रु० 3,97,650 की धनराशि का भुगतान प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका है ।

जनपद बिजनौर में विकास खण्डवार नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कृत कार्यवाही का विवरण

63–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या ऊर्जा बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जनपद में विकास खण्ड के अनुसार नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये कितने प्रार्थना पत्र कितने समय से लम्बित हैं उनके लम्बित का कारण क्या हैं ? क्या उन्हें विद्युत सप्लाई दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुंश्री मायावती–

दिनांक 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार 2596 प्रार्थना-पत्र नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु लम्बित हैं, इनमें से 307 मामले एक वर्ष से अधिक समय के हैं तथा 425 मामले छः माह से अधिक एवं एक वर्ष की अवधि के हैं ? शेष 1864 मामलों में से 1126 मामले तीन माह से कम अवधि के हैं। जी हां । नियमानुसार नियम व शर्तें जारी होने के पश्चात् सम्बन्धित आवेदनकर्ता द्वारा निर्धारित धनराशि जमा करके समस्त औपचारिकताएं यथा अनुबन्ध तथा बी० एन्ड एल० फार्म प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वार्षिक लक्ष्य तथा आवश्यक स्टोर सामग्री की उपलब्धता की अनुरूपता में कनेक्शन दिये जा सकेंगे । राज्य विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समस्त लम्बित प्रार्थना-पत्रों के विपरीत कनेक्शन दिये जाने हेतु किसी समय सीमा का निर्धारण किया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

जनपद बिजनौर में बन्द पड़े नलकूपों की जानकारी

64–श्री महावीर सिंह (बिजनौर)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जनपद में ट्रांसफार्मरों के अभाव में कितने नलकूप बन्द हैं ? क्या उन्हें ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न की तिथि (दिनांक 13-3-1995) की स्थिति में बिजनौर जनपद में ट्रांसफार्मर के अभाव में 42 निजी नलकूप व 11 राजकीय नलकूप बन्द थे।

उक्त निजी नलकूपों व राजकीय नलकूपों के लिये ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हुए सभी नलकूपों पर ट्रांसफार्मर 25 मई, 1995 तक लगा दिये गये हैं।

नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

65–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद के कार्यवाहक अध्यक्ष के विरुद्ध शासन को वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1993-94 में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

शिकायतों की जांच मण्डलायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के मीटर रीडरों द्वारा दायर याचिका के संबंध में जानकारी

66–श्री तीरथ राज तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अधीन जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 के मध्य कितने मीटर रीडरों को एस० एस० ओ० बनाया गया ? उनके नाम तैनाती स्थान क्या है ? क्या इनको नियमानुसार कार्यमुक्त किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि इनसे मीटर रीडिंग एवं मीटर रीडिंग ब्लैंक शीट भरने का कार्य मुक्ति के पूर्व एवं पश्चात् भी कराया गया है ? यदि हां, तो इस अवधि का वेतन शासन द्वारा क्यों नहीं दिया गया ? क्या माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ ने कोई आदेश किये हैं ? यदि हां, तो उसका पालन कब तक किया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण मण्डल, बुलन्दशहर के अधीन जनवरी, 1994 से फरवरी, 1995 के मध्य 55 (पचपन) मीटर रीडरों को एस० एस० ओ० बनाया गया।

उनके नाम व तैनाती स्थान की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जी हां, सभी मीटर रीडरों को नियमानुसार कार्यमुक्त कर दिया गया था।

इन मीटर रीडरों से मीटर रीडिंग एवं मीटर रीडिंग ब्लैंक शीट भरने का कार्य कार्यमुक्ति से पूर्व लिया जाता था परन्तु कार्यमुक्ति के पश्चात् इनसे मीटर रीडिंग एवं मीटर रीडिंग ब्लैंक शीट भरने का कार्य नहीं लिया गया है।

कार्यमुक्त करने के पश्चात् जो मीटर रीडर नव तैनाती स्थान पर एस० एस० ओ० के कार्य पर उपस्थित नहीं हुए उन्हें वेतन नहीं दिया गया ।

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ नें मीटर रीडरों द्वारा दायर की गयी याचिका सं० 3179/94, दिनांक 24-6-94 एवं सं० 3255/94, दिनांक 30-6-94 स्थगन आदेश पारित कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये हैं ।

आदेशों का पालन अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जा रहा है ।

67–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषदान्तर्गत मिर्जापुर एवं मथुरा के एक्सलाइसेन्सी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण/श्रेणीकरण के लम्बित मामलों की जानकारी

68–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मिर्जापुर एवं मथुरा के एक्सलाइसेन्सी कर्मचारियों का वेतन निर्धारण/श्रेणीकरण कब से लम्बित है ? क्या यह सत्य है कि परिषदीय अधिकारियों द्वारा पत्रावलियां गायब कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या इस संबंध में श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने दिनांक 16-11-91 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मिर्जापुर एक्स-लाइसेन्सी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण/श्रेणीकरण का कोई मामला लम्बित नहीं है ।

मथुरा एक्स-लाइसेन्सी के कर्मचारियों को दिनांक 30-7-75 को परिषद् द्वारा अधिग्रहीत किया गया एवं सभी कर्मचारियों के वेतन/पद निर्धारण के मामले परिषद् के दिशा निर्देशानुसार तय कर दिये गये, किन्तु केवल 16 कर्मचारियों ने उक्त वर्गीकरण/सृज्जीकरण से असन्तुष्ट होकर आपत्तियां प्रस्तुत कीं । इन कर्मचारियों के मामलों पर निर्णय हेतु मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) के नियंत्रणाधीन गठित समिति को मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) आगरा द्वारा भेजा जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

इस पत्र में मथुरा एवं मिर्जापुर की भूतपूर्व अनुज्ञप्तधारी कम्पनियों के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण/श्रेणीकरण की समस्याओं का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया था । किसी विशिष्ट कर्मचारी का नाम से उल्लेख नहीं था । चूंकि अन्य भूतपूर्व अनुज्ञप्तधारी कम्पनियों के कर्मचारियों के तत्सम प्रकरण भी परिषद् में प्राप्त हो रहे थे । अतः उनके निस्तारण हेतु परिषद् आदेश संख्या–2542 का० 9ब/राविप–92-10(2)–एनजी–11/76, दिनांक 18-7-92 द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गयी है । यह समिति ही सभी लम्बित मामलों पर अपने स्तर पर निर्णय करती है । जिसका क्रियान्वयन मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा किया जाता है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के० वी० उप संस्थान सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में कर्मधारियों को आवंटित आवासों का दुरुपयोग

69–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के० वी० उप संस्थान सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में कुल कितने आवास हैं ? क्या यह सत्य है कि कर्मचारियों को आवंटित आवास किराये पर उठाये गये हैं ? यदि हां, तो एसे कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जिन्होंने अपने आवास किराये पर उठाये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने कर्मचारी/अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से दूसरे अधिकारियों को आवंटित आवास पर कब्जा किया है ? क्या इनके विरुद्ध पेनल रेन्ट से कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के० वी० उपसंस्थान सिकन्दराबाद में कुल 24 (चौबीस) परिषदीय आवास हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी उत्तरी विधान सभा के अन्तर्गत निजी कालोनियों की रजिस्ट्री का मामला

70–श्री अमरनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी निजी कालोनियां अल्प आय वर्ग हेतु बनायी गयी हैं ? क्या उनके आवंटियों के नाम रजिस्ट्री हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या राजकीय क्षति के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

243 वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 6 निजी कालोनियों के निर्माण की स्वीकृति वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी है ।

यह निजी कालोनियां हैं । इसलिये आवंटियों के नाम रजिस्ट्री कराने का उत्तरदायित्व निजी भवन निर्माता एवं कालोनाइजर का है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा विकास प्राधिकरणों के भवन निर्माण में की गयी कथित अनियमिततायें

71–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद ने विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े-बड़े भवनों के निर्माण कार्य को स्थायी रूप से नियुक्त अवर अभियन्ताओं से न कराकर, निहित स्वार्थ में दैनिक वेतन पर नियुक्ति किये गये अवर अभियन्ताओं की देखरेख तथा निर्माण कार्यों का माप पुस्तिका में अंकित कराकर लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो

क्या दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ता से माप कराने एवं भुगतान पारित कराने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या उन अभियन्ताओं द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों में हुई त्रुटियों के कारण भविष्य में भवन के क्षतिग्रस्त होने पर भवन की लागत धनराशि की वसूली दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ता से किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो अनुभव विहीन अवर अभियन्ताओं से भवन निर्माण की देख रेख तथा उनसे भुगतान कराये जाने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रथम दृष्टया इस मामले में अनियमितता परिलक्षित होती है । समुचित कार्यवाही के लिये शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं की नियुक्तियों के संबंध में

72–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1990-91, 1991-92 में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होते हुए भी अधिशासी अभियन्ता विकास, विकास प्राधिकारण इलाहाबाद द्वारा लोक सेवा आयोग से होने वाली अवर अभियन्ताओं की सीधी भर्ती के पद पर विधि विरुद्ध नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अवैध नियुक्तियों को जांचोपरान्त निरस्त करेगी ? यदि हां तो क्या सरकार नियुक्ति में दोषी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शासनादेश का उल्लंघन करने के दोष में अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां,, अधिशासी अभियन्ता श्री हरिहर नाथ त्रिपाठी द्वारा तत्कालीन उपाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त कर दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं को रख लिया गया था ।

वर्तमान में इस प्रकार के किसी दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ता का वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है ।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री हरिहर नाथ त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।

73–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद द्वारा दैनिक वेतन पर अवर अभियन्ताओं को नियुक्ति करने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो उक्त नियुक्ति करने का मानक क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त नियुक्ति किन परिस्थितियों में की गयी है ? उक्त नियुक्ति से प्राधिकरण पर जो वित्तीय बोझ आज तक बढ़ा है उस वित्तीय अधिभार से कितनी धनराशि की क्षति हुई है ? नियमानुसार इस क्षति की देनदारी किस पर आयद होती है ? क्या सरकार हुई वित्तीय क्षति की वसूली संबंधित अधिकारी से करेगी ? यदि हां, तो वसूली का मापदंड

क्या होगा ? क्या उक्त दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारियों को कुछ ही दिन सेवा में बने रहने पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा सेवा में लेने का आदेश के साथ वेतन भुगतान के आदेश हो गये हैं ? क्या अनावश्यक नियुक्तियां नियुक्ति संबंधी नियम के विरुद्ध हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से हो रही नियुक्तियों पर नियंत्रण पाने के लिये कोई ठोस निर्णय ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता श्री हरिहर नाथ त्रिपाठी द्वारा वि० प्रा० के तत्कालीन उपाध्यक्ष की स्वीकृति लेकर दैनिक वेतन अवर अभियन्ताओं को रख लिया गया था ।

दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ताओ की इस नियुक्ति से पारिश्रमिक के रूप में प्राधिकरण पर रु० 1,88,698.50 पैसे का व्ययभार पड़ा है, जिसका भुगतान योजना के विरुद्ध वर्कचार्ज के रूप में किया गया है ।

इस मामले में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता श्री हरिहर नाथ त्रिपाठी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है । दैनिक मजदूरी पर नियुक्त कर्मचारियों को मा० उच्च न्यायालय द्वारा सेवा में लेने के आदेश के साथ वेतन भुगतान के आदेश नहीं दिये गये हैं । साथ ही शासन द्वारा अवैध रूप से नियुक्तियां न किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

जनपद देवरिया के कप्तानगंज ब्लाक के कतिपय ग्रामों में लगे इण्डिया मार्क–II का पानी शुद्ध न होने की शिकायत

74–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कप्तानगंज ब्लाक के ग्राम मेहड़ा व ग्राम पटखौली व कप्तानगंज के टोला झझवा में कुल कितने इण्डिया मार्का–दो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ? क्या उन हैण्ड पम्पों का पानी मनुष्यों के पीने योग्य है ? यदि नहीं, तो क्या इन ग्रामों के निवासियों को शुद्ध पानी प्राप्त कराने के लिये जल वितरण प्रणाली से पानी प्राप्त कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

देवरिया (अब पड़रौना) जनपद के कप्तानगंज ब्लाक के ग्राम मेहड़ा में 7 नग, ग्राम पटखौली में 6 नग, तथा कप्तानगंज के टोला झझवा में 7 नग इण्डिया मार्क दो हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पड़रौना के ब्लाक हाटा के ग्राम अम्मरपुर एवं कुरमौटा में विद्युतीकरण स्वीकृत न होने पर भी विद्युत पोल गाड़े जाने की शिकायत

75–श्री अम्बिका सिंह (देवरिया)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पड़रौना जनपद के ब्लाक हाटा के ग्राम अम्मरपुर एवं कुरमौटा में विद्युत के पोल गाड़े हुए हैं ? क्या पोल गाड़े जाने के बाद ग्रामवासियों की मांग पर विद्युत देने की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं तो किस अधिकारी के आदेश पर उक्त ग्रामों में पोल गाड़ कर सरकारी राजस्व की हानि हो रही है उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायेगी ? उक्त गांव में विद्युत आपूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त गांवों का विद्युतीकरण स्वीकृत न होने की स्थिति में उनमें विद्युत पोल गाड़े जाने के सबंध में जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उक्त गांवों का विद्युतीकरण जनपद के लिये निर्धारित लक्ष्यों के अन्तर्गत उनका चयन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किये जाने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। राज्य विद्युत परिषद् की विद्यमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त गांवों के विद्युतीकरण के लिये किसी समय सीमा का निर्धारण किया जाना अभी सम्भव नहीं है ।

सहकारिता विभाग, के कार्यालय कतिपय पैक्सफेड के पत्रांक द्वारा प्रश्नगत पद पर दैनिक वेतन पर की गयी नियुक्ति की जानकारी

76–श्री वासुदेव सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय पैक्सफेड के पत्रांक पैक्स/कार्मिक–1(1)/575/5225-27 दि० 30-1-89 द्वारा दैनिक वेतन पर तथा पत्रांक पैक्स/कार्मिक–1(1)11164–67दि० 9-3-90 द्वारा वेतनमान तथा पत्रांक पैक्स/कार्मिक–1(1)ए–575/5283–84 दि० 11-9-89 दैनिक वेतन पर और पत्रांक पैक्स/कार्मिक–1(1)665/5826-28 दि० 11-1-90 द्वारा वेतनमान पर संघ द्वारा कोई नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या वे कर्मचारी अब भी संघ की सेवा में कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें किस पत्रांक व दिनांक के द्वारा निकाला गया है ? यदि नहीं, तो उनसे वरिष्ठ कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी नियम के विरुद्ध की गयी है ? इस अनियमितता के प्रति कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? क्या सरकार निकाले गये उन वरिष्ठ कर्मचारियों को संघ की सेवा में पुनः समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौ० जगवीर सिंह गूजर–

जी हां । पैक्सफेड के पत्रांक–पैक्स/कार्मिक–1(1)/575/5225-27, दि० 30-1-89 द्वारा दैनिक वेतन पर श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी को नियुक्ति किया गया था तथा पत्रांक–पैक्स/कार्मिक–1(1)/11164-67, दि० 9-3-90 द्वारा उन्हें वेतनमान 305–5–330–द०रो०–6–360–द०रो०–6–390 स्वीकृत किया गया था ।

इसी प्रकार पत्रांक–पैक्स/कार्मिक–1(1)ए–575/5283-85, दि० 11-9-89 द्वारा दैनिक वेतन पर श्री रमेश बाबू अनुसूचित जाति की नियुक्ति सहयोगी पद पर की गयी, परन्तु उन्हें पत्रांक–पैक्स/कार्मिक–1(1)/655/5825-28, दि० 11-1-91 द्वारा वेतनमान 305–5–330–द०रो०–6–360–द०रो०–6–390 स्वीकृत किया गया था। न कि पत्रांक–पैक्स/कार्मिक–1(1)/655/5826-28, दि० 11-1-90।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

छंटनी नहीं की गयी थी, अपितु दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत 13 कर्मचारियों श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, श्री महेश सिंह की सेवायें दिनांक 19-6-91 के आदेश द्वारा श्री श्रीपति, श्री रामसंवर तिवारी दि० 21-6-91 द्वारा श्री बसन्त लाल, श्री जिया लाल, श्री हृदयाराम शर्मा की सेवायें दिनांक 25 जून, 1991 के आदेश द्वारा तथा श्री बुद्धि लाल, श्री अमरनाथ, श्री राम खेलावन, श्री राम सजीवन यादव, श्री हरिगोविन्द यादव, श्री गजेन्द्र सिंह की सेवायें दिनांक 5-10-91 के आदेश द्वारा समाप्त की गयी थी तथा श्री हृदया राम शर्मा द्वारा अपनी सेवा समाप्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से याचिका संख्या–6099 (एस/एस) आफ 1991 प्रस्तुत करके अग्रिम आदेश तक कार्यरत रखने एवं वेतन दिये जाने सम्बन्धी आदेश प्राप्त किया गया तथा उक्त आधार पर वे दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

सम्बन्धित 13 कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता न रह जाने के कारण उनकी सेवायें तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा समाप्त की गयी थीं। शीतगृहों पर सीजनल कर्मचारी के रूप में पुनः आवश्यकता होने पर श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रामखेलावन, श्री राम संजीवन यादव, श्री बसन्त लाल, श्री जिया लाल को आदेश दिनांक 26-2-92 द्वारा श्री महेश सिंह को आदेश दिनांक 5-3-92 एवं श्री श्रीपति, श्री बुद्धि लाल, श्री अमरनाथ, श्री हरिगोविन्द यादव, श्री रामसंवर तिवारी तथा श्री गजेन्द्र सिंह को आदेश दिनांक 13-3-92 द्वारा दिनांक 31-10-92 तक के लिये नियोजित किया गया। उक्त तिथि के पश्चात नियुक्ति की शर्तों के आधार पर वे स्वतः कार्यविरत हो गये। तदुपरान्त सहकारी शीतगृहों में संघ स्तर से नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

अतः कोई अनियमितता न होने से वे जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते।

जी नहीं।

जी नहीं।

सम्बन्धित कर्मचारी संघ द्वारा पुनर्वास योजना में संचालित सहकारी शीतगृहों में कार्यरत कराये गये थे। पुर्नवास योजना की अवधि समाप्त हो चुकी है जिससे उक्त योजना में अब किसी कर्मचारी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं रह गई है।

जनपद देहरादून में मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1990 से 1994 तक प्राप्त धनराशि एवं उसके व्यय की जानकारी

77–श्री राजेन्द्र सिंह (देहारादून)–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वितीय वर्ष 1990 से वित्तीय वर्ष 1994 तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से अलग-अलग कितनी धनराशि विकास शुल्क के रूप में ली गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कष्ट करेंगे कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त धनराशि का कितना-कितना धन विकास कार्यों पर खर्च किया गया है ?

सुश्री मायावती–

जनपद देहरादून में मंसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 1990 से वित्तीय वर्ष 1994 तक ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में वर्षवार विकास शुल्क के रूप में निम्न धनराशि ली गयी :–

वर्ष	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र
1990	55.67 लाख
1991	90.72 लाख
1992	85.37 लाख
1993	153.36 लाख
1994	158.72 लाख
योग	543.84 लाख

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार विकास कार्यों में खर्च की गयी धनराशि निम्नवत् है :–

वर्ष	ग्रामीण	शहरी (रु० लाख में)
1990	18.00	30.75
1991	34.00	50.08
1992	40.50	89.06
1993	46.40	166.61
1994	52.00	109.85
योग –	190.90	446.75 लाख
कुल व्यय =		637.65 लाख

श्री विजेन्द्र सिंह, पेशकार, सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण लखनऊ के बकाया वेतन आदि के भुगतान हेतु आदेश जारी करने की मांग

78–श्री राजेन्द्र सिंह (देहरादून)-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 43 के संदर्भ मे क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कर्मचारी के विगत 8 वर्षों के बकाया समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत समबन्धित कर्मचारी श्री विजेन्द्र सिंह, पेशकार के दिनांक 1 जनवरी, 1986 से 30 मार्च,, 1993 तक के नियमानुसार देय वेतन का भुगतान उन्हें दिनांक 31 मार्च, 1995 को कर दिया गया है।

अब केवल 3 जनवरी, 1985 से 31 दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के वेतन व अन्य देयों का भुगतान किया जाना शेष है जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम सभा इस्माइलगंज, परगना तहसील व जनपद लखनऊ के किसानों की आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत की गयी भूमि का विवरण

79–श्री शिव प्रताप शुक्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या 56 के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर योजना तथा इन्दिरानगर विस्तार योजना में इस ग्राम की 9,66,355 रुप्ये की भूमि ली गयी थी ? क्या इसका कोई भुगतान इस ग्राम की ग्राम सभा को किया गया था ? यदि हां, तो अब इस धनराशि में ब्याज को सम्मिलित करते हुए इस धनराशि को लखनऊ नगर निगम को हस्तान्तरित किया जायेगा ताकि इस ग्राम में एक पानी की टंकी का निर्माण किया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–56 के क्रम में, यह अवगत कराना है कि ग्राम सभा इस्माइलगंज परगना व तहसील व जिला लखनऊ की ऊसर, बंजर, चारागाह, परती एवं तालाब की परिषद् की इन्दिरानगर योजना में 1.78 एकड़ भूमि तथा इन्दिरानगर विस्तार योजना में 11.80 एकड़ भूमि ली गयी थी जिसका मुआवजा तत्समय किसानों की भूमि के लिये अदा किये गये मुआवजे की दरों के अनुसार रु० 9,66,335.04 होता है । परन्तु ग्राम सभा की भूमि के लिये मुआवजा देय नहीं है अतः भुगतान ग्राम सभा को नहीं किया गया था ।

मुआवजा देय नहीं है अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा श्री केदार साव पुत्र झिंगुरी साव द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर अवैध निर्माण के संबध में जानकारी

80–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विशेषाधिकारी कृते उपाध्यक्ष ने निर्माण कार्य बन्द करने हेतु नोटिस संख्या 272/94 नं० वार्ड सारनाथ वि० प्रा० (भवन) दिनांक 21-1-95 के द्वारा केदार साव पुत्र झिंगुरी साव मकान नं० प्लाट 339 पाण्डेयपुर वार्ड सारनाथ वाराणसी को भेजा था ? क्या उसका जवाब 28-1-95 के विकास प्राधिकरण, वाराणसी के विशेषाधिकारी श्री अशोक कुमार वास्ते केदार नाथ प्राप्त किया गया है ?

सुश्री मायावती–

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा श्री केदार साव पुत्र झिंगुरी साव को प्राधिकरण की भूमि संख्या 339, पाण्डेयपुर पर अवैध निर्माण प्रारम्भ करने पर निर्माण कार्य बन्द करने की नोटिस दिनांक 21-1-95 को दी गयी, जिसे श्री केदार साव के पुत्र श्री अशोक कुमार ने दिनांक्र 24-1-95 को प्राप्त किया है। नोटिस का जवाब श्री अशोक कुमार ने वास्ते श्री केदार साव दिनांक 28-1-95 को दिया है।

जिला वाराणसी, गांव पाण्डेयपुर कैंट, परगना शिवपुर में मकान सं० 2/88-क से बेदखली का मामला

81–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केदार नाथ गांव पाण्डेयपुर कैंट परगना शिवपुर तह० व जिला वाराणसी मे पुराना कमरा जिसका मकान नं० सा० 2/88-क केदार नाथ के नाम नगर महापालिका वाराणसी के कर विभाग में दर्ज है का किराया बराबर अदा करते हैं ? क्या ता० 16-8-93 को शहर मुंसिफ वाराणसी ने भगवन्ती देवी आदि बनाम वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी प्रतिवादी मूलवाद संख्या 2490/1991 का फैसला कर दिया है ? क्या उसमें आ० नं० 339 भी है जो केदार नाथ गुप्त का है ? विकास प्राधिकरण वाराणसी के खिलाफ भगवन्ती देवी आदि स्थान पाण्डेयपुर कैंट प० शिवपुर त० व जिला वाराणसी के पक्ष में हुआ है ? क्या सरकार उक्त फैसले को मंगाकर देखने की की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

आराजी नं०–339, क्षेत्रफल 0.73 एकड़ ग्राम पाण्डेपुर, परगना–शिवपुर वाराणसी विकास प्राधिकरण की अध्याप्ति भूमि है जिस पर विकास प्राधिकरण ने दिनांक 3-12-88 को कब्जा प्राप्त किया है । इस भूमि पर श्री केदार साव द्वारा अवैध रूप से माह जनवरी, 95 में निर्माण किया गया है । यह मकान पुराना नहीं था, बल्कि नया निर्माण था । जहां तक इस पर मकान नम्बर डालने तथा इसे नगर निगम के कर विभाग में दर्ज होने की बात है यह प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं है । मूल वाद संख्या–1490/1991 भगवन्ती देवी आदि बनाम वाराणसी विकास प्राधिकरण में शहर मुंसिफ वाराणसी द्वारा दिनांक 16-8-93 को पारित किया गया है जिसके वादीगण को विवादित सम्पत्ति से बेदखल न करने का निर्देश दिया गया है । इस निर्णय में विवादित आराजी पर चारों तरफ से पक्की चहारदीवारी का उल्लेख है, किसी मकान का उल्लेख नहीं है । उक्त आदेश के पश्चात् श्री साव द्वारा उक्त भूमि पर जनवरी, 95 में अवैध भवन निर्माण किया गया है । चूंकि उक्त भूमि प्राधिकरण की है, अतः उक्त अवैध निर्माण को प्राधिकरण द्वारा 3-2-95 को हटवा दिया गया । मुंसिफ वाराणसी के आदेश के विरुद्ध विकास प्राधिकरण द्वारा जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की गयी है ।

82–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी की संयुक्त सचिव संध्या तिवारी ने थानाध्यक्ष कैंट वाराणसी को अपने पत्रांक सा० 272/94 (नाटो)/वि०प्रा०/म क दि० 6-2-95 को लिखा कि आ० नं० 339 मौजा पांडेपुर (आशादीप होटल के सामने) अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है उसे तत्काल रोकवा दें ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पुराने म० नं० सं० 2/88-3 कोड 3-2-95 को ही गिरा कर धराशायी कर दिया ? क्या जांच कर कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, श्री केदार साव द्वारा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि आराजी सं० 339 मौजा पाण्डेपुर पर माह जनवरी, 1995 में अनधिकृत निर्माण किया गया था जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3-2-95 को हटवा दिया गया है । इसके बाद भी उक्त आराजी पर श्री साव द्वारा अनाधिकृत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसे रोकने हेतु थानाध्यक्ष, कैण्ट वाराणसी को पत्र दिनांक 6-2-95 द्वारा निर्देशित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मौजा पाण्डेपुर परगना शिवपुर तहसील व जनपद वाराणसी की, आराजी संख्या–339 विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति की गयी भूमि पर से अवैध कब्जा हटाया जाना

83–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि नं० 339 गांव पाण्डेयपुर परगना शिवपुर त० व जिला वाराणसी में मकान संख्या सा० 5-88–क केदारनाथ गुप्त पाण्डेपुर का है जो पुराना है ? क्या इसको विकास प्राधिकरण वाराणसी ने 3-2-95 को गिराकर धराशायी कर दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार भगवती देवी वगैरह बनाम विकास प्राधिकरण वाराणसी प्रतिवादी का फैसला शहर मुंसिफ वाराणसी ने 16-8-93 को दिया है ? क्या इसमें वादी में केदारनाथ भी है और प्लाट नं० 339 का भी निर्णय दिया है ? क्या सरकार इस फैसले को मंगाकर देखेगी और विकास प्राधिकरण वाराणसी के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

सुश्री मायावती–

आराजी संख्या 339, मौजा पाण्डेपुर परगना शिवपुर तहसील व जनपद वाराणसी विकास प्राधिकरण की अध्यप्ति की गयी भूमि है जिस पर प्राधिकरण को दिनांक 3-12-88 को कब्जा प्राप्त हो चुका है । इस भूमि पर श्री केदार साव द्वारा जनवरी, 95 में अनधिकृत रूप से कोठरी का निर्माण प्रारम्भ किया गया, जिसे प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3-2-95 को हटवा दिया गया । मुकदमा संख्या–1490/1991 भगवन्ती देवी आदि बनाम् वाराणसी विकास प्राधिकरण में मुंसिफ शहर वाराणसी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-8-93 में यह स्पष्ट है कि प्लाट नं० 339, मौजा पाण्डेपुर में मात्र चहारदीवारी स्थित थी । माह जनवरी, 95 में किये गये अनधिकृत निर्माण मात्र को प्राधिकरण द्वारा हटवाया गया है ।

84–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नगर मंत्री गोदौलिया वाराणसी ने आयुक्त वाराणसी, जो विकास प्राधिकरण वाराणसी के अध्यक्ष है ता० 8-2-95 को इस विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा मकान नं० सा० 5-88 क पाण्डेपुर वाराणसी के गिराये जाने के संबंध में ज्ञापन दिया है और यह भी लिखा है कि संयुक्त सचिव संध्या तिवारी विकास प्राधिकरण वाराणसी ने 6-2-95 को थाना कैंट वाराणसी के थानाध्यक्ष को लिखा कि प्लाट नं० 339 पाण्डेपुर (आशादीप होटल के सामने) में अवैध निर्माण हो रहा है उसके रोकवाने की व्यवस्था करें ? यदि हां, तो 3-2-95 को मकान नं० सा० 5-88–क पाण्डेयपुर वाराणसी को विकास प्राधिकरण वाराणसी ने क्यों गिरा दिया ? क्या सरकार दयाशंकर लाल द्वारा दिये गये ज्ञापन की एक प्रति प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करायेगी ? इस संबंध में आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

सुश्री मायावती–

श्री रमाशंकर लाल श्रीवास्तव, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनपद वाराणसी द्वारा आयुक्त, वाराणसी को एक ज्ञापन दिनांक 08-02-95 को दिया था, जिस पर बिन्दुवार तथ्यों सहित आख्या आयुक्त, वाराणसी मण्डल को दिनांक 16-2-95 को प्रस्तुत की जा चुकी है । वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अध्याप्ति आराजी नं०–339, पाण्डेयपुर पर विकास प्राधिकरण का कब्जा दिनांक 3-12-88 को प्राप्त हो चुका है इस पर माह जनवरी, 95 में प्रारम्भ किये गये अवैध निर्माण को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3-2-95 को हटवा दिया गया है । श्री केदार साव द्वारा पुनः इस भूमि पर निर्माण प्रारम्भ किया गया । इसी निर्माण को रोकवाने हेतु संयुक्त सचिव द्वारा पत्र सं०-272/94 (नो०)

(नो०) भवन दि० 6-2-95 के जरिये थानाध्यक्ष, कैंट को निर्देशित किया गया । ज्ञापन की एक प्रति प्रश्नकर्ता को अलग से भेजी जा रही है । उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में आयुक्त स्तर से कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

85,86,87–श्री चैनसुख भारती–

[मंत्रि-मंडल में सम्मिलित होने के कारण हटाये गये]

लखनऊ विकास प्राधिकरण में ड्राफ्टमैन पद पर कार्यरत अशोक मिश्र को अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का मामला

88–श्री छोटे लाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में अशोक मिश्र जो अवर अभियन्ता का कार्य जी० एस० गोयल वास्तुविद भवन लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की संस्तुति पत्र संख्या 626/वास्तु०–भवन/94 दिनांक 8-2-94 द्वारा कार्यालय आदेश के तहत श्री मिश्र की अवर अभियन्ता के पद पर कार्य करने की संस्तुति सहित सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजा गया है ? क्या यह सही है कि श्री मिश्र अवर अभियन्ता की योग्यता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो इनकी पहली नियुक्ति किस पद पर हुई थी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

श्री अशोक मिश्र की नियुक्ति दिनांक 9-12-83 को ड्राफ्टमैन के पद पर हुई थी ।

इस मामले में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जांच आख्या मांगी गयी है ।

गाजियाबाद के राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टी० एम० सी० उद्योग में स्वीकृत विद्युत कनेक्शन एवं उपयोग किया जा रहा विद्युतभार का विवरण

89–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के राजेन्द्र नगर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित टी० एम० सी० उद्योग व उसकी सिस्टर कन्सर्न में कुल कितना-कितना विद्युत कनेक्शन स्वीकृत नहीं है ? कितना-विद्युत भार उक्त उद्योगों द्वारा उपयोग किया जा रहा है ? उद्योग द्वारा उपयोग किये जाने वाले विद्युत भार की जांच के लिये अंतिम बार कब जांच की गयी थी ?

सुश्री मायावती–

गाजियाबाद के राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टी० एम० सी० उद्योग में पूर्ण स्वीकृत भार 95 के० वी० ए० है । इकाई की अन्य सिस्टर कन्सर्न के स्वीकृत भार निम्नवत् है :–

गोयल टिन वर्क्स	–96.34 अश्वशक्ति
डौलफिन कैनपैक प्रा० लि०	–100 अश्वशक्ति

उद्योगों द्वारा निम्नवत् भार प्रयोग करते पाया गया :–

टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	–76 के० वी० ए०
गोयल टिन वर्क्स	–96.9 अश्वशक्ति
डौलफिन	–उद्योग प्रारम्भ नहीं हुआ न्यूनतम उपभोग के बिल का भुगतान किया जा रहा है ।

उद्योगों की अन्तिम बार जांच निम्नवत् की गयी :–

1–टिन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी	–10-3-95
2–गोयल टिन वर्क्स	–16-2-93
3–डौलफिन कैनपेक प्रा० लि०	उत्पादन प्रारम्भ न होने के कारण जांच नहीं हो पायी ।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड गौरा के केवराखुर्द गांव में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने की मांग

90–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रतापगढ़ जनपद के विकास खण्ड गौरा के केवराखुर्द गांव के विद्युतीकरण हेतु इस्टीमेट स्वीकृत हो चुका है ? क्या इन्डेन्ट भी विद्युत भण्डार केन्द्र, प्रतापगढ़ को दिया जा चुका है ? क्या अभी तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की स्थिति में उक्त गांव को जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत है, एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकरण किये जाने के लिये स्टोर सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जा सकी ।

राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतापगढ़ डिपो की बस संख्या यू० एम० बी०/9424 द्वारा हुई दुर्घटना में मृतकों को सहायता देने की मांग

91–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 5-3-94 को राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतापगढ़ डिपो की बस संख्या यू० एम० बी०/9424 द्वारा (इलाहाबाद फैजाबाद राज मार्ग पर) पर देल्हूपुर बाजार जनपद प्रतापगढ़ में श्री स्वामी दयाल अनु० जाति पुत्र श्री बुधई अनु० जाति ग्राम

रामनगर गंसियारी नेवादा थाना मऊ आइमा जनपद इलाहाबाद की मार्ग दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मृतक के परिवार के भरण पोषण के लिये कोई सुविधा प्रदान की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सहायता उन्हें दी जायेगी ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी हां ।

मृतक के परिवार को रुपये दो हजार की दिनांक 18-8-94 को तात्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है ।

भू–खण्ड सं० ओ० ओ० सिविल स्टेशन इलाहाबाद का मामला व्यवसायिक से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन के अधिकार से संबंधित प्रकरण

92–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1994 में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में भू–खण्ड सं० ओ० ओ० सिविल स्टेशन इलाहाबाद का मामला व्यावसायिक से आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन हेतु मद संख्या 13 के तहत प्रस्तावित था ? यदि हां, तो क्या बोर्ड ने उसे स्वीकृत कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या यह मामला बोर्ड की क्षमता के बाहर था ? यदि हां, तो प्राधिकरण द्वारा बोर्ड की बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव रखने का क्या कारण था ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत महायोजना में भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार शासन में निहित है । इलाहाबाद की प्रारूप महायोजना पर प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की सुनवाई समिति की संस्तुति के आधार पर प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग परिवर्तन शासकीय अधिसूचना संख्या–3209/9–आ–3-94–22 एल० यू० सी०/94, दिनांक 3 अक्टूबर, 1994 द्वारा व्यवसायिक से आवासीय में किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद महायोजना का प्रारूप बनाये जाने के संबंध में जानकारी

93–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित महायोजना का कार्य लगभग पांच वर्ष से लम्बित पड़ा हुआ है ? क्या पुनरीक्षित महायोजना की संस्तुति मुख्य नगर नियोजक इलाहाबाद/विकास प्राधिकरण इलाहाबाद द्वारा शासन को आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् उपलब्ध करायी जा चुकी है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोई प्रभावी कदम उठाया है ? क्या विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

सुश्री मायावती–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इलाहाबाद महायोजना का प्रारूप नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश को दिनांक 21-4-94 को महायोजना को अन्तिम रूप प्रदान करने के लिए भेजा गया।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा इलाहाबाद महायोजना के प्रारूप को अन्तिम रूप प्रदान कर दिनांक 11-7-95 को शासन को प्रस्तुत किया है, परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा महायोजना अनुमोदित की जायेगी।

देवरिया से मठिया, श्रीराम बाया सलेमगढ़ एवं देवरिया तमकुही सिसवा नहर हेतु स्वीकृत बसों की जानकारी

94–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया से मठिया श्री राम बाया सलेमगढ़ एवं देवरिया तमकुही सिसवा नहर मार्ग हेतु राजकीय परिवहन निगम की कितनी बसें स्वीकृत हैं ? क्या वे सभी बसें चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्दलाल पटेल–

प्रश्नगत दोनों मार्गों पर वर्तमान में बस संचालन निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लेसू लखनऊ में फर्जी बिलिंग की शिकायत

95–श्री तीरथ राज तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ के अधीन वर्ष 1985 से 1986 के मध्य 25 व्यक्तियों का फर्जी बिलिंग करके पैंसठ हजार रुपये का भुगतान वेतन एवं अवकाश नकदीकरण के रूप में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता एवं कैशियर ने किया था ? यदि हां, तो उसकी वसूली के लिये आज तक क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लेसू, लखनऊ के अधीन वर्ष 1985 से 86 के मध्य फर्जी बिलिंग करके वेतन अथवा अवकाश नकदीकरण के भुगतान करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में चिकित्साधिकारियों की वर्ष 1978 में नियुक्ति के संबंध में जानकारी

96–श्री तीरथ राज तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के प्रथम बुधवार को निर्धारित अता० प्र० सं० 103 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन इकसठ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था उनकी साक्षात्कार के समय योग्यतायें क्या थीं ? क्या यह सत्य है कि सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पूर्ण होने के पूर्व ही अनेकों नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे ? यदि हां, तो किन कारणों से तथा उनके

नाम एवं योग्यतायें क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन अनियमितताओं के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था, साक्षात्कार के वक्त उनकी योग्यतायें, संलग्न सूची में दर्शाई गई हैं।

जी हां, दिनांक 31-8-78 एवं 1-9-78 को चिकित्साधिकारी पद (सामान्य ड्यूटी) हेतु सम्पन्न साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र जारी किये गये थे।

दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों पर परिषदीय चिकित्सालय स्थित होने के कारण एवं निकटवर्ती क्षेत्र में चिकित्सा सुविधायें अनुलब्ध होने के कारण यह प्रशासकीय निर्णय लिया गया कि चिकित्साधिकारी सामान्य/आपात/आकस्मिक पदों पर तत्काल साक्षात्कार सम्पन्न कराकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी जाय ताकि वहां पर किसी प्रकार की औद्योगिक अशान्ति व्याप्त न हो तथा चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) पद हेतु साक्षात्कार बाद में कराये जायें।

तदनुसार चयनित 9 चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति पत्र जारी किये गये जिनके नाम एवं शैक्षिक योग्यतायें निम्नवत् हैं :–

1–डा० सुधीर सिंह चौहान (एम० डी०)
2–डा० हर्ष कुमार शर्मा (एम० बी० बी० एस०/डिपार्ट ओ० आर० डी०)
3–डा० ब्रज मोहन सोनी (एम० एस०)
4–डा० रामजीत राम (एम० बी० बी० एस०/डी० आरथों)
5–डा० राजीव कुमार चतुर्वेदी (एम० एस०)
6–डा० दीपक साहनी (एम० बी० बी० एस०)
7–डा० योगेन्द्र सिंह (एम० बी० बी० एस०)
8–डा० राकेश खरे (एम० बी० बी० एस०)
9–डा० अनिल कुमार (एम० बी० बी० एस०/टी० सी० डी०)

कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 193–196 पर)

सब विद्युत स्टेशन पिंडरा वाराणसी के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान में की गयी धांधली

97–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-94 को सब विद्युत स्टेशन पिंडरा वाराणसी के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु स्थान फूलपुर जिला वाराणसी में विद्युत विभाग वाराणसी में कैम्प लगाया था जिसमें सहायक अभियन्ता बेचन राम व एन० पी० मिश्रा तथा रेवन्यू विभाग विद्युत वाराणसी के राम लाल गुप्ता व एस० पी० श्रीवास्तव क्लर्क गये थे ? यदि हां, तो कितने उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों का भुगतान कराया गया ? क्या यह सही है कि सभी विद्युत बिलों को काटकर जैसे 221 रु० के बिल को 77 रु० 40 पैसे किया गया और रसीद भी रुपया 77.40 का दिया गया है ? क्या सरकार दिनांक 24-2-95 को जितने बिलों का भुगतान किया गया है सबको जब्त करा कर पूरे मामले की जांच कराने का आदेश देगी और सभी उपभोक्ताओं के रसीद व विद्युत बिल की जांच करायेगी ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने मा० मुख्य मंत्री को दिनांक 10-3-95 को एक पत्र भी लिखा है

उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार वाराणसी जिले के विद्युत विभाग रेवेन्यू रिकार्ड की जांच भी पिछले वर्ष 1990-91 से लेकर अब तक का विशेष आडिट द्वारा कराने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शिविर में कुल 44 उपभोक्ताओं ने धनराशि जमा की ।

जी नहीं, किसी भी उपभोक्ता के बिल को काटकर कम नहीं किया गया । कुल 44 उपभोक्ताओं में से 17 उपभोक्ताओं ने पूर्ण भुगतान किया है तथा शेष 27 उपभोक्ताओं ने आंशिक भुगतान किया है । केवल एक उपभोक्ता जिसका विद्युत बकाया रुपया 221.00 था । उसके इस अनुरोध पर कि वह नियमित भुगतान करता रहा है एक चक्र (दो माह) का बिल रुपया 77.40 जमा कराया गया । राज्य विद्युत परिषद् के अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा जांच करने पर ज्ञात हुआ कि विद्युत बिलों की धनराशि कम नहीं की गयी । शिविर स्थल पर सभी अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण एवं उपभोक्ताओं से विशेष राजस्व वसूली अभियान 1994-95 के अन्तर्गत आंशिक भुगतान करा लिया गया था ।

संदर्भित पत्र दिनांक 14-3-1995 को अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को प्रेषित किया गया है जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो रहा है । तलाश करके अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

चूंकि विद्युत बिलों को काटकर कम नहीं किये गये हैं । इस बात की जांच विद्युत परिषद् के उच्च अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है । अतः अब विशेष जांच या विशेष आडिट करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद गोण्डा उतरौला तहसील मुख्यालय पर परिवहन बस डिपो बनाने की मांग

98–श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में उतरौला तहसील मुख्यालय पर परिवहन बस डिपो बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब तक उक्त डिपो पर कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी नहीं ।

उतरौला में निगम का बस स्टेशन है जहां 14 बसें रुकती हैं । यात्रियों को इन बसों से बस सुविधा प्राप्त है । अतः डिपो बनाने का औचित्य नहीं है ।

भारतीय स्टेट बैंक उपभोक्ता सोसाइटी लि० बैंक रोड, गोरखपुर को शाखा प्रबन्धक द्वारा बन्द किये जाने के संबंध में जानकारी

99–डा० मोहसिन–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय स्टेट बैंक उपभोक्ता सोसाइटी लि०, बैंक रोड, गोरखपुर को तत्कालीन शाखा प्रबन्धक श्री बृज किशोर सिंह ने आदेश देकर बन्द करवा दिये ? क्या उक्त समिति को बन्द करने का अधिकार शाखा प्रबन्धक को हैं ? यदि नहीं, तो उक्त सोसाइटी को किस आधार पर बन्द किया गया ?

चौ० जगवीर सिंह गूर्जर–

भारतीय स्टेट बैंक उपभोक्ता सोसाइटी लि०, बैंक रोड, गोरखपुर को बैंक के तत्कालीन सहायक महाप्रबन्धक, बैंक श्री बृजकिशोर सिंह ने श्री गोरखनाथ कैशियर/कार्यवाहक सचिव को यह निर्देश दिये कि उक्त स्टोर (समिति) को तब तक बन्द रखें जब तक उनका पूरा हिसाब-किताब सही नहीं किया जाता ।

जी नहीं । समिति का हिसाब-किताब करके रिपोर्ट बैंक को न प्रेषित किये जाने के कारण हिसाब-किताब सही किये जाने तक उक्त समिति का कार्य अस्थायी रूप से बन्द किया गया ।

पनकी तापीय परियोजना खण्ड पनकी कानपुर में बैंक रिकन्सिलेशन के लिये जिम्मेदार अधिकारी एवं घपले की जानकारी

100–श्री तीरथ राज तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत पनकी तापीय परियोजना खण्ड पनकी, कानपुर का बैंक रिकन्सिलेशन के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 1989 से 1994 के बीच 35 लाख रुपये के घपले किये गये हैं ? यदि हां,तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है तथा इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बैंक रिकन्सिलेशन के लिये संबंधित खण्ड का अधिशासी अभियन्ता और लेखाकार उत्तरदायी होता है ।

वर्ष 1989 से 1994 तक का बैंक समाधान का कार्य पूर्ण हो चुका है और किसी भी घपले की जानकारी प्रकाश में नहीं आई है ।

चूंकि संबंधित अवधि का बैंक समाधान पूर्ण है और कोई घपला प्रकाश में नही आया है, किसी अधिकारी के दोषी होने एवं उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह एवं कु० मानवेन्द्र सिंह विधायक द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह एवं कु० मानवेन्द्र सिंह विधायक का पत्र क्रमशः दिनांक 5-1-93 एवं 12-7-94 जो कि अध्यक्ष उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जो कार्यरत चिकित्सकों के वरिष्ठता निर्धारण में धांधली की शिकायत विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? कब तक उनके देयों का भुगतान कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 5-1-93 परिषद् में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । अपितु कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक का दिनांक 12-7-94 का पत्र परिषद् में प्राप्त हुआ है ।

प्राप्त पत्र में उठायी गयी शिकायतों की जांच के फलस्वरूप निराधार पाया गया तथा सम्यक् विचारोपरान्त पत्र को निक्षेप कर दिया गया । बिन्दुवार स्थिति अनुलग्नक में दर्शाई गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 197–199 पर)

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय नियमों के उल्लंघन/अवैध नियुक्ति/गबन संबंधी मामले में बनाई गयी नीति एवं कार्यवाही के प्राविधान की जानकारी

102–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय नियमों के उल्लंघन/अनियमित अवैध नियुक्तियां/गबन भ्रष्टाचार संबंधी मामले में परिषद् में क्या कोई नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सेवा निवृत्त होने के बाद अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ एवं चीफ रेजीडेन्ट इन्जीनियर लेसू लखनऊ के अधीन ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है ? जनवरी, 1993 से फरवरी, 95 के मध्य ऐसे कितने मामले हैं जिनमें दोषियों के विरुद्ध छः माह तक चार्ज शीट नहीं उपलब्ध कराई गई ? क्या यह सत्य है कि निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सुश्री मायावती–

परिषद् द्वारा इस संबंध में अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी बल्कि प्रश्नगत मामलों में प्रारम्भिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन के अधीन लागू विभिन्न नियमें.सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 सी० सी० ए० रूल्स जो परिषद् द्वारा भी अंगीकृत है तथा परिषद् द्वारा लागू "अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें विनियमावली 1975" मे निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध उपरोक्त नियमों एवं सिविल सर्विस रेगुलेशन के नियम 351 ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर दोष सिद्ध पाये जाने की अवस्था में, नियत काल अथवा सर्वदा के लिये पेन्शन रोकी अथवा कम की जा सकती है । इसके अतिरिक्त परिषद् को हुयी आर्थिक क्षति की पूर्णतः/आंशिक प्रत्याप्ति (रिकवरी) भी की जा सकती है । परिषद् अभिलेखानुसार दिनांक 10-3-95 तक शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ एवं चीफ रेजीडेन्ट इन्जीनियर लेसू लखनऊ के अधीन कार्यरत 30 अधिकारियों एवं 17 कर्मचारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है ।

जिन मामलों में अभी जांच जारी है उनमें अभी चार्जशीट दिये जाने का प्रश्न नहीं है । उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 2/95 तक शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ एवं चीफ रेजीडेन्ट इन्जीनियर लेसू से संबंधित 12 मामलों में 6 माह के बाद चार्जशीट दी गयी तथा 2 मामले ऐसे हैं जिनमें 6 माह के बाद भी चार्जशीट नहीं दी जा सकी है ।

अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त निलम्बित अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर शेष को प्रशासनिक आधार पर मामले के गुणावगुण पर विचार करते हुए सेवा में बहाल कर दिया गया ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डीजल पावर हाउस गाजियाबाद की भूमि तथा उसकी परिसम्मपत्तियों के विवरण की जानकारी

103–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डीजल पावर हाउस, गाजियाबाद की भूमि और उसकी परिसम्पत्तियों का विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से पावर हाउस की जमीन बेच दी गयी है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी

जमीन कब बेची गयी है और किसके आदेश से ? कितने लोगों ने अवैध कब्जे करके पावर हाउस की परिसम्पत्तियों पर अपना अधिकार जमा लिया है ? क्या अवैध कब्जेदारों को विद्युत सुविधा निःशुल्क दी जा रही है ? यदि हां, तो किसके आदेश से ? उक्त अवैध कब्जे हटाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डीजल पावर हाउस, गाजियाबाद की कुल भूमि 5.75 एकड़ है, जिस पर निम्न परिसम्पत्तियां हैं :–

(1) आवासीय भवन–13

(2) भण्डार गृह –6

(3) पावर हाउस का भवन–1

(4) 66/33 के० वी० उपसंस्थान का नियंत्रण कक्ष ।

(5) स्विचयार्ड ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पावर हाउस की परिसम्पत्तियों पर किसी का भी अवैध कब्जा नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू लखनऊ वाणिज्य विभाग (कम्प्यूटर बिलिंग) में कार्यरत अधिकारियों द्वारा गलत आंकड़े फीड किये जाने के संबंध में जानकारी

104–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1988 एवं 1993 में लेसू लखनऊ वाणिज्य विभाग (कम्प्यूटर बिलिंग) में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर का फर्जी आंकड़े कार्ड कोड प्रारूप सं०–जी० 35, 42 एवं 03 के द्वारा फीड करके परिषद् के राजस्व की हानि की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में किन-किन अधिकारियों द्वारा आडिट किया गया तथा उनकी [illegible] क्या है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ वाणिज्य विभाग (कम्प्यूटर बिलिंग) में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कम्प्यूटर को फर्जी आंकड़े कार्ड कोड प्रारूप सं० जी–35, 42 एवं 03 के द्वारा वर्ष 1988 में फीड करके परिषद् के राजस्व की हानि होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है ।

केवल 1993 में कार्ड कोड प्रारूप सी सी–42 के माध्यम से संदिग्ध भुगतान के 24 बैच (मामले) कम्प्यूटर को फीड करने के प्रकाश में आये, जिसके विवरण निम्नलिखित है :–

क्र० सं०	विवरण	बैच	धनराशि
1	कम्प्यूटर को जो प्रेषित किये गये	24	28,58,831.32
2	उपरोक्त में जांचो-परान्त सही पाये गये भुगतान	03	2,89,773.68
3	उपरोक्त में कम्प्यूटर द्वारा अस्वीकृत	01	54,192.40
4	उपरोक्त के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं के बिलों में वसूली की कार्यवाही की गई	16	12,13,258.54
5	उपरोक्त में वह बैच (मामले) जिनका निरीक्षण किया जा रहा है।	04	5,01,606.70

संदिग्ध भुगतान को कम्प्यूटर में (फीड) प्रेषित करने के लिये निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये :–

(1) अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य-प्रथम)

श्री एस० पी० सिंह

(2) अधिशासी अभियन्ता (वाणिज्य-प्रथम)

श्री के० एल० पाण्डेय

(3) सहायक लेखाकार श्री रमेश चन्द्र

उक्त दोनों अधिकारियों को परिषद् द्वारा निन्दा प्रविष्टि दी गयी है एवं वर्तमान में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता को स्थानान्तरित भी कर दिया गया है। सहायक लेखाकार को स्थानान्तरित एवं निलम्बित कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उक्त अवधि 1988 एवं 1993 में आडिट आफीसर, ए० जी० यू० पी०, लेखाधिकारी, आन्तरिक सम्प्रेक्षा, शक्ति भवन एवं अधीक्षण अभियन्ता, रेवेन्यू इन्सपेक्शन इकाई, द्वारा आडिट किये गये, उक्त की रिपोर्ट में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

शक्ति भवन लखनऊ के बाहर 11 के० वी० ए० के सब स्टेशन को अन्दर बाहर शिफ्ट करने में हुए व्यय का विवरण

105–श्री सतीश भाटिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन के बाहर 11 के० वी० ए० के सब स्टेशन को अन्दर शिफ्ट करने में कुल कितना व्यय हुआ ? क्या उसे पुनः बाहर शिफ्ट किया गया ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से ? उसका नाम पदनाम तैनाती स्थान क्या है ? क्या इस सब स्टेशन को तीनों बार स्थापना करने एवं शिफ्ट करने में 60 लाख रुपये से अधिक व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसकी वसूली किस अधिकारी से की जायेगी ? क्या मुख्य अभियन्ता (जनपद वितरण) के सेवा निवृत्त होने के पूर्व जांच प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शक्ति भवन के बाहर से अन्दर कोई 11 के० वी० सब- स्टेशन शिफ्ट नहीं हुआ।

जी नहीं। वस्तुस्थित यह है कि शक्ति भवन विस्तार के बेसमेंट में स्थापित किये गये 11 के० वी० सब-स्टेशन को भवन की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाहर शिफ्ट किया गया है।

उपरोक्त शिफ्टिंग का निर्णय अग्नि सलाहकार की संस्तुति की तीन अधिकारियों की समिति द्वारा समीक्षा कराये जाने के उपरान्त राज्य विद्युत परिषद् की प्रबन्ध समिति ने लिया। यह निर्णय किसी अधिकारी विशेष द्वारा स्वयं नहीं लिया गया।

जी नहीं। शक्ति भवन विस्तार के बेसमेन्ट में सब-स्टेशन की स्थापना तथा तत्पश्चात् उसकी बाहर शिफ्टिंग पर कुल लगभग रु० 32.85 लाख का व्यय हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच कराये जाने की आवश्कयता नहीं है।

ग्राम रेगहियां विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में विद्युतीकरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

106–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम रेगहियां विकास खण्ड निचलौल जनपद महराजगंज में 10 वर्ष पूर्व विद्युतीकरण हेतु पोल आदि गाड़े गये थे जिस पर आज तक विद्युत तार न खींचे जाने के कारण गांव विद्युतीकरण से वंचित है ? क्या मा० मुख्य मंत्री जी ने 15-4-94 को अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को परीक्षोपरान्त शीघ्र कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

उक्त ग्राम की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक स्टोर सामग्री व धन का आंकलन किया जा चुका है।

नगर पंचायत तहसील मुख्यालय निचलौल महराजगंज में स्वीकृत नलकूप योजना को पूर्ण किये जाने की मांग

107–शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत तहसील मुख्यालय निचलौल महराजगंज में जल आपूर्ति योजना 1986-87 में 47 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति की गयी थी जिसमें आज तक 46.5 लाख धन अवमुक्त योजना के नाम लिया गया है ? क्या अवमुक्त धनराशि से 7 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी योजना अधूरी पड़ी हुयी है जिसको पूरा कराने में 92.56 लाख खर्च होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार अधूरी योजना को वर्ष 95 तक पूरा कराने के लिये कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

मई, 95 तक 45 लाख रु० व्यय हुआ है ।

प्रति वर्ष सीमित परिव्यय तथा द्वितीय नलकूप हेतु नगर पंचायत द्वारा प्रदत्त भूमि पर न्यायालय में विवाद के कारण योजना अभी तक पूरी नहीं हो सकी ।

जी नहीं ।

योजना पूरा करने में लगभग 75 लाख रु० के व्यय होने की सम्भावना है ।

भूमि विवाद निपटने पर तथा पर्याप्त धन उपलब्धता पर योजना का पूरा होना निर्भर करता है ।

जनपद महराजगंज के नगर पंचायत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल निगम तथा एग्रो द्वारा लगाये गये हैण्ड पम्पों के प्लेट फार्मों के निर्माण में फर्जी भुगतान

108–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि जनपद महराजगंज के नगर पंचायत में तथा ग्रामीण अंचलों में जल निगम तथा एग्रो द्वारा इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प जो लगाया गया है, उसमें अधिकांश हैण्ड पम्पों के प्लेट फार्म न बनाकर फर्जी भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने और अधूरे प्लेट फार्म का निर्माण तत्काल कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जल निगम तथा एग्रो द्वारा लगाए गये हैण्ड पम्पों में से केवल एक हैण्ड पम्प का प्लेट फार्म विवाद के कारण नहीं बना है । बने हुए प्लेट फार्मों का ही भुगतान किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवा बाजार के ग्राम सभा रतनपुर के विद्युतीकरण को ठप किये जाने के कारणों की जानकारी

109–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद महराजगंज के विकास खण्ड सिसवां बाजार ग्राम सभा रतनपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती का विद्युतीकरण 12 वर्ष पूर्व शुक्ला ग्राम सभा पड़री उर्फ मीरगंज

के नालकूप पर लगे ट्रांसफार्मर द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ग्राम सभा रतनपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती में विद्युतीकरण द्वारा विद्युत प्रकाश की सुविधा अनुसूचित जातियों को दी गयी थी ? क्या शुक्ला के ट्यूबवेल की लाइन काट दिये जाने के कारण अनुसूचित जातियों को विद्युत सुविधा जो दी गयी थी उससे वंचित कर दिया गया है ? क्या उक्त ट्रांसफार्मर से ग्राम सभा रतनपुर के अनुसूचित जाति की बस्ती को पूर्व की भांति पुनः विद्युत आपूर्ति के माध्यम से अनुसूचित बस्ती को प्रकाश व्यवस्था देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड सिसवां बाजार की ग्राम सभा रतनपुर की अनुसूचित जाति की बस्ती का विद्युतीकरण श्री रामचन्द्र के नलकूप से लगभग 20 वर्ष पूर्व किया गया था ।

जी हां ।

श्री रामचन्द्र के नलकूप की लाइन विद्युत बिलों के बकाये का भुगतान न किये जाने की स्थिति में लगभग 15 वर्ष पूर्व काट दी गयी थी, जिस कारण उक्त अनुसूचित जाति की बस्ती की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त अनुसूचित जाति की बस्ती में किसी भी निवासी द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है ।

जनपद पडरौना की तहसील तमकुही राज में बस डिपो स्थापित करने की मांग

110–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पडरौना के तहसील तमकुही राज में बस डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्दलाल पटेल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कैलाशपुरी, आलमबाग लखनऊ में स्थित छोटा बरहा पोस्ट आफिस से बाबू कुन्ज बिहारी लाल यादव तक के मार्ग को पिच रोड बनाने की मांग

111–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कैलाशपुरी, आलमबाग लखनऊ में स्थित छोटा बरहा पोस्ट आफिस से बाबू कुन्ज बिहारी लाल यादव मार्ग तक के सम्पूर्ण मार्ग पिच न करके उसे बीच से ही मोड़कर एक स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति के प्लाटों तक पिच किया गया है, जिससे उन प्लाटों की कीमत तो बढ़ गयी है, परन्तु आम जनता के प्रयोग में आने वाला मार्ग पिच होने से रह गया ? यदि

हां, तो क्यों ? क्या उसका जो 50-60 मीटर का भाग बाबू कुन्ज बिहारी लाल यादव मार्ग तक पिच करने से रह गया है, उसे पिच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

छोटा बरहा पोस्ट आफिस से बाबू कुन्ज बिहारी यादव मार्ग तक के मार्ग को पिच रोड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था, बल्कि छोटाबरहा रोड से अन्दर के क्षेत्र तक पिच रोड बनाने क प्रस्ताव था । तदनुसार सड़क का निर्माण कार्य किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत भाग को पिच कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कैलाशपुरी, आलमबाग लखनऊ में स्थित छोटा बरहा पोस्ट आफिस से बाबू कुन्ज बिहारी लाल यादव तक के मार्ग की उप-लेन को पक्का कराने की मांग

112–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला कैलाशपुरी, आलमबाग लखनऊ में स्थित छोटा बरहा पोस्ट आफिस से बाबू कुन्ज बिहारी लाल यादव मार्ग की एक उप-लेन जो महादेव दूध वाले के मकान से होते हुए जाती है का खडंजा टूट गया है और नालियों का पानी उसमें भरा रहता है, जो वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहा है ? उप-लेन की इस दशा को देखते हुए उसे पिच कराने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

खड़ंजा मामूली तथा आंशिक रूप से दब गया है जिसमें कोई जल भराव नहीं है ।

प्रश्नगत लेन को पिच रोड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

113–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या आवास एवं विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक 26-8-94 को मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र पूर्व विधायक श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद में दिनांक 14-8-94 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला में एक 16 भवनों का बहुमंजिली भवन पूर्ण रूप से गिर कर धराशायी हो गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति मरे तथा कितनी धनराशि की हानि हुयी ? किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

दिनांक 14-8-92 को 8 भवनों का एक ब्लाक गिरा था ।

दिनांक 14-8-92 को 8 भवनों का एक ब्लाक गिरने से कोई व्यक्ति नहीं मरा तथा इस दुर्घटना से कुल रु० 8.00 लाख की क्षति हुई, जिसको ठेकेदार के देयकों से रोक लिया गया । उक्त दुर्घटना के लिये श्री राकेश कुमार चौधरी, अवर अभियन्ता, श्री एस०डी० गुप्ता, सहायक अभियन्ता तथा श्री राकेश भाई अधिशासी अभियन्ता को तुरन्त निलम्बित करते हुये विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की गयी थी ।

विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ में भवन निर्माण तथा सीतापुर रोड योजना लखनऊ में नाले के निर्माण हेतु आमन्त्रित निविदाओं को स्पस्ट करने की मांग

114–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन लाल द्वारका प्रसाद बिल्डर्स को तीन करोड़ रुपये के लगभग विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ तथा शाहनी का० या ज्योति बिल्डर्स को सीतापुर रोड योजना लखनऊ में नाले का निर्माण कार्य दिनांक 19-12-92 को दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्यों की निविदाओं को आमंत्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या निविदाओं को सदन की मेज पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विपुल खण्ड गोमती नगर में 86 आर्शीवाद तथा 95 आशीष प्रकार के भवनों का निर्माण तथा विपुल खण्ड–3 के विकास कार्य हेतु रुपया 3,85,05,149.87 पैसे का ठेका मे० मदन लाल द्वारिका प्रसाद को दि० 14-12-94 को दिया गया तथा कुर्सी रोड एवं सीतापुर रोड के मध्य कालोनियों का जल निकासी हेतु रिंग रोड के समानान्तर बरसाती नाले के निर्माण कार्य का ठेका रु० 2,07,73,306.00 का मे० ज्योति बिल्डर्स को दि० 21-1-95 को दिया गया ।

मा० सदस्य उक्त दोनों निविदाओं को मा० अध्यक्ष के कक्ष में देख सकते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना में विपुल खण्ड में पंजीकरण के आधार पर आवंटित भूखण्डों की जानकारी

115–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ प्राधिकरण लखनऊ में विपुल खण्ड, गोमती नगर योजना में भूखण्डों के लिये कितने लोगों ने पंजीकरण कराया था तथा किन-किन लोगों को भूखण्ड उपलब्ध कराये गये ? क्या यह सत्य है कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ व्यक्तियों को पुरानी दरों पर बिना विपुल खण्ड में पंजीकृत कराये भूखण्ड आवंटित कर दिया गया ? जबकि सैकड़ों लोग विपुल खण्ड में पंजीकृत हैं और नई दरों पर भूखण्ड लेने के लिये तैयार हैं ? क्या सरकार पात्र व्यक्तियों को विपुल खण्ड में भूखण्ड उपलब्ध करायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दिनांक 2-9-94 को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद में फार्म संख्या 0269 150 वर्ग मीटर गोमती नगर फेज–11 विपुल खण्ड में भूखण्ड हेतु पंजीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो इन्हें क्यों भूखण्ड नहीं दिया गया ? क्या इस प्रकरण की सतर्कता विभाग द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड में भूखण्ड हेतु कुल 2,270 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था जिनमें से 285 लोगों को भूखण्ड उपलब्ध कराये गये । स्थिति निम्नवत् है :–

सामान्य	146
अनुसूचित जाति	52
पिछड़ा वर्ग	67
सेना	12
विधायक/सांसद	07
विकलांग	01

जी नहीं ।

क्योंकि लाटरी के पश्चात भूखण्ड अवशेष न होने के कारण अब भूखण्ड आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है ।

जी हां । फार्म संख्या 0269 द्वारा श्री अलख नारायण, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा 150 वर्ग मीटर के भूखण्ड हेतु पंजीकरण कराया गया था । लाटरी में प्रार्थी का नाम न निकलने के कारण भूखण्ड नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विराट खण्ड व विपुल खण्ड गोमती नगर लखनऊ में बिना कार्य के निविदा आमंत्रित किये जाने का आरोप

116–श्री प्रीतम सिंह (मुरादाबाद)–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित 59 टांजिट हास्टल निवासी प्रेम प्रकाश व संलग्न मंत्री समाज कल्याण एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 5965 वी० आई० पी० म०स०क०/199 दिनांक 24-11-94 को विकास कार्यक्रम लखनऊ के मुख्य अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता द्वारा हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं ? क्या यह सही है कि मेसर्स मदन लाल द्वारिका-प्रसाद को दिनांक 12-10-94 को तीन करोड़ का कार्य विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनऊ में बिना किसी स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में विज्ञाप्ति कराये गया है ? यदि हां, तो क्या यह निविदा निरस्त कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इस पत्र के माध्यम से मा० विधायक द्वारा मुख्य रूप से विराट खण्ड व विपुल खण्ड में कुछ कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये आवंटित करने के निम्न आरोप लगाये गये हैं :–

(1) गलत ढंग से कुछ ठेकेदारों को विशिष्ट श्रेणी में पंजीकृत किया गया ।

(2) विराट खण्ड में मे० ज्योति बिल्डर्स को भवन बनाने हेतु रु० 99.80 लाख का ठेका बिना निविदा आमंत्रित के दिया गया ।

(3) मे० मदन लाल द्वारिका प्रसाद को विपुल खण्ड में एच० आई०जी० भवनों हेतु रु० 3.50 करोड का ठेका बिना निविदा आमंत्रित के दिया गया ।

(4) अतिरिक्त सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह के साले को सेलेक्शन ग्रेड पर रु० 50.00 लाख का कार्य बढ़ा दिया गया ।

(5) श्री एस० बी० मिश्रा अधिशासी अभियन्ता एवं श्याम किशोर प्रधान लिपिक के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गयीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शिवानी विहार, कल्याणपुर स्थित श्री राम तीरथ कुशवाहा के मकान के सामने इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में जानकारी

117–श्री रमापति शास्त्री–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत हैण्ड पाइप को स्थापित करने हेतु जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी ? स्वीकृति के कितने दिनों बाद उक्त हैण्ड पाइप स्थापित किया गया है ? स्थापित करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जिलाधिकारी से कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी ।

दिसम्बर, 1994 में हैण्ड पम्प स्थापित करा दिया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

118–श्री रमापति शास्त्री–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–41 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नगत हैण्ड पाइप जब से लगाया गया है, तभी से कार्य नहीं कर रहा है फिर भी संबंधित ठेकेदार को उसका भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त हैण्ड पाइप कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उक्त हैण्ड पाइप का प्लेटफार्म व जल निकासी हेतु नाली अथवा सोख्ता अभी तक नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उसे कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री राम किशोर बिन्द–

हैण्ड पम्प दिसम्बर, 1994 में अधिष्ठापित किया गया था। कुछ अवधि के लिए खराब हो गया था, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर ठीक करा दिया गया था। हैण्ड पम्प का निर्माण किसी ठेकेदार के माध्यम से न कराकर विभागीय पद्धति से कराया गया था, इसलिए ठेकेदार को भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त हैण्ड पम्प ठीक करा दिया गया है।

हैण्ड पम्प के प्लेटफार्म एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अनपरा ताप विद्युत गृह में बनाये गये आवासों के निर्माण में की गयी धांधली की जानकारी

119–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के आवासों के निर्माण में भारी घोटाला करने विषयक श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र दिनांक 30-5-94, जो मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया था ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

पत्र में मुख्य रूप से अनपरा ताप विद्युत गृह में बनाये गये आवासों के निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने, निर्धारित कुर्सी क्षेत्रफल को घटाने, ठेकेदारों को अधिक भुगतान करने, सिलिंग लागत में बढ़ोत्तरी करने, आवासों के निर्माण में निविदायें ठेकेदारों से मिली भगत करके डलवाने, अनावश्यक विविध फर्जी निर्माण कार्य कराने एवं फर्जी निर्माण सामग्री प्रयोग करने, घटिया ईंटों का उपयोग करने तथा अधिक दर पर कार्य कराने आदि के विभिन्न बिन्दु उठाये गये हैं।

जांच आदेशित की जा चुकी है।

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र के बड़े-बड़े ठेकों में अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा किये गये घपले की जांच

120–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल विधायक का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 26-5-94 जो अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र के बड़े-बड़े ठेकों में अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा भारी घपला करने के विषय में था और जो मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

सुश्री मायावती–

माननीय विधायक का दिनांक 26-5-94 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि दिनांक 16-5-94 का पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को जांच हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा की गयी बिलिंग प्रक्रिया में धांधली की जानकारी

121–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं० 8, 13 एवं 14 के अनुसार एन० ए०/ए० आर०/आई० डी० एफ०/ ए० डी० एफ०/आर० डी० एफ० में परिषद् द्वारा क्या-क्या प्रक्रियायें अपनाई जाती हैं ? क्या यह सत्य है कि इसके द्वारा परिषद् के राजस्व की हानि के साथ-साथ उपभोक्ताओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है ? क्या इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त करने एवं परिषदीय राजस्व की वृद्धि हेतु दिनांक 25-1-95 को सचिव, राज्य विद्युत परिषद् को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो पत्र में किन-किन बिन्दुओं को उठाया गया है ? परिषद् द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिलिंग प्रक्रिया में कम्प्यूटर द्वारा सृजित रिपोर्ट 8, 13 एवं 14 के अनुसार एन० ए०/ए० आर०/आई० डी० एफ०/ए० डी० एफ०/आर० डी० एफ० में कम्प्यूटर द्वारा विद्युत बिल मीटर उपभोग प्राप्त न होने के कारण निर्धारित उपभोग पर बिल बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

जी नहीं । निर्धारित उपभोग की प्रक्रिया अपनाने से न तो परिषद् के राजस्व की हानि होती है और न ही उपभोक्ता का शोषण होता है ।

जी हां ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के सन्दर्भित पत्र दिनांक 25-1-95 में मुख्यतया निम्न दो सुझाव दिये गये हैं :–

1–एन० आर० के बिल या तो छपवाना बन्द कर दिया जाय या मिनिमम देय के बनवाये जायें।

2–लेसू में मीटर रीडरों की कमी को पूरा करने के लिए बन्द ऐशबाग/तालकटोरा पावर हाऊस के समकक्ष कर्मचारियों से मीटर रीडिंग का कार्य कराया जाये ।

प्रथम सुझाव उपभोक्ता एवं परिषद् के हित में नहीं है चूंकि इसके लागू कराने पर परिषद् के राजस्व की हानि होगी तथा उपभोक्ता को देय धनराशि का इकट्ठा बिल मिलने पर बिल का भुगतान करने में कठिनाई होगी जबकि वर्तमान में एन० आर० के अन्तर्गत विद्युत बिल औसत उपभोग के अन्तर्गत नहीं होती है और उपभोक्ता को भुगतान करने में सुविधा रहती है ।

द्वितीय सुझाव के अन्तर्गत बन्द पावर हाऊस के कर्मचारियों से उनकी योग्यता/उपयोगिता के अनुसार कार्य लिया जा रहा है ।

जियामऊ, हजरतगंज, लखनऊ में ग्रामवासियों द्वारा बेसिक पाठशाला के मैदान की नालियों को बन्द करने की शिकायत

122–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम जियामऊ, पो० हजरतगंज, लखनऊ में ग्रामवासियों ने बेसिक पाठशाला स्कूल के मैदान में अवैध नालियां बना रखी हैं ? क्या उनको बन्द कराने के संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

जी नहीं ।

पानी निकासी की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिद्धार्थनगर डिपो की बस संख्या यू० पी०–53 ए/3757 से दुर्घटना में मृतक आश्रितों को सहायता देने की मांग

123–श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दिनांक 14 अक्टूबर, 1994 को जनपद सिद्धार्थनगर के जोगिया चौराहे पर परिवहन निगम के बस द्वारा जो दुर्घटना हुई थी उनके परिवारजनों को क्या सान्त्वना राशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नन्द लाल सिंह पटेल–

जी हां ।

दिनांक 14-10-94 को सिद्धार्थनगर डिपो की बस संख्या यू० पी०–53ए/3757 से दुर्घटना में 5 मृतक के आश्रितों को एक-एक हजार रुपये प्रत्येक को तात्कालिक आर्थिक सहायता दिनांक 15-10-94 को प्रदान की गयी है ।

सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की शिकायत

124–श्री मंजूर अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि आवास संख्या–ए–1163/1 से ए–1163/13, सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ के सामने नाली निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण वहां पर गन्दा पानी भरा रहता है ? क्या मंत्री जी उक्त पानी की निकासी की स्थायी व्यवस्था हेतु आगामी बरसात से पूर्व समुचित व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ के मुख्य मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग

125–श्री मंजूर अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि ए–1163/1, सचिवालय कालोनी, इन्दिरा नगर, लखनऊ से मुख्य मार्ग तक जाने हेतु खड़ंजा रोड के दोनों ओर बने मकानों के स्वामियों द्वारा किये गये अतिक्रमण से उक्त खड़ंजा मार्ग लगभग अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त खड़ंजा मार्ग का अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

क्योंकि पूर्व में ही अतिक्रमण हटाया जा चुका है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

126–श्री बैजनाथ रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17-12-93 व 7-3-94 तथा प्रमुख सचिव, ऊर्जा को पत्र दिनांक 17-12-93 व संसदीय कार्य मंत्री का पत्रांक–1556, दिनांक 16-3-94 संलग्नक सहित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति विषयक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उन पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो जांचकर्ता का नाम व पदनाम, जांच प्रारम्भ व समाप्त होने व जांच आख्या शासन को प्राप्त होने की तिथि क्या है ? उक्त अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी लोगों के नाम व पदनाम व उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या विधायकों के पत्रों/सुझावों पर तत्परता से कार्यवाही व उनकी प्राप्ति स्वीकारने, जांच के दौरान पूछतांछ करने व परिणाम से अवगत कराने के शासन के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी का नाम व पदनाम, पत्र संख्यायें तथा तिथियां क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

औपचारिक जांच का औचित्य नहीं पाया गया किन्तु संदर्भगत पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं/शिकायतों का परीक्षण कराया गया । परीक्षणोपरान्त शिकायतों को तथ्यहीन एवं निराधार पाया गया । किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया ।

जी हां । मा० विधायकों को शासन के पत्र सं० 488–पी–1/94–23, दिनांक 19 फरवरी, 1994 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

127–श्री बैजनाथ रावत–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त ।

भगवती देवी बनाम विकास प्राधिकरण, वाराणसी में मुंसिफ, शहर वाराणसी द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी

128–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल वाद संख्या 1490/1991-ई भगवती देवी बनाम विकास प्राधिकरण, वाराणसी का फैसला ता० 16-8-93 को शहर मुंसिफ, वाराणसी ने कर दिया है ? क्या उसमें मकान नं० 2/88 क केदार साब पुत्र झिगरी साब मौजा पाण्डेयपुर, वाराणसी का था ? क्या उक्त मुकदमें में केदार साब के नाम से निर्णित किया गया है ? यदि हां,तो क्या यह सत्य है कि 3-2-95 को ही विकास प्राधिकरण, वाराणसी के अधिकारियों ने उक्त मकान 2/88 क को गिरा दिया ? क्या इस संबंध में कमिश्नर, वाराणसी को एक ज्ञापन रमाशंकर लाल श्रीवास्तव नगर मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाराणसी ने दिनांक 8-2-95 को दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर भूमि निरीक्षण गंगा सिंह व मुनीराज सिंह अधिशासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण वाराणसी के खिलाफ कार्यवाही करेगी और उक्त शहर मुंसिफ के फैसलों को मंगाकर देखने की कृपा करेंगी ?

सुश्री मायावती–

मूल वाद संख्या 1490/1991, भगवती देवी बनाम विकास प्राधिकरण, वाराणसी में मुंसिफ शहर, वाराणसी द्वारा निर्णय दिनांक 16-8-93 को पारित किया गया था । उक्त निर्णय के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मा० जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की गयी है । भूखण्ड संख्या 339 पर न्यायालय के निर्णय के अनुसार मात्र चहारदीवारी स्थित थी । न्यायालय के आदेश दिनांक 16-8-93 में मकान नं०–2/88 का कोई उल्लेख नहीं है । प्रश्नगत मुकदमा श्रीमती भगवती देवी के नाम निर्णित हुआ है । श्री केदार साब द्वारा प्रारम्भ किये गये नये निर्माण कार्य को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया है ।

श्री रमाशंकर लाल श्रीवास्तव सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनपद वाराणसी द्वारा आयुक्त, वाराणसी को एक ज्ञापन दिनांक 8-2-95 को दिया गया था, जिस पर बिन्दुवार तथ्यों सहित आख्या आयुक्त, वाराणसी मण्डल को दिनांक 16-2-95 को प्रस्तुत कर दी गयी है । विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा मुंसिफ, शहर वाराणसी के निर्णय दिनांक 16-8-93 के विरुद्ध जिला जज, वाराणसी के न्यायालय में अपील दाखिल की गयी है । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

नगर निगम, वाराणसी को अर्धकुम्भ यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदत्त धन एवं उसके उपभोग की जानकारी

129–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष (1995) अर्धकुम्भ के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु वाराणसी नगर निगम को कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी और उक्त से नगर निगम द्वारा कौन से कार्य किये गये ? क्या उक्त धनराशि से कोई स्थायी सम्पत्ति का निर्माण कराया गया ?

श्री राम किशोर बिन्द–

प्रश्नगत वर्ष में अर्द्ध कुम्भ के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने हेतु वाराणसी नगर निगम को 75 लाख रुपये उसकी सीमा के अन्तर्गत आने वाली सड़कों व उनके किनारे की नालियों के निर्माण, मरम्मत, मार्ग प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था हेतु स्वीकृत किया गया था । नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार संलग्न सूची में इंगित कार्य उनके द्वारा कराये गये अथवा कराये जा रहे हैं ।

जी नहीं ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 200–201 पर)

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन फेस विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी राजाज्ञा के कार्यान्वयन की मांग

130–श्री राजा राम त्यागी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र संख्या–320 मु० अ० (उ० प्र०) प्र० नि० दिनांक 31-8-1994 के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन फेस विद्युत आपूर्ति के कार्यक्रम में रात्रि 21 बजे से अगले दिन 5 बजे तक और दिन में 9.30 बजे से 17.30 बजे तक इलाहाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, बहराइच, फैजाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, मऊनाथ भंजन, सोनभद्र तथा सिद्धार्थनगर को रखा गया है जबकि बाराबंकी, इटावा और एटा को माह के प्रत्येक दिन भिन्न-भिन्न समयों पर रोस्टिंग का समय निर्धारित किया गया है तथा क्या बाराबंकी और इटावा की भांति रायबरेली को भी आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

शासन के नहीं अपितु राज्य विद्युत परिषद् के पत्र संख्या–320 मु० अ० (उ० प्र०)/प्र० नि० दिनांक 31-8-94 द्वारा प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार प्रत्येक क्षेत्र को 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति निर्धारित की गयी । प्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र (पर्वतीय व बुन्देलखण्ड क्षेत्र को छोड़कर) को एक साथ विद्युत आपूर्ति कर पाना सम्भव नहीं है ।

अतः प्रणाली पर आये विद्युत भार को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों को जिलों के समूह बनाकर उनको समान विद्युत आपूर्ति देने की चेष्टा की जाती है । प्रश्न में दिये गये सभी जिलों को एक ही समूह में रखा गया है और उनकी विद्युत आपूर्ति का कार्यक्रम एक समान है ।

तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण में कार्यरत प्राविधिक कर्मचारियों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन व्यवस्था एवं अनपरा 'बी' कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत भेजे जाने वाले ड्राइंग प्रपत्रों के रख-रखाव की जानकारी

131–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की प्रमुख इकाई तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण में कार्यरत प्राविधिक कर्मचारियों की समय-समय पर कार्य क्षमता के मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो विगत मूल्यांकन कब किया गया था ? क्या उक्त इकाई में जापानी कम्पनी मेसर्स गित्सुई, जो कि अनपरा "बी" परियोजना का सम्पूर्ण कार्य (प्ररचना, परिकल्पना एवं निर्माण आदि) कर रही है, द्वारा अनपरा "बी" कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत भेजे जाने वाले ड्राइंग प्रपत्रों एवं अन्य पत्रों को कार्यालय में डायरी एवं तत्पश्चात् उनका उचित उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो विगत 6 माह में कितने ड्राइंग प्रपत्रों को कार्यालय में डायरी करने के पश्चात् उपयोग में लाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्ष 1994 में ।

जी हां ।

लगभग 200 पत्र/ड्राइंग/प्रपत्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

132–श्री राधेश्याम–

[2सरे (दूसरे) बुधवार अतारांकित प्र० सं–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अधिशासी अभियन्ता द्वितीय, परिकल्प शाखा जल निगम, बलिया के विरुद्ध चल रही जांचो की बिन्दुवार जानकारी

133–श्री मुक्तिनाथ–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता द्वितीय, परिकल्प शाखा जल निगम, बलिया के विरुद्ध वर्ष 1994-95 में कितनी जांचें चल रही हैं ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा लगाये जा रहे हैण्ड पम्पों द्वारा सही कार्य नहीं हो रहा है और सारे हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? क्या सरकार इसकी बिन्दुवार जांच करायेगी एवं जांच आख्या से सदन को अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार द्वितीय प्रकल्प शाखा, जल निगम, बलिया में अधिशासी अभियन्ता का कार्य श्री ओ०पी० सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा जुलाई, 1993 से देखा जा रहा है, उनके विरुद्ध

कोई अनुशासनिक जांच नहीं चल रही है । इस शाखा से सम्बन्धित चार शिकायतों पर तथ्यान्वेषण जांच की जा रही है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । जनपद बलिया में जून, 1995 तक अधिष्ठापित कुल 9718 हैण्ड पम्पों का रख-रखाव जल निगम द्वारा किया जा रहा है । । जुलाई, 1995 को 67 हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से व 262 स्थाई रूप से खराब थे तथा 307 हैण्ड पम्पों के जी०आई० पाइप बदले जाने थे । प्रतिमाह लगभग 3.6% हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से खराब होने की सूचना प्राप्त हुई, जिन्हें तत्काल ठीक करा दिया गया । इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में 76 स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्प को रीबोर कराया गया व 167 हैण्ड पम्पों के जी० आई० पाइप बदले गये । हैण्ड पम्पों के खराब होने व ठीक कराना एक निरन्तर प्रक्रिया है । हैण्ड पम्पों को धन की उपलब्धतता के अनुसार ठीक कराया जाता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, चालक, चारबाग डिपो, लखनऊ की मृत्यु के बाद देय अवशेषों के भुगतान की जानकारी

134–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विश्वनाथ वर्मा पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण वर्मा, बस चालक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, लखनऊ जिनकी मृत्यु दिनांक 15-7-91 को हो गयी थी, के समस्त जीवन बीमा पालिसी, ग्रेच्युटी एवं अन्य देयों का भुगतान उनके आश्रितों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक भुगतान न होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि उनके आश्रितों को अभी तक सेवा में नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नन्दलाल पटेल–

श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, चालक के पद पर लखनऊ क्षेत्र के चारबाग डिपो में कार्यरत थे । सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, चारबाग के आदेश संख्या 7375 दिनांक 30-7-83 के द्वारा एक अनुशासनिक कार्यवाही में इन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया था । इनकी मृत्यु सेवा से पृथक होने के उपरान्त हुई । सेवा से पृथक कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्राविधान के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का लाभ अनुमन्य नहीं है । कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि रु० 21845/-एवं पारिवारिक पेंशन निधि रु० 550/- का भुगतान उनकी विधवा श्रीमती चन्दा देवी को किया जा चुका है । सामूहिक बीमा के दावा प्रपत्र उनकी विधवा श्रीमती चन्दा देवी के द्वारा नहीं भरे गये हैं ।

नियमानुसार सेवाकाल में मृत्यु होने पर मूल कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्राविधान है । चूंकि श्री विश्वनाथ प्रसाद वर्मा की मृत्यु सेवा से पृथक होने के उपरान्त हुई है अतः इनके आश्रित को मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की महायोजना एवं उसके प्रारूप के संबंध में जानकारी

135–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के लिए महायोजना वर्ष 1961 से 1991 तक के लिए बनाया था और उसे मूर्त रूप देने हेतु 14494.40 हैक्टेयर भूमि में नक्शा बनाया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सिर्फ 31.5 फीसदी पर 5509.50 हैक्टेयर पर ही कार्य किया गया ? क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना की जांच करायेगी ? इस योजना में कितने हेक्टेयर भूमि किन-किन गांवों तथा मुहल्लों में एक्वायर की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । वाराणसी महायोजना में नगरीयकरण क्षेत्र हेतु 14494.40 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से 5589.50 हैक्टेयर भूमि ही विकसित हुई है । जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

महायोजना नगर के विकास की भावी रूपरेखा प्रस्तुत करती है । महायोजना द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाता है ।

136–श्री ऊदल–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी ने वाराणसी के लिए महायोजना 2011 का प्रारूप कब और किन-किन गांवों को मिला कर बनाया है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना में किसी भी काश्तकार की जमीन अधिगृहीत नहीं की जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उन गांवों का नाम बतायेगी तथा उन गांवों की कितनी जमीन किन-किन काश्तकारों की ली जा रही है ?

सुश्री० मायावती–

वाराणसी के लिए वाराणसी महायोजना प्रारूप वर्ष 1993 में वर्ष 2011 तक के लिए तैयार किया गया है, इसमें 473 गांव सम्मिलित हैं । इन गांवों की सूची मा० सदस्य द्वारा मेरे कक्ष में देखी जा सकती है ।

महायोजना प्रारूप में किसी काश्तकार की जमीन अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन, गोरखपुर डिपो द्वारा विगत 3 वर्षों में स्थगन तथा बस ब्रेक डाउन होने का विवरण तथा उनकी सम्पत्तियों की जांच की मांग

137–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन, उ० प्र० परिवहन निगम, क्षेत्र गोरखपुर द्वारा विगत 3 वर्षों में कितने कि० मी० की बस संचालन का स्थगन तथा मार्ग में बस ब्रेक डाउन से परिवहन निगम को क्षति उठानी पड़ी ? क्या परिवहन निगम द्वारा कोई आरोप-पत्र

स्थगन कि०मी० का बस ब्रेक डाउन होने के कारण श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन, उ० प्र० परिवहन निगम, गोरखपुर क्षेत्र को हस्तगत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन, गोरखपुर डिपो द्वारा विगत 3 वर्षों में कोई स्थगन तथा बस ब्रेक डाउन नहीं हुआ है ।

चूंकि श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन गोरखपुर डिपो द्वारा विगत 3 वर्षों में कोई स्थगन तथा बस ब्रेक डाउन नहीं हुआ है । इसलिए इस प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

138–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इश्तियाक, सीनियर फोरमैन, उ० प्र० परिवहन निगम, क्षेत्र गोरखपुर की प्रथम नियुक्ति क्षेत्र गोरखपुर में हुई थी तब से वे अभी तक क्या उक्त क्षेत्र में ही तैनात हैं ? क्या सरकार श्री इश्तियाक सीनियर फोरमैन उ० प्र० परिवहन निगम, क्षेत्र गोरखपुर का स्थानानतरण अन्यत्र करके इनकी सम्पत्ति की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री इश्तियाक अहमद, सीनियर फोरमैन, गोरखपुर डिपो के विरुद्ध ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं जिनके कारण इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करके सम्पत्ति की जांच कराये जाने की आवश्यकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत लगाये गये हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की मांग

139–श्री पारस नाथ यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत ग्राम सभा तरछापार में जल निगम के कितने हैण्ड पम्प इण्डिया मार्का–II लगाये गये थे जिसमें से कितने ठीक चल रहे हैं और कितने हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं क्या यह सही है कि उक्त हैण्ड पम्पों के खराब होने की शिकायत करने पर भी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ? क्या सरकार इसकी जांच कराते हुए जिम्मेदार दोषी अधिकारी/कर्मचारी जल निगम बलिया को दण्डित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

प्रश्नगत क्षेत्र में कुल 20 नग इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये गये हैं जो सभी चालू हालत में हैं ।

जी नहीं । शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही करके खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करा दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरुद्ध प्रमुख सचिव, आवास को प्रश्नकर्ता का पत्र एवं जांच की मांग

140–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांकित 13 दिसम्बर, 1994 प्रमुख सचिव, आवास को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अनाधिकृत (डैविएशन) आदि अन्य शिकायतों के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र पर आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ से जांच कराई जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के कस्साबान मोहल्ले में अवैध रूप से काटे जा रहे पशुओं के संबंध में दर्ज आपराधिक मामले

141–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कस्साबान मोहल्ले में अवैध रूप से पशु काटे जाने के संबंध में 17 व्यक्तियों के विरुद्ध स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अवर मुख्य दण्डाधिकारी के न्यायालय में माह नवम्बर, 1992 में आपराधिक मामले दर्ज कराये गये थे ? उनमें अधिकतम दण्ड क्या निर्धारित हैं ? क्या उनका निर्णय हो गया है ? यदि नहीं, तो मुकदमें किस स्टेज पर लम्बित हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

सिटी बोर्ड गाजियाबाद के बायलाज में रु० 50 अधिकतम आर्थिक दण्ड का प्राविधान है । निरन्तर अपराध करने पर 5 रु० प्रतिदिन दण्ड का प्राविधान है । नगर निगम अधिनियम के तहत बायलाज बनने तक पूर्व बायलाज के अन्तर्गत ही कार्यवाही जारी रहेगी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

142–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद न्यायालय ने कस्साबान मोहल्ले में अवैध रूप से पशु काटे जाने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है ? यदि नहीं, तो कोई निरोधात्मक कार्यवाही अमल में न लाये जाने का क्या कारण है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

अवैध रूप से पशु काटे जाने की सूचना मिलने पर नगर निगम अधिनियम में दी गई शक्तियों के अनुरूप निरोधात्मक कार्यवाही यथासमय अमल में लायी जाती है ।

इसी के अन्तर्गत पिछले वर्ष 17 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान किये गये थे ।

जगदीश पुत्र भदारी निवासी ग्राम ससेना, थाना अटरिया, जिला सीतापुर की तार छूने से हुई मृत्यु के कारण मृतक आश्रितों को आर्थिक सहायता देने की मांग

143–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जगदीश पुत्र भदारी (अ० जा०) निवासी ग्राम ससेना, थाना अटरिया, जिला सीतापुर की मृत्यु दिनांक 23-4-92 को बिजली का तार छू जाने से हो गयी ? क्या अटरिया थाना, जिला सीतापुर में प्रथम सूचना अंकित हुई तथा शव का पोस्टमार्टम हुआ ? यदि हां, तो अब उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की ओर से मृतक के आश्रित को कोई आर्थिक सहायता न दिये जाने का क्या कारण है ? आर्थिक सहायता कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

मृतक के आश्रितों को भुगतान हेतु रुपये दस हजार की अनुग्रह राशि की चेक सं०–011511 दिनांक 5-7-1995 संबंधित जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 'अनपरा' 'अ' तापगृह में लोहे का इन्सर्ट बनाने हेतु किये गये अनुबन्ध आदि का विवरण

144–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत "अनपरा" "अ" तापगृह में लोहे का इन्सर्ट बनाने हेतु वर्ष 1980 से 84 के बीच कुल कितने अनुबन्ध किस ठेकेदार के साथ किये गये थे एवं इस मद में कुल कितना भुगतान किया गया था तथा ठेकेदार से कितना टन लोहे की आपूर्ति करायी गयी थी ? क्या यह सत्य है कि तापगृह के परिसर में स्थित परिषदीय भण्डारों में हजारों टन लोहा उपलब्ध होते हुए भी ठेकेदार के साथ लोहा आपूर्ति सहित ठेका तय किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस प्रकार की लोहे की आपूर्ति करवाने हेतु संबंधित अभियन्ता सक्षम थे ? यदि नहीं, तो उन अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

145–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

| स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया |

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1990 से 1994 के बीच कार्यरत विद्युत मजदूर संगठन के पदाधिकारियों के कार्य-कलापों का विवरण

146–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत वर्ष 1990 से जून, 1994 के बीच किन-किन कर्मचारी संगठनों के केन्द्रीय स्तर के कौन-कौन पदाधिकारी मुख्यालय (परिषदीय) से दूर स्वतन्त्र प्रभार के अधिकारी के पद पर कार्यरत थे ? क्या यह सत्य है कि ये अधिकारी सदैव लखनऊ में रहते हुए भी लखनऊ से दूर अपने स्वतन्त्र प्रभार के कार्यों जैसे कि कार्यादेश करना, अधीनस्थ कर्मचारी के बीजक संस्थापित करना, कार्यमापी करना आदि करते रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह परिषदीय सेवा आचरण नियमावली के अनुरूप है ? क्या परिषद् के अधिकारियों को इस तथ्य की जानकारी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में वर्ष 1990 से जून, 94 के बीच श्री राम सुरेमन राय, अध्यक्ष, विद्युत मजदूर संगठन (इण्टक) उ० प्र० परिषदीय मुख्यालय से दूर वाराणसी/गोरखपुर वितरण क्षेत्रों में उपखण्डीय अधिकारी (स्वतन्त्र प्रभार) के पद पर कार्यरत थे ।

श्री राम सुरेमन राय (सहायक अभियन्ता) अध्यक्ष, मजदूर संगठन ने वर्ष 1990 से जून, 94 के मध्य कार्यादेश करना, अधीनस्थ कर्मचारियों के बीजक सत्यापित करना, कार्यमापी करने जैसा कोई कार्य नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ गोपालगंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र के निर्माण में व्यय धनराशि की जानकारी

147–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गोपालगंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ था ? इस कार्य में कुल कितना धन व्यय हो चुका है ? इसके पूरा न होने का क्या कारण है ? इस उपकेन्द्र को पूरा किये बिना इसी जनपद में अनेकों अन्य उपकेन्द्र का कार्य क्यों प्रारम्भ हुआ ? उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ आजमगढ़ में बनाये गये आटो टाइप 33 के० वी० उपकेन्द्र की संख्या एवं विफल उपकेन्द्रों की संख्या के कारण हुई हानि की जानकारी

148–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद मऊ तथा आजमगढ़ में कुल कितनें आटो टाइप के 33 के० वी० उपकेन्द्र बनाये गये हैं एवं उनमें से कुल कितने विफल हो गये और बाद में कन्वेशनल टाइप में परिवर्तित करा दिये गये ? सरकार को इससे कुल कितनी हानि उठानी पड़ी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

सुश्री मायावती–

कुल पन्द्रह आटो टाइप के उपकेन्द्र बनाये गये थे, जिनमें से तेरह उपकेन्द्र विफल हो जाने की स्थिति में कन्वेन्शनल टाइप में परिवर्तित कर दिये गये हैं ।

आटो टाइप के उपकेन्द्र बनाये जाने के फलस्वरूप राज्य विद्युत परिषद् को हानि नहीं हुई है, अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री यदुवंश मिश्र, आशुलिपिक, टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद की नियुक्ति का मामला

149–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत दिनांक 28-5-94 श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, विधायक का पत्र जो सचिव, राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था तथा जिसमें श्री यदुवंश मिश्र, आशुलिपिक, टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद को परिषदीय आदेशों के विरुद्ध नियुक्त कर अनुचित लाभों की सतर्कता जांच विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? वसूली अब तक न करने के क्या कारण रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री यदुवंश मिश्र, आशुलिपिक की नियुक्ति महाप्रबन्धक, टाण्डा परियोजना द्वारा परिषदीय आदेशों की परिप्रेक्ष्य में की गयी थी । जहां तक श्री मिश्र को अनुचित लाभ देने का प्रश्न है इस प्रकरण पर कार्यवाही की जा रही है ।

कोई अधिकारी दोषी नहीं है । वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

विद्युत परिषद् हायर सेकेण्ड्री स्कूल, टाण्डा तापीय परियोजना, फैजाबाद में लैब एटेण्डेण्ट को दिये जाने वाले त्रुटिपूर्ण वेतनमान की जानकारी

150–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल, कुंवर मानवेन्द्र सिंह एवं सतीश भाटिया के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 4-1-95, जो कि अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद् को लिखा था जिसमें विद्युत परिषद् हायर सेकेण्ड्री स्कूल, टाण्डा तापीय परियोजना,

फैजाबाद में लैब एटेण्डेण्ट को गलत वेतनमान देकर परिषद् को लाखों रुपये की हानि पहुंचाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी, यह मामला कब से लम्बित है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कार्यवाही चल रही है ।

परिषद् द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जाने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1990 से 1994 तक विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत एवं अवशेष ग्रामों की संख्या की जानकारी

151–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद में वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 व 93-94 में कुल कितने ग्रामों में विद्युतीकरण होना स्वीकृत हुआ था ? इनमें से कितने ग्रामों में विद्युतीकरण नहीं हुआ उसके क्या कारण हैं ? इनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद शाहजहांपुर के लिए ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 व 1993-94 के लिए क्रमशः 44, 23, 40 व 40 निर्धारित किया गया था, जिसके विपरीत वास्तविक उपलब्धि क्रमशः 19, 21, 40 व 18 रही । तद्नुसार वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1993-94 में निर्धारित लक्ष्य के विपरीत क्रमशः 25, 2 व 22 ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

इसका कारण वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता है ।

यह कार्य संसाधनों की उपलब्धता एवं राज्य विद्युत परिषद् की वित्तीय स्थिति पर निर्भर है । अतः कोई समय-सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

शाहजहांपुर (नगर) में आवश्कतानुकूल विद्युत सप्लाई देने की मांग

152–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में प्रतिदिन कितनी विद्युत की आवश्यकता है तथा कितनी सप्लाई हो रही है ? मंत्री जी आवश्यकता के अनुसार विद्युत सप्लाई कब तक करा देंगे ?

सुश्री मायावती–

शाहजहांपुर नगर की विद्युतभार की आवश्यकता "पीक आवर्स" में लगभग 18 से 20 एम० वी० ए० तथा अन्यथा लगभग 10 से 12 एम० वी० ए० है । मांग के विपरीत 66/11 के० वी० ट्रान्सफार्मरों की सम्मिलित अधिष्ठापित क्षमता कम होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की स्थिति में लगभग 5 एम० वी० ए० भार की कटौती कुछ समय के लिए करनी पड़ती है ।

इस समस्या के निवारण हेतु शाहजहांपुर नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु एक प्रणाली सुधार योजना आवश्यक वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति हेतु तैयार की गयी है, जिसकी कुल लागत लगभग रु० 3.58 करोड़ है । राज्य विद्युत परिषद् की विद्यमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त प्रणाली सुधार योजना के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में किसी समय-सीमा का निर्धारण किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बांदा में रेलवे क्रासिंग से सिविल लाइन क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाने की मांग

153–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांकित 5-12-1994 पत्रांक 126/94 बांदा जनपद में रेलवे क्रासिंग से सिविल लाइन क्षेत्र तक अतिक्रमण हटाने के संबंध में जिलाधिकारी, बांदा एवं सिटी मजिस्ट्रेट, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशौर बिन्द–

जी हां । अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही फरवरी, 1995 में की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज अहमद सहायक अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर जिला फैजाबाद की मृत्यु के उपरान्त अवशेषों का भुगतान तथा मृतक आश्रित को नौकरी में लिये जाने की मांग

154–श्री परशुराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर जिला फैजाबाद में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री मुमताज अहमद की दिनांक 26-1-92 को सेवाकाल में हुई मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री अफरोज अहमद द्वारा मृतक आश्रित के आधार पर सेवा का अवसर दिये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र पर विद्युत परिषद् के उच्चाधिकारियों को मुख्य मंत्री द्वारा माह अक्टूबर, 1994 में आदेश कर दिये जाने के बाद उक्त श्री अफरोज अहमद को परिषद् की सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मा० मुख्य मंत्री जी के पत्र दि० 17-10-94 में नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे । चूंकि मृतक के पुत्र श्री अफरोज अहमद ने सहायक लेखाकार पद हेतु अनुरोध किया था अतः प्रश्नगत प्रार्थना पत्र मुख्य लेखाधिकारी जो उक्त पद के नियुक्ति अधिकारी हैं द्वारा विचार किया गया । नियुक्ति अधिकारी ने श्री अफरोज अहमद को सहायक लेखाकार पद हेतु उपयुक्त नहीं पाया । तद्विषयक सूचना श्री अफरोज अहमद को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद के पत्र दिनांक 18-1-93 द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायतें एवं की गयी कार्यवाही की जानकारी

155–श्री बाबू राम वर्मा तथा श्री ओम प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 15 फरवरी, 1995 से 21-3-95 तक उ० प्र० जल निगम के कितने अवर अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध मा० विधायकों के

शिकायती-पत्र शासन जल निगम मुख्यालय पर प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही आदि का समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

दिनांक 15 फरवरी, 1995 से 21 मार्च, 1995 तक शासन में मा० विधायक श्री ऊदल का सहायक अभियन्ता, षष्टम शाखा, जल निगम वाराणसी, श्री मित्रसेन यादव का श्री टी० एन० विधानी, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, फैजाबाद तथा श्री राम दर्शन यादव का श्री अनिल चन्द्रा, अधिशासी अभियन्ता, प्रकल्प शाखा, जल निगम, देवरिया के संबंध में शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ।

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार मा० विधायक, श्री अशोक बाजपेई का द्वितीय निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ, श्री प्रताप सिंह यादव का श्री राकेश बाबू राजपूत, सहायक अभियन्ता, निर्माण शाखा, जल निगम, फतेहगढ़ तथा श्री अफजाल अंसारी का श्री डी० के० गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक (सहायक अभियन्ता), सी० एण्ड डी० एस०, आजमगढ़ के संबंध में शिकायती-पत्र जल निगम मुख्यालय पर प्राप्त हुये ।

शासन में प्राप्त मा० विधायक, श्री ऊदल के शिकायती पत्र पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र दिनांक 10 मई, 1995 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं । मा० विधायक, श्री मित्रसेन यादव के शिकायती-पत्र के परिपेक्ष्य में श्री टी० एन० विधानी, अधीक्षण अभियन्ता को फैजाबाद से स्थानान्तरित कर दिया गया है । मा० विधायक श्री राम दर्शन यादव के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही की जा रही है ।

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार मुख्यालय पर प्राप्त तीनों शिकायती-पत्रों पर उनके स्तर पर जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम के कान्सट्रक्शन एवं डिजाईनिंग यूनिट–26 के पी० एम० के विरुद्ध कतिपय मा० सदस्यों की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

156–श्री दरोगा प्रसाद सरोज तथा श्री महाराज सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि माह जनवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में उ० प्र० जल निगम के कान्सट्रक्शन एवं डिजाईनिंग यूनिट–26 के पी० एम० के विरुद्ध कतिपय विधायकों का कोई शिकायती-पत्र निदेशक को मिला था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थीं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भी उक्त पी० एम० के विरुद्ध निदेशालय पर कोई ज्ञापन दिया गया था ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार कोई शिकायती-पत्र नहीं मिला ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई ज्ञापन नहीं दिया गया ।

देवरिया से अहिरौली बघेल तक चलने वाली परिवहन निगम की बसों को पुनः चालू करने की मांग

157–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि देवरिया डिपो की बसें देवरिया से अहिरौली बघेल तक वर्ष 1990 तक चला करती थीं ? वे किन कारणों से बन्द कर दी गयीं ? उक्त मार्ग पर कब तक परिवहन निगम की बसें चलानी शुरू करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्दलाल पटेल–

प्रश्नगत मार्ग पर देवरिया डिपो की एक बस जुलाई, 1990 तक संचालित थी ।

आरक्षण विरोधी आन्दोलनकारियों द्वारा बस जला दिये जाने पर बस के अभाव में प्रश्नगत मार्ग पर संचालन बन्द करना पड़ा ।

देवरिया–टीकमपार–अहिरौली बघेल मार्ग पर एक बस चार ट्रिपों में संचालित कर दी गयी है, जो अहिरौली बघेल से आगे प्रतापपुर तक संचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री राम दवर–

[मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड, जौनपुर द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमण के विरुद्ध दी गयी नोटिस

159–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अधिशासी अधिकारी, सिटी बोर्ड, जौनपुर ने अपने पत्रांक 1064, दिनांक 22-12-87 को अवैध निर्माण/अतिक्रमण की नोटिस कुछ लोगों को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

प्रश्नगत नोटिस के विरुद्ध जौनपुर नगर के सम्बन्धित लोगों ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया था । बाद में इन्हीं लोगों द्वारा न्यायालय में सुलह करने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया था । न्यायालय द्वारा सुलह के आधार पर मुकदमा का निर्णय कर दिया गया ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिर्जापुर नगर पालिका के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान न होने की शिकायत

160–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर नगर पालिका के कितने सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं ? इनमें से सेवा निवृत्त के पश्चात् पेंशन प्राप्त करने के लिये कितने कर्मचारी पेंशन के

विधिक रूप से हकदार हैं और कितनों को वास्तव में प्रतिमास पेंशन प्राप्त हो रही है ? क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश का बैंक में नगर पालिका के खातों में पैसा न होने के कारण पेंशन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो इनको नियमित पेंशन प्राप्त हो, इसका प्रबन्ध उ० प्र० सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर नगर स्थित त्रिमोहनी बाजार में स्थापित ट्रांसफार्मर बदल कर पर्याप्त क्षमता का स्थापित करने की मांग

161–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर नगर स्थित त्रिमोहनी बाजार में स्थापित ट्रान्सफार्मर तथा तत्संबंधी बिजली लाइन में खराबी के कारण आये दिन वहां बिजली गायब रहती है तथा जब आपूर्ति भी होती है तो वोल्टेज अत्यन्त कम रहता है ? यदि हां, तो क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मिर्जापुर नगर स्थित त्रिमोहनी बाजार की विद्युत सप्लाई तिवरानी टोला, अप्सरा टाकीज एवं लालडिग्गी में स्थापित ट्रान्सफार्मरों से की जाती है । एल० टी० लाइनों की लम्बाई अधिक होने तथा उक्त ट्रान्सफार्मरों पर क्षमता से अधिक भार आ जाने की स्थितियों में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पड़ने एवं लो-वोल्टेज की समस्या उत्पन्न होने की स्थितियां आ रही हैं ।

उक्त समस्या का समाधान करने हेतु त्रिमोहनी पर एक नये 11/4 के० वी० उपकेन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हरित पट्टियों के आवंटन के आधार पर जानकारी

162–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास प्राधिकरणों द्वारा तैयार मास्टर प्लान में छोड़ी गयी हरित पट्टियों को आवंटित करने में कोई वैधानिक बाधा है ? यदि हां, तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी हरित पट्टियों का आवंटन किस आधार पर किया जा रहा है ?

सुश्री मायावती–

महायोजना में ग्रीन बेल्ट भू-उपयोग में अनुमन्य भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों के आवंटन में वैधानिक कठिनाई है ।

गाजियाबाद की वर्ष 1961-81 की महायोजना में दर्शित ग्रीन वर्ज की भूमि में स्कूल, कालेज व हास्पिटल आदि अनुमन्य हैं तथा हरित पट्टी में पार्क, प्लेग्राउन्ड, पब्लिक, सेमी पब्लिक, मनोरंजन

उपयोग, पब्लिक यूटीलिटी एवं बिल्डिंग्स, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भवन अनुमन्य हैं । पूर्व में उपरोक्तानुसार ही भूमि ग्रीनवर्ज में आवंटित किये गये हैं ।

नैपियर रोड, सचिवालय कालोनी, भाग–2 ठाकुरगंज, लखनऊ की स्ट्रीट लाइट ठीक कराने की मांग

163–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नैपियर रोड, सचिवालय कालोनी, भाग–2, ठाकुरगंज, लखनऊ में लगी स्ट्रीट लाइट में ट्यूब व बल्ब आदि न लगे होने के कारण उक्त कालोनी में अन्धेरा छाया रहता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कालोनी में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को ठीक कराने हेतु कोई आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

वर्तमान में प्रकाश बिन्दु जल रहे हैं ।

164–श्री श्याम देव राय चौधरी–

| पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त |

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के विरुद्ध कतिपय विधायकों की शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

165–श्री तेजभान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित श्री इन्द्र भद्र सिंह, श्री नन्द लाल, श्री भगेलू राम, श्री रईस अहमद आदि विधायक जनपद सुल्तानपुर का दिनांक 23-8-94 के पत्र पर जिसमे अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सुल्तानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम बांसी, जनपद सुल्तानपुर को विद्युत कनेक्शन न देकर बिल भेजने की शिकायत की गयी है ? क्या जांच पत्र संख्या–एस०ई०वी०(वी०)/वी०सी०–36/94, दिनांक 3 सितम्बर, 94 द्वारा पुलिस अधीक्षक, सतर्कता (सुरक्षा), उ० प्र० रा० वि० प० द्वारा श्री वी० के० जोशी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् को सौंपी गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण की जांच कब हुई तथा क्या कोई जांच आख्या शासन को मिली है ? यदि हां, तो इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । प्रथमतः यह जांच श्री वी० के० जोशी, उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सौंपी गयी थी, किन्तु उनके स्थानान्तरण के बाद जांच का दायित्व उपाधीक्षक,

सतर्कता, लखनऊ जोन को सौंपा गया है, जो सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय का कार्य भी देख रहे हैं।

जांच अभी जारी है।

जांच प्रचलित है, प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्ड पम्पों को लगाने की मांग

166–श्री रवीन्द्र प्रताप चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र, जनपद सिद्धार्थनगर में पेयजल आपूर्ति हेतु कितने इण्डिया मार्का व अन्य हैण्ड पम्प जल निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं ? उक्त क्षेत्र में लगे हैण्ड पम्प कितने चालू हालत में हैं ? कितने खराब पड़े हैं और कब से ? क्या खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? वित्तीय वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्र में कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लगाये जायेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

1187 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प जल निगम द्वारा अधिष्ठापित कराये गये हैं, अन्य कोई हैण्डपम्प जल निगम द्वारा नहीं लगाया गया है।

1077 चालू हालत में हैं। 32 हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब हैं जो औसतन एक सप्ताह से खराब हैं। 78 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं जो कि औसतन एक वर्ष से अधिक खराब पड़े हैं।

अस्थाई रूप से हैण्डपम्पों को खराब होना एवं ठीक कराना एक निरन्तर प्रक्रिया है। हैण्डपम्प जब भी खराब होते हैं सामान्यतः एक सप्ताह के अन्तर्गत ठीक करा दिये जाते हैं। अस्थाई रूप से खराब 3 नग हैण्डपम्प ठीक कराये जा चुके हैं। स्थाई रूप से खराब 78 हैण्डपम्पों को पुनर्छिद्रण कर चालू करने का कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 1995-96 में 52 हैण्डपम्प लगाये जाने का प्रस्ताव है।

ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत श्री सदरुद्दीन राणा, परिचालक ग्रेड प्रथम का पिछले पांच वर्षों में उनके वेतन, ओवर टाइम, मेडिकल वाउचर एवं यात्रा का वर्षवार विवरण

167–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत श्री सदरुद्दीन राणा, महामंत्री, बिजली कर्मचारी संघ (आपरेटर ग्रेड प्रथम) द्वारा पिछले पांच वर्षों में उनके वेतन, ओवर टाइम, मेडिकल वाउचर एवं टूर पर कुल कितना रुपया वर्षवार भुगतान किया गया ? क्या यह सत्य है कि लगातार लखनऊ में रहने पर भी ओवर टाइम के रूप में बारह हजार से अधिक रुपये का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है ? यदि हां, तो ओवर टाइम का नाम क्या है ?

सुश्री मायावती–

ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत श्री सदरुद्दीन राणा, परिचालक ग्रेड प्रथम का पिछले पांच वर्षों में उनके वेतन, ओवर टाइम, मेडिकल वाउचर एवं यात्रा पर वर्षवार विवरण निम्न है :––

वर्ष	वेतन	ओवर टाइम	मेडिकल वाउचर	यात्रा बीजक	योग
90-91	61425	शून्य	शून्य	3677	65.102
91-92	62751	शून्य	शून्य	7625	70.376
92-93	63585	शून्य	शून्य	3790	67.375
93-94	65945	शून्य	शून्य	6960	72.905
94-95	67190	शून्य	1657	10980	79.827

जी नहीं, श्री सदरूद्दीन राणा को विगत पांच वर्षों में किसी भी प्रकार के ओवर टाइम के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया एवं ना ही वर्तमान समय में किया जा रहा है ।

मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ द्वारा वर्ष 1989 से 1990 तक कार्यरत मस्टर रोल कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला

168–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन वर्ष 1989, 1990 में 2200 मस्टर रोल कर्मचारियों की सूची जो वर्ष 1974 से कार्यरत थे कम्प्यूटराइज्ड बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि वास्तविक मस्टर रोल कर्मचारियों को परमिट की सेवा में न लेकर बाहर के लोगों की नियुक्तियां कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता की जांच क्या सरकार करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इसकी सूची सदन के पटल पर इस समय प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है क्योंकि वर्ष 1988-89 में लेसू में हुई कुलियों की भर्ती के सम्बन्ध में उपलब्ध अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि प्रथमतः कम्प्यूटर द्वारा 24693 व्यक्तियों की सूची तैयार कराई गयी थी वह तो उपलब्ध है किन्तु एक दूसरी सूची जो मेसर्स बी० आर० सी० कम्प्यूटर सेन्टर के माध्यम से लगभग 2000 कर्मचारियों की सूची तैयार कराई गयी थी और जिसके आधार पर ही चयन आयोजित किया गया था यह दूसरी सूची तत्कालीन कार्मिक अधिकारी, लेसू के असामयिक निधन के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही है । इस सूची की अन्य प्रतियां चयन समिति के अध्यक्ष जो वर्तमान में लेसू से स्थानान्तरित हो चुके हैं उनसे

सम्पर्क करके प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सूची उपलब्ध हो जाने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त सूची प्राप्त होने के उपरान्त जांच सम्पादित की जायेगी।

जी हां।

श्री एस० एन० अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता के कानपुर एवं गोरखपुर की तैनाती की अवधि में मकान किराये का भुगतान न करने के औचित्य की जानकारी

169–श्री वासुदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री एस० एन० अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, कानपुर किस अवधि में गोरखपुर जनपद में किस पद पर तैनात रहे ? क्या उस अवधि में सरकारी आवास में रहते थे ? यदि हां, तो इनके द्वारा अपने वेतन से कितने किराये की कटौती करायी गयी ? क्या यह सत्य है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अनेकों अधिकारी सरकारी आवास में रहते हुए भी या तो कोई किराया नहीं कटवाते हैं या निर्धारित किराये से कम किराया कटवाते हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? उनके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विद्युत परिषद् के मकान किराये वसूली की आडिट किस संस्था द्वारा कितने अन्तराल में कराया जाता है ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या किराये पर लिये गये भवनों पर व्यय धनराशि का विवरण तथा बन्द पावर हाउस में कार्यालय खोलने की मांग

170–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–89 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभिन्न कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या है ? परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्यालयों का कारपेट एरिया होना चाहिए था ? क्या यह सत्य है कि सूची में संलग्न क्रम सं० 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 22, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, व 64 के कार्यालयों का कारपेट क्षेत्रफल वहां तैनात कर्मचारियों हेतु निर्धारित क्षेत्रफल से कई गुना अधिक है ? यदि हां, तो इनका कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

सूचना संकलित की जा रही है।

ओबरा तापीय परियोजना द्वारा ठेकेदारों से कराये गये कार्यों का भुगतान आदि की जानकारी

171–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना में कौन-कौन सा कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया जा रहा है ? वर्ष 1991 से 1994 के बीच कौन-कौन से ठेकेदारों को कितना-कितना रुपयों का भुगतान किया गया ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के श्री सम्पूर्णानन्द के कोल्ड स्टोरेज की नीलामी के बाद कब्जा न दिये जाने के कारणों की जानकारी

172–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील कस्बे के निवासी श्री सम्पूर्णानन्द के कोल्ड स्टोरेज पर विद्युत के बकाया बिल के संबंध में माह अगस्त, 1993 में प्लाट की नीलामी की गयी थी ? यदि हां, तो नीलामी में खरीदने वाले राम औतार को अभी तक रुपया जमा करने के बाद भी प्लाट का कब्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं ? कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां । जुलाई, 93 में प्लाट की नीलामी की गयी ।

न्यायालय आयुक्त बरेली मण्डल/न्यायालय राजस्व परिषद्, उ० प्र० के स्थगन आदेश होने के कारण प्लाट का कब्जा नहीं दिया जा सका ।

न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० शाखा के कतिपय अधिकारियों (लेखा) के विरुद्ध कतिपय विधायकों के शिकायती-पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

173–श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री बाबू राम वर्मा तथा श्री परशुराम यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह एवं दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 को उ० प्र० जल निगम के सी० एण्ड डी० एस० शाखा के कतिपय अधिकारियों (लेखा) के विरुद्ध कतिपय सदस्यों का कोई शिकायती-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जल निगम से प्राप्त सूचनानुसार जनवरी, 1995 के प्रथम सप्ताह में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । सर्वश्री ज्वाला प्रसाद यादव, महराज सिंह यादव व किसी एक अन्य मा० सदस्य, विधान सभा का संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती-पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1994 प्राप्त हुआ है ।

यह शिकायती-पत्र उ० प्र० जल निगम को सी० एण्ड डी० एस० मुख्यालय में कार्यरत खजांची श्री कमल गुप्ता के संबंध में है, जिसमें उनके विरुद्ध वर्ष 1994-95 के सी० एण्ड डी० एस० की कतिपय यूनिटों में बजट आवंटन में भारी पैसा लेने, विभागीय बैंक ड्राफ्टों को डिस्पैच कराकर अपने पास रखने व पैसा लेकर जारी करने, अपनी हैसियत से हजार गुना कीमत का मकान बनवाने, कार्यालय समय से न आने, कनवेंस के रूप में अवैध रूप से हजारों रुपये प्राप्त करने एवं एक वस्तु के कई बार फर्जी भुगतान के लिये सभी प्रबन्धकों को अधिकार में रखकर स्वीकृत प्राप्त करके लाखों का चूना लगाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई थी।

जल निगम द्वारा इस संबंध में जांच कराने पर उनके द्वारा सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं।

शाहजहांपुर नगर में नगरपालिका और जल निगम द्वारा लगाये गये हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

174–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कितने इण्डिया मार्क–2 नल हैं ? इनमें से कितने जल निगम के द्वारा तथा कितने नगरपालिका द्वारा लगाये गये हैं ? इन नलों में से कितने खराब हैं ? उनको ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या मंत्री जी इन नलों को ठीक कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री राम किशोर बिन्द–

कुल 295 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनमें से 279 हैण्डपम्प जल निगम तथा 16 हैण्डपम्प नगर पालिका द्वारा स्थापित किये गये हैं ?

55 हैण्डपम्प खराब हैं।

खराब हैण्डपम्पों को नगर परिषद् द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों से ठीक कराये जाने हैं। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

भवनों/भूखण्डों के विक्रय पर मांगे जा रहे लाभांश के संदर्भ में आयुक्त, लखनऊ मण्डल द्वारा एल० डी० ए० की बैठक में लिये गये निर्णय की जानकारी

175–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या आवास एवं विकास मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त लखनऊ मंडल की अध्यक्षता मे एल० डी० ए० की एक बैठक 29-6-93 को हुई जिसमें यह तय किया गया था कि किसी भी प्रकार भवनों/भूखंडों के विक्रय पर (यदि क्रेता द्वारा समस्त धनराशि जमा करके लीज डीड का निष्पादन करा लिया है) किसी प्रकार लाभांश नहीं देय होगा ? यदि हां, तो एल० डी० ए० द्वारा ऐसे प्लाटों की बिक्री पर लाभांश क्यों मांगा जा रहा है ? क्या मंत्री जी दोषी लोगों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

वर्तमान में कोई लाभांश नहीं मांगा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में अभिलेख में दर्ज जले हुए ट्रांसफार्मरों का विवरण

176–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-2-91 से 7-2-94 तक शाहजहांपुर जनपद में कुल कितने ट्रांसफार्मर जल जाना अभिलेखों में दर्शाया गया है ? क्या इसमें विभाग की लापरवाही व अनियमितातायें प्रकाश में आयी हैं ? क्या मंत्री जी इस संबंध में कोई जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों इस अवधि में शाहजहांपुर में वितरण मण्डल के अधीक्षण अभियन्ता कौन थे ? क्या वे भी इसके लिए उत्तरदायी पाये गये हैं ?

सुश्री मायावती–

शाहजहांपुर जनपद में दिनांक 7-2-91 से 7-2-94 की अवधि में निम्न संख्या में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होना अभिलेखों में दर्शाया गया है :–

पावर ट्रांसफार्मर–	3(तीन)
(66/11 के० वी०)	
वितरण ट्रांसफार्मर–	1587 (एक हजार पांच सौ सत्तासी)
(11/.4 के० वी०)	

दो पावर ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने में पांच विभागीय कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है ।

जांचोपरान्त प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये दो अवर अभियन्ता, दो लाइनमैन व एक एस० एस० ओ० के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आदेशित की गयी थी, जिनमें से एक लाइन मैन को विभागीय जांच पूर्ण होने पर चेतावनी दी गयी है और एक वर्ष की वार्षिक वृद्धि रोक दी गयी है । अन्य मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है ।

उक्त अवधि में विद्युत वितरण मण्डल शाहजहांपुर में श्री शिव शंकर शर्मा अधीक्षण अभियन्ता नियुक्त थे ।

जी नहीं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में सिविल सम्भाग के अधिकारियों द्वारा अकूत सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप

177–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता का प्रार्थना-पत्र जो तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित था तथा शासन द्वारा दिनांक 28-11-92 को प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को जांच हेतु भेजा गया, जो सिविल सम्भाग के अधिकारियों द्वारा अकूत सम्पत्ति अर्जित कर भ्रष्टाचार के संबंध में था, उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नकर्ता माननीय श्री मल्ल का पत्र दिनांक 31-10-92 शासन द्वारा दिनांक 28-11-92 के स्थान पर दिनांक 23-11-92 को प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को जांच हेतु भेजा गया है। पत्र में परिषद् के जनपद (सिविल) संभाग के कुछ अभियन्ता अधिकारियों के भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप लगाये गये हैं।

पत्र में लगाये गये विभिन्न आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्य क्षेत्र उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के माध्यम से जांच कराई गयी। जांच अधिकारी द्वारा परिवार में नामित किसी भी अभियन्ता अधिकारी के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये। अतएव मामले को समाप्त किये जाने का निर्णय परिषद् स्तर पर लिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अधिकारी नगरपालिका देवरिया पर भ्रष्टाचार का आरोप

178–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-5-94 जो मा० मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव (नगर विकास) निदेशक (स्थानीय निकाय) लखनऊ को सम्बोधित था, तथा जिसमें अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, देवरिया द्वारा किये गये भ्रष्टाचार का उल्लेख था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ? जांच किसके द्वारा करायी गयी ? जांच परिणाम क्या हैं ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

शिकायती-पत्र के बिन्दु 1 में रु० 25-25 हजार लेकर नई नियुक्तियां करने, बिन्दु2-3 में पार्कों के रख-रखाव में अनियमितताएं करने एवं आवंटित धन का फर्जी बाउचर लगाकर भुगतान कराने, बिन्दु-4 में शवदाह गृह को टैक्सी स्टैण्ड बनाने हेतु उसकी नीची जमीन की भराई में अनियमितताएं करने, बिन्दु–5 में मिनी बस स्टैण्ड के ठेके में अनियमिततायें करने और पालिका को क्षति पहुंचाने, बिन्दु–6 में आशा गैस सर्विस के मालिक से आवंटित भूमि का किराया वसूल न करने, बिन्दु–7 में आई० डी० एस० एम० टी० योजना के अन्तर्गत निर्मित भवनों को आवंटित न करने एवं जवाहर रोजगार योजना के कार्यों में अनियमितताएं करने, बिन्दु–8 में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने में

अनियमितताएं बरतने, बिन्दु–9 में नालियों की सफाई न कराने एवं आवंटित धन का दुरुपयोग करने तथा बिन्दु–10 में बेलदार/चपरासी से घर का काम कराने एवं जलकल अभियन्ता को सहायक अभियन्ता का चार्ज देकर फर्जी काम कराने की शिकायतें की गयी हैं।

जांच स्थानीय निकाय निदेशालय में तैनात संयुक्त निदेशक से कराई जा रही है, जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

179–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मीटरों में दर्शायी गयी ऊर्जा की खपत के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी

180–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सिंचाई विभाग एवं जल कल विभाग की भांति विद्युत राजस्व की बीजकें श्रेणीवार स्वीकृत लोड के आधार पर बनाकर संबंधित फीडर में लगी हुई मीटरों में दर्शायी गयी ऊर्जा खपत का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? यदि हां, तो किस स्थान पर अध्ययन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत नियत दर (फ्लैट रेट) पर विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के विद्युत राजस्व का बीजक श्रेणीवार लोड के आधार पर तथा अन्य श्रेणी (जिन पर मीटर लगे हैं) के विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं के विद्युत राजस्व की बीजकें उनके परिसर पर लगे हुए मीटर में अंकित उपभोग के आधार पर बना कर संबंधित फीडर में लगी हुई मीटरो में दर्शायी गयी ऊर्जा खपत का तुलनात्मक अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है।

मेरठ क्षेत्र में 27 उपकेन्द्रों पर अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है (सूची संलग्न है)

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ 202 पर)

विद्युत प्रेषण खण्ड फैजाबाद द्वारा की जा रही अनियमितता के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

181–श्री मित्रसेन यादव–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र संख्या–एम–4/425–148/फ०/194, दि० 26-10-94, जो रा० वि० प० के अन्तर्गत कार्यरत विद्युत प्रेषण खण्ड, फैजाबाद में की जा रही गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायती पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं? जांच कार्यवाही से अभी तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुलभ शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकों को प्रतिमाह मानदेय दिये जाने तथा विनियमित करने की मांग

182–श्री महेश चन्द्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुलभ शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकों को प्रतिमाह कितना मानदेय मिलता है ? क्या सरकार इन स्वच्छकों को विनियमित कराने अथवा उनका मानदेय बढ़ाने के आदेश पारित करेंगे ?

श्री राम किशोर बिन्द–

सुलभ शौचालयों में कार्यरत स्वच्छकारों की तैनाती शासन द्वारा नहीं की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ में गन्दे पानी की निकासी हेतु लगे सीवर पम्पिंग स्टेशन को और अधिक क्षमता युक्त बनाने की मांग

183–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अलीगढ़ में गन्दे पानी की निकासी का एक मात्र साधन इगलाश रोड सीवर पम्पिंग स्टेशन है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि इस पम्पिंग स्टेशन पर 300 हा० पा० के मोटर पम्प लगे हैं ? क्या बिजली की स्वीकृति केवल 100 हा० पा० है ? यदि हां, तो सरकार कब तक 300 हा० पा० बिजली की स्वीकृति करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

इस मुख्य सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर 100 हा० पा० का विद्युत लोड स्वीकृत है जो वर्तमान में आवश्यकता 250 के० वी० ए० से कम है ।

पम्पिंग क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु 250 के० वी० ए० का विद्युत लोड स्वीकृत कराने हेतु राज्य विद्युत परिषद् से अनुरोध किया गया है ।

184–श्री हरक सिंह रावत–

[दूसरे (दूसरे) बुधवार के अता० प्र० सं० 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तरांचल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति किये जाने की मांग

185–श्री हरक सिंह रावत–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोलह घण्टे विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराने की घोषणा के अनुरूप उत्तरांचल क्षेत्र में विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तरांचल क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों मे 16 घण्टे प्रतिदिन से अधिक विद्युत आपूर्ति की जा रही है । गत 5 माह में विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नलिखित है :–

माह का नाम	प्रतिदिन औसत विद्युत आपूर्ति
जनवरी, 1995	22.00 घंटे
फरवरी, 1995	22.00 घंटे
मार्च, 1995	22.15 घंटे
अप्रैल, 1995	23.00 घंटे
मई, 1995	23.00 घंटे

प्रश्न नहीं उठता ।

186–डा० सरजीत सिंह डंग–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा में लगे हैण्ड पम्पों के खराब होने के कारणों की जानकारी तथा उन्हें ठीक करने की मांग

187–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में जल निगम द्वारा मानक के आधार पर गांव में लगने वाले इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं ? क्या सरकार शासन द्वारा टी० ए० सी० भेजकर जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

मई, 1995 तक अस्थाई रूप से 281 नग हैण्ड पम्प खराब हुए, जिनमें से 156 हैण्ड पम्पों की मरम्मत कराकर चालू करा दिया गया है । शेष हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

188–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में लगे इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प कितने खराब पड़े हुए हैं ? क्या पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

अस्थाई रूप से 125 नग व स्थाई रूप से 282 नग तथा जी० आई० पाइप में छिद्रण के कारण 376 नग खराब हैं !

जी हां ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

गोण्डा से इटिया थोक होते हुए बाबागंज बाजार तक परिवहन विभाग की बस को पुनः चालू किये जाने की मांग

189–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि गोण्डा से इटिया थोक होते हुए बाबागंज बाजार तक परिवहन विभाग की बस को चलाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त बस को नियमित चलाने के लिये कार्यवाही कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नन्द लाल पटेल–

जी हां ।

प्रश्नगत मार्ग पर संचालित बस सेवा, संतोषजनक संचालन प्रतिफल प्राप्त न होने के कारण दिनांक 24-10-89 से बन्द करनी पड़ी । इस मार्ग का इटिया थोक से बाबागंज बाजार तक का 20 कि०मी० मार्गांश अराष्ट्रीयकृत है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार अराष्ट्रीयकृत मार्गांश पर निगम द्वारा बस सेवा का संचालन नहीं किया जाना है । अतः इस मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा पुनः बस संचालन प्रस्तावित नहीं है । इस हेतु किसी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया, अतः दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित कल्यानपुर शिवानी बिहार कालोनी में स्वीकृत नाली, खड़ंजा लगाने विषयक कार्य की जानकारी

190–श्री दरोगा प्रसाद सरोज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित कल्यानपुर शिवानी बिहार कालोनी में खड़ंजा एवं नाली बनाये जाने का कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो 20 मीटर उत्तर स्थित पार्क से उक्त कार्य शुरू न होकर श्रीमती मीना पवार के मकान से ही शुरू कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या जल भराव को देखते हुए पार्क से ही सोलिंग कार्य कराये जाने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

कार्य समाप्त हो चुका है ।

जितना कार्य स्वीकृत हुआ था, वही कराया गया है ।

धन उपलब्ध नहीं है.। अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार ।

कल्याणपुर लखनऊ हेतु पेयजल की आपूर्ति हेतु स्वीकृत योजना की जानकारी

191–श्री दरोगा प्रसाद सरोज–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कल्याणपुर लखनऊ के पेयजल के लिये कोई योजना नगर विकास विभाग से वित्त विभाग को वर्ष 1994 में स्वीकृत के लिये भेजी गयी है ? यदि हां, तो क्या उस पर वित्त विभाग ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के नगर पंचायत सिसवा बाजार में तहबाजारी की प्रथा समाप्त करने की मांग

192–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के नगरपंचायत सिसवा बाजार के तहबाजारी विवाद में जमींदारों ने माननीय उच्च न्यायालय में जमींदारी की मालियत 20,000.00 दर्शाया है ? यदि हां, तो उपरोक्त 20,000.00 रुपये जमा कराकर तहबाजारी प्रथा समाप्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

तहबाजारी की वसूली के लिये नगर पंचायत सिसवा बाजार व जमींदारों के मध्य वाद सं०–612/90, देवेन्द्र सिंह आदि बनाम टी० ए० सिविल जज, गोरखपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 25-9-90 द्वारा रोक लगायी गयी है । वाद के निर्णीत होने व मा० न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कार्यवाही की जायेगी ।

फैजाबाद में सिविल लाइन में 245 भूखण्ड की नजूल भूमि पर अवैध कब्जे से हो रही राजस्व की क्षति की जानकारी

193–श्री परशुराम यादव–

क्या आवास एवं विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद में मोहल्ला सिविल लाईन में 245 भूखण्ड नजूल के ऐसे हैं जिनका कोई पट्टा वर्तमान में किसी के नाम नहीं है और उन भूखण्डों पर लोग अवैध कब्जा करके रह रहे हैं जिस कारण राजस्व की गम्भीर क्षति हो रही है ? यदि हां, तो ऐसे नजूल भूखण्ड कौन-कौन से हैं तथा इन भूखण्डों पर किन-किन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है ? अवैध कब्जा हटाकर भूखण्डों की नीलामी आदि कराकर राजस्व बढ़ाने की दिशा में जिले के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । मोहल्ला सिविल लाइन, फैजाबाद में कुल 141 भूखण्ड हैं जिसमें 62 भूखण्डों में नाला, सड़क, अधिकारियों के बंगले, सरकारी कार्यालय स्थित हैं । 36 भूखण्डों पर अवैध कब्जा है (सूची संलग्न है) जिसमें 16 भूखंडों के पट्टेदारों की 99 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर फ्री-होल्ड कराये जाने के लिये नोटिस दी गयी जिस पर 117 लोगों ने मा० उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । शेष 20 भूखण्डों के कृषि व वाटिका पट्टों की अवधि समाप्त हो जाने पर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है । 3 भूखण्डों के 9 अतिक्रमण को हटाकर नई नजूल नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी/शील्ड निविदा में मु० 43,50,100/- रु० की आय प्राप्त हुई है । 17 भूखण्डों का मामला मण्डलायुक्त के न्यायालय में विचाराधीन है । 16 भूखण्डों के 90 वर्षीय अवधि शेष है, 7 भूखण्ड शासन के सेवा विभागों को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 203–204 पर)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही मा० कार्यवाहक अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक निवेदन किया था । एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये मैंने आपको सूचना दी है ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सभी सदस्यगण कृपया बैठ जायें ।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना आज मैंने दी है । सहारनपुर में बम विस्फोट की दुर्घटना घटित हुई है उसमें 5 लोग मरे हैं और कई अन्य लोग घायल हुए हैं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मा० वर्मा जी आप वरिष्ठ सदस्य हैं कृपया आसन ग्रहण करें । जैसा कि नियमावली में प्राविधान है कि नियम 311 के अन्तर्गत सूचना अपरिहार्य परिस्थिति में ही ली जाती है । इधर एक प्रचलन सा हो गया था कि नियम 311 को बहुत हल्के ढंग से लिया जाता था । इस बारे में मेरी सभी दल के नेताओं से बात भी हो चुकी है कि नियम 311 को अपरिहार्य स्थिति में ही लाना चाहिए । आप नियम 56 में सूचना दे सकते हैं । उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना होगी उसको चयनित कर लिया जायेगा । चार शलाका के आधार पर और 5 स्थगन प्रस्ताव के आधार पर सुन ली जायेंगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आप एक अनोखा काम कर रहे हैं । नियमावली के नियम 311 की अपरिहार्य परिस्थिति की परिभाषा आप भी नहीं कर सकते हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है इससे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को जब सभी दल के नेतागण सहमत होंगे तभी ली जायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप अपनी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर लें। आपने 'अपरिहार्य परिस्थिति' का जिक्र किया है। वह अपरिहार्य परिस्थिति क्या है ? मान्यवर, करोड़ों किसानों का प्रश्न है और बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने भी एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

वह मेरे संज्ञान में है।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

माननीय वर्मा जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और जिस पीठ पर आप विराजमान है, उस पर माननीय वर्मा जी भी रहे हैं। नियम 311 के प्राविधान उनको मालूम हैं। पहले प्रस्ताव आता है और अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि कब और किस समय उस पर विचार करे। नियम 311 के प्राविधानों से वह भलीभांति परिचित हैं, इसलिये जो अन्य प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा करायें। बिना प्रस्ताव लाये उस पर चर्चा सम्भव नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं जानता हूं कि नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव आता है। जो सूचना दी जाती है उसी पर नियम 311 अंकित कर दिया जाता है, तो वह प्रस्ताव माना जाता है। जो सन्दर्भ है उसी को लिया जाता है। मेरी सूचना पर लिया गया है और अन्य माननीय सदस्यों की सूचना पर भी लिया गया है। वह प्रस्ताव का ही एक ही एक रूप होता है। आपने एक व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिये अनुरोध करता हूं। जब कोई सदस्य नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव देता है, तो उस समय अपरिहार्य परिस्थितियों को देखते हुये ही देता है। सहारनपुर में बम विस्फोट का काण्ड हुआ, चाहे उसका मामला हो और चाहे किसानों की समस्या हो। यह सब अपरिहार्य स्थितियां हैं और उसी को ध्यान में रखते हुये प्रस्ताव दिया है।

*श्री प्रमोद तिवारी–

आप नियम 311 का अवलोकन करने की कृपा करें। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में होगा। जो नियमों में है, उसको आप पढ़ें। मान्यवर, रंग तो बदलता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं बदलता है, जितनी जल्दी दिमाग बदल गया इसकी परिकल्पना नहीं थी। दीक्षित जी जब इधर थे, तो रोज नियम 311 में देते थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उसको पढ़ें, वह कहां से अपरिहार्य परिस्थिति का शब्द ले आये। या तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की किताब गलत छपी है या मेरी किताब गलत छपी है। उसमें तो अपरिहार्य शब्द ही नहीं आया है। "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर

नोट :-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा ।

ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी'' तो आप देखें कि कहीं पर भी अपरिहार्य शब्द नहीं है और फिर यह विवेक आपका है और आपको निर्णय लेना है । आप इजाजत देंगे या नहीं यह आपका अधिकार है । आपके अधिकार असीमित हैं । नरेश अग्रवाल जी ने कहा और अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, उसको आपने सुना नहीं । आप हमारी बात को सुन लें । अगर आपको लगे कि यह प्रस्ताव अग्राह्य है, तो उसको मैं चुनौती नहीं दूंगा । लेकिन अगर हमारा प्रस्ताव आयेगा तो उस प्रस्ताव को आप सुनेंगे नहीं ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम आसरे वर्मा, डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, या तो इस किताब को बदलवा दें या अपरिहार्य शब्द जो कहा गया है उसको वापस ले लें । आप, प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाय तो उसको अस्वीकार कर दें, अग्राह्य कर दें। मान्यवर, जो पाल जी ने प्रश्न उठाया है और माननीय आजाद जी ने उठाया है कि 15। करोड़ रुपया बकाया है तो यह कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं है, यह छोटे गरीब किसानों का मसला है, यह गरीब किसानों के हित की आवाज उठा रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया कि नियम 311 में कहीं अपरिहार्य शब्द नहीं आया है । यह सही है लेकिन हम सब इस आदरणीय सदन के सदस्य इस नियमावली से बंधे हैं नियमावली के संगत नियमों के निलम्बन की मांग तो हम तभी करेंगे जब हमारे पास कोई कठिनाई होगी, या कोई अपरिहार्य स्थिति होगी ।

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप बैठें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

माननीय तिवारी जी ने, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने आवाज उठाई है तो यह सही है कि अपरिहार्य शब्द नहीं है नियमावली में लेकिन इसकी संगत पंक्तियों का उल्लेख करता हूं इसमें लिखा है कि ''ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी'' तो अब माननीय अध्यक्ष जी ने एक व्यवस्था दे दी ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा और जब निलम्बित हो जायेगा तो उसके संबंध में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चत किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक मिनट बोल लेने दें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

क्या आप चाहते हैं कि दिन भर नियम 311 पर ही चर्चा हो कि यह नियम किस पर लागू होगा ? जो नोटिस आपने दी है उस पर चर्चा होगी यह नियम 56 के अन्तर्गत आना ही है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर आप मान्यवर, गन्ने वाले को नियम 56 में ले रहे हैं तो मैं दबाव नहीं देता हूं । इसे आप पहले ले लें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जिन-जिन माननीय सदस्यों की नोटिस है, सबको सुनूंगा और आप लोगों ने जो समस्या उठाई है, मैं भी चाहता हूं कि उस पर डिसकशन हो, जो प्रस्ताव दिया है उसकी ग्राह्यता पर बोलें । नियम 56 के अन्तर्गत उसको ले लिया है ।

सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय गीत के गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने के संबंध में निन्दा का प्रस्ताव

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आज अभी जब सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हो रही थी तो एक बहुत ही शर्मनाक और राष्ट्र का अपमान करने वाली दुखद घटना घटी । हमारे नियमों में व्यवस्था है कि जब सदन की कार्यवाही सत्र के बाद पहले दिन प्रारम्भ होगी, उस समय राष्ट्रगान के साथ कार्यवाही प्रारम्भ होगी ।

आप अपनी पीठ पर विराजमान हुए राष्ट्रगान के लिए सब बैठे हुए सदस्य खड़े होकर राष्ट्रगान किये लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यगण वेल में आ गये और आपकी पीठ तक पहुंचने की चेष्टा की और घोर व्यवधान किया गया लेकिन राष्ट्रगान पूरा हुआ । लेकिन राष्ट्रगान के समय जिस तरह से अपमान किया गया है उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रगान का अपमान राष्ट्र का अपमान है, यह राष्ट्र का एक सिम्बल प्रतीक है और उन्होंने जानबूझकर सुनियोजित ढंग से राष्ट्र का अपमान करने की नीयत से राष्ट्रगान का अपमान किया है ।

इसलिये मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन, समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा जानबूझ कर राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रति जो अपमान किया गया है, निन्दा करें । मैं प्रस्ताव इस संबंध में रखना चाहता हूं ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

"आज आदरणीय सदन विधान सभा की कार्यवाही राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' के गायन से प्रारम्भ होनी थी । ज्यों ही मा० कार्यवाहक अध्यक्ष तथा सदस्यगण राष्ट्रीय गीत 'वन्देमातरम' गायन करने हेतु खड़े हुए कि समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के विधायकगण मा० कार्यवाहक अध्यक्ष की पीठ तक पहुंच कर घोर व्यवधान करने लगे और राष्ट्रीय-गीत गायन के समय उन्होंने बराबर व्यवधान जारी रखा । समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों के राष्ट्रीय-गीत गायन में व्यवधान डालकर राष्ट्रीय-गीत का घोर अपमान जानबूझ कर किया है जो कि राष्ट्र का भी अपमान है ।

यह सदन समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत तथा राष्ट्र का अपमान किए जाने की कड़ी निन्दा करता है ।"

मान्यवर, उनके द्वारा उस समय सदन में जो आचरण किया गया, उस आचरण की निन्दा करते हुए, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कराने के लिये निर्णय करें । मैं उनके आचरण की निन्दा करता हूं ।

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा गया है, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि अभी कहा गया, जो आचरण किया गया है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के लोगों ने, यह सुनिश्चित और जानबूझकर किया गया ।

मान्यवर, आज का जो एजेन्डा है, उसमें भी स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख हुआ है । मान्यवर, जैसे ही सदन प्रारम्भ हुआ आप खड़े हुए आपने राष्ट्रीय-गीत पढ़ना प्रारम्भ किया, भारतीय जनता पार्टी और इधर बहुजन समाज पार्टी और अन्य लोग भी जो थे, उन्होंने आपके स्वर से स्वर मिलाते हुए, खड़े होकर, उसका गायन किया । हम लोगों ने अपने स्थानों पर खड़े होकर उसे सम्मान देते हुए, उसका पाठन किये । लेकिन उनके द्वारा उस समय जो व्यवधान किया गया, जो उनका आचरण था, वह निन्दनीय था, अशोभनीय था । राष्ट्रीय गीत का अपमान राष्ट्र का अपमान है । मान्यवर, इसकी कड़े शब्दों में निन्दा की जाय, इसकी निन्दा होनी चाहिये ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आज सदन जब प्रारम्भ हुआ, उस समय जो व्यवधान हुआ, मैं इस बात से सहमत हूं कि मान्यवर, राष्ट्र गान के प्रति जो सम्मान है, उसके प्रति सम्मान न प्रकट करना, मैं उसकी निश्चित रूप से आलोचना कर सकता हूं, भर्त्सना कर सकता हूं । लेकिन राष्ट्रगान को राजनीति का अर्थ नहीं दिया जा सकता है । राष्ट्रगान के विषय को राजनीति का विषय नहीं बनने देना चाहिये कि कोई दल इसका उपयोग कर लाभ उठाये । किन्हीं सदस्यों द्वारा उस समय व्यवधान किया गया, अगर इसको उस रूप से देखेंगे तो देश में क्या संदेश जायेगा कि सदन अव्यवस्थित रहा और सदन में अवमानना की गयी राष्ट्रगान की । मेरा आग्रह है कि जो आचरण किया गया है वह उचित नहीं है, लेकिन इस सम्मानित सदन से यह पारित होना, यह उचित नहीं है ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह निन्दा प्रस्ताव के पारित होने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है ।

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बहुत साफ कहना चाहता हूं, विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि जब आप किसी का नाम पुकारा करें, जिसको बुला लें तो वह अपनी बात कहे, कोई सदस्य बोल रहा हो, उस समय दूसरे का बोलना उचित नहीं है, मैं आपके विचारों से बाध्य नहीं हूं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं और मेरा स्पष्ट विचार है कि राष्ट्रगीत को पूर्ण सम्मान देना चाहिये । जिन लोगों ने ऐसा किया है, वह उचित नहीं है न कहीं से उचित कदम कहा जा सकता है, लेकिन सम्पूर्ण देश में यह संदेश जाना, कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा में राष्ट्रगान का अपमान हुआ, यह पूरे देश का अपमान होगा ।

मेरा कहना है कि राष्ट्रगान के नाम पर राजनीति न की जाय । हम सभी सदस्य उनके इस कृत्य की निन्दा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन निन्दा प्रस्ताव के माध्यम से इस विधान सभा के गौरवशाली इतिहास को कलंकित न किया जाय और आप इस अपयश से इस सदन को बचायें । हम सबने उनकी निन्दा कर दी, आलोचना कर दी, उनके प्रति किसी को सम्मान नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रदेश के गौरवशाली सदन में राष्ट्रगान का अपमान हुआ, यह संदेश जाना सम्पूर्ण प्रदेश का अपमान होगा, सदन का अपमान होगा, इसलिये निन्दा प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री किरनपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उठाया है, वह अत्यन्त गंभीर है और इसमें दो राय नहीं है कि सदन में राष्ट्रगान के वक्त व्यवधान नहीं करना चाहिये और यह भी बात सही है कि उनकी जानकारी में राष्ट्रगान होने की बात न हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने राष्ट्रगान पढ़ने के दौरान व्यवधान डाला, यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि पूरा सदन व्यवस्थित था, कुछ एक पार्टी के लोगों ने, दूसरे ग्रुप के लोगों ने व्यवधान डाला, निश्चित रूप से इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जायेगा । अभी कुछ दिन पहले यह लोग सत्ता में थे, आज सत्ता से बाहर हैं । हम लोग उनके कृत्य की निन्दा करें, भर्त्सना करें, लेकिन मैं भी प्रमोद तिवारी जी की इस बात से सहमत हूं कि निन्दा प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है । मैं चाहूंगा कि जब माननीय कल्याण सिंह जी अपने विचार रखें, तो हम लोगों के द्वारा कही बातों पर भी निष्कर्ष निकालकर अपनी बात रखेंगे । देश में यह संदेश कतई नहीं जाना चाहिये कि इस विधान सभा में राष्ट्रगान का अपमान हुआ है । हमसे भी बड़े यहां राजनीतिज्ञ बैठे हैं, आप मान्यवर, पीठ पर बैठे हैं, आप भी इसे उचित मानेंगे ।

हम लोग अपने सेन्टीमेंट्स व्यक्त कर सकते हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी निन्दा प्रस्ताव लाने की कोई जरूरत नहीं है । प्रमोद जी ने कहा है कि राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिये, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करता, लेकिन निश्चित तौर पर हमारी भी यही राय है कि निन्दा प्रस्ताव न लाया जाय और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, उनको सद्बुद्धि आये । मैं समझता हूं कि वह जब आगे सदन में बैठे तो राष्ट्रगान का पूर्ण सम्मान करें, यही मैं उम्मीद कर सकता हूं ।

*श्री ऊदल–

मान्यवर, आज जब सदन शुरू हुआ, तो आप राष्ट्रगान के लिये स्वयं खड़े हुये, आपने पढ़ना शुरू किया, उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसा व्यवधान पैदा किया, जिसकी वजह से राष्ट्रगान नहीं हो सका । मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रगान के प्रति और पूरे देश के प्रति एक किस्म से अपमान है लेकिन उसके बारे में यहां से प्रस्ताव पास करना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है । वह सन्देश बाहर इस प्रकार जायेगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में राष्ट्रगान का अपमान हुआ, वहां राष्ट्रगान नहीं हो पाया । जो बात प्रमोद तिवारी जी और किरनपाल सिंह जी ने कही है, मैं समझता हूं कि यही बात ठीक है । हम ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने राष्ट्रगान ठीक से नहीं होने दिया और ऐसा भी नहीं कि वह एजेन्डा में न हो । एजेण्डा में उसका पहला नम्बर है, यह भी नहीं है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी । यह तो उसी दिन की तरह हो गया, जिस दिन 19-6-95 को पहले निधन का निदेश था और हमारे बहुत से मौजूदा सदस्य, पुराने सदस्य तथा भूतपूर्व प्रधान मंत्री मोरार जी देहाई दिवंगत हो गये थे उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना था लेकिन उस दिन भी उन्होंने बिना श्रद्धा सुमन अर्पित किये बिना शोक प्रस्ताव पास किये ही इसी तरह की घटना हो गयी जिस तरह की घटना आज राष्ट्रगान के समय की गयी है ।

इसलिये मैं ऐसे लोगों की कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा और भर्त्सना करता हूं और मैं माननीय कल्याण सिंह जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा प्रस्ताव न लायें जिसमें सर्वसम्मति न हो, क्योंकि सर्वसम्मति नहीं हो पा रही है । इसलिये हम उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा कर दें, भर्त्सना कर दें लेकिन प्रस्ताव न लायें । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से ऐसे लोगों की कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं ।

*श्री कल्याण सिंह–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आज जिस समय सदन में आप पधारे और सदन की कार्यसूची के अनुसार आपने खड़े होकर जब राष्ट्रगान पढ़ना प्रारम्भ किया तो कुछ लोगों को छोड़कर सदन के सभी सदस्यों ने राष्ट्रगान का गायन आपके साथ-साथ किया । समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी (श्री राज बहादुर) का गुट वह तत्काल वेल में आ गयी और आपके डायस तक पहुंचने की कोशिश की । राष्ट्रगान में जो उन्हें गम्भीरता और शालीनता दिखानी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं दिखायी । श्रीमन्, राजनीति के अनेक मुद्दे हो सकते हैं और अपनी-अपनी बात कहने का हर सदस्य और दल को अधिकार है परन्तु राष्ट्रगान, यह कोई किसी राजनीति का मुद्दा नहीं है । राष्ट्रगान सीधे-सीधे राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है । यह राष्ट्र की प्रतिष्ठा के साथ, राष्ट्र की गरिमा के साथ उसके गौरव के साथ तथा राष्ट्र की मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह जो राष्ट्रगान का अपमान करता है, वह राष्ट्र का अपमान करता है । श्रीमन्, यह वह राष्ट्रगान है जिसको गाकर या जिससे प्रेरणा लेकर देश के न मालूम कितने नवयुवकों ने "वन्दे मातरम्" के साथ, गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिये, देश को आजाद कराने के लिये अंग्रेजों की गोलियां अपने सीनों में खायी । न मालूम कितने ऐसे शहीद बलिदान हो गये जिन्होंने "वन्दे मातरम्" के साथ, डोरी को अपने गले में डालकर अपने लाल लहू से फांसी के तख्ते को रंग दिया । जिन्होंने आज राष्ट्रगान का अपमान

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है, उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, देश का अपमान किया है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है और इसके साथ ही उन्होंने आजादी की लड़ाई में बलिदान हुए वीरों का अपमान किया है।

मान्यवर, अब मुद्दा क्या है ? एक दल है, समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि सरकार असंवैधानिक है। मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न खड़े करना चाहता हूं। अगर यह सरकार असंवैधानिक है तो जिन्होंने आज यहां पर राष्ट्रगान का अपमान किया है और 19 तारीख को जब यहां पर सदन हुआ था तो उस समय के स्वनामधन्य श्री धनीराम वर्मा जी ने कार्य-मंत्रणा की सिमिति क्यों बुलायी ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय श्री कल्याण सिंह जी यह मामला सब-ज्यूडिस है।

(श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं उसी प्रश्न पर आ रहा हूं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है मैं उसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त भूमिका देना चाहता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा जी के खड़े रहने पर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय श्री वर्मा जी आप कृपा करके बैठ जायं। मैं स्वयं कह रहा हूं कि यह मामला सब-ज्यूडिस है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैं श्री वर्मा जी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता हूं। मैं लम्बा बोलना भी नहीं चाहता हूं। जो कोई मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को मुद्दा बनाकर राष्ट्रगान का अपमान किया गया। समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर गुट) के माननीय सदस्यों ने राष्ट्रगान के अपमान का जो आचरण किया, उसकी सभी ने घोर निन्दा की है, ऐसे सब लोग कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। साथ ही यह तर्क भी दिया जा रहा है कि निन्दा का प्रस्ताव पास नहीं होना चाहिए। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर निन्दा का प्रस्ताव यहां विधान सभा में पास हो गया कि विधान सभा के अन्दर राष्ट्रगान का अपमान हुआ है तो जनता के बीच में गलत मैसेज जायेगा। मान्यवर, दुनिया तो अब जान गई है कि विधान सभा के अन्दर राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। एक पार्टी विशेष तथा एक गुट विशेष ने राष्ट्रगान का विरोध किया है। लेकिन अगर राष्ट्रगान के अपमान होने के बावजूद भी, सदन में इसका नोटिस न लिया जाय और निन्दा का प्रस्ताव पारित नहीं होता तो दुनिया में यह मैसेज जायगा कि राष्ट्रगान के प्रति अपमान दिखाने वाले लोगों के खिलाफ लाया गया निन्दा का प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ। तब मैं यह मानकर चलूंगा कि सदन अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। यह शुद्ध राष्ट्रीय मुद्दा है।

मैं श्री प्रमोद तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर जहां मान्यवर, आज आप बैठे हुए हैं, वहां पर श्री धनीराम वर्मा जी बैठे हुए थे। हमने किन्हीं कारणों से तीन दिन के लिये सदन से बहिष्कार किया था। हमारी अनुपस्थिति में, मेरे विरुद्ध अर्थात नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव लाया

गया। उस पर पूरे दिन भर चर्चा हुई । वह मात्र चर्चा होकर बन्द नहीं हो गया बल्कि उस प्रस्ताव को वोटिंग के लिये रखा गया और उसे पारित कराया गया । उस समय मात्र यह प्रश्न था कि मैंने अध्यक्ष जी की कुर्सी के विरुद्ध कुछ टिप्पणी कर दी है । हम अध्यक्ष जी की कुर्सी का बड़ा मान, सम्मान करते हैं, हम उस पर श्रद्धा रखते हैं । परन्तु अगर तुलना की जायेगी तो पूरा सम्मान इस पीठ पर रखते हुए राष्ट्र का सम्मान हर व्यक्ति से, हर आसन से बड़ा होता है । अगर एक व्यक्ति के बारे मे टिप्पणी होने पर माननीय प्रमोद तिवारी प्रस्ताव पर घंटों चर्चा कराकर बकायदा उसे पारित करा सकते हैं तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय तिवारी जी उस निन्दा प्रस्ताव का क्यों विरोध कर रहे हैं? जो निन्दा प्रस्ताव लाया गया है, राष्ट्र का अपमान किया है उस निन्दा प्रस्ताव पर सभी पार्टियों के अपने-अपने दृष्टिकोण आ जावें । उसे माननीय सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किया जाना चाहिए और जो निन्दा प्रस्ताव को पारित करना चाहें उसके पक्ष मे वोट देंगे और जो नहीं चाहेंगे उसके विरोध में वोट देंगे ।

सबको अपना अपना दृष्टिकोण रखने का लोकतंत्र में अधिकार है । कौन पार्टी कहां खड़ी है सबको मालूम हो जायेगा ? निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और इस पर मतदान कराया जाना चाहिए, सर्वसम्मति से होता है तो बहुत प्रसन्नता होगी, अन्यथा इतना बड़ा अपमान हो गया, यह कोई मामूली घटना नहीं है । सदन का प्रारम्भ है, बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है । अगर आज ही इस पर गम्भीरता से नोटिस नहीं लेंगे तो न मालूम रोज ही इस तरह की घटनायें सामने आती रहेंगी । मैं अनुरोध करता हूं कि जो निन्दा प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी लाये हैं जिसे माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने बल दिया है, मैं उस पर मतदान के लिये आपसे मांग करता हूं ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी का नाम पुकारने पर व्यवधान)

सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्र गीत गायन के सम्बन्ध नारे लगाने तथा शोर किये जाने विषयक निन्दा प्रस्ताव के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य खड़े हो गये ।)

श्री राम स्वरूप–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रस्ताव के बारे में चर्चा हो रही है जिस दिन श्री धनीराम वर्मा इस सदन में "वन्दे मातरम्" करा रहे थे माननीय कल्याण सिंह जी के दल के लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे और वही आज राष्ट्रगान के अपमान की बात उठा रहे हैं (व्यवधान) यह वही लोग हैं जो गलती करते हैं, उल्टा काम करते हैं, संविधान का अपमान करते हैं और उस पर राजनीति की बात सोचते हैं । मैं इनके प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । (व्यवधान)

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायं (व्यवधान) मेरा अनुरोध है माननीय सदस्य बैठ जायं, माननीय वर्मा जी बैठ जायं, सदन के कीमती समय को ध्यान में रखते हुए चलने दें आप लोगों ने नोटिस दिये हैं इस पर ध्यान दें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आ जाय फिर आगे चलेगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्य अपना-अपना आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री वर्मा जी और पाल जी आप लोग बैठ जायं। मा० संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने विचार रखें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

एक बिन्दु पर जब विचार चल रहा है तो बीच में व्यवस्था का प्रश्न कैसे पैदा हो गया ? इसलिये आप बैठ जायं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक निन्दा का प्रस्ताव रखा। (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप वर्मा जी बैठ जायं। पहले संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आ जायं। चूंकि एक प्रस्ताव श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की तरफ से आया है और सभी दलों के नेताओं के विचार मैंने सुना है इसलिये संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार सुनने के बाद मैं अपना निर्णय देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

पाल जी, आप कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें और जो भी माननीय नेता बोलना चाहते हैं उनको समय दे दें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायं। पहले संसदीय कार्य मंत्री जी के विचार आ जाने दें चूंकि सरकार का भी विचार इस बिन्दु पर आ जाय तो अच्छा होगा।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय सदस्य पाल जी और वर्मा जी कृपया बैठ जाएं और व्यवधान न पैदा करें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गम्भीर बात है और आप सुन नहीं रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जाएं।

3 बजे बजट प्रस्तुत होना है इसको ध्यान में रखकर जो गम्भीर विषय हैं वह सदन में लायें और उनकी ग्राह्यता पर बोलें तो जो सदन का बहुमूल्य समय है उसका सदुपयोग हो सकेगा अन्यथा वह बहुमूल्य समय विवादों में व्यर्थ जायेगा। इसलिये आप लोग बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

(व्यवधान के मध्य) सदन के कार्यों में हम लोग सहयोग दें तो उचित होगा कि आप हमारी बात को सुनें। लेकिन हमारी बात को इस तरह दबाया जायेगा तो यह ठीक नहीं है। इसलिये हमारे व्यवस्था के प्रश्न को आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री वर्मा जी और श्री पाल जी आप लोग वरिष्ठतम सदस्य हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग एक मिनट के लिये बैठ जाएं।

(व्यवधान)

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि आप लोग आसन ग्रहण करें। मैं सभी नेताओं और सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं। अगर आप सभी माननीय सदस्यगण की यह चाहते हैं कि आज तीन बजे तक इसी विषय पर चर्चा हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप इसी पर बोलना चाहते हैं तो बोलें, श्री राम आसरे वर्मा जी बोलें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

आपकी व्यवस्था मैं इस पर चाहता हूं ....(व्यवधान)

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जब आपकी पीठ से यह निर्देश हो गया कि अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलेंगे, जवाब देंगे, तो उसमे जो सदस्य व्यवधान करते हैं, उनके लिये नियमों में आपके प्राविधान है कि उन्हें सदन से बाहर किया जाये, तो आप अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा–

भाजपा के सदस्य स्वयं सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। यह जो भाजपा के सदस्य हैं, माननीय सदस्यगण हैं, वे स्वयं सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, वह विधान सभा (व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपकी पीठ से जो निर्देश आता है तो क्या उसका अक्षरशः पालन नहीं होना चाहिए। नहीं होता है तो क्या आपको नियमानुसार ऐसे सदस्यों को सदन से बाहर नहीं कर देना चाहिए। जो लोग व्यवधान करें, उन्हें बाहर कर देना चाहिए। आपके खड़े होने पर और मना करने पर भी जो खड़े रहते हैं, वे सदन का और आपका अपमान करते हैं।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

जो सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, उनके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इनको सदन से बाहर कर दिया जाय।

श्री राम आसरे वर्मा–

और अकेले भाजपा के लोगों को बैठे रहने दिया जाये, इसमें यह और जोड़ दिया जाए.... (व्यवधान)

आप व्यवस्था के प्रश्न पर मेरी बात सुन लीजिये, तो मैं फिर बैठ जाऊं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप व्यवस्था का प्रश्न सुनाइये और पूरे समय तक यही सुना जायेगा। यदि आपका यही विचार है तो यही होगा।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो माननीय सदस्य टीका टिप्पणी कर रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आज पूरे समय व्यवस्था का प्रश्न ही सुना जायेगा, जो माननीय वर्मा जी ने प्रश्न उठाया है।

* श्री राम आसरे वर्मा–

अभी सदन के समक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक निन्दा का प्रस्ताव रखा है और उसके साथ जो राष्ट्रगान का अपमान हुआ उसके लिए निन्दा का प्रस्ताव रखा, मैं उससे सहमत हूं, किन्तु जब धनीराम वर्मा जी पहले दिन यहां आए थे तो उनके और उनके दल द्वारा जो उस दिन राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, उसके लिए जो लोग दोषी थे, उनको भी शामिल किया जाए.... व्यवधान .....दोनों इसमें शामिल किया जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह सदन में इस तरह से गलतबयानी कर पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मुझे विश्वास है कि माननीय प्रमोद तिवारी जी के उस निवेदन पर विचार करेंगे और मतदान के लिए प्रस्ताव नहीं करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जब आपको अनुमति नहीं दी तो आप क्यों बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब चूंकि व्यवस्था का प्रश्न ही सुनना है तो मैं श्री जगदम्बिका पाल जी को बुला रहा हूं कि वह अपना व्यवस्था का प्रश्न कहें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आपको भी सुनूंगा पहले श्री जगदम्बिका पाल जी को सुन लूं। जिसका भी व्यवस्था का प्रश्न होगा, एक-एक करके सबको सुनूंगा।

नोट :–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं तो केवल यह व्यवस्था चाहता हूं कि इस सदन में माननीय कल्याण सिंह जी जो निन्दा का प्रस्ताव लाये हैं उस पर सुन लिया जाय। राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान का जो व्यक्ति अपमान करता है वह निश्चित तौर से राष्ट्र का अपमान कर रहा है। राष्ट्र के अपमान से बड़ा कोई अपमान नहीं है। इसके लिये व्यवस्था की जाय। ऐसा करने वाले व्यक्ति की यदि सदस्यता चली जाय तो भी कोई बात नहीं है। इस बात का प्रयास करना चाहिए ताकि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के प्रति कोई अपमान न कर सके। हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है।

जनता की हमसे कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, तो मान्यवर, इस तरह का यदि कोई प्रस्ताव आता है तो वह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यह सदन की मर्यादा का सवाल है। इस सदन में राष्ट्रगान का अपमान करने वालों की निन्दा की जानी चाहिए। आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सदस्यों और बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के आदमियों ने राष्ट्रगीत का जो अपमान किया है उसकी निन्दा इस सदन में ही नहीं हो रही अपितु कल प्रदेश के बाहर जन-जन करेंगे। मान्यवर, इस व्यवस्था का इतने हल्के ढंग से न लिया जाय। श्री प्रमोद तिवारी जी का यह आशय नहीं होगा कि उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस प्रस्ताव की भावना से वह भी सहमत हैं। अगर इस सदन में जनप्रतिनिधि ही राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे तो आम व्यक्ति जिससे कि हम राष्ट्र के प्रति प्रेम और अगाध श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं, के सामने मार्ग दर्शक के रूप में किसको प्रतिबन्धित करेंगे। जैसा कि प्रस्ताव माननीय कल्याण सिंह जी लाये हैं मैं उनसे और राजेन्द्र गुप्त जी से कहना चाहूंगा कि जैसा हो उनको दलीय नेताओं के साथ बात कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की भावना के विपरीत किसी को नहीं होना चाहिए और इससे सभी सहमत होंगे।

(डा० सरजीत सिंह डंग के बोलने के लिये नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, हमने नियम–56 में सूचना दी हुई है और आप उसको नहीं सुन रहे हैं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अभी आप लोग ही व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे तो मैंने कहा था कि आगे जो महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हुई हैं उनको भी सुन लिया जाय। माननीय नरेश अग्रवाल जी एक परिपाटी के रूप में मैंने अभी सभी दल के नेता लोगों के विचार सुने और उसके बाद उसी बात को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में राम आसरे वर्मा जी कहने के उत्सुक थे, जगदम्बिका पाल जी भी कहने के इच्छुक थे मैंने उनको भी सुन लिया। मैं चाहता हूं कि जो महत्वपूर्ण नोटिसें हैं उनकी ग्राह्यता पर विचार आयें। परन्तु जब एक परिपाटी बन गयी है कि दलीय नेता बोलें तो उनको सुना अब सदस्यगण भी कहना चाहते हैं तो उनको भी सुनूंगा . इस तरह से एक को बोलने का मौका दूं और दूसरे का नहीं, ऐसा नहीं है।

मेरे लिये सब समान हैं और जिनको व्यवस्था के प्रश्न के संबंध में कहना है वह अपने विचार रखें। महत्वपूर्ण नोटिसों पर विचार करने का समय नहीं आ पायेगा। मैं तो चाहता हूं कि एक स्वस्थ परिपाटी बनाई जाय और आप लोगों के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही चले।

---

* नोटः–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(डा० सरजीत सिंह डंग के बोलने पर)

श्री नरेश अग्रवाल–

सदन को व्यवस्था से चलाने का कार्य आपका है ।

(व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

सरजीत सिंह डंग को बोलने के लिये कहा है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

गन्ना किसानों से संबंधित हमारी नोटिस है अगर एक इश्यू पर बैठक चलेगी तो जनता की आवाज को उठाने का मौका कैसे मिलेगा ?

(व्यवधान)

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जो सदन का महत्वपूर्ण समय है वह आप ही लोग व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत के गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने के संबंध में निन्दा का प्रस्ताव (क्रमागत)

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, अत्यन्त गम्भीर विषय पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, माननीय कल्याण सिंह जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने, माननीय किरनपाल सिंह जी ने, और तमाम विद्वान साथियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और सम्भवतः यह इतना गम्भीर मामला है कि इसकी जितनी निन्दा की जाय उतनी थोड़ी है । श्रीमन् जो लोग यहां पर "सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्" के गायन के समय हुड़दंग कर सकते हैं यहां तक कि सदन की कार्यवाही लिखने वाले विधान सभा के अधिकारियों की मेज पर चढ़ सकते हैं आपकी मेज पर जब आप "सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्" पढ़ रहे थे और आपके साथ हम सब समवेत स्वरों में सम्मिलित थे उस वक्त तमाम लोगों ने आपके ऊपर कागज फेंके, हुड़दंग किया और हाथापाई की । ऐसे में इस आदरणीय सदन में उपस्थित हम सब सदस्यों का यह कर्तव्य हो जाता है कि कोई ऐसी परिपाटी विकसित करें जिससे आगे आने वाले समय में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके । श्रीमन् हम इस विषय को केवल किसी उदारतावश छोड़ दें तो जहां पूरा देश उन लोगों की निन्दा करेगा जब खबर बाहर जायेगी तो पूरे देश में लोग निन्दा करेंगे कि जो लोग अराजक, हिंसक नहीं हैं और इस आदरणीय सदन के आदरणीय लोग हैं वह भी बैठे रहे । उसके बाद आया तो किसी वजह से या राजनीतिक कारण से या अन्य किसी वजह से इन सब पर सुस्पष्ट राय या सामूहिक

राय लेने में असमर्थ रहे । पूरे देश में इनकी निन्दा हो रही है । इनके विचारों में अराजकता है वह लोग जहां कहां होते हैं वहीं धींगामुश्ती के जरिए, बाहुबल के जरिए हिंसा के माध्यम से राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं ।

संविधान की सबसे बड़ी संस्था उत्तर प्रदेश की है । सदन में हम लोग जितनी बार आते हैं और बाहर जाते हैं उतनी ही बार आपकी पीठ को नमन करते हैं । यह सदन तो एक मन्दिर है उस मंदिर में यह उत्पादन करें और चले जाएं और हम लोग किसी वजह से पूरे मन से आत्मा से निन्दा न कर सकें तो सब पाप के भागीदार होंगे । इनकी हिंसा में आस्था है जो संविधान लोकतंत्र और संविधान जो कि देश का प्रतीक है जिसके प्रति सब नमन करते हैं उसका प्रतिक्षण प्रतिपल यह अपमान करें और उसको जो लोग टुकुर-टुकुर ताकते रहें उसको आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी ।

मान्यवर, मैं एक या डेढ़ मिनट आपकी आज्ञा से और लूंगा । मैंने एक कथा पढ़ी थी । यह जापान की कथा है । एक बहुत बड़े घर में चोर चोरी करने गये थे । मालिक को लगा कि चोर-चोरी करने आये हैं, उसके पास एक टेपरिकार्डर था जिसमें राष्ट्रगीत भरा था । मालिक ने टेपरिकार्ड बजा दिया और चोर सावधान की मुद्रा में खड़े हो गये ।

मैंने यह कथा पढ़ी है कदाचित सही भी हो और सही नहीं भी हो सकती है । कथायें प्रेरणा के लिये होती हैं और उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिये । यह मैंने कथा पढ़ी थी, जब मालिक ने राष्ट्रगीत बजा दिया तो फिर चोर भागे नहीं सावधान की मुद्रा में खड़े रहे । तो मान्यवर, कुछ देश ऐसे हैं जहां चोर भी अपने राष्ट्रगीत के प्रति सम्मानजनक भाव रखते हैं, पूरी तन्मयता से पूरी आस्था से उसकी सुनते हैं और एक हम हैं, हमारे साथी जो हिंसा में अराजकता में, धींगामुश्ती में विश्वास करते हैं, अपने असंवैधानिक आचरण से अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग आपकी पीठ पर कागज फेंकते हैं और यहां पर हुड़दंग करते हैं । यदि हम सब किसी वजह से अपनी सुस्पष्ट राय भी नहीं देंगे तो यह उचित नहीं होगा । अगर कोई किन्तु या परन्तु हमारी इस विधान सभा के किसी आदरणीय सदस्य के मन में है तो हम अपने को इतिहास में कहीं ठीक स्थान नहीं दे पायेंगे ।

इसलिये हमें अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करके देश के प्रति जो हमारी आस्था है, विश्वास है कि हम देश की अविभाज्य इकाई हैं और घटक हैं उस नाते हमको चाहिये कि पूरे मन से इस कृत्य की निन्दा करें और जो प्रस्ताव हमारे तमाम आदरणीय सदस्यों ने रखा है, आदरणीय किरनपाल सिंह जी, आदरणीय तिवारी जी ने उनके विचारों को मैंने सुना है और उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सभी आदरणीय सदस्यों का इस प्रस्ताव पर पूरे मन से समर्थन है । इसलिये में इस प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैंने एक संशोधन रखा है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब मैं प्रस्ताव रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि सदन में समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी (राजबहादुर) के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय-गीत के गायन के समय नारे लगाने तथा शोर किये जाने विषयक निन्दा का जो प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने रखा है क्या सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाएं ले रहा हूं। माननीय नरेश अग्रवाल जी, आप अपनी सूचना पढ़ें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, यह सूचना पढ़ी हुई मान ली जाय।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप इसको पढ़ दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सूचना को पढ़वा दें। इससे हमारे पत्रकार बन्धु सूचना को कैच कर पायेंगे। कुल 14 मिनट लगेंगे, केवल 7 सूचनाएं हैं।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपको धन्यवाद, आपने मेरी सूचना को स्वीकार किया है इसको पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल जी, आप इसको पढ़ दें।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लें।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था का अनादर हो रहा है। अगर अपनी सूचना को यह नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्रेस नहीं करना चाहते हैं तो इसको निकाल कर दूसरी सूचना लेने की कृपा करें।

श्री नरेश अग्रवाल–

| × × × |

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमावली कि नियम 229 में यह व्यवस्था है कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध जो कि इस आदरणीय सदन का सदस्य है उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया जाए तो उसकी जानकारी उस सदस्य को भी दी जाए। | × × × | श्री नरेश अग्रवाल जी द्वारा कई अपमानजनक आरोप लगाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस मा० नरेश अग्रवाल जी की सूचना को अग्राह्य कर दिया जायें। मुझे आश्चर्य है कि इनकी सूचना को ग्राह्य कैसे कर लिया गया ? मैं आपके विवेक पर कोई प्रश्न चिन्ह या आपके अधिकार को कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं निरस्त करता हूं।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

| × × × | यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश अग्रवाल–

जब आपने इसको स्वीकार कर लिया है तो आपको मेरी सूचना को सुनना चाहिए। मैं आपके इस कार्य के विरोध में सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये)

शाहजहांपुर नगर में पीने के पानी का भयंकर संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शाहजहांपुर नगर में पीने के पानी का भयंकर संकट है। पिछले डेढ़ वर्ष से मानक से दस प्रतिशत पानी भी नगर परिषद् शाहजहांपुर के द्वारा सप्लाई नहीं किया जा रहा है। नगर में कुल 3 वाटर टैंक व 18 नलकूप हैं। इन 18 नलकूपों में से 10 नलकूप पूरी तरह खराब हैं। 8 नलकूप चालू हालत में हैं। परन्तु ये भी पूरी क्षमता से पानी नहीं दे पा रहे हैं। विद्युत की कटौती व समय-समय पर आंख मिचौली से 8 नलकूप भी नहीं चल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगर में 55 इण्डिया मार्क–2 नल खराब पड़े हैं जो धनाभाव के कारण ठीक नहीं हो पा रहे हैं। नगर के मा० चौकसी, सिजई, हुसैनपुर, मालखाना मोड़, बहादुरगंज, सदर बाजार आदि कई क्षेत्रों में अत्यन्त गन्दा दूषित व बदबूदार पानी वाटर वर्क्स के द्वारा सप्लाई होता है। इसमें कीड़े-मकोड़े भी आते हैं। इससे जनजीवन व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इससे शाहजहांपुर नगर में पीलिया व अन्य संक्रामक मरीजों की संख्या बढ़ गयी है। 2 वर्ष पहले इसी गन्दे पानी व गन्दगी से डेंगू व वायरल बुखार फैला था, जिसमें 100 से अधिक लोग मर गये थे पुनः वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है।

मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि शाहजहांपुर नगर में जानलेवा गन्दा व दूषित पानी की सप्लाई बन्द कराकर पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

मिर्जापुर नगर में सफाई की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मिर्जापुर नगर में सफाई की व्यवस्था समुचित न होने के कारण तथा अधिकारियों की अकर्मण्यता एवं लापरवाही के कारण नगर की 80 प्रतिशत नालियां कूड़े से अवरुद्ध हैं तथा सड़कों एवं गलियों में भी कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। वर्षा होने पर पानी घरों में घुस जाता है। जहां इससे घरों के गिरने से जान-माल का अंदेशा है वहीं महामारी भी फैलने की सम्भावना है।

मुहल्ला गुड़हट्टी, मटवारी, पोखरी, गणेशगंज, बासलीगंज, नई बस्ती, इमामबाड़ा तरकापुर की स्थिति अत्यन्त विषम है।

भदोही तथा वाराणसी जनपद के कतिपय विकास खण्डों में हैण्डपम्प न लगाये जाने से पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, भदोही जिले में सूखा राहत योजना के तहत एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये। बराबर प्रशासन से मांग करने पर यह कहा गया कि धन नहीं आया है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है उसको पढ़ें।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, प्रतिवर्ष प्रत्येक जनपद में सूखाराहत योजनान्तर्गत गर्मी में पेयजल समस्या से निजात पाने के लिए हैण्ड पम्प लगाये जाते रहे हैं किन्तु दुर्भाग्यवश इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भदोही जनपद में तथा वाराणसी के सेवापुरी विकास खण्ड में हैण्ड पम्प नहीं लगाये गये जिला प्रशासन से बार-बार आग्रह करने पर यही उत्तर मिलता रहा कि शासन ने इस जनपद को एक भी हैण्ड पम्प लगाने हेतु धन नहीं दिया है इसलिए हैण्ड पम्प नहीं लगाये जायेंगे। जनता गन्दा पानी पीने को मजबूर हुई जिससे जिले में अनेक संक्रामक बीमारी उत्पन्न हुई इतना ही नहीं अनेक लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा।

अतः मा० अध्यक्ष जी से आग्रह है कि इस लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। आपके संज्ञान में लाया था।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

तिवारी जी, आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी–

जो संशोधन रखा था....

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अभी 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

आप सुन लें, उसे आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

तिवारी जी आप बैठ जायें, अभी 301 की सूचनायें ले रहा हूं।

देवरिया जनपद के कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

महोदय, देवरिया जनपद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सैकड़ों गांवों में विद्युतीकरण कर मात्र खम्भे गाड़कर छोड़ दिया गया है। अनेकों स्थानों पर खम्भे पड़े हुए हैं, विशेषकर देवरिया विधान सभा के अन्तर्गत देवरिया सदर, रामपुर कारखाना, पथरदेवा विकास खण्ड के अन्तर्गत स्थित दर्जनों गांवों में जैसे घठैला गांजी, सुरजही, पंसरही, विशुनपुरा, सेमरहवां डुमरी टोला, रघवापुर बैकुण्ठपुर, पिपराईच,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अहिरौली, रमनछापर आदि गांवों सहित अनेकों गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा न करके उन्हें मात्र कागज में उर्जीकृत दिखाया गया है। वर्ष 1993-94, 94-95 में विद्युतीकरण में स्वीकृत गांवों में भी कार्य नहीं करवाया गया है। मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उपरोक्त विकास खण्डों में अधूरे विद्युतीकरण की व्यापक जांच करवाकर किसानों को बिजली सुलभ कराने तथा लापरवाह दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

बांदा जिले के कर्वी क्षेत्र मे नया ट्रांसफार्मर लगाये जाने की मांग विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भैरो प्रसाद मिश्र–

महोदय, बांदा जिले के कर्वी तहसील के कर्वी स्थित बिजली के पावर हाउस में ज्यादा लोड होने के कारण लगे ट्रांसफार्मर गर्म हो जाने से कई माह से कर्वी नगर के कुछ क्षेत्रों सहित अन्य छोटे कस्बों एवं गांवों को बिजली सायं 6 से 10 बजे तक काटनी पड़ती है। इस विषय में पूर्व में भी आपका ध्यान आकर्षित किया गया था यहां विधान सभा से निर्देश भी जारी हुआ था लेकिन आज तक व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। यहां पर एक 5 या 10 एम०वी०ए० का नया ट्रान्सफारमर लगना है। या 5-5 एम०वी०ए० के दो ट्रान्सफारमर लगने थे। लेकिन कई माह निर्देश जारी होने के बाद भी नहीं लगे। पूरे क्षेत्र में भीषण गर्मी में बिजली न रहने से लोग परेशान हैं। लोगों में गम्भीर आक्रोश व्याप्त है। अन्धेरे में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश जारी करने की कृपा करें।

जनपद हरदोई के कतिपय मार्गों के जीर्णोद्धार की मांग विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

महोदय, जनपद हरदोई के गौसगंज, मेहदीघाट, माधोगंज, नयागांव, माधौगंज, मेहदीघाट, माधौगंज–सुरसा, पहुतेरा, कुरसठ तथा राघवपुर शाहपुर पवार मार्गों की अति जीर्णता से पूरे क्षेत्र में आवागमन दुष्कर है, आये दिन दुर्घटनायें हो रही है। वर्षों पूर्व से अधिकारी कान में तेल डाले बैठे हैं। सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मार्गों के जीर्णोद्धार की मांग करता हूं

वाराणसी के कोनिया (कज्जाकपुरा) मोहल्ले के अव्यवस्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय को घनी आबादी से हटाकर दूर नया चिकित्सालय बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरनाथ यादव–

महोदय, वाराणसी के कोनिया (कज्जाकपुरा) मोहल्ले में अव्यवस्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय को हटाकर एक नया चिकित्सालय बनाने के सम्बन्ध में अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय को मा० सदन के संज्ञान में लाकर जनहित में मांग करता हूं कि उक्त संक्रामक रोग चिकित्सालय घनी आबादी के बीचो-बीच स्थित है। पहले जब यह चिकित्सालय बना था तो वह आबादी से बहुत दूर निर्जन स्थान पर था यह मान्यता भी रही है कि जब भी इस प्रकार के अस्पताल का निर्माण होता है वह आबादी से बहुत दूर बनाया जाता है। क्योंकि संक्रामक रोग के कीटाणुओं में दिखरने की विशेषता होती है और जब अस्पताल अबादी में स्थित रहे तब यह कीटाणु अन्य व्यक्तियों को संक्रामक रोग से ग्रसित कर देता

है । यह शीघ्र फैलने वाली जान लेवा बीमारी है । इसके कीटाणु रोगी के थूक, कफ एवं मलमूत्र में अधिक पाये जाते हैं और हवा के माध्यम से यह कीटाणु आस-पास फैल जाते हैं एवं अन्य लोगों को भी अपने पकड़ में कर लेते हैं । उक्त क्षेत्र के निवासियों को जानलेवा बीमारियों (संक्रामक रोग) से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त अस्पताल को वहां से हटाकर आबादी से बहुत दूर करना अति आवश्यक व जनहित में है ।

उक्त अस्पताल में प्रतिवर्ष 100–150 संक्रामक रोगी भर्ती होते है जिसके कारण उसके पास के लोग भी इस बीमारी से ग्रसित होते हैं और भय के मारे उक्त क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र भी चले जाते है । ऐसी परिस्थिति में उक्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय को जनहित में मा० सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि उक्त संक्रामक रोग अस्पताल को उक्त क्षेत्र से हटाकर वहां एक नया चिकित्सालय बनवाया जाये क्योंकि उक्त क्षेत्र क निवासियों के लिये आस-पास कोई चिकित्सालय न होने के कारण बहुत दूर 5 से 8 कि०मी० दूर जाना पड़ता है । उक्त क्षेत्र में अधिकतर गरीब दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयी उनके नाम डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री बालेश्वर त्यागी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री रमेश कान्त लवानियां, श्री बदन सिंह, श्री बच्ची सिंह रावत, डा० रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० राम बाबू हरित ।

समाजवादी पार्टी के चार सदस्यों द्वारा अपने दल के निर्देशों का उल्लंघन कर, नया समाजवादी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब मैं नियम–300 की सूचना ले रहा हूं ।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कुछ संवैधानिक प्रश्न सदन के सामने रखना चाहता हूं । मेरा आशय न तो दुर्भावना से ग्रस्त है और न राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता से प्रेरित है लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न पूरे प्रदेश के सामने खड़े हो गये हैं जिसके लिये आपको भी अपने निर्णय क्षमता को दिखाना पड़ेगा क्योंकि संविधान की दसवीं अनुसूची जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबन्ध लगाती है । आप अगर दसवीं अनुसूची की धारा 2 के (एक) ख को देखें तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई सदस्य चाहे वह किसी दल से चुना गया हो, दल के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वह सदन क सदस्य रहने के लायक नहीं रहेगा या तो उस दल ने जिस दिन उसने उल्लंघन किया है उसके 15 दिन के अन्दर उसे माफी दे दें अन्यथा वह सदन का सदस्य नहीं रहेगा ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, जो लोग दल बदल कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था दी है, धारा 3 में दिया है कि यदि विभाजन कोई दल कर रहा है तो उस दल की सदस्य संख्या का उसमें 1/3 होना चाहिए । धारा 4 में दिया है कि यदि दल पूर्ण रूप से किसी दल में विलय हो जाता है तो उस दल का उसमें माना जाता है और यदि उस दल का कोई सदस्य उसमें विलय नहीं करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं मानी जायेगी ।

श्रीमन्, 19 तारीख को समाजवादी पार्टी के चार विधायकों ने अपने दल के निर्देशों का उल्लंघन कर नये दल समाजवादी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया और आपने उनको असम्बद्ध घोषित कर दिया । अगर आप दसवीं अनुसूची देखें तो सम्भवतः ऐसे सदस्य वहीं हो सकते हैं जिनको उनके दल के नेता अपने दल से निष्कासित करने की सूचना आपको दे दें । श्रीमन्, आज वह चारों सदस्य मंत्री भी बने हुए हैं । श्री हृदय नारायण दीक्षित जी सबसे ज्यादा संसदीय ज्ञान रखते हैं, जब वह जवाब देंगे तो यही प्रश्न खड़ा होगा कि जो सदस्य रहने के लायक नहीं हैं क्या वह सदन में हमारी बात का जवाब दे सकता है, यह भी प्रश्न खड़ा हो गया है । धारा 6 में सारे अधिकार आपको हैं । इसके पूर्व भी कुछ सदस्यों ने दल बदल किया था उनके दल के नेताओं ने नोटिस दी लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ मैं पूर्व में नहीं जाना चाहता हूं ।

श्रीमन्, जब इस विधेयक में सम्पूर्ण पावर विधान सभा के अध्यक्ष को दे दी गयी है और आज वह एक्ट किये हुए 15 दिन से ऊपर हो चुका है और उस पर आपका निर्णय न लिया जाना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है । कृपया जो दल बदल विधेयक बनाया गया है जिस उद्देश्य के लिये दल बदल विधेयक बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये, कृपया बढ़ावा दल बदल को न दें । जिन लोगों ने उल्लंघन किया है, उनकी सदस्यता समाप्त करें ।

(व्यवधान)

* श्री ऊदल–

मैं नरेश जी आपसे पूछना चाह रहा हूं यह दल बदल विधेयक जो बनाया है, भारत सरकार ने बनाया है, यह कौन दल बदल करा रहे हैं, या तो दल बदल विधेयक को ही खत्म किया जाय, इसमें [x x x] उनकी सदस्यता समाप्त करने के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x] मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री ऊदल–

अगर सही बात कही जायेगी तो सुनना चाहिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, श्री अजीत सिंह, श्री राम लखन यादव, एक तिहाई, एक तिहाई करके दल बदल किये हैं। [× × ×] अगर मेरी बात सही नहीं है तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। इनको माफी मांगनी चाहिए। [× × ×] अगर सही बात रखने पर [× × ×] कहा जायेगा , तो उचित नहीं कहा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

[x x x] संसदीय शब्द है या नहीं इस पर डिस्कशन करा लीजिये।

* श्री प्रमोद तिवारी–

अगर इनकी भावनाओं को आघात पहुंचा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं, किसी को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। आपने ऊदल जी इनको माफ कर दिया होगा।

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, वरिष्ठ सदस्य नरेश अग्रवाल जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह गम्भीर है। अगर इस विषय पर आपने विवेक का समुचित प्रयोग नहीं किया तो इस सरकार के अस्तित्व पर ही प्राश्न चिह्न लग जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के रूप में वे सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी, जो एक राजनीतिक दल के सदस्य थे, नियम 10 के अन्तर्गत जो शेड्यूल है एक तिहाई सदस्य से कम नहीं जा सकते हैं, अगर यह गये हुए हैं तो इनके नेता निष्कासित करते हैं, दल से हुए होंगे, यहां से नहीं हुए, तो इनका बैठना उचित नहीं होगा, उसके बाद इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए जिनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए वह मंत्री बन कर कैसे सरकार चला रहे हैं ? संसदीय कार्य मंत्री असंसदीय कार्य कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो संसदीय ज्ञान और संसदीय प्रथा का प्रयोग करते हैं। अभी एक भूतपूर्व संसदीय कार्य मंत्री उनके पास गये थे, कुछ बात कर रहे थे।

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया गया है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें पूरे तरीके से संविधान का उल्लंघन हुआ है। यह जो चार मंत्री हैं, इनके बारे में जब तक निर्णय न ले लें, इनको सदन के बाहर कर दें। इनके बारे में निर्णय लें तभी यह सदन की कार्यवाही में आयें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री व अन्य मंत्रियों के विरुद्ध जो बात कही जा रही है वे जवाब न दें, अगर जवाब देंगे तो जवाब जो है वह अवैध माना जायेगा, कार्यवाही अनुचित हो जायेगी।

ऊदल जी ने जो कहा, श्री अजीत सिंह जी और श्री राम लखन यादव जी का नाम लिया, वे हमारे सम्मानित नेता हैं। उनके विषय में स्पष्ट कर दूं। चौधरी अजीत सिंह, श्री राम लखन जी के मामले में

नोट :–[x x x] यह अंश श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

स्पीकर लोक सभा कम्पीटेंट अथारिटी हैं । स्पीकर लोक सभा ने उनको इस बात की इजाजत दी है, इस बात को स्वीकार किया है, दल परिवर्तन जो किया है एक तिहाई किया है, स्पीकर ने निर्णय लिया ।

श्री ऊदल–

मेरी बात को लगता है, मा० प्रमोद तिवारी जी ने समझने में कोताही कर दी । मैंने यह कहा कि दलबदल विरोधी कानून जो बना है, उसमे यह है कि जितनी सदस्य संख्या हो, यदि उसका 1/3 होगा तो वह उस श्रेणी में नहीं आयेगा । मैंने यह कहा कि जितने लोग दलबदल करें, चाहे पूरा दल करे या एक व्यक्ति करे, वह दलबदल विरोधी कानून के अन्तर्गत आना चाहिए और सबकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए ।

श्री प्रमोद तिवारी

मान्यवर ऊदल जी की बात कानून के अन्तर्गत है और उसके लिये भारत की संसद में जाना पड़ेगा, वह पर नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा । वैसे बात उनकी उचित है । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां स्पीकर ने एक निर्णय ले लिया, वह यहां विचार का विषय नहीं हो सकता । चौधरी अजीत सिंह जी, श्री राम लखन यादव और माननीय नरसिंहा राव जी का जो नाम यहां लिया गया है, उसके संबंध में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसे कार्यवाही का अंग न बनने दिया जाय और उससे भी पहले यह आग्रह करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री, जो असंसदीय आचरण कर रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल से निष्कासित किया जाय और उनकी विधान सभा से सदस्यता समाप्त की जाय ।

(संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

अगर यह परम्परा डालेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी, पहले संसदीय कार्य मंत्री को सुन लीजिये और आप बैठ जायें, यह औचित्य का प्रश्न चल रहा है । आपका जो व्यवस्था का प्रश्न होगा, उसको मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के बोलने के बाद सुन लूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न सुन लें ।

माननीय प्रमोद तिवारी जी और मा० नरेश अग्रवाल ने जो विषय उठाया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने 4 माननीय सदस्यों के बारे में कहा, जिन्होंने दलबदल किया, यह गैरकानूनी है, इन 4 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं । इन लोगों ने यह भी कहा कि इनको संसदीय कार्य मंत्री नहीं रहना चाहिए था, यह बात नैतिकता के दायरे में आती है, लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यो ने, जो माननीय मंत्री भी हैं, जिनके मंत्री पद के बारे में प्रश्न उठा है, जिनका मामला

न्यायालय में भी गया हुआ है, के संबंध में जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है, का जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी न देकर अन्य किसी मंत्री से जवाब दिलवा दें या माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलवा दें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने आपका सवाल सुन लिया, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने, हमारे प्रिय साथी नरेश अग्रवाल जी ने और नेता जनता दल माननीय किरन पाल सिंह जी ने एक विषय औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है । श्रीमन्, आदरणीय तिवारी जी हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता रहे हैं और जब कभी उनसे बातचीत होती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह पढ़ते भी हैं लेकिन आज श्रीमन्, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जिस नियमावली और संविधान का उल्लेख कर रहे हैं उसी में उसकी पूरी व्यवस्थायें पढ़ लेते, पढ़ भी लेते तो उन्हें जो कुछ कहना है, जो पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया और तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे जो चूंकि उन्हीं के समर्थन में और उन्हीं के अनुसार कुछ बोलने का मन बनाकर यहां आये हैं, नहीं तो तिवारी जी को पूरे उपबन्धों की जानकारी है ।

श्रीमन्, दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में नियमावली बनाने का अधिकार 10वीं अनुसूची के पैरा–8 में आपको है और ऐसी नियमावली उत्तर प्रदेश में पहले से विद्यमान है और उसी नियमावली में यह प्राविधान स्पष्ट रूप से है कि अगर परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का कोई मामला उठाया जायेगा तो आपको एक याचिका दी जायेगी और याचिका के माध्यम से ही इस विषय पर विचार होना चाहिए । अगर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी और मा० नरेश अग्रवाल जी ने ऐसी कोई याचिका दी है तो उस पर यथासमय विचार नियमों के उपबन्धों के अधीन होना चाहिए लेकिन श्रीमन्, यह निश्चित करना आपका अधिकार है कि दल परिवर्तन के लिए नियमावली के नियम–7 में जो स्पष्ट प्राविधान है कि याचिका आये और याचिका के आधार पर निर्णय करें, संबंधित पक्षों से पूछताछ करें । लेकिन ऐसी कोई याचिका जहां तक मेरी जानकारी में है, किसी भी माननीय विधायक के माध्यम से आपके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है और इसी नियमावली के नियम–8 में आपको अधिकार है कि आप अपना फैसला सुनायेंगे और फैसला भी श्रीमन्, पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप यथातथ्य विचार करते हुये सारे प्रश्नों का परीक्षण करते हुये अपना निर्णय देंगे । अभी इस माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय ऊदल जी ने एक बात उठायी थी और उसके जवाब में आदरणीय तिवारी जी ने कहा था कि आदरणीय लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ फैसला वहां कर दिया वह आदर योग्य है । श्रीमन्, लोक सभा के अध्यक्ष के फैसले को आदर योग्य कहते हैं लेकिन आपके फैसले को आदर योग्य नहीं मान रहे हैं, वैसे मैं समझता हूं कि यह आदर योग्य मान रहे हैं लेकिन यहां कुछ कहना है और आज इन्हें अच्छा सा मुद्दा नहीं मिल पाया, इसलिए यहां पर यह मुद्दा उठाया है और माननीय तिवारी जी ने यह भी बताया है कि माननीय न्यायालय में भी यह मामला लम्बित है तो श्रीमन्, नियमावली के नियम–3(X) में इस प्रकार के औचित्य के प्रश्न के रूप में दल परिवर्तन का मामला नहीं उठाया जा सकता ।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह विषय नियम-300 में नहीं आता, यह स्पष्ट रूप से दल परिवर्तन की नियमावली के अधीन आता है, अगर उसके माध्यम से आया है तो आप विचार करें। यह किसी प्रकार औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री किरनपाल सिंह जी एवं संसदीय कार्यमंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित जी को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, इसलिये इस सूचना को अस्वीकार किया जाता है।

नयी सरकार के गठन पर श्री राज्यपाल के सम्बोधन बिना, सदन की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

(श्री राम आसरे वर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी कई नोटिसें है, इसलिए मैं चाहूंगा कि समय का ध्यान रखकर थोड़े समय में अपनी बात रखें ताकि और भी सूचनायें ली जा सकें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आप सुबह से इस पीठ पर बैठे हैं, कई माननीय सदस्यों ने गन्ना कृषकों के मूल्य भुगतान के संबंध में सूचनायें दी हैं। उस पर विचार हो जाये।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर व्यवधान)

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारी नियमावली में यह प्राविधान है कि नियम-19 के तहत महामहिम श्री राज्यपाल जी दोनों सदनों की बैठक को सम्बोधित करते हैं और उसके लिये व्यवस्था भी दी गयी है कि कब-कब वह सम्बोधित करेंगे दोनों सदनों के सदस्यों को। नियमावली में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "सभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ में तथा प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में राज्यपाल विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों को अभिभाषित करेंगे तथा विधान मण्डल को आह्वान के कारण बतायेंगे लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी सच्चाई है कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार की नीतियों का दर्पण होती है।

महामहिम राज्यपाल जी किसी भी सरकार की नीतियों के बारे में संकेत देते हैं इस सदन को। उसके माध्यम से माननीय सदस्यगण यह जान पाते हैं कि सरकार किस नीति के आधार पर क्रियाकलाप करेगी। अब सरकार बदल गयी है। जिन नीतियों का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी ने पहले किया था, उस समय सरकार किसी पार्टी की थी, अब सरकार दूसरी आ गयी, तो क्या हम यह मानकर चलें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जिन नीतियों का उद्घाटन महामहिम राज्यपाल जी ने पिछली सरकार में किया था, उन्हीं नीतियों के आधार पर यह नई गठित सरकार भी अपना आचरण करने जा रही है । चूंकि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दर्पण होती है और इस नव गठित सरकार की नीतियों के बारे में सदन को नहीं बताया गया है और न ही इस प्रकार का कोई संदेश सदन के समक्ष आया है जिससे इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य यह जान पाते कि यह नव गठित सरकार इस नई नीति में बंधकर कार्य करेगी ।

यह एक विरोधाभास पैदा हो गयी है । यह बात सही है कि महामहिम राज्यपाल किसी नई सरकार के गठन के बाद सम्बोधित करेंगे, इस तरह की व्यवस्था नहीं है । परन्तु एक असाधारण घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटी, इसलिये मैं अपने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि असाधारण स्थिति में सदन के सदस्यों को तथा सदन के बाहर पूरे प्रदेश को किस तरह से यह मालूम हो कि जो नई सरकार सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में गठित हुई है क्या वह पुरानी नीतियों के अनुसार ही कार्य करेगी या उनकी अपनी कोई नई नीति है, जिसके अनुसार वह कार्य करेगी । उन नई नीतियों को जानने का क्या तरीका हो सकता है ? इसके बारे में, मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री वर्मा जी ने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से कुछ तथ्य उजागर किये है । मैं उन पर बल देता हूं कि इस विषय पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए । सरकार का मुखिया बदल जाय तो उससे सरकार की नीतियों में फर्क नहीं आता है परन्तु जब सरकार ही बदल जाय तो उसकी नीतियां भी बदल जाती हैं इसीलिये उसकी नीतियां क्या हैं, महामहिम राज्यपाल जी दोनों सदनों को एक साथ आहूत करते हैं और नीतियों को घोषित करते हैं कि इस नीति के अनुसार सरकार कार्य करेगी । तो मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जब सरकार बदल जाय नयी सरकार बने और वह नयी सरकार नयी नीति लेकर आये, पुरानी नीति पर न चलना चाहे, यहां पर तो कोई मतभेद नजर नहीं आता है लेकिन कोई दक्षिणपंथी विचारों की सरकार हो उसे बदल कर वामपंथी विचारों की सरकार बने, या धर्मनिरपेक्ष विचारों की सरकार के स्थान पर साम्प्रदायिक विचारों की सरकार आ जाय तो उसको दर्शाने के लिये एक ही अमोघ अस्त्र है उसमें महामहिम राज्यपाल को ही अधिकार है । तो इस औचित्य के प्रश्न के द्वारा मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं आज इस आदरणीय सदन के बैठने से पहले महामहिम राज्यपाल द्वारा सरकार की नीतियों की घोषणा होनी चाहिए थी या नहीं आप व्यवस्था दें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी, माननीय किरन पाल जी ने नियम 300 में यह प्रश्न उठाया है कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो श्री राज्यपाल का नये सिरे से अभिभाषण होना चाहिए । श्रीमन्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 में स्पष्ट व्यवस्था है कि जब पहली बार सदन गठित होगा तब प्रत्येक वर्ष में वह आदरणीय सदन को सम्बोधित करेंगे । श्रीमन्, माननीय वर्मा जी और माननीय किरनपाल सिंह जी की चिन्ता सही होती यदि वह सन् 1951 के पूर्व के दृष्टांत पढ़ लिये होते । पहले यह व्यवस्था थी कि महामहिम गवर्नर जनरल प्रत्येक सत्र को सम्बोधित करने के लिये पधारते थे लेकिन बाद में कठिनाई

महसूस की गयी और इस पृष्ठभूमि में माननीय वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह विचार करते हुए प्रत्येक सत्र में महामहिम अपने विचार व्यक्त करने यहां आयें यह कदाचित बार-बार उचित नहीं होगा।

श्रीमन्, संविधान का पहला संशोधन 1951 की धारा 9 की तरफ वर्मा जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं– "संविधान का (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 9 द्वारा "प्रत्येक सत्र' के स्थान पर प्रतिस्थापित–अनुच्छेद 176 में दिया है "राज्यपाल, विधान सभा के लिये प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरम्भ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत् दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधान मण्डल को उसके आह्वान के कारण बतायेगा।"

यह सदन संविधान के अनुसार चलेगा और किसी माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। जब यह स्पष्ट लिखा हुआ है तो यह विषय यहा पर उठाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये यह नियम 300 में नहीं आता है। वह अनुच्छेद 176 पर दृष्टिपात करेंगे तो इससे सहमत होंगे।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसलिये इसे अस्वीकार किया जाता है।

नियम 301 की सूचनाओं का उत्तर समय से न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

बालेश्वर त्यागी जी आप अपनी बात दो मिनट में रखें।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, नियम 301 में जो सूचनाएं दी जाती हैं उनके बारे में स्पष्ट उल्लेख कार्य-संचालन नियमावली में है कि एक महीने के अन्दर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से उत्तर माननीय सदस्य को प्राप्त होगा जिन सूचनाओं को जिनको आपके द्वारा स्वीकार किया जाता है। पिछले सत्र मे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विवरण प्रस्तुत किया था। अनेक सूचनाओं के सम्बन्ध में उत्तर के बावत कहा था कि अब तक ज्ञात नही हो सका है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है कि जो सूचनाएं आपके द्वारा ग्राह्य हो जाती हैं उनका एक महीने के अन्दर माननीय मंत्री जी के हस्ताक्षरों से उत्तर प्राप्त हो जाय लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से, औचित्य के प्रश्न पर यह बात रखना चाहता हूं कि मा० सदस्यों को सुनिश्चित तौर पर एक माह के अन्दर उत्तर प्राप्त हो जाने चाहिए।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जो विषय मा० सदस्य ने उठाया है वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है परन्तु नियम 301 के अन्तर्गत उठाई गई सूचनाओं का उत्तर देने के लिये सरकार संकल्पबद्ध है और व्यवस्था है कि सत्र के शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर सभी सूचनाओं के बारे में यथास्थित सूचना सदन के पटल पर रख दी जायेगी। लेकिन मान्यवर, यह विषय नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप इसे निरस्त कर दें।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन उ० प्र० विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देश की धारा 4-ए के अनुसार नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर मंत्रियों के हस्ताक्षर द्वारा एक माह के अन्दर भेज दिया जाना चाहिए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि वह भविष्य में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर एक माह के अन्दर भिजवाने की व्यवस्था करायें।

मीराबाई मार्ग, लखनऊ स्थित राज्य अतिथि गृह में आयोजित बैठक में सुश्री मायावती एवं बसपा विधायकों के साथ सपा विधायकों द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष महोदय, इस विधान मंडल के जो माननीय सदस्य हैं उनसे एक विशेष प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि वे संसदीय प्रणाली की उच्चतम मान्यताओं और स्तर को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये सदन के भीतर ही नहीं वरन् बाहर भी उच्च स्तर का आचरण तथा व्यवहार करें। उनका आचरण ऐसा होना चाहिए जो संसदीय प्रणाली के आदर्श और परम्पराओं के विरुद्ध न हों तथा जिससे सदन के सम्मान, मर्यादा तथा प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की ठेस या आघात न पहुंचे। इससे इस सदन का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मान्यवर, यह जो मैंने प्रस्तुत किया है। कौल और शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" में मा० सदस्यों द्वारा सदन के बाहर भी उच्च स्तर का आचरण तथा व्यवहार बनाये रखने की बात कही गयी है। मान्यवर, अभी थोड़े दिन पहले 2 जून, 1995 को इस सदन की बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों की बैठक राज्य अतिथि गृह में हो रही थी कि उन्हें यहां सदन के भीतर क्या करना है, इसके बारे में विचार करना था। समर्थन वापस हो गया था।

सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में सदस्य यह तय करने के लिये बैठे थे कि सदन में बहुमत कैसे सिद्ध किया जाय ? रणनीति क्या होगी ? इस संसदीय आचरण को तय करने के लिये राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग पर एक बैठक हो रही थी उसी समय समाजवादी पार्टी के माननीय विधायकगण जो इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं वे अपने नेता श्री मुलायम सिंह यादव, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री धनीराम वर्मा आदि द्वारा रची गयी साजिश के तहत यह विधायक लोग वहां पहुंचे। इन विधायकों की सूची भी मेरे पास है जिनमें सर्वश्री शारदानन्द अंचल, लाल बहादुर सिंह, रामतेज यादव, शिव कुमार बेरिया, राकेश सचान, अशोक कुमार सिंह चन्देल, रमाकान्त यादव, आदि लगभग 20 माननीय सदस्य वहां पहुंचे थे और उन्होंने जाकर वहां पर जो अभद्र व्यवहार किया है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है। लाइट ऑफ कर दी गयी थी, बिजली काट दी गयी थी और गेस्ट हाउस में बिल्कुल अन्धकार हो गया था जबकि बैठक एक कमरे में हो रही थी।

मान्यवर, सुश्री मायावती जी (भगवान उनको सौ साल तक जिन्दा रखे) की हत्या कर दी गयी होती और वह आज इस आदरणीय सदन में न बैठी होतीं। ऐसा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। साथ ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

साथ कई विधायकों का अपहरण किया गया, मारा-पीटा गया और उन पर दबाव डालने की चेष्टा की गयी । समाजवादी पार्टी के सदस्य कह रहे थे कि अगर तुमने हमारा समर्थन नहीं किया और हमारे खिलाफ सदन में आचरण किया तो इसके गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे । मान्यवर, संसदीय आचरण की बात हम जानते हैं । तर्क से हम केवल अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकते हैं लेकिन उसके बजाय सख्ती का प्रयोग उन लोगों ने किया जिससे संसदीय प्रणाली की सभी मर्यादाएं नष्ट हुई । उन लोगों ने बसपा के विधायकों को मारा-पीटा और शारीरिक यातनाएं दी जो संसदीय परम्पराओं और मर्यादाओं के खिलाफ हैं । इस प्रकार हमारे सदन में विचारों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है । इससे सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन और सदन की अवमानना भी हुई है ।

विशेषाधिकार हनन के संबंध में कौल और शकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट (थर्ड एडीशन) के पृष्ट 232 पर जो दिया है उसे मैं पढ़ना चाहता हूं—

इन्टीमिडेशन आफ मेम्बर्स

"एनी अटैम्ट टू इन्फ्लूयेन्स ए मेम्बर अदरवाइज दैन बाई वे आफ आर्गूमेन्ट, व्हीच हैज एज इट्स मोटिव दी इन्टेन्शन टू डेटर हिम फ्राम परफारमिंग हिज ड्यूटी, कान्स्टीट्यूट्स ए ब्रीच आफ प्रीविलेज . दस, ऐन अटैम्ट टू इन्टीमिडेट मेम्बर्स बाई थ्रेट विथ ए व्यू टू इन्फ्लूएन्सिंग देम इन देयर पार्लियामेन्टरी कन्डक्ट इज ए ब्रीच आफ प्रीविलेज ."

इसका मैं हिन्दी में अनुवाद किये देता हूं । हिन्दी में इसका अर्थ है कि संसदीय आचरण के दायित्व के निर्वहन को तर्क के अलावा किसी अन्य तरीके से किसी को प्रभावित करने का प्रयास विशेषाधिकार अवहेलना का मामला बनता है । मान्यवर, कोई कार्य जो धमकी से प्रभावित करने की चेष्टा की जाए तो वह भी विशेषाधिकार अवहेलना का मामला बनता है ।

मान्यवर, जो बाद मैंने आपके सामने रखी है उससे साफ है कि बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को उनके संसदीय आचरण को प्रभावित करने के लिये तर्क के बजाए धमकी और हिंसा का सहारा लिया गया जो संसदीय परम्पराओं और नियमों एवं नियमावली के विपरीत है । इसलिये यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ।

मान्यवर, यह मामला आपके संज्ञान में इसलिये लाया गया है कि जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की गयी है लेकिन इसके साथ ही सदन की एक कमेटी भी बनाने का आपको अधिकार है जो इसकी जांच करे चूंकि यह एक प्रकार का विशिष्ट मामला है । इसलिये जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अभद्र आचरण करके इस सदन के सम्मान को धक्का लगाया है और सदन की मर्यादा को गिराया है उन्हें उचित शिक्षा देने की दृष्टि से क्या रास्ता निकाला जाए इस पर कमेटी विचार कर सके जिससे उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास में गौरव की परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे । मान्यवर, सदन के अन्दर ही नहीं सदन के बाहर भी जो आचरण संसदीय मर्यादाओं के विपरीत है उस पर औचित्य के प्रश्न के जरिये मैंने यह विषय यहां उठाया है जिस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिये आप क्या कदम उठायेंगे ? मान्यवर, जो मामला मैने प्रस्तुत किया है उस पर मेरे अलावा श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री रंगनाथ मिश्र, डा० सरजीत सिंह डंग आदि माननीय सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं ।

(व्यवधान)

* श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं .

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर इस पर आप सुन लें ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

आप भेदभाव न करे और मुझे भी आप सुन लें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

ठीक है समय को ध्यान में रखते हुए दो मिनट में अपनी बात कह लें ।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, विधान मण्डल के सदस्यों से सदन के अन्दर और सदन के बाहर संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के अनुरूप आचरण की अपेक्षा की जाती है और उसी के अनुकूल एक संदेश पूरे प्रदेश में जाता है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सदन के सम्मानित सदस्यों ने जिस ढंग से 2 जून, 1995 को अपनी इस संसदीय प्रणाली की मान्यताओं के विपरीत मीराबाई गेस्ट हाउस में आचरण किया वह निंदनीय है और उस आचरण से न केवल बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को क्षति पहुंची या पहुंचाई गयी बल्कि देश में यदि यह विधायक इस तरह से आचरण करेंगे तो प्रदेश की जनता कैसा आचरण करेगी ? मान्यवर, 2 जून, को जिस ढंग से विधायकों का अपहरण किया गया.....

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप औचित्य के प्रश्न पर बोल रहे हैं, प्रश्न की ग्राह्यता प्रतिपादित करने पर ही आप बोलें, कि वह बनता है या नहीं, किन्तु आप तो घटना का जिक्र कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

जब यह उनका आचरण हुआ तो उससे सदन की मर्यादा को ठेस लगी और जो माननीय सदस्य हैं उनके प्रति जनता में गलत संदेश गया कि जब यह इस प्रकार से विधायकों के साथ आचरण करते हैं तो जनता के साथ कैसा आचरण करेंगे ? इसलिये यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इनके भाषण में एक बिन्दु छूट गया है, इसलिये मुझे भी एक मिनट बोल लेने दें ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आप भी बोल लें ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं इसके सारे घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता हूं । किन्तु इस घटना का समाचार जिस ढंग से जी टी० वी० और बी० बी० सी० पर प्रसारित हुआ है, दिखाया गया है, उससे केवल प्रदेश के लोगों ने नहीं, देश के लोगों ने नहीं बल्कि सारे विश्व की जनता ने उस शर्मनाक दृश्य को देखा है, कुछ माननीय सदस्यों के उस आचरण को देखा है । वास्तव में आज विधान सभा के कार्य में, राह में एक प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है । वह यह है कि ऐसे लोगो की क्या इस विधान सभा के सम्मान को, सुरक्षा की और उसके गौरवमय इतिहास और परम्पराओं को बनाये रखने में उनकी कोई ठोस भूमिका हो सकती है । उक्त घटना को यदि हम गम्भीरता से देखें तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार से अवश्य एक प्रश्न चिह्न लगता है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें और यह बताएं कि शासन का इस पर क्या दृष्टिकोण है ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, आदरणीय गुप्त जी ने और अन्य विद्वान साथियों ने औचित्य के प्रश्न पर राज्य अतिथि गृह की घटना को फिर से उठाया है, यद्यपि यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता है, क्योंकि मा० गुप्त जी ने अपने भाषण में स्वयं कह दिया था कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है, लेकिन जो प्रश्न उन्होंने उठाया है, वह बहुत गम्भीर है और इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बाहर हिंसा, मारपीट और कानून व्यवस्था को नष्ट कर देने से सम्बन्धित है ।

श्रीमन्, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और हमारे पक्ष की सरकार की नेता सुश्री मायावती ने अपनी स्पष्ट घोषणा की है कि गुण्डागर्दी किसी भी प्रकार की हो, किसी भी व्यक्ति की हो, वह व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, विधायक और मुख्य मंत्री भी क्यों न रहा हो और उसके पास कितने ही साधन हों, हर प्रकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था को विधिसम्मत रखा जायेगा । इस चीज को आंकड़े भी बताते हैं कि जब से हमारी पार्टी की सरकार आयी है, तबसे अराजक गतिविधियों में संलग्न और ऐसे बड़े-बड़े लोग जो संविधान की किसी व्यवस्था को नहीं मानते थे, सब भयभीत हैं । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक सुझाव दिया, संसदीय कमेटी बनाने का । उपलब्ध कानूनों के अनुसार उन पर कार्यवाही किया जाना सम्भव है और माननीय गुप्त जी को भी पता है और इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य अवगत हैं कि इस पर जांच चल रही है और जांच अभी प्रचलित है । जो लोग जांच के घेरे में आये हैं, उन पर कार्यवाही हो रही है । औचित्य के प्रश्न के रूप में यह नहीं बनता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार का यह संकल्प एक बार रेखांकित करते हुए कि कोई कितना बड़ा क्यों न हो, कानून के संगत प्राविधानों के अनुसार उसके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी। सरकार किसी भी परिस्थिति में दबाव में आने वाली नहीं है। न सरकार के ऊपर कोई दबाव है न वह कोई दबाव मानेगी। इस प्रश्न को औचित्य के रूप में स्वीकार न करें क्योंकि यह 300 में नहीं आता है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री रंगनाथ मिश्र और डा० सरजीत सिंह डंग व संसदीय कार्य मंत्री जी के विचारों को सुनने के बाद इस औचित्य के प्रश्न को मैं अस्वीकार करता हूं परन्तु चूंकि सभी माननीय सदस्यों का समाज में विशिष्ट स्थान होता है और उस स्थान की गरिमा को बनाये रखना चाहिए। सदन के अन्दर और सदन के बाहर इस प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे सदन की मर्यादा को कोई ठेस लगे। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि भविष्य में अपने आचरण के प्रति उन्हें सतर्क रहना चाहिए।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह, स० वि० स० द्वारा दिये गये विशेषाधिकार हनन की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मानयवर, मैंने मद संख्या–9 में एक नोटिस दिया है।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

उस पर परीक्षण कराया जा रहा है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जुलाई, 1995 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नांकित सिफारिशें की हैं :––

1–सदन का दिनांक 14 जुलाई, 1995 से दिनांक 17 अगस्त, 1995 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

[1]जुलाई, 1995

14 शुक्रवार	1–औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो ।
	2–असरकारी दिवस (आधा दिन)
	3–3.00 बजे अपराह्न
	(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।
	(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।
	(3) वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
15 शनिवार 16 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
17 सोमवार	1–निधन के निर्देश (प्रश्नकाल के उपरान्त) ।
	2–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।
	3–5.00 बजे अपराह्न
	विधायी कार्य ।

---

1 । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

18 मंगलवार	1–अध्यक्ष, विधान सभा का निर्वाचन । 2–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
19 बुधवार 20 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ।
21 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य
22 शनिवार 23 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
24 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य
25 मंगलवार 26 बुधवार 27 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
28 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य
29 शनिवार 30 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
31 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अगस्त, 1995

1 मंगलवार

2 बुधवार
3 गुरुवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

4 शुक्रवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

5 शनिवार
6 रविवार — बैठक नहीं होगी।

7 सोमवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

8 मंगलवार
9 बुधवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

10 गुरुवार — (ईद-ए-मिलाद का अवकाश)

बैठक नहीं होगी।

11 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

12 शनिवार
13 रविवार — बैठक नहीं होगी।

14 सोमवार — 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2–5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य

15 मंगलवार — (स्वतंत्रता दिवस का अवकाश)

बैठक नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

16 बुधवार 1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापना, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

17 गुरुवार 1–विधायी कार्य (आधा दिन)

2–असरकारी दिवस (आधा दिन (12 जुलाई, 1995 के स्थान पर) ।

2–विधान सभा के दिनांक 2 मार्च, 1995 के उपवेशन में श्री बी० आर० वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन में प्रस्तुत एवं चर्चाधीन लम्बित निम्नलिखित संकल्प को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–97 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए सदन की अनुज्ञा से वापस समझा जाय :––

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश के गांवों में स्थित अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों को मुख्य मार्ग सड़क द्वारा जोड़ने हेतु व्यवस्था की जाय ।"

3––समिति ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि दिनांक 18 जुलाई, 1995 को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निर्वाचन के दिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जाएं ।।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)-

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के सुने जाने की मांग

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

समयाभाव के कारण आज सूचनाएं नहीं ली जा रही हैं । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी सूचनाएं कल ले लेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

हमने नियम–56 के अन्तर्गत गन्ना किसानों के संबंध में सूचना दी है ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री कोकब हमीद, श्री चेतराम, श्री राम विशुन आजाद आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और अपनी सूचनाएं सुने जाने के विषय में मांग करने लगे । यह किसान विरोधी सरकार है, के नारे भी लगाने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, सब नियमों को शिथिल करके इसको सुना जाए ।

श्री नरेश अग्रवाल–

इसको प्राथमिकता पर लीजिये । गन्ना किसानों की समस्या पूरे प्रदेश की समस्या है । यह किसी क्षेत्र की समस्या नहीं है ।

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर आये हुए माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

–किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी ।

श्री राम विशुन आजाद–

किसानों की कुर्की की जा रही है ।

श्री कोकब हमीद–

यह किसानों से संबंधित है इसको सुना जाए ।

(घोर व्यवधान)

प्रदेश के कतिपय जनपदों को सम्मिलित करके एक नया प्रदेश गठित किये जाने विषयक संकल्प

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–13 ले रहा हूं ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, अलीगढ़, बुलन्दशहर, आगरा तथा मथुरा को सम्मिलित कर गंगा प्रदेश के नाम से एक नया प्रदेश गठित किया जाए ।''

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

किसानों से संबंधित यह मामला है इसको सुना जाय ।

प्रदेश की जाट जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किये जाने विषयक संकल्प

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि ''इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की जाट जाति को पिछड़ी जाति में सम्मिलित किया जाए ।''

(व्यवधान)

आगरा महानगर की मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु निःशुल्क शौचालयों की व्यवस्था किये जाने विषयक संकल्प

डा० राम बाबू हरित–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि आगरा महानगर की मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु निःशुल्क सुलभ शौचालयों की व्यवस्था की जाए।"

प्रदेश में भूगर्भ जलस्तर की लगातार गिरावट की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने विषयक संकल्प

(घोर व्यवधान)

(सदन के फ्लोर पर बैठे माननीय सदस्य नारे लगा रहे थे)

किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी–चलेगी।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन प्रदेश में भूगर्भ जल स्तर की लगातार गिरावट पर घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए उसके रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की अपेक्षा करता है।"

आय-व्ययक की टेलीविजन रिकार्डिंग व्यवस्था हेतु सदन का स्थगन

(घोर व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब मैं आय-व्ययक की टेलीविजन रिकार्डिंग हेतु सदन को 2 बजकर 55 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 30 मिनट पर श्री कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजकर 55 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री कार्यवाहक अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक सम्बन्धी साहित्य के वितरण की सूचना

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य के वितरण की सूचना मै दे रहा हूं। कुछ समय के बाद ठीक 3.00 बजे वित्तीय वर्ष 1995-96 का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय सदस्यों को वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक संबंधी साहित्य वितरित किये जाने के संबंध में की गयी व्यवस्था इस प्रकार है :—

"हां" सभा कक्षा में समस्त महिला सदस्यगण तथा उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर,

फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, आजमगढ़ तथा मऊ जिलों के समस्त सदस्यगण और नहीं सभा कक्षा में शेष अन्य जिलों के समस्त सदस्यगण अपना साहित्य प्राप्त करने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह तीन मिनट का समय जो बचा है उसका आप क्या करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव यह है कि जो सदन के बोलने वाले माफिया हैं उनको यह समय दे दिया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस पर आपने क्या व्यवस्था दी है ?

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

मैंने व्यवस्था दे दी है साहित्य प्राप्त करने के लिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस समय आपके चेहरे पर चमक बहुत है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आज जो निन्दा का प्रस्ताव आया था, मेरा उस पर एक संशोधन था, उस पर विचार कर लें समय का सदुपयोग हो जायगा और भारतीय जनता पार्टी ने जो [x x x] का अपमान किया था उस पर भी विचार हो जायेगा।(शोर)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप वित्तीय वर्ष 1995-96 का आय-व्ययक प्रस्तुत करें।

(मा० मुख्य मंत्री महोदया के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट)

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं।

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करती हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 1995-96 के बजट भाषण की प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं)

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 1995-96 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं।

गौरवशाली विरासत एवं आदर्श लोकतांत्रिक परम्पराओं वाले इस प्रदेश की 14 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के सामने प्रदेश के इतिहास में पहली बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार की मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री के रूप में प्रथम आय-व्ययक प्रस्तुत करते हुए मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। यह सदन अनेक परिवर्तनों का गवाह है। स्वाधीनता के बीस वर्ष के भीतर ही एक महिला श्रीमती सुचेता कृपलानी को इस सदन में मुख्य मंत्री के रूप में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला था। लेकिन यह पहला अवसर है जब दलित परिवार से आई एक महिला इस महान प्रदेश की मुख्य मंत्री के रूप में प्रदेश का यह आय-व्ययक प्रस्तुत कर रही है जिसका प्रदेश की करोड़ो शोषित-पीड़ित और गरीब जनता से सीधा सरोकार है।

प्रस्तुत आय-व्यय के साथ संविधान की धारा 206 के अन्तर्गत वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर व्यय के लिये तीन मास का लेखानुदान भी प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे सदन को पूर्ण विचारोपरान्त बजट पारित करने के लिये पर्याप्त समय उपलब्ध हो सके।

स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे समाज के दबे-कुचले लोगों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान का जो स्वप्न देखा गया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है। यह समाज अभी भी आतंक, अन्याय, शोषण और विषमता से मुक्ति के लिये तड़प रहा है। हमारे करोड़ो भाई अपनी जान-माल की रक्षा के लिये तथा हमारी लाखों बहनें अपने मान-सम्मान की रक्षा के लिये चिन्तित रहती हैं। जनता अपना आर्थिक-सामाजिक विकास चाहती है, लेकिन उससे पहले वह चाहती है कि आतंक और अन्याय फौरन समाप्त हो तथा कानून-व्यवस्था का राज कायम हो।

मान्यवर, अत्यन्त विषम परिस्थितियों में हमें लगभग डेढ़ माह पूर्व प्रदेश का नेतृत्व संभालना पड़ा है। 2 जून, 1995 को राज्य अतिथि गृह में जो दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक घटना हुई उससे भारतीय लोकतांत्रिक परम्पराओं एवं मर्यादाओं को जो धक्का पहुंचा है, उससे आप भली भांति अवगत हैं। हमारा पहला ध्यान इस बात पर है कि चरमरायी हुई कानून व्यवस्था सुधारी जाय, गुण्डागर्दी व माफिया राज समाप्त हो, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर जुल्म-ज्यादतियां बन्द हों। अन्याय-मुक्त, अपराध-मुक्त तथा भ्रष्टाचार-मुक्त शासन को हमने अपनी प्राथमिकता माना है। सर्वजन समाज के हितों की सुरक्षा को अपना लक्ष्य मानते हुए भी हमारी सरकार दलितों, शोषितों, अति पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति विशेष रूप से सजग है। समतामूलक समाज की स्थापना हमारी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है और इसके लिये हर सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं। मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की आभारी हूं कि उन्होने हमें सहयोग देकर वह अवसर दिया है कि हम आर्थिक-सामाजिक विकास की अपनी परिकल्पना को साकार करें।

विकास की दौड़ में हमारा प्रदेश पिछड़ता गया है। विकास की भूख तो मिटानी ही है लेकिन बुनियादी आवश्यकता यह है कि विकास का समुचित माहौल तो बने। यह माहौल तभी बनेगा जब आम जनता में यह धारणा बलवती हो जायगी कि उसका जीवन, उसकी कमाई तथा उसका मान-सम्मान

सुरक्षित है । हमारी जनता की जो ऊर्जा जातीय विवादों तथा धार्मिक उन्माद में नष्ट होती है उसे रचनात्मक कार्यों में लगाना हमारा लक्ष्य है ।

मान्यवर, यह सर्वमान्य बात है कि इस प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक विकास का अभीष्ट अवसर नहीं मिल सका है । बाबा साहब डा० भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि कोई समाज कितना विकसित है, इसका पता वहां की महिलाओं की स्थिति को देखकर लगा सकते हैं । उस नजरिये से हमारा प्रदेश बहुत पीछे है । इसलिये महिलाओं के मान-सम्मान की रक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी शिक्षा तथा उनका बहुमुखी विकास वर्तमान शासन का संकल्प है ।

विकास की हमारी रणनीति बहुत साफ है । प्रदेश के संतुलित विकास पर जोर दिया जायगा । जाति, धर्म, सम्प्रदाय अथवा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा । सरकारी सेवकों के कार्य के मूल्यांकन का आधार उनकी जाति या धर्म नहीं बल्कि उनके द्वारा किया गया कार्य होगा । इसी तरह विकास कार्यों के मूल्यांकन का आधार कागज नहीं, बल्कि मौके पर किया गया कार्य होगा । यह सरकार एक ऐसी परिणामपरक कार्य संस्कृति को जन्म देना चाहती है जहां राजकीय अधिकारी और कर्मचारी इस वास्तविकता को समझें कि वे जनता के स्वामी नहीं, सेवक हैं ।

मान्यवर, चौदह करोड़ जनता की भलाई और विकास का काम कोई सामान्य काम नहीं लेकिन यदि प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में प्रयास किया जाय, तो सफलता मिलना कठिन भी नहीं है । विकास कार्यक्रमों का जहां तक सवाल है, कमी कार्यक्रमों की नहीं है बल्कि कमी उन्हें अमल में लाने में रही है । इसलिये हम चाहते हैं कि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें परिणामपरक बनाया जाय, उनमें गुणात्मक सुधार लाया जाय तथा लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाय ।

अम्बेडकर ग्रामों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी ताकि समाज के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में गुणात्मक सुधार आ सके । गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमों, रोजगार मूलक कार्यक्रमों, अनुसूचित जाति/जन-जाति के आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को प्रमुखता से लागू करना है और इन उद्देश्यों से चल रहे कार्यक्रमों तथा योजनाओं को आर्थिक लोकोपयोगी एवं गतिशील बनाना है । अनुसूचित जाति/जन-जाति की महिलायें रोजगार सृजन योजनाओं तथा गरीबी निवारण योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पा सकें–ऐसी रणनीति बनायी जायगी ।

अभाव और गरीबी के अभिशाप से समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को मुक्ति दिलाने की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है । हमें देखना है कि वे लोग भी समाज में मानवीय गरिमा के साथ जीने योग्य बन सकें और उनके जीवन में भी आत्मनिर्भर होने का अवसर आये । एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, निर्बल वर्ग आवास योजना, अनुसूचित जाति/जन-जाति के परिवारों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा छात्रवृत्ति आदि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें इस मुस्तैदी से लागू किया जाना है कि इनका लाभ पात्र लोगों को ही मिले, समय से मिले और बिना किसी भाग-दौड़ के मिले ।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिये शासन कृत संकल्प है । इनमें बहुतायत मुसलमान भाइयों की है जो आर्थिक-सामाजिक विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं । उनके विकास के कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है । हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बनाये गये 15 सूत्री कार्यक्रम पर जोर देना चाहते हैं । राज्याधीन सेवाओं में मुस्लिम

समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार कटिबद्ध है । मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़े हैं, अतः इन्हें शिक्षा के समुचित अवसर सुलभ कराना हमारी प्रतिबद्धता है । उर्दू भाषा के विकास व उर्दू शिक्षा के विस्तार के कार्यों को भी यह सरकार मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाना चाहती है । हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों को विकास के वे सभी अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं जिनसे उन्हें वंचित रहना पड़ा है । अल्पसंख्यकों को जान-माल की रक्षा के लिये गारन्टी देना और सद्भावपूर्ण समाज का सृजन हमारी प्राथमिकता है । अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्गों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाइयां आ रही थीं, इस कारणवश उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था । इस समस्या के हल हेतु उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी संस्तुति 11 जुलाई, 1994 को ही भेज दी थी, लेकिन पिछली सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया । हमारे संज्ञान में यह आते ही 5 जुलाई, 1995 को अपेक्षित शासनादेश निर्गत किया गया । अब पिछड़े वर्गों के मुस्लिम भाई-बहन आरक्षण का पूरा लाभ उठा पायेंगे ।

प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है । आज विकास की व्यवस्था ही बदल रही है । हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे गांव के विकास के कार्यों की रूपरेखा वह नहीं होगी जो गांव से हजारों मील दूर बैठे लोग तय कर लिया करते थे । गांव का विकास ग्रामवासियों की सहभागिता से होना है । इस उद्देश्य से पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने के लिये जिन आयोगों का गठन किया गया है उनकी रिपोर्ट आते ही शीघ्र इस पर निर्णय लिया जायेगा । इससे पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा । इस संबंध में संविधान में किये गये संशोधनों के तहत गांव के विकास के जिस प्रारूप की परिकल्पना की गयी है वह अपने आप में एक युगान्तरकारी परिवर्तन होगा । ऐसा जल्दी हो सके–वर्तमान सरकार इसके लिये सब कुछ करना चाहेगी ।

ग्रामीण विकास के विविध आयामों पर जोर देने के लिए, ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को नई गति देने के लिये और ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है । संसाधनों की सीमाओं के बावजूद हमने योजना परिव्यय का 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च करने का प्राविधान किया है । किसानों के लिए बिजली की अबाध उपलब्धता, डीजल की आपूर्ति, सिंचाई की समुचित व्यवस्था और विस्तार, कृषि निवेशों की समयबद्ध आपूर्ति तथा सहकारी ऋण सुविधाओं की जनसुलभता हमारी प्राथमिकतायें हैं । हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा वातावरण बनायेगी जिससे रोज़गार की तलाश में लोग शहरों की ओर पलायन न करें । उन्हें वहीं रोजगार देना और सम्मान दिलाना हमारी प्राथमिकता है ।

औद्योगीकरण के दृष्टिकोण से प्रदेश में विद्यमान अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में अभी बहुत कुछ किया जाना है । संतुलित औद्योगिक विकास के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार सृजन हमारी सरकार का लक्ष्य है । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम वे समस्त कदम उठायेंगे जिससे निजी पूंजी निवेश प्रोत्साहित हो सके और उद्यमी इस प्रदेश में अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें । प्रदेश में वांछित पूंजीनिवेश न होने का प्रमुख कारण प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था रही है । अतः हमारा संकल्प है कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लायेंगे जिससे बिना किसी बाधा के पूंजीनिवेश हो सके । औद्योगिक इकाइयों के साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में ठोस कार्य करने की आवश्यकता है । क्योंकि यदि ऊर्जा की समुचित व्यवस्था न होगी तो औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

ही । सरकार निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है । साथ ही सरकार बाहरी पूंजीनिवेश का स्वागत भी करेगी, लेकिन ऐसा पारदर्शी नीतियों के तहत ही होगा ।

इस तरह की कार्य शैली अपनाते हुए, सर्वजन समाज की भलाई को अपना लक्ष्य मानते हुए, प्रदेश की नई सरकार ने जनता की सेवा का संकल्प लिया है । हमारे सामने अनेक समस्यायें भी हैं, अनेक कठिनाइयां भी हैं । हमारे संसाधन भी सीमित हैं । फिर भी सरकार का संकल्प है कि इन सबके बावजूद वह प्रदेश में अमन-चैन लाने, बहुमुखी विकास की गति को तेज करने तथा समतामूलक समाज की दिशा में आगे बढ़ने का हर सम्भव प्रयास करेगी ।

आर्थिक स्थिति

माननीय सदन के समक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी क्योंकि इस स्थिति में समुचित सुधार की प्रत्याशा में ही राज्य का आय-व्ययक तैयार किया गया है ।

इस तथ्य से सम्मानित सदस्य भलीभांति अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होते हुए भी आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से अधिकतर राज्यों से पिछड़ा हुआ है । फलतः आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा जीवन की बुनयादी सुविधाओं से वंचित है ।

1991 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 16.48 प्रतिशत लोग इस प्रदेश में निवास करते हैं । प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व भी इसी कारण 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत 274 प्रति वर्ग किलोमीटर से 72.6 प्रतिशत अधिक है । इसके अलावा प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि दर भी 1981–91 के दशक में 2.29 प्रतिशत रही है जो राष्ट्रीय औसत 2.13 प्रतिशत के मुकाबले अधिक है ।

राज्य की कुल आय वर्ष 1993-94 में 69,120 करोड़ रुपये रही जो वर्ष 1992-93 की कुल आय की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक थी । वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 में केवल 9.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई किन्तु इसके बावजूद राष्ट्रीय आय में प्रदेश का योगदान कम रहा है । प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1980-81 में 1278 रुपये थी जो 1992-93 में बढ़कर 4273 रुपये तथा 1993-94 में 4744 रुपये हो गयी किन्तु वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 352 रुपये कम थी । यह अन्तर बढ़कर वर्ष 1992-93 में 1961 रुपये हो गया और इस प्रकार राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति एवं राज्य प्रति व्यक्ति आय में अन्तर लगातार बढ़ रहा है ।

जहां तक आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध है, यद्यपि इसमें पिछले कुछ वर्षों में प्रगति हुई है फिर भी विकसित राज्यों की तुलना में हम काफी पीछे हैं । प्रदेश में सिंचन क्षमता एवं उर्वरकों के उपयोग की दृष्टि से सुधार हुआ है किन्तु फिर भी पंजाब, हरियाणा की तुलना मे प्रदेश का स्तर कम है । इसका प्रभाव खाद्यान्न की प्रति हेक्टर उत्पादकता पर भी पड़ा है ।

वर्ष 19895-96 में पक्की सड़कों के निर्माण हेतु 1208 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । राज्य में सड़क निर्माण अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी पीछे है ।

आर्थिक विकास में ऊर्जा का विशेष योगदान रहता है । ग्रामीण विकास तथा कृषि विकास के क्षेत्र में भी बिजली की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है । ग्राम्य विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों को

विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम चल रहा है । वर्ष 1991-92 तक 83309 ग्राम विद्युतीकृत हुये जो कुल ग्रामों का 74 प्रतिशत होता है । यह प्रगति राष्ट्रीय औसत से कम है । प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में प्रदेश अभी राष्ट्रीय औसत की तुलना मे पीछे है ।

साक्षरता एवं महिला साक्षरता का प्रतिशत अन्य कई बड़े राज्यों से कम है । राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में प्रदेश बहुत पीछे है । राज्य में साक्षरता की दर 41.6 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 52.2 प्रतिशत है । महिला साक्षरता की स्थिति और भी खराब है । प्रदेश की 25.3 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं जबकि राष्ट्रीय औसत 39.3 प्रतिशत है ।

चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है । प्रति लाख जनसंख्या के आधार पर राज्य में चिकित्सालयों, औषधालयों व शैय्याओं की संख्या राष्ट्रीय औसत से पीछे है ।

औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश पिछड़ता गया है । औद्योगिक प्रगति के प्रमुख सूचकों के आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादकता आशा के अनुरूप नहीं रही है व औद्योगिक विकास की गति असन्तोषजनक है ।

इन परिस्थितियों से निपटने के लिये सुनियोजित प्रयास एवं कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, जिसमें आप सभी माननीय सदस्यों के सहयोग का अनुरोध है । राज्य सरकार द्वारा जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है तथा जो वार्षिक योजना केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गयी है उसके माध्यम से हम इन स्थितियों से निपटने का प्रयास करेंगे और हर सम्भव प्रयास करेंगे, कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन से मुक्ति दिलाई जा सके ।

अब मैं माननीय सदस्यों को वार्षिक योजना और विभागीय कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूंगी ।

वार्षिक योजना 1995-96

वर्तमान वर्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष है । इस वार्षिक योजना का आकार केन्द्रीय योजना आयोग से विचार-विमर्श कर 5702.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है । इसमें उत्तराखण्ड के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता 225 करोड़ रुपये सम्मिलित है । इस योजना का आकार वर्ष 1994-95 में स्वीकृत योजना से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है ।

राज्य सरकार 5702.50 करोड़ रुपये की इस वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिये संकल्पबद्ध है और उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सुनियोजित प्रयास आरम्भ कर दिये गये हैं ।

वार्षिक योजना के समग्र उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि कुल योजना का लगभग 72 प्रतिशत अंश ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर खर्च किया जाय । अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के विकास व कल्याण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान पर बल दिया जाय । इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भांति कुल विभाज्य परिव्यय का 27 प्रतिशत पिछड़ी जातियों के विकास हेतु रखा जाय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के जीवन स्तर में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से सुधार लाया जाय । इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 1995-96 में मैदानी क्षेत्र के लिये निम्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जायेगी :—

★ कुल चिन्हित 11013 अम्बेडकर ग्रामों में से वर्ष 1995-96 में 5000 ग्रामों को मूलभूत सुविधायें यथा–निःशुल्क बोरिंग, खड़न्जा, नाली, इन्दिरा आवास, पेयजल, सम्पर्क मार्ग एवं विद्युतीकरण आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी ।

★ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु इस वर्ष 110 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे । इस मद में इस वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

★ ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 20.66 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार इस मद में 24.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

★ ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम में इस वर्ष 24.76 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार इस कार्यक्रम में 65.1 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

★ निराश्रित वृद्धों, विकलांगों के पेंशन कार्यक्रम में इस वर्ष 39.65 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार इस कार्यक्रम मे 34.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

★ किसान पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन योजना में गत वर्ष 33.74 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 93.28 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार इस कार्यक्रम में 176.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

★ अनुसूचित जाति/जन-जाति/पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु गत वर्ष 29.04 करोड़ रुपये के परिव्यय के सापेक्ष इस वर्ष 104.14 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा रखा गया है । इस प्रकार इस कार्यक्रम में 258.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

★ उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम तथा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये गत वर्ष 3.65 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 10.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार इस मद में 174.0 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है ।

★ अनुसूचित जाति/जन-जाति की बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष 105.75 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 168.75 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 59.6 प्रतिशत अधिक है ।

★ प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु गत वर्ष 32.90 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 56.72 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 72.4 प्रतिशत अधिक है ।

★ ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु गत वर्ष 95.30 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 124.37 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 30.5 प्रतिशत अधिक है ।

★ हथकरघा बुनकरों की सहायता हेतु गत वर्ष 5.68 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 6.01 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक है ।

★ निजी लघु सिंचाई द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु गत वर्ष 103.56 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 111.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक है ।

★ ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के लिये गत वर्ष 126.45 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 166.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 31.3 प्रतिशत अधिक है ।

★ माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा के प्रसार हेतु गत वर्ष 194.79 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 226.52 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना मे 16.3 प्रतिशत अधिक है ।

★ चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए गत वर्ष 47.40 करोड़ रुपये के विपरीत इस वर्ष 54.88 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 15.8 प्रतिशत अधिक है ।

★ अम्बेदकर ग्राम्य योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित अनुश्रवण हेतु अलग से कोई विभाग न होने के कारण योजना में वांछित प्रगति नहीं हो पा रही है । अतः इस योजना के महत्व के संदर्भ में हमने पृथक रूप से अम्बेदकर ग्राम्य विकास विभाग के गठन का निर्णय लिया है ।

★ माननीय सदस्यों को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा विकलांगों के कल्याणार्थ चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का त्वरित कार्यान्वयन सुनश्चित करने के उद्देश्य से हमने क्रमशः अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा विकलांग कल्याण विभाग के गठन का निर्णय लिया है ।

शान्ति व्यवस्था

राज्य में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना सरकार का प्रमुख दायित्व है । हमारा यह मानना है कि यदि प्रदेश में शान्ति व्यवस्था नहीं रहेगी तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता । गुण्डागर्दी, माफियातंत्र, हिंसा व आतंक का माहौल हमारी सरकार को पिछली सरकार से विरासत में मिला है । अतः हमारी प्रथम प्राथमिकता प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारना है । इसी के साथ-साथ निर्बल, दलित वर्ग व महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने और उन्हें सामाजक न्याय दिलाने तथा जन सामान्य के मन में सुरक्षा भावना उत्पन्न करने के लिये हमारी सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी । जनता के जीवन, उसकी कमाई तथा उनके सम्मान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी । समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी । गुण्डागर्दी और जंगल राज को समाप्त कर कानून का राज कायम करने के लिये ठोस प्रयास किये जायेंगे । अपराधिक आंकड़े यह इंगित करते हैं कि महिला उत्पीड़न व अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न के मामलों में गत वर्ष वृद्धि हुई है । जिससे न केवल

निर्बल वर्ग अपितु सामान्य जनता में भी भय व्याप्त है । अतः हमारी सरकार गुण्डागर्दी व अराजकता को समाप्त कर एक ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करेगी जिसमे समाज के सभी वर्गों को सम्मान वप्रगति के समान अवसर उपलब्ध होंगे ।

प्रदेश सरकार जहां पुलिस कर्मियों से यह अपेक्षा करती है कि वह प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखें वहीं सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण व सुदृढ़ीकरण पर भी अधिक बल देगी । आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पुलिस को संचार उपकरण, नाईटविजन साईट्स, कम्प्यूटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा दंगा निरोधक उपकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे । प्रदेश के 17 जनपदों में अपराधों की रोकथाम व सुसंगठित अपराधिक गिरोहों के विरुद्ध सक्रिय अभियान चलाने के लिये हाईवे पट्रोल/फुट पेट्रोल/बैरियर व्यवस्था पर विशेष बल दिया जायेगा ।

उक्त के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के लिये विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर भी सरकार ध्यान देगी । पुलिस आवास के लिये वार्षिक योजना में 10 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

कृषि

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष आय-व्ययक को और अधिक ग्रामोन्मुखी एवं किसानोन्मुखी बनाया गया है । कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं किसानों को राहत प्रदान करने हेतु नई रणनीति अपनाई गई है । योजना राशि का 72 प्रतिशत ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है ताकि कृषि विकास के कार्य तथा अन्य पूरक योजनायें तेजी से आगे बढ़ें।

जहां एक ओर समुचित मात्रा में बीज, उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायनों का वितरण कृषि विभाग तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा सुनिश्चित कराया जायगा वहीं दूसरी ओर कीटनाशक रसायनों से अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एकीकृत कीटनाशी प्रबन्ध की योजना भी व्यापक रूप से लागू की जायगी ।

वर्ष 1995-96 के लिये 419 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 17 लाख मीट्रिक टन तिलहन/दलहन उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसे प्राप्त करने के लिए 11.92 लाख कुन्तल प्रमाणित बीज, 30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक एवं 11.50 हजार मीट्रिक टन कृषि रक्षा रसायन के वितरण का लक्ष्य रखा गया है ।

भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की दृष्टि से जैविक खादों के प्रयोग हेतु एक वृहद् कार्य योजना तैयार की गयी है । इस वर्ष मृदा परीक्षण का लक्ष्य 4 लाख नमूनों से बढ़ाकर 12 लाख नमूनों के विश्लेषण का रखा गया है जिससे किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जा सके ।

प्रदेश में तिलहन उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें आगामी 5 वर्षों में तिलहन उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्रदेश के किसानों के व्यापक हित को देखते हुए फोस्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों को व्यापार कर से मुक्त रखने की सुविधा वर्ष 1995-96 में लागू की जा रही है । इससे किसानों को लगभग 75 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी ।

भूमि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सोडिक भूमि सुधार योजना हेतु इस वर्ष 35 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। विशेष भूमि सुधार योजना प्रदेश के 27 ऊसर बाहुल्य जनपदों में चलाई जायगी। कुल 50.49 करोड़ रुपये की लागत की इस परियोजना से लगभग 27 हजार हेक्टेयर भूमि उपचारित करते हुए कृषि योग्य बनाने तथा उसे भूमिहीनों को आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देने एवं उर्वरकों तथा बीजों के समुचित प्रयोग के उद्देश्य से वर्ष 1995-96 में शक्तिचलित 'उर्वरक-कम-सीड ड्रिल' तथा पावर टिलर पर किसानों को 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

सिंचाई

सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किये जाने के लिए शासन वचनबद्ध है। राजकीय स्रोतों से प्रदेश के 107 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की जा रही है जो कुल क्षेत्र का 42 प्रतिशत है।

सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रदेश के अधिकाधिक कृषि योग्य भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

वार्षिक योजना 1995-96 में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से 53.36 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 1995-96 में राजकीय लघु सिंचाई के माध्यम से 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का लक्ष्य है।

वर्ष 1995-96 में 5 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ सुरक्षा प्रदान किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिये 13.23 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

खरीफ फसलों की नर्सरी की सिंचाई के लिये 10 जून से 15 जुलाई, 1995 तक प्रदेश की सभी नहर प्रणालियों तथा राजकीय नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की गयी जिससे धान, मक्का, अरहर तथा सोयाबीन के क्षेत्र में वृद्धि सम्भावित होगी एवं खाद्यान्न तथा दलहनों के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

वर्ष 1995-96 में फलों, शाक भाजी तथा आलू के लिये क्रमशः 7.95 लाख हेक्टेयर, 9.75 लाख हेक्टेयर तथा 3.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के आच्छादन का लक्ष्य है, जिसके फलस्वरूप फलों, शाक भाजी तथा आलू का उत्पादन क्रमशः 76.71, 150.00 तथा 85.90 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है।

औद्यानिक फसलों की उत्पादकता तथा औसत क्षेत्रफल को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रमाणित संकर प्रजाति के बीज, सिंचाई के नवीन साधन, प्रशिक्षण, प्रदर्शन तथा फसल सुरक्षा की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लाभ हेतु मैदानी क्षेत्र के 28 जनपदों में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत कृषकों को रोपण सामग्री व अन्य निवेश अनुदान पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

प्रदेश के औद्यानिक विकास में गति लाने हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित 124 जनपदों तथा 114 विकास खण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा लघु व सीमान्त कृषकों हेतु रोजगार उपलब्ध कराया जायगा।

शाक भाजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिये हाईब्रिड बीज प्रचलन, निःशुल्क प्रदर्शन, शाक भाजी पट्टी की स्थापना तथा निःशुल्क मिनीकिट के वितरण के कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

टिशु कल्चर तकनीक का उपयोग करने हेतु लखनऊ में एक प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। वर्ष 1995-96 हेतु नवीन कार्यक्रमों में बस्ती तथा सहारनपुर में मशरूम उत्पादन हेतु प्रयोगशाला की स्थापना प्रस्तावित है।

औद्यानिक फसलों की कीट/व्याधियों से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु इन्टीग्रेटेड पेस्ट मनेजमेन्ट केन्द्र की स्थापना लखनऊ में किये जाने का प्रस्ताव है।

कृषि से व्यवर्तीकृत करके उद्यान, डेयरी आदि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से विश्व बैंक की सहायता से एक योजना तैयार की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र की औद्यानिक फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्तता के परिप्रेक्ष्य में परम्परागत फलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ नवीन औद्यानिक फसलें यथा कीवी (चायनीज गूज बेरी), केसर एवं हरा बादाम की खेती भी प्रारम्भ की गयी है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

हमारी सरकार गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य देने तथा गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में गन्ने की खेती के विकास हेतु 27 नये स्थानों पर चीनी मिल लगाने के आशय पत्र मिल चुके हैं जिसके आधार पर चीनी मिल स्थापना का कार्य प्रगति पर है। ऐसी सम्भावना है कि आगामी पेराई सत्र 1995-96 में प्रदेश में 8-10 नई चीनी मिलें पेराई कार्य प्रारम्भ कर देंगी। सरकार/सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का भी आधुनिकीकरण व विस्तारीकरण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप प्रदेश की चीनी मिलों की कुल पेराई क्षमता 2.40 लाख टन से बढ़कर 2.80 लाख टन हो जायेगी।

पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

पशुधन विकास के उद्देश्य से पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तथा आधुनिक प्रजनन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार किया जायगा।

प्रदेश में कुक्कुट पक्षियों की नस्ल सुधार व विकास के कार्यक्रम विभागीय प्रक्षेत्रों, कुक्कुट पालकों व कुक्कुट इकाइयों के माध्यम से चलाये जा रहे हैं। इस दिशा में निजी क्षेत्र को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जायगा।

बकरी पालन, सूकर पालन तथा उत्तराखण्ड में अंगोरा शशक पालन योजना भी चलाई जा रही है जिसके माध्यम से वर्तमान नस्लों का सुधार किया जायगा ।

हमारी सरकार दुग्ध विकास कार्यक्रमों को ग्रामों के आर्थिक उन्नयन का आधार मानती है । अतः दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष 10,472 मिनी डेरी इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मत्य विकास के प्रोत्साहन हेतु ग्राम सभाओं के तालाबों के पट्टे मछुआ समुदाय के परिवारों को देने की योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 7500 मछुआ समुदाय के सदस्यों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है । पूर्व में मत्स्य बीज की सम्पूर्ण उपलब्धता का 15.50 प्रतिशत बीज प्रदेश के बाहर से आता था । इस वर्ष 1995-96 में मत्स्य बीज उत्पादन बढ़ाकर इसे और घटाया जायेगा ।

सहकारिता

ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं आथिक सम्पन्नता हेतु सहकारिता एक सशक्त माध्यम है । हमारी सरकार द्वारा इसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा ।

ऋण व्यवस्था सहकारी आन्दोलन का आधार स्तम्भ है, जिसको सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ढांचे के सभी अंगों को आर्थिक रूप से स्वाश्रयी बनाने की आवश्यकता है ।

हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि प्रभावी रणनीति के माध्यम से आगामी पांच वर्षों में सहकारी ऋणों के कुल व्यवसाय में लगभग तीन गुना से अधिक वृद्धि हो, जिससे किसानों की कृषि निवेशों की मांग की पूर्ति हो सके ।

ग्राम्य विकास

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य जनसंख्या के 11013 ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा विकसित किया जा रहा है । अब तक केवल 1303 ग्रामों को ही संतृप्त किया जा सका है । इस योजना के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष 5000 ग्रामों को संतृप्त किये जाने की योजना है ।

एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 2.60 लाख परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने व उन्हें स्वरोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1.30 लाख परिवारों तथा 1.04 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है । इस लक्ष्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने की कारगर रणनीति अपनाई जा रही है ।

वर्तमान शासन की नीति है कि महिलाओं को हर सम्भव आर्थिक व सामाजिक विकास का अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाय । अतः इस निमित्त चलाये गये कार्यक्रमों में गतिशीलता लाई जायगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए 440.69 लाख मानव दिवस श्रम सेवायोजन का सृजन किया जायगा तथा 3.78 लाख महिलाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वतः रोजगार उपलब्ध कराया जायगा ।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के कार्यक्रम तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अम्बेडकर रोजगार योजना चलाये जाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप स्वरोजगार कार्यक्रम सम्मिलित हैं ।

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार स्थापित करने हेतु लाभार्थियों को प्रशिक्षण, कच्चे माल की उपलब्धता तथा अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें प्रदान की जायेंगी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जायगा । वर्ष 1995-96 में अम्बेदकर रोजगार योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है ।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने व परिसम्पत्तियों के सृजन करने के उद्देश्य से चलाई जा रही जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में 1166 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है । इस बजट में जवाहर रोजगार योजना के लिए 729 करोड़ रुपये का प्राविधान है ।

अनुसूचित जाति/जन-जाति बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विगत वर्ष 5819 इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प व 350 डिग्गियां स्थापित की गयीं । वर्ष 1995-96 में 6370 हैण्डपम्प तथा 500 डिग्गियां स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।

विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 1995 से 2000 की अवधि में उत्तर प्रदेश ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना पाइलेट प्रोजेक्ट नवम्बर, 1994 से प्रारम्भ की गयी है । इसके अन्तर्गत टिहरी, देवरिया, बिजनौर तथा झांसी जनपद के 27 ग्रामों मऐं सर्वेक्षण का कार्य करीब-करीब पूरा हो चुका है । अब इस योजना में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय तथा सलेज ड्रेन आदि के निर्माण कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायगा । वर्ष 1995-96 में यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किये जाने की पूर्ण सम्भावना है ।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हम कृत संकल्प हैं । विगत वर्ष एक लाख निर्बल वर्ग आवास तथा 47,500 इन्दिरा आवासों का निर्माण किया गया । इस वर्ष एक लाख निर्बल वर्ग आवास निर्मित किये जायेंगे तथा इन्दिरा आवासों की संख्या में 4 गुनी वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है ।

पंचायती राज

संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के परिप्रेक्ष्य में देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार पर गठन के साथ-साथ त्रिस्तरीय पंचायतों को समुचित अधिकारों, दायित्वों और शक्तियों से भरपूर करने के लिये उक्त संविधान की अनुसूची–11 में उल्लिखित विषयों को त्रिस्तरीय पंचायतों को दिये जाने के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध है । पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य वित्त आयोग का

भी गठन किया गया है । प्रयास किया जायगा कि इसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र आये और उसे अविलम्ब लागू किया जाय ।

पंचायतों के माध्यम से संचालित हो रहे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत 45.38 करोड़ रुपये का आय-व्ययक प्राविधान प्रस्तावित है । इससे लगभग 1.44 लाख व्यक्तिगत शौचालय तथा 1,738 महिला काम्पलेक्स स्थापित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया अम्बेदकर ग्रामों में आवागमन की सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से कुल 692 ग्राम पंचायतों में खड़न्जा एवं नाली निर्माण प्रस्तावित है । ग्राम पंचायतों की बैठकों हेतु सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंचायत भवनों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत कुल 684 पंचायत भवनों का निर्माण प्रस्तावित है ।

ऊर्जा

प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं उसकी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार प्रयत्नशील है ।

वर्ष 1994-95 में उत्पादित 21,673 मिलियन यूनिट के विरुद्ध वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 26,028 मिलियन यूनिट रखा गया है । हमारा प्रयास होगा कि इस वित्तीय वर्ष में ग्रामों तथा अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाये । ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु 16 घंटे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी ।

ऊर्जा की उपलब्धता तथा मांग के अन्तर को दूर करने के लिये ऊर्जा के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की अनिवार्यता को समझते हुए प्रदेश सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है । किन्तु हमारा ध्येय है कि ऊर्जा सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु की जाने वाली समस्त कार्यवाही पूर्णतः पारदर्शी हो ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के पुनर्गठन तथा इसकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की भी आवश्यकता है व इस बारे में त्वरित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ।

वैकल्पिक ऊर्जा साधनों के उपयोग से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से निजी उद्यमियों से विद्युत क्रय के प्राविधान के साथ-साथ विद्युत की व्हीलिंग एवं बैंकिंग सुविधा को प्रोत्साहित किया जायेगा । इससे विद्युत की आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होगा ।

सड़कें एवं परिवहन

वर्ष 1995-96 में मैदानी क्षेत्रो में मार्गों एवं पुलों के निर्माण हेतु 410 करोड़ रुपये तथा पर्वतीय क्षेत्र के लिये 85 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । सम्पर्क मार्गों का विस्तार करने के कार्यक्रम के तहत 1000 से कम आबादी वाले 77 ग्रामों तथा 1000 से अधिक आबादी वाले 116 गांवों को इस वर्ष मुख्य मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है ।

अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों को मार्गों से जोड़ने पर विशष बल दिया जा रहा है । मार्च, 1995 तक 636 अम्बेडकर गांव जोडे जा चुके हैं । वर्ष 1995-96 में 70 गांव जोड़े जाने का लक्ष्य है ।

प्रदेश के प्रमुख मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु निजी पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करने की नीति अवश्य विद्यमान है परन्तु इस नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । संसाधनों के अभाव तथा अवस्थापना सुविधाओं के महत्व को देखते इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश आकर्षित किया जायेगा ।

वर्ष 1995-96 में राज्य परिवहन निगम के बस बेड़े में सुदृढ़ीकरण हेतु समुचित संख्या में बसें क्रय करने का प्रस्ताव है । पुरानी बसो की मरम्मत के लिये कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन को विकल्प एवं पूरक व्यवस्था के रूप में विकसित करने के विशेष प्रयास किये गये हैं । कलकत्ता से फैजाबाद तक व्यापारिक एवं अन्य सामान लाने एवं ले जाने के लिये छोटे जहाजों को चलाने यी योजना के अन्तर्गत हाइड्रोग्राफिक सर्वे करा लिया गया है । इस समय इस मार्ग का टेक्नोइकानामिक सर्वे किया जा रहा है ।

समाज कल्याण

समाज के कमजोर, असहाय, विकलांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान तथा उनके चतुर्दिक विकास हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है ।

किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में कुल 8,04,283 वृद्धों/किसानों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से आय-व्ययक में 117.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गयी है ।

विकलांगों को भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत 1995-96 में 7.32 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गयी है ।

शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में पहली बार कक्षा 1 से 8 तक सभी अर्ह अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

अनुसूचित जाति की कक्षा 1 से 5 तक की समस्त अर्ह छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना भविष्य में जारी रखने का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सहायता से अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ स्वतः रोजगार योजना, शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजनायें संचालित की जा रही हैं जिन्हें और अधिक प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से व्यापक रूप दिया जाना प्रस्तावित है । इसी प्रकार उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम द्वारा अल्प संख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । साथ ही उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं जिन्हें और प्रभावी बनाया जाना प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा प्रभावित परिवारों/व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की दरों में 10 गुना वृद्धि की गयी है ।

महिला एवं बाल विकास

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें महिला छात्रावासों का निर्माण, बालिका निकेतनों का निर्माण एवं संचालन आदि प्रमुख हैं ।

अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग की 6300 महिलाओं को इस वर्ष रोजगार के अवसर दिये जायेंगे । महिलाओं को रोजगार देने हेतु पूरे प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिससे महिलाओं में कौशल सुधार होगा ।

निराश्रित महिलाओं एवं बच्चों के पुनर्वासन हेतु निराश्रित गृहों तथा बाल सदनों आदि को सुदृढ़ किया जायेगा । निराश्रित महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के पुनर्वासन हेतु वर्ष 1995-96 में पुनर्वासन केन्द्र स्थापना की योजना बनायी गयी है ।

प्रदेश में बाल वेश्यावृत्ति का व्यापक सर्वेक्षण कराने और उन्हें पुनर्वासित करने तथा निराश्रित महिलाओं हेतु संरक्षण गृह एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिये कार्यशालाओं की स्थापना के लिये योजनायें तैयार करना प्रस्तावित है ।

वर्ष 1995-96 में 107 नई समेकित बाल विकास परियोजनाओं को संचालित करने का लक्ष्य है । इन्हें मिलाकर कुल 450 परियोजनायें हो जायेंगी । 450 परियोजनाओं के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 30.29 लाख तथा उत्तराखण्ड क्षेत्र में 5.92 लाख अर्थात कुल 36.21 लाख लाभार्थियों को आच्छादित करने का लक्ष्य है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए प्रदेश में एवं विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती उपयोगी स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने का विशेष प्रयास किया जायेगा ।

वर्ष 1995-96 में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 78 उपकेन्द्र, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों को बनाने का प्रस्ताव है । इसके लिए आय-व्ययक में 12.54 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं मेडिकल कलेज, लखनऊ हेतु वर्ष 1995-96 में 13 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जो विगत वर्ष की अपेक्षा 52 प्रतिशत अधिक है । संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान हेतु इस वर्ष कुल 23 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया एवं इस संस्थान के द्वितीय चरण के कार्यों हेतु 161 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है । चिकित्सा शिक्षा के विकास एवं प्रसार हेतु निजी क्षेत्र में मेडिकल कलेजों एवं डेन्टल कालेजों को खोलने का भी प्रस्ताव है ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी की चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु वर्ष 1995-96 में 9.76 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है जिसके तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षत्रों में 110 नये चिकित्सालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्रम

श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । इसी दृष्टिकोण से न्यूनतम वेतन अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं बाल श्रमिकों की कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ।

प्रदेश के नौ पुरुष राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायों को आगामी सत्र से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु नौ महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय की द्वितीय इकाई तथा उन्नीस पुरुष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एक-एक नये यूनिट को खोलने का प्रस्ताव है । कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर में एक नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की जा रही है ।

शिक्षा

शिक्षा जगत की अनेक विसंगतियों को दूर करने तथा शिक्षा को जन सुलभ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है ।

वर्ष 1995-96 में 3,149 प्राथमिक विद्यालय तथा 741 उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है । इनमे से 577 प्राथमिक विद्यालय व 144 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक उन्नयन हेतु असेवित मुस्लिम बाहुल्य ग्रामों में खोले जायेंगे ।

विश्व बैंक की सहायता से सभी के लिये शिक्षा योजना जो प्रदेश के दस जनपदों में बालक, बालिकाओं को प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जा रही है, के लिये वर्ष 1995-96 में 160 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित है ।

हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि प्रदेश को तीन वर्षों में साक्षर किया जाय । इस समय 45 जनपदों में साक्षरता अभियान संचालित है । वर्ष 1995-96 में बकाया 21 जनपदों को इस कार्यक्रम में आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

उच्च शिक्षा के प्रसार एवं महाविद्यालयों को त्वरित प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है । उच्च शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने के लिये प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के गठन का प्रस्ताव है । विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं उनके वित्तीय प्रबन्ध में सुधार लाने की दिशा में विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान के स्थान पर ब्लाक ग्रान्ट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है । विश्वविद्यालयों में कुशल वित्तीय प्रबन्ध को बढ़ावा देने के लिये इस बजट में प्रोत्साहन अनुदान के रूप में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

भारत के महान सपूत, संविधान के शिल्पकार, उपेक्षित मानवता के प्रवक्ता तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर की पुनीत स्मृति में लखनऊ में निर्माणाधीन विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम बनाया जा चुका है । यह विश्वविद्यालय शीघ्र अस्तित्व में आ सके इस हेतु राज्य सरकार द्वारा विकसित अवस्थापना सुविधाओं के हस्तान्तरण की कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जायेगी ।

प्राविधिक शिक्षा

उद्योगों तथा टेक्नोलाजी में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने एवं क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करने के लिये हम प्रयासरत हैं । वर्ष 1995-96 से विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 8 नये तकनीकी पाठ्यक्रम विभिन्न पालीटेक्निकों में प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है । महिला पालीटेक्निकों में क्षमता प्रसार, दक्षता एवं गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कालेजों/व्यावसायिक कालेजों के खोलने की नीति के अन्तर्गत दो कालेजों की वर्ष 1995-96 से स्थापना के प्रस्तावों पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ।

खेलकूद एवं युवा कल्याण

हमारी सरकार खेलों के प्रोत्साहन हेतु सतत् प्रयत्नरत है । निर्माणाधीन 10 क्रीड़ांगनों, 14 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल एवं 9 तरणतालों तथा तत्संबंधी क्रीड़ा अवस्थापनाओं को वर्ष 1995-96 में पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है ।

आवास

वर्ष 1995-96 में आवास सेक्टर में 19 करोड़ रुपये का परिव्यय है । दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों हेतु क्रमशः 4000 तथा 1500 भवन/साइट्स निर्मित करने का लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व के बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है । इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र की पुरानी बस्तियों में विश्व बैंक सहायतित मलिन बस्ती के उन्नयन की योजना चलाई जा रही है । प्रदेश के छोटे तथा मध्यम आकार के नगरों के विकास की संगठित विकास योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 12 नगरों को सम्मिलित किया जा रहा है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के नगरों की अवस्थापना विकास योजना भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सहयोग से संचालित की जा रही है ।

नगर विकास

प्रदेश की पेय जल की समस्या को पूर्णरूपेण समाधानित करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है और इसी दृष्टिकोण से मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों हेतु वर्ष 1994-95 के 33.97 करोड़ रुपये के प्राविधान को बढ़ाकर वर्ष 1995-96 में 40.53 करोड़ रुपये किया जा रहा है जिसमें पिछड़ी जातियों के कल्याणार्थ 27 प्रतिशत की धनराशि आरक्षित कर दी गयी है । वर्ष 1995-96 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं हेतु 7.46 करोड़ रुपये तथा नगरीय क्षेत्र हेतु 8 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ।

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित त्वरित नागर पेयजल योजना के अन्तर्गत 1991 की जनगणना के आधार पर 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिये वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में 10.80 करोड़ रुपये का प्राविधान कराया जा रहा है। विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश के 25 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना को तीन चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामवासियों में सामुदायिक सहभागिता की भावना को जागृत किया जायेगा। योजना की पूंजीगत लागत विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा आवर्तक व्यय को राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जायेगा।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। वर्ष 1995-96 में 7000 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जायेगा।

संविधान के 74 वे (संविधान) अधिनियम, 1992 के अधीन बने उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के तहत नवीन प्राविधान दिनांक 1 जून, 1994 से प्रभावी हो गये हैं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराये जाने के संबंध में कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।

उद्योग

प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनायें हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि उद्योगों को उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराई जाएं। इस व्यवस्था में निजी क्षेत्र की सहभागिता को विशेष प्रोत्साहन दिया जायगा। औद्योगिक विकास के लिये प्रशासन तंत्र के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिये त्वरित निर्णय, सरल प्रक्रिया, समयबद्ध स्वीकृतियां, अविलम्ब समस्या-निवारण तथा पारदर्शी प्रशासन की नई कार्य संस्कृति विकसित की जायेगी। सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया जायेगा जिसमे उद्यमी सुरक्षित महसूस कर सकें।

अनुसूचित जाति/जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को निजी क्षेत्र के उद्योगों में सेवायोजित कराने हेतु विशेष प्रोत्साहन देने के लिये अनेक सुविधायें निजी उद्यमियों को दी जायेंगी।

प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये चयनित स्थानों पर निजी सहभागिता से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण आदर्श औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा। इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में गाजियाबाद, अकबरपुर व गोरखपुर में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक-एक वृहद् माडल औद्योगिक नगर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। इन क्षेत्रों में उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं जैसे विद्युत उत्पादन तथा वितरण, दूर संचार सुविधाओं का विकास, वायु यातायात का विकास आदि को उपलब्ध कराने के लिये भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई है।

प्रदेश सरकार का ध्यान वर्तमान परिसम्पत्तियों के लाभप्रद उपयोग एवं बीमार इकाइयों के पुनर्वासन व निजीकरण पर भी है।

हथकरघा गैर-कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रोजगारपरक उद्योग है। हथकरघा वस्त्रों का चलन यूरोप आदि विकसित क्षेत्रों में उत्तरोत्तर बढ़ रहा है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा के अर्जित होने की

सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार प्रदेश के लगभग दस लाख बुनकरों, जो समाज के निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के हैं, की उत्पादकता तथा आर्थिक दशा सुधारने हेतु कटिबद्ध है।

वर्ष 1995-96 में मैदानी क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र के लिये 601.00 लाख रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है जो गत वर्ष 1994-95 के सापेक्ष 151.00 लाख रुपये अधिक है। पर्वतीय क्षेत्र में इसके अतिरिक्त 1995-96 में 100.00 लाख रुपये के परिव्यय की योजनायें क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर सूत उपलब्ध कराये जाने हेतु जनता वस्त्र के उत्पादन में प्रयोग में लाये जाने वाले सूत पर दस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

बुनकरों के कल्याणार्थ राज्य सरकार केन्द्र सरकार के सहयोग से अनेक योजनाओं यथा–बुनकरों के लिये सामूहिक बीमा योजना, बुनकर बहबूदी फण्ड, बुनकरों के उत्पादों के विपणन हेतु विपणन विकास योजना, प्रोजेक्ट पैकेज योजना, थिफ्ट फण्ड योजना, आवास-कम-कार्यशाला योजना, हेल्थ पैकेज योजना, हथकरघा विकास केन्द्र तथा हथकरघा विकास योजनाओं को ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ एकीकृत कर उनका संचालन कर रही है जिससे बुनकरों का सर्वांगीण विकास हो सके।

ग्रामीण क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिला योजना में ब्याज उपादान स्वीकृत करने हेतु वर्ष 1995-96 में 213.52 लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। कम्बल कारखाने का आधुनिकीकरण कर इसकी उत्पादकता में सुधार हेतु प्रथम चरण में मुजफ्फरनगर एवं मिर्जापुर कम्बल कारखानों के लिये 37.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों तथा संस्थान/समितियों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिये वर्ष 1995-96 में दो लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। खादी ग्रामोद्योग में लगे हुए कर्मियों तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये तथा प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों एवं संस्था समितियों को अलग-अलग समूहों में बांटकर पुरस्कृत करने की एक नई योजना बनाई गई है जिसके लिये 2 लाख रुपये की व्यवस्था वर्ष 1995-96 में की गयी है। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर खादी ग्रामोद्योग में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये गत वर्ष 8000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था। वर्ष 1995-96 में 13,859 उद्यमियों को चयन कर वित्त पोषण करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था और निर्यात के दृष्टिकोण से हस्त शिल्प उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उद्यमियों को प्रशासनिक तथा व्यवसायिक कठिनाई न हो, इसको सुनिश्चित करने के लिये निर्यात सेवा का एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत जिला, मण्डल व प्रदेश स्तर पर स्थापित उद्योग बन्धु फोरम को और प्रभावी बनाया जायेगा तथा अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।

प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास की काफी गुंजाइश है। अतः कीटपालकों की सुविधा के लिये उनके द्वारा उत्पादित रेशम कोयों के मूल्यों के अविलम्ब भुगतान के लिये नई कोया विपणन नीति तैयार की गयी है तथा अच्छी किस्म के बाईओलटीन प्रजाति के रेशम उत्पाद की नई योजना भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। रेशम उद्योग के विकास के लिये विश्व बैंक पोषित परियोजना के अन्तर्गत चार हजार टन प्रति वर्ष रेशम धागा उत्पादन की योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। रेशम उद्योग का

वर्ष 1994-95 का परिव्यय 300 लाख रुपये था जिसमें वृद्धि करके इस उद्योग की उपयोगिता को देखते हुए 370 लाख रुपये का परिव्यय वर्ष 1995-96 में निर्धारित किया गया है ।

इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है । इस तथ्य के परिपेक्ष्य में उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त एक इलेक्ट्रानिक सिटी एवं टेक्नोलाजी पार्क की स्थापना हेतु नोएडा में एक भू-क्षेत्र आरक्षित कराया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक निगम के माध्यम से संयुक्त तथा सहायतित क्षेत्र की इकाइयों में पूंजी विनियोजन, इलेक्ट्रानिक उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उच्चीकरण के लिये वर्ष 1995-96 में पांच करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने और बेरोजगारी दूर करने के लिये टी० वी० मरम्मत प्रशिक्षण योजना के साथ-साथ अनुसूचित जाति/जन-जाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिये दो सप्ताह का उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा । समाज के दुर्बल वर्ग की महिलाओं के लिये लखनऊ तथा आगरा में एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जायेगा ।

सार्वजनिक उद्यम

वर्ष 1993-94 के अन्त में प्रदेश में कार्यरत 50 निगमों में कुल शासकीय विनियोजन 10276.36 करोड़ रुपये था । वर्ष 1993-94 के दौरान इन निगमों ने कुल 6505.28 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया तथा इनमें कुल 103.07 करोड़ रुपये की हानि हुई । सामाजिक उद्देश्यों की आड़ में उपक्रम प्रबन्ध की उदासीनता, अकुशलता तथा अपव्यय को सहन नहीं किया जायेगा ।

वर्ष 1995-96 में प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों के उद्देश्यों एवं भूमिका को अधिक स्पष्ट किया जायेगा । इनकी वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था एवं कार्यचालन में गुणात्मक सुधार के ठोस प्रयास किये जायेंगे। अनुश्रवण एवं समीक्षा की वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जायेगा तथा उद्देश्यों एवं कार्य-लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्रबन्ध-तंत्र को उत्तरदायी बनाया जायेगा । इसके लिये उपक्रमों और प्रशासनिक विभागों के मध्य समझौता ज्ञापन प्रणाली लागू की जायेगी । साथ ही सरकार का यह भी प्रयास होगा कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रम अपनी आवश्यकताओं हेतु संसाधनों को स्वयं जुटाने में सक्षम हों, जिससे सीमित शासकीय संसाधनों का अन्य विकासात्मक कार्यों में सदुपयोग हो सके । उद्योगों के अंशकों का विक्रय करके शासकीय संसाधनों में वृद्धि की जायेगी । जिन राज्य उपक्रमों की उपयोगिता नहीं रह गयी है अथवा जो निरन्तर हानि पर चलने के कारण शासन पर बोझ स्वरूप हैं, उनके निजीकरण/पुनर्वासन आदि के संबंध में विचार किया जायेगा । ऐसा करते समय, यथासम्भव कार्मिक हितों का ध्यान रखा जायेगा ।

पर्यटन

धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक सम्पदा वाले इस प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण के पर्याप्त स्थल उपलब्ध हैं । पर्यटन के सर्वांगीण व त्वरित विकास के लिये 6 बल क्षेत्रों (थ्रस्ट एरिया) को

चिन्हित किया गया है। पर्यटन केन्द्रों के विकास व सौन्दर्यीकरण के लिये समुचित व्यवस्था की जा रही है।

पर्यटकों की रुचि के अनुसार धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों को अधिक आकर्षक बनाने की कार्य योजना तैयार की गयी है, जिसमें महत्वपूर्ण मेले, त्योहार, साहसिक क्रीड़ा, वन एवं वन्य जीव तथा क्षेत्रीय हस्त कलाओं व शिल्प कला का भी समावेश किया गया है। वर्ष पर्यन्त होने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संगोष्ठियों और बैठकों आदि के अवसर पर भी प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न सम्भावनाओं को व्यापक रूप से प्रचारित एवं प्रसारित किया जायेगा।

विदेशी पर्यटकों को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ओ० ई० सी० एफ०, जापान की सहायता से प्रमुख राष्ट्रीय/राजमार्गों का निर्माण तथा सुधार, कुशीनगर तथा सारनाथ में लैण्डस्केपिंग, गाजीपुर एवं दोहरीघाट में मार्गीय सुविधा का निर्माण, जल आपूर्ति एवं विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है।

पर्यटकों को त्वरित सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर एवं प्रदेश के अन्दर प्रमुख कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पेइंग गेस्ट योजना तथा ऋण उपादान योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। वास्तुकला एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से आकर्षक होटलों एवं महलों को हेरिटेज होटल योजना के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा एवं उनके हितों के लिये सोविनियर शाप्स, एक्सकर्शन एजेन्सी के पंजीकरण एवं सुरक्षा प्रबन्धों को चुस्त किया जायेगा।

सांस्कृतिक कार्य

प्रदेश में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में नवोदित प्रतिभा की खोज एवं विकास के लिये केन्द्र की स्थापना की जा रही है एवं युवकों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से भातखण्डे संगीत महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देना प्रस्तावित है।

प्रदेश की शास्त्रीय एवं लोक कलाओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से अयोध्या में सांस्कृतिक केन्द्र, लखनऊ में लोक एवं जन-जाति संस्कृति संरक्षण संस्थान तथा कन्नौज व कुशीनगर में संग्रहालय स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के नवीन भवन के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उपलब्धियों को संरक्षित रखने के लिये एक संग्रहालय की स्थापना की जा रही है तथा लखनऊ में गुरू-शिष्य परम्परा पर आधारित कत्थक संस्थान की भी स्थापना का प्रस्ताव है।

वन एवं पर्यावरण

वानिकी क्षेत्र में अधिक वित्त पोषण के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से समेकित वानिकी परियोजना तैयार की जा रही है जो लगभग 200 करोड़ रुपये के आकार की होगी तथा प्रथम चरण में 4 वर्ष के लिये होगी।

किसानों को अपनी भूमि पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों को काटने तथा उनके प्रकाष्ठ के परिवहन की व्यवस्था को सरलीकृत किया जा रहा है ताकि वानिकी कार्यक्रम में किसान का योगदान अधिक हो सके और उसको अपनी उपज के उपयोग में कठिनाई न हो।

वनों में अतिक्रमण तथा अवैध पातन को रोकने के संबंध में चिन्हित संवेदनशील जनपदों में तैनात वन विभाग के फील्ड स्तरीय कर्मचारियों को अस्त्र-शस्त्र देने, अधिकारियों को वाहन देने तथा कार्यालयों को दूर संचार व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। वन माफियाओं के विरुद्ध व्यापाक अभियान छेड़ा गया है।

खाद्य तथा रसद

उपभोक्ता संरक्षण को अधिक लोकप्रिय बनाया जायेगा तथा इसे जन आन्दोलन के रूप में विकसित किया जायेगा। इसके लिये आर्थिक सहायता प्राप्त करने की एक योजना तैयार करके केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है, जिससे राज्य आयोग एवं जिला फोरमों के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधायें सृजित की जा सकें।

यह सामान्य अनुभव रहा है कि रबी तथा खरीफ के समर्थन मूल्य पर खरीद के समय भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण क्षमता कम पड़ जाती है। केन्द्र सरकार और भारतीय खाद्य निगम से विचार-विमर्श और नियमित सम्पर्क करके इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अतिरिक्त भण्डारण क्षमता उन स्थानों पर सृजित कर दी जाए जहां कृषि उत्पादों की प्रमुखता से खरीद होती है।

पर्वतीय क्षेत्र की आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली/नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पूरी तरह से आश्रित है। प्रत्येक जनपद मुख्यालय तक खाद्यान्न पहुंचाना भारतीय खाद्य निगम का दायित्व है, परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा केवल तीन जनपदों के मुख्यालयों (उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और देहरादून) तक ही वर्तमान में खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। इस बात के सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं कि भारतीय खाद्य निगम शेष जनपद मुख्यालयों पर भी गोदाम बना करके वहां तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

राज्य सरकार के सीमित संसाधनों और पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर पर्वतीय क्षेत्र में आंतरिक गोदाम निर्मित कराये जाने की योजना है। इसके लिये 57 गोदाम निर्माण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिये गये हैं। शेष स्थानों का भी चयन कर लिया गया है और अतिशीघ्र प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जायगा।

नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदेश में दिनांक 1 जून, 1992 से लागू है। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर खाद्यान्न निर्गत किया जाता है। परन्तु वर्तमान में इस प्रणाली से प्रदेश के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्र के 20 जनपदों के 145 ब्लाक ही आच्छादित हैं। केन्द्र सरकार से यह प्रयास किया जाएगा कि अन्य जनपदों/क्षेत्रों में भी इस प्रणाली का विस्तार किया जाय।

राजस्व प्रशासन

समाज के निर्बल लोगों को ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि आवंटित करने का विशेष अभियान सरकार द्वारा चलाया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा हो । इस कार्य का प्रभावी अनुसरण उच्च स्तर पर किये जाने की व्यवस्था बनाई जाएगी ।

न्याय प्रशासन

प्रदेश में न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आर्थिक अपराधों के निस्तारण हेतु जनपद लखनऊ, आगरा, वाराणसी तथा मेरठ में विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव है । नवसृजित जनपद पडरौना, भदोही तथा महोबा में जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल जज न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय तथा पडरौना व भदोही में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के एक-एक न्यायालय के गठन का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त फैजाबाद, गढ़वाल, नैनीताल, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ में मण्डल स्तर पर एक-एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपदीय न्यायालयों के आधुनिकीकरण की योजना भी चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

प्रशासनिक सुधार

कागज में दिखाई गई विकास की तस्वीर और मौके पर पाई गयी वास्तविक स्थिति में अन्तर मिटाने के लिये सरकार कटिबद्ध है ।

कार्यक्रमों की भौतिक उपलब्धि के साथ ही साथ कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं प्रगति के आंकड़ों की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनाने पर बल दिया जाएगा तथा इस बात के ठोस प्रयास किये जायेंगे कि कार्यक्रमों का लाभ उसी वर्ग को मिले जिसके निमित्त वे क्रियान्वित किये जा रहे हैं ।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मूल्यांकन उनके कार्य पर होगा, उनकी जाति या धर्म पर नहीं ।

राजकीय कर्मचारियों तथा पेंशनरों को सुविधाएं

हम कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके हितों के प्रति जागरूक हैं ।

सेवा काल के दौरान राज्य कर्मचारियों के असामयिक निधन के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से वार्षिक अनुदान की धनराशि को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किये जाने का प्रस्ताव है ।

ऐसे राज्य कर्मचारी जिनका अवशेष सेवाकाल कम रह गया है, को भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम धनराशि अनुमन्य कराने के उद्देश्य से भवन निर्माण अग्रिम सम्बन्धी नियमों को और अधिक उदार बनाया जाएगा ।

हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों का निपटान समय से हो ।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के पेंशनरी लाभों के बिना विलम्ब भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सिविल सर्विस रेगुलेशन में संशोधन किया जाएगा ।

संस्थागत वित्त

प्रदेश के आर्थिक विकास में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं की अहम भूमिका है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित आर्थिक विकास दर को सुनिश्चित करने के लिये हमारा प्रयास होगा कि इन संस्थाओं के माध्यम से विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हेतु वित्त पोषण सुलभ कराया जाए। वित्तीय वर्ष 1995-96 में बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक एवं सहकारिता क्षेत्रों में 4500 करोड़ रुपये का संस्थागत वित्त जुटाए जाने का अनुमान है।

प्रदेश में स्थित व्यवसायिक बैंकों के गिरते ऋण जमा अनुपात को रोकने एवं इसमें वृद्धि लाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर से अनुश्रवण किये जाने के साथ-साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि उद्यमियों को आकृष्ट करने के लिये उचित वातावरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें ताकि बड़े एवं मध्यम उद्यमियों के साथ-साथ कृषि एवं कृषि पर आधारित उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग भी स्थापित हो सकें एवं प्रदेश का चहुमुखी विकास सम्भव हो सके।

प्रदेश में समाज के कमजोर वर्ग के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न बीमा कम्पनियों से 14 बीमा योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतिहर श्रमिकों, मत्स्य पालकों, वन श्रमिकों, हथकरघा बुनकरों, पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों एवं बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों को आवृत्त किया गया है। हमारा प्रयास होगा कि इन योजनाओं से आवृत्त व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।

दशम वित्त आयोग

दशम वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। दशम वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार कर केन्द्र सरकार ने 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिये आयोग की लगभग सभी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया है। इन संस्तुतियों के आधार पर केन्द्रीय करों के संवितरण के अन्तर्गत राज्य सरकार को वर्ष 1995-96 से 1999-2000 की पांच वर्ष की अवधि में 33,526.67 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी।

राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के पूर्वानुमानों का पुनः आंकलन करके वित्त आयोग ने 1995–2000 की अवधि के लिए वर्ष 1995-96 में 683.40 करोड़ रुपये व 1996-97 में 298.60 करोड़ रुपये का आयोजनेत्तर राजस्व घाटा अनुदान दिये जाने की संस्तुति की है। आयोग ने राज्यों को आयोजनागत राजस्व घाटा अनुदान दिये जाने की संस्तुति नहीं की है। वित्त आयोग ने प्रमुख प्रशासनिक एवं सामाजिक सेवाओं के वर्तमान स्तर के उन्नयन एवं उनमें गुणात्मक सुधार करने हेतु और पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं के समाधान हेतु 275.54 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान की संस्तुति की है।

संविधान के तिहत्तरवें तथा चौहत्तरवें संशोधन के अनुरूप ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के परिप्रेक्ष्य में दशम वित्त आयोग द्वारा इस राज्य की ग्रामीण पंचायतों हेतु 759.52 करोड़ रुपये एवं नगरीय स्थानीय निकायों हेतु 121.18 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 880.70 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान की संस्तुति की है।

आपदा राहत व्यय हेतु नवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत योजना ही दशम वित्त आयोग की संस्तुति अवधि में भी लागू रहेगी परन्तु इसकी निधि बढ़ा दी गयी है तथा इसके लिये प्रदेश को 494.00 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति होगी ।

दशम वित्त आयोग ने राज्यों की आपदा राहत निधियों के अतिरिक्त अभूतपूर्व आपदाओं के राहत व्यय के वित्त पोषण हेतु "आपदा राहत की राष्ट्रीय निधि" के गठन की भी संस्तुति की है जिसके लिये केन्द्र व राज्य सरकारें अंशदान देंगी । वर्ष 1995-96 व वर्ष 1995-2000 की अवधि में राज्य सरकार को इस निधि के लिये क्रमशः 9.01 करोड़ रुपये व 21.01 करोड़ रुपये का अंशदान देना होगा ।

दशम वित्त आयोग ने 1-राज्य विद्युत परिषद्, राज्य परिवहन निगम, अन्य राजकीय उद्यमों एवं सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों में सुधार, 2-वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्यों के कार्य-कलापों में सुधार, 3-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के मानक, 4-करों के बकायों की वसूली, 5-वर्तमान में प्रवृत्त शुल्कों प्रभारों व उपकरों की समीक्षा के उपरान्त यथोचित वृद्धि, 6-आयोजनेत्तर राजस्व व्यय की वृद्धि में कमी, 7-स्टाफ की संख्या में वृद्धि में रोक आदि के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां/मत दिये हैं । इन संस्तुतियों का तुरन्त क्रियान्वयन राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

इसी प्रकार वित्त आयोग ने राज्यों के ऋणों पर राहत हेतु तीन योजनाओं की संस्तुति की है । इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य को ऋणों के सम्बन्ध में राहत प्राप्त होगी ।

बीस सूत्री कार्यक्रम

यह सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष बल देगी । गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी निवारण, उत्पादकता में वृद्धि तथा आर्थिक एवं सामाजिक असमानताओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दृष्टि से यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है । समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग-अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं और इन्हें लागू करके जनता के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जा सकता है । उपलब्धियों का भौतिक सत्यापन किया जायगा तथा यह सुनिश्चित किया जायगा कि जो कार्य किये जायें, उनमें गुणात्मक सुधार आये । यह भी प्रयास किया जायगा कि विकास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों तथा आम जनता की समुचित भागीदारी रहे ।

उत्तराखण्ड विकास

पिछले वर्ष उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान खटीमा, मंसूरी, मुजफ्फरनगर व अन्य स्थानों पर दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटित हुईं । मुजफ्फरनगर काण्ड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है, जिसकी अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर हमने रिपोर्ट में वर्णित दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही स्वीकृत कर दी है । खटीमा तथा मंसूरी काण्डों की भी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की जा रही है । जांच के आधार पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है । उत्तराखण्ड के नागरिकों के विरुद्ध जो भी मुकदमें न्यायालयों में लम्बित थे, वे वापस ले लिये गये हैं तथा शेष मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है जिनकी जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तराखण्ड की विशिष्टताओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के तीव्र विकास के लिये विशेष ध्यान दिया जायगा । वर्ष 1995-96 के लिये 547 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय प्रस्तावित है जो पिछले वर्ष 1994-95 की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 1995-96 के कुल परिव्यय में विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि 225 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है ।

पर्वतीय क्षेत्र में चालू योजनाओं के सुदृढ़ीकरण तथा निर्माणाधीन कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु मुख्य प्राथमिकता दी जायगी । उत्तराखण्ड में पेयजल समस्या के निदान के लिए गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 1995-96 के लिये लगभग डेढ़ गुने से भी अधिक परिव्यय की व्यवस्था की गयी है । पुरानी क्षतिग्रस्त एवं निष्क्रिय पेयजल योजनाओं के पुनर्गठन एवं उन्हें सक्रिय किये जाने के लिये भी विशेष रूप से प्राविधान किया गया है । वर्ष 1995-96 में हमारी सरकार का यह प्रयास होगा कि समस्याग्रस्त शेष सभी गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जाय ।

वर्ष 1995-96 में सड़कों एवं पुलों के लिए 85 करोड़ रुपये का परिव्यय, लघु सिंचाई कार्यों के लिये 15.50 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विकास कार्यक्रमों के लिये 69 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है ।

पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित किये जाने हेतु निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायगा । उत्तराखण्ड में स्थित चारों धाम तथा पिथौरागढ़ को पर्यटन बल क्षेत्र घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत आवास, गृह, सुलभ शौचालय तथा अन्य मार्गीय सुविधाओं आदि का विकास किया जायगा । राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान, अल्मोड़ा के भवन का 3.36 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कराया जायगा । इसके लिये वर्ष 195-96 में 50 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है ।

पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण, साहसिक पर्यटन तथा प्रचार-प्रसार आदि हेतु भी व्यवस्था की गयी है । सुदूर क्षेत्रों में पर्यटकों की सुविधाओं के लिये उत्तरकाशी जनपद में चिनियालीसेंवण में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था की जा चुकी है । वर्ष 1995-96 में इस हवाई पट्टी के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायगा ।

इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए वानिकी, भूमि एवं जल संरक्षण, जलागम प्रबन्ध कार्यक्रमों पर भी बल दिया जायगा । उत्पादन और आय में वृद्धि के लिये बागवानी विकास, पशुपालन एवं दुग्ध विकास कार्यक्रम को वरीयता दी जायेगी । बागवानी विकास के लिये बेमौसमी सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, फलोत्पादन, पुष्प उत्पादन कार्यक्रमों में टिश्यूकल्चर विधि से गुणवत्ता में सुधार किया जायगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 1995-96 में 13.90 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है । दुर्गम इलाकों तथा यात्रा मार्गों की कठिनाईयों और खतरों को देखते हुए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली में 3 सचल चिकित्सा इकाईयों की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है । सुदूर इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सा संस्थाओं आदि को सुदृढ़ करने के लिए भी समुचित प्राविधान किया गया है । वर्ष 1995-96 के लिए चमोली जनपद में केदारनाथ राजकीय चिकित्सालय को 10 शैय्यायुक्त चिकित्सालय बनाने हेतु भवन निर्माण का भी प्रस्ताव है ।

पर्वतीय क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दलितों तथा महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार हेतु कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जायेगी । इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति, समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल कल्याण विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1995-96 में 23.50 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जो गत वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है ।

सूचना विभाग

सूचना क्रान्ति के इस दौर में पत्रकार-छायाकारों की भूमिका महत्वपूर्ण और जोखिम भरी हो गयी है । राजकीय अतिथि गृह की 2 जून, 1995 की घटनाओं का छायांकन जिस साहसिकता से छायाकारों ने किया और पत्रकारों ने जिस सजगता व यथार्थबोध के साथ जनता के सामने उन्हें रखा वह उनकी कर्तव्यपरायणता का सबूत है । मैं उन्हें हार्दिक बधाई देती हूं और इस सदन के माध्यम से उन्हें बताना चाहती हूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर यह सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे उस स्थिति में जब उनके कीमती उपकरण को किसी प्रकार की क्षति पहुंचे तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके ।

वित्तीय प्रबन्ध

राज्य की वार्षिक योजना के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार राजकीय व्यय में पूर्ण मितव्ययिता करेगी । इसके अन्तर्गत राजकीय व्यय पर नियंत्रण, व्यय बचत आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करने तथा फालतू अधिष्ठान को कम किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्मिलित है ।

राज्य सरकार ऐसे प्रभावशाली उपाय करेगी जिससे राज्य के राजस्व के वर्तमान स्रोतों से आय में पर्याप्त वृद्धि संभव हो सकेगी । बकाया राजकीय देयों की अधिक से अधिक वसूली की जायगी । इसके अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के संबंध में सुझाव देने हेतु मंत्रि-परिषद् की उप-समिति का गठन किया गया है । इस समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने पर राजस्व में अभिवृद्धि हेतु इनको शीघ्र कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

इस प्रकार राज्य सरकार विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण हेतु अधिकाधिक संसाधन जुटाने का हर संभव प्रयास करेगी ।

आय-व्ययक अनुमान 1995-96

अब मैं वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक अनुमानों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी । प्रस्तुत आय-व्ययक के अनुसार राजस्व व पूंजी लेखों को मिलाकर कुल प्राप्तियों का अनुमान 20953.87 करोड़ रुपये है । राजस्व प्राप्तियों की 14911.85 करोड़ रुपये की राशि में 5120.73 करोड़ रुपये केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश, 2820.42 करोड़ रुपये भारत सरकार से प्राप्य अनुदान, 5155.46 करोड़ रुपये राज्य सरकार का कर राजस्व तथा 1815.24 करोड़ रुपये का करेतर राजस्व सम्मिलित है । पूंजी लेखे की 6042.02 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियों में 5767.12 करोड़ रुपये की ऋणों से प्राप्तियां तथा 274.90 करोड़ रुपये की राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां सम्मिलित हैं ।

वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय 18041.00 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें सम्मिलित करते हुए 3205.15 करोड़ रुपये आयोजनागत मदों के लिए तथा 14835.85 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए है। पूंजीगत व्यय, राज्य सरकार द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी और ऋणों और अग्रिमों के संवितरण सम्मिलित करते हुए पूंजी लेखे का कुल व्यय 4910.62 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इसमें 1928.66 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं को सम्मिलित करते हुए आयोजनागत मदों तथा 2981.96 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के लिए हैं। इस प्रकार राजस्व और पूंजी लेखे में कुल 22951.62 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है जिसके कारण समेकित निधि के अन्तर्गत 1997.75 करोड़ रुपये का घाटा संभावित है।

लोक लेखा के अन्तर्गत 767.21 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों को हिसाब में लेकर आय-व्ययक वर्ष के समस्त लेन-देन के परिणाम स्वरूप 1230.54 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। वर्ष के 1053.72 करोड़ रुपये के वास्तविक प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने पर उक्त घाटा वर्ष के अन्त में घटकर 176.82 करोड़ रुपये रह जाने का अनुमान है।

इस घाटे को पूरा करने के उपायों की जानकारी मैं माननीय सदस्यों को वित्तीय प्रबंध से अवगत कराते समय दे चुकी हूं।

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के समस्त सदस्यों की कृतज्ञ हूं जिन्होंने धैर्यपूर्वक सुनकर मुझे अनुग्रहीत किया। मैं सम्मानित सदन के माध्यम से अपने प्रदेश वासियों को यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी सरकार नारों तथा घोषणाओं में नहीं वरन् नीतियों व कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में विश्वास करेगी। हम अपने सुख की आकांक्षा से सत्तारूढ़ नहीं हुए हैं। बल्कि दलगत राजनीति से परे रहकर प्रदेश की जनता के दुख दर्द तथा समस्याओं के निवारण के लिए कटिबद्ध हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों के अनुरूप भ्रातृत्व भावना से ओत-प्रोत सामंजस्यपूर्ण, समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश वासियों से कृपापूर्ण सहयोग, सहायता तथा सहभागिता की आकांक्षा करती हूं।

मंत्रि-परिषद् के सभी सहयोगियों की मैं अत्यन्त आभारी हूं कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट समय से प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकी हूं। मैं प्रमुख सचिव, वित्त के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है। वित्त विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुझे बजट बनाने के कार्य में जो सहयोग दिया है, उसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करती हूं। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया है। प्रमुख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूं।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वर्ष 1995-96 का आय-व्ययक प्रस्तुत करती हूं।

(मेजें थपथपाई गयीं)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करती हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

लेखानुदान की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

सुश्री मायावती–

माननीय, 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1995-96 के माह अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 14 जुलाई, 1995 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 53,08,84,26,000 रु० से अधिक न हो।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रस्ताव की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रस्ताव की प्रतियां बांटी गई)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 1995-96 के माह अगस्त, सितम्बर और अक्टूबर, 1995 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण, जो 14 जुलाई, 1995 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1–5 में दिये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय, जो 53,08,84,26,000 रु० से अधिक न हो ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर चर्चा की मांग

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश...

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, क्या इस पर चर्चा नहीं होगी, आप क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अनुज्ञा मिल गई, पुरःस्थापित होगा, उसके बाद इस पर विचार करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

हमारी आपत्ति आप नोट कर लें, इस पर विचार कर लें, तब पारित करें ।

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, लेखानुदान बजट विस्तार से आएगा, उस समय चर्चा हो जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप हमारी आपत्ति को दर्ज कर लें–आपने लेखानुदान बिना विचार कराये पारित कराया ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

विचार तो इसके उपरान्त होगा पहले पुरःस्थापित हो जाय ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 (क्रमागत)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करती हूं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जाएं ।

(प्रतियां वितरित होने के उपरान्त)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995

1 अप्रैल, 1995 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) अधिनियम, 1995 कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1995-96 के लिये 70,01,37,44,000 रुपये का दिया जाना ।

2–ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1995 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सम्बन्ध में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से उतना निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 70,01,37,44,000 रुपये (केवल सत्तर अरब, एक करोड़, सैंतीस लाख तथा चौवालिस हजार रुपये) होता है, अधिक न हो ।

विनियोग

3–इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं ।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1 आबकारी विभाग	..	राजस्व	4,21,03	3	4,21,06
		पूंजी	..	..	..

1	2		3		
2	आवास विभाग ..	राजस्व	4,91.64	3,72,50	8,64.14
		पूंजी	15,25.32	1,73.75	16,99.07
3	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	1,40.36	..	1,40.36
		पूंजी	3,75	..	3,75
4	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	1,74.66	3	1,74.69
		पूंजी	..	..	..
5	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	11,26.90	50	11,27.40
		पूंजी	78.97	..	78.97
6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	8,96,55	1,45	8,98.00
		पूंजी	41.27	1,43	42.70
7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व	1,04.99	15,00	1,19.99
		पूंजी	17,50.01	31,25	17,81.26
8	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	10,65,08	..	10,65.08
		पूंजी	..	..	..
9	ऊर्जा विभाग ..	राजस्व	1,26,25	..	1,26,25
		पूंजी	2,49,28,40	..	2,49,28,40
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	18,61,18	10,25	18,71,43
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	1,08,10	..	1,08,10

1	2			3	
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व	92,44.48	78	92,45.26
		पूंजी	43,84.84	13	43,84.97
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	12,15.01	..	12,15.01
	(क्षेत्रीय विकास)	पूंजी	12.50	..	12.50
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,41,64.11	100	3,41,65.11
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	8,40.73	..	8,40.73
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	38,06.47	5	38,06.52
	(पंचायती राज)	पूंजी	2.75	..	2.75
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व	37,03.81	13	37,03.94
		पूंजी	38.52	..	38.52
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	3,01.04	1	3,01.05
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	1,68.99	..	1,68.99
17	कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व	4,72.90	1	4,72.91
		पूंजी	25	..	25
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	7,51.36	2,49	7,53,85
	(सहकारिता)	पूंजी	15,06.87	7,41.55	22,48.42
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण	राजस्व	88.03	..	88.03
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी	..	..	..
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	36.50	1,99.50	2,36.00
		पूंजी	..	..	..
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	19,00.49	1,25.22	20,25.71
		पूंजी	4,67,70.50	17,50.13	4,85,20.63
22	खेल विभाग	राजस्व	2,79.43	..	2,79.43
		पूंजी	33.55	..	33.55
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	10,98.74	2,65	11,01.39
		पूंजी	..	1,28	1,28
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	4,17.98	6,05.10	10,23.08
		पूंजी	2,50.00	2,20.25	4,70.25

1	2			3	
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	16,37,36	*1*	16,37,37
		पूंजी	2,12,51	..	2,12,51
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	3,84,68,25	*39,38*	3,85,07,63
		पूंजी	1,25,00	*18,38*	1,43,38
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व	17,84,01	..	17,84,01
		पूंजी	..	..	..
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	8,36,11	..	8,36,11
		पूंजी	..	..	..
* 29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व	..	*51,63*	51,63
		पूंजी	..	..	..
30	गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व	25,20	..	25,20
		पूंजी	..	..	..
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व	39,58,40	*6*	39,58,46
		पूंजी	16,36	..	16,36
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	1,06,91,09	*25*	1,06,91,34
		पूंजी	9,23,53	..	9,23,53
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा	राजस्व	20,27,03	*1*	20,27,04
		पूंजी	21,66	..	21,66
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा)	राजस्व	7,20,96	*5*	7,21,01
		पूंजी	7,84	..	7,84
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	61,07,06	*10*	61,07,16
		पूंजी	1,54,46	..	1,54,46
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	53,53,95	*25*	53,54,20
		पूंजी	69,75	..	69,75
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	1,60,62,35	..	1,60,62,35
		पूंजी	35,75	..	35,75
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	1,60,93	..	1,60,93
		पूंजी	1,86,02	..	1,86,02
39	भाषा विभाग	राजस्व	64,34	*23*	64,57
		पूंजी	..	..	..

* भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या ।

1	2		3		
40	नियोजन विभाग	राजस्व	22,44,49	..	22,44,49
		पूंजी	17,50,00	..	17,50,00
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	37,86,06	..	37,86,06
		पूंजी	..	..	..
42	न्याय विभाग	राजस्व	35,68,83	*5,45,10*	41,13,93
		पूंजी	2,25,00	..	2,25,00
43	परिवहन विभाग	राजस्व	4,75,60	*3*	4,75,63
		पूंजी	7,03	..	7,03
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	2,68,21	..	2,68,21
		पूंजी	9,91,11	..	9,91,11
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व	72,67	..	72,67
		पूंजी	..	..	..
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	21,63	..	21,63
		पूंजी	..	..	..
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	21,81,36	*95,01*	22,76,37
		पूंजी	3,96,47	..	3,96,47
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	34,04	*68*	34,72
		पूंजी	..	..	..
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	35,19,28	..	35,19,28
		पूंजी	30,43	..	30,43
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	23,34,69	*9*	23,34,78
		पूंजी	1,80,00	..	1,80,00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	1,01,78,70	*1,18,08,73*	2,19,87,43
		पूंजी	35,31	*1,89*	37,20
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	1,23,69,40	*12,71*	1,23,81,75
		पूंजी	25,18	*2,63*	27,81
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	27,33	..	27,33
		पूंजी	25	..	25
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	73,50,02	*1,04*	73,51,06
		पूंजी	..	..	..
55	लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	3,70,27	*14,08*	3,84,35
		पूंजी	4,34,07	*25*	4,34,32

1	2			3	
56	लोक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	2,23,12	7,38	2,30,50
		पूंजी	11,70	3	11,73
57	लोक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	..	2	2
		पूंजी	59,55	23	59,78
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	46,23,31	3	46,23,34
		पूंजी	63,55,54	4,35	63,59,89
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	2,19,16	..	2,19,16
		पूंजी	2,74,38	..	2,74,38
60	वन विभाग	राजस्व	29,37,90	5	29,37,95
		पूंजी	21,71	..	21,71
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	3,75,26,66	8,64,34,40	12,39,61,06
		पूंजी	9,08,75,	5,76,37,47	5,85,46,22
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें)	राजस्व	1,37,48,93	3,84	1,37,52,77
		पूंजी	..	..	..
63	वित्त विभाग (कोषगार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	7,19,94	..	7,19,94
		पूंजी	4,98	..	4,98
64	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	2,01,41,19	..	2,01,41,19
		पूंजी	..	..	..
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	15,51,41	1	15,51,42
		पूंजी	..	..	..
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	19,26	14,96,48	15,15,74
		पूंजी	..	..	..
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	1,53,69	4,13	1,57,82
		पूंजी	..	..	..
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	4,40,10	7,81	4,47,91
		पूंजी	..	..	..
69	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग (विधान मण्डल)	राजस्व	..	..	..
		पूंजी	83	..	83

1	2			3	
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	5,12,00	..	5,12,00
		पूंजी	..	..	..
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	4,26,58,36	42,00,01	4,68,58,37
		पूंजी	..	..	..
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	2,71,48,43	25,01,39	2,96,49,82
		पूंजी	2,66,00	..	2,66,00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	63,64,36	78,75	64,43,11
		पूंजी	90,00	..	90,00
74	शिक्षा विभाग (प्रौढ़ शिक्षा)	राजस्व	3,94,60	..	3,94,60
		पूंजी	..	..	..
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व	9,54,77	..	9,54,77
		पूंजी	..	..	..
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	12,48,69	1	12,48,70
		पूंजी	..	..	..
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	18,26,48	5	18,26,53
		पूंजी	35,61	..	35,61
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	21,60,61	1	21,60,62
		पूंजी	..	..	..
79	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण)	राजस्व	34,23,73	1	34,23,74
		पूंजी	1	..	1
80	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण)	राजस्व	81,97,29	1	81,97,30
		पूंजी	1,19,19	..	1,19,19
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व	1,80,83	1	1,80,84
		पूंजी	36,46	..	36,46
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	1,92,16	18,52	2,10,68
		पूंजी	..	..	..
83	सहायता एवं पुनर्वासन विभाग	राजस्व	2,95	1	2,96
		पूंजी	1	..	1

1	2		3		
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	10.67	1	10.68
		पूंजी	..	..	..
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व	25.25	..	25.25
		पूंजी	..	..	..
86	सूचना विभाग	राजस्व	5,44.72	..	5,44.72
		पूंजी	..	..	..
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	2,57.21	1	2,57.22
		पूंजी	..	..	..
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	25.25	1	25.26
		पूंजी	94.57	..	94.57
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	24,80.73	29	24,81.02
		पूंजी	42.50	..	42.50
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	1,26.28	..	1,26.28
		पूंजी	..	..	..
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	4,23.65	1	4,23.66
		पूंजी	..	..	..
92	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	3,94.72	1	3,94.73
		पूंजी	2.50	..	2.50
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	86,30.79	25	86,31.04
		पूंजी	29,33.11	..	29,33.11
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	1,79,86.56	1	1,79,86.57
		पूंजी	1,40,10.06	25	1,40,10.31
95	उत्तराखण्ड विकास विभाग	राजस्व	61,88.01	3.51	61,91.52
		पूंजी	30,91.73	4.75	30,96.48
	योग :	राजस्व	41,42,52.02	10,86,63.18	52,29,15.20
		पूंजी	11,66,32.24	6,05,90.00	17,72,22.24
	कुल योग :		53,08,84.26	16,92,53.18	70,01,37.44

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

सुश्री मायावती–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत्ति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

आज दिनांक 14-7-95 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री बालेश्वर त्यागी की गाजियाबाद नगर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना तथा वर्तमान विद्यालयों में दो पारियों की शिक्षण अनुमति एवं शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना श्री रमेश कान्त लवानियां की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती हेतु 1991 में हुई परीक्षा को निरस्त किये जाने को गैर कानूनी करार दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसे भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना डा० रमेश पांखरियाल "निशंक" की जनपद चमोली में कर्णप्रयाग तहसील के अन्तर्गत भूस्खलन व भारी कटाव से लोगों का जीवन संकटमय होने के संबंध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है ।

चौथी सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों की बाढ़ से सैकड़ों गांवों में व्यापक तबाही की रोकथाम किये जाने के संबंध में है, इसको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । पांचवीं सूचना डा० राम बाबू हरित की आगरा महानगर में अश्लील पोस्टरों को हटाये जाने के संबंध में है, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री बदन सिंह की जनपद आगरा की किरावली तहसील में पीने के पानी की कमी के संबंध में, इस ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाएं जो श्री शिवदानी, श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री भैरो प्रसाद मिश्र, श्री बच्ची सिंह रावत, श्री मोहर सिंह व श्री रंगनाथ मिश्र की हैं, अस्वीकृत की जाती हैं ।

श्री कार्यवाहक अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । 17 जुलाई, 1995 को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 42 मिनट पर सोमवार, दिनांक 17 जुलाई, 1995 दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
14 जुलाई, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर का संलग्नक ।

पद	नाम	अवधि
1. अधिशासी अभियन्ता (प्रथम)	इं० एस० पी० सिंह	26-6-93 से पूर्व
तदैव	इ० के० एल० पाण्डेय	26-6-93 के बाद
2. अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय)	इं० सुरेन्द्र कुमार	19-7-93 से पूर्व
तदैव	इं० एन० एस० श्रीवास्तव	19-7-93 के बाद
3. सहायक अभियन्ता (ए० जी०–1)	इं० एस० के० गर्ग	3/93 से पूर्व
	इं० यू० सी० पन्त	3/93 के बाद
4. सहायक अभियन्ता (ए० जी०–2)	इं० वी० के० दीक्षित	4/93 से पूर्व
	इ० आलोक अग्रवाल	4/93 के बाद
5. सहायक अभियन्ता (आर० वाई०–1)	इं० बी० बी० श्रीवास्तव	4/93 से पूर्व
	इं० एस० के० रस्तोगी	4/93 के बाद
6. सहायक अभियन्ता (आर० वाई०–2)	इं० वी० वी० गोयल	6/93 से पूर्व
	इं० आर० के० श्रीवास्तव	6/93 के बाद
7. सहायक अभियन्ता (ए० जी०–1)	इं० जीत सिंह	12/92 से पूर्व
	इं० अजय मिश्रा	12/92 के बाद
8. सहायक अभियन्ता (ए० जी०–2)	इं० जीत सिंह	1/93 से पूर्व
	इं० के० के० दीक्षित	1/93 के बाद
9. सहायक अभियन्ता (ए० बी०–1)	इं० वी० पी० कपूर	4/93 से पूर्व
	इं० आर० एम० चित्रांशी	4/93 के बाद
10. सहायक अभियन्ता (ए० बी०–2)	इं० एस० के० रस्तोगी	4/93 से पूर्व
	इं० वी० के० दीक्षित	4/93 के बाद
11. सहायक अभियन्ता (पावर ग्रुप)	इं० एस० सी० श्रीवास्तव	7/93 के बाद
12. सहायक अभियन्ता (डाटा फीडिंग)	इं० संतोष कुमार	4/92 से 6/92 तक
	इं० एस० एस० राय	8/95 से पूर्व
	इं० आर० के० शर्मा	8/93 के बाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पद	नाम	अवधि
अवर अभियन्ता		
(डाटा फीडिंग)	श्री वी० के० श्रीवास्तव	पूर्ण कार्यकाल
(डिस्पैच क्लैक)		
(डाटा फीडिंग)	श्री प्रेम सिंधु पाण्डेय	पूर्ण कार्यकाल

उपरोक्त के अतिरिक्त संबंधित अनुभाग में एक सहायक लेखाकार भी कार्यरत रखा जिसका नाम श्री रमेश चन्द्र है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र के प्रथम शुक्रवार का अतारांकित प्रश्न संख्या 16 से संबंधित ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्,

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ ।

सं० 3082–जी० ए०/राविप-12/87-16(9)जीए/74

दिनांक सितम्बर, 19.1987

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० रा० वि० प० ।

(2) समस्त महाप्रबन्धक, उ० प्र० रा० वि० प० ।

(3) समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० रा० वि० प० ।

(4) समस्त अपर मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० रा० वि० प० ।

विषय :–कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोनों पर व्यय में मितव्ययता ।

महोदय,

परिषदीय अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों पर उपलब्ध कराये गये टेलीफोनों पर होने वाले व्यय में मितव्ययता सुनिश्चित किये जाने संबंधी परिषदादेश सं० 309–एस० ए०/रा०वि०प–7/75 दिनांक 10-1-1975 द्वारा प्रत्येक आवासीय टेलीफोनों पर प्रति तीन मास में अधिकतम 1000 काल्स की सीमा निर्धारित करते हुए यह आदेश किये गये थे कि उक्त सीमा से अधिक काल्स (डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित निःशुल्क काल्स को छोड़कर) का भुगतान संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा । उक्त परिषदादेश में निहित टेलीफोनों पर आने वाले व्यय में मितव्ययता संबंधी अन्य उपायों को अपनाये जाने हेतु निर्देशों के अतिरिक्त परिषदाज्ञा सं० 308–एस०ए०/राविप–7/75-16(9)एसए/74 दिनांक 10-1-75 द्वारा परिषदीय कार्यालयों में लगे समस्त टेलीफोनों पर से सीधी ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) की सुविधा तुरन्त हटवाये जाने के आदेश भी किये थे ।

2–परिषद् की वर्तमान गम्भीर वित्तीय कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए परिषद् द्वारा अधिकारियों के कार्यालय एवं आवास पर स्वीकृत टेलीफोनों पर होने वाले व्यय में अत्यधिक मितव्ययता रखने हेतु पूर्व में जारी सभी आदेशों को निरस्त करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किये जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :–

1–टेलीफोन पर एस० टी० डी० की सुविधा यथावत् निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालय एवं आवासीय टेलीफोनों पर लागू रहेगी ।

1–अध्यक्ष

2–समस्त सदस्य

3–सचिव

4–निदेशक (कार्मिक)

5–समस्त मुख्य अभियन्ता (लेवेल एक व दो)

6–अधीक्षण अभियन्ता (प्रणाली)

7–लखनऊ, साहूपुरी, मुरादाबाद, रुड़की एवं पनकी स्थित सिस्टम कन्ट्रोल ।

उपरोक्त (1) के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों के आवासीय एवं कार्यालय के टेलीफोनों पर एस० टी० डी० सुविधा (जब तक कि परिषद् की विशिष्ट अनुमति प्रदान न की गयी हो (अनुमन्य न होगी) यदि उनके कार्यालय/आवासीय टेलीफोन पर वर्तमान में उक्त सुविधा उपलब्ध है तो ऐसे टेलीफोनों पर से एस० टी० डी० सुविधा तत्काल समाप्त कराये जाने हेतु डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान एवं अन्य औपचारिकतायें (जिनका विवरण डाक तार विभाग की टेलीफोन निर्देशिका में उल्लिखित है । पूरी करके यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसे टेलीफोनों पर उक्त सुविधा तत्काल हटा ली गयी है । यदि इन आदेशों के जारी होने के उपरान्त उचित अवधि (एक माह) के बाद ऐसे किसी टेलीफोन पर एस० टी० डी० की सुविधा उपलब्ध पायी जाती है तो संबंधित अधिकारी परिषदीय आदेशों की अवहेलना के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

3–ऐसे आवासीय टेलीफोनों के लिये जिन पर एस० टी० डी० सुविधा अनुमन्य/उपलब्ध नहीं है दो मास में अधिकतम 700 (सात सौ) काल्स की सीमा निर्धारित की जाती है । इसमें डाक तार विभाग द्वारा निर्धारित निःशुल्क काल्स सम्मिलित नहीं होगी । इससे अधिक काल्स व्यक्तिगत काल्स मानी जायेगी । यदि अपरिहार्य कारणों से परिषदीय कार्य हेतु इससे अधिक काल्स करना आवश्यक हो जाता है तो संबंधित उच्च नियंत्रक अधिकारी प्रति दो मास में परन्तु हर दशा में बिल्स के भुगतान करने के पूर्व अधिकतम 500 (पांच सौ) अतिरिक्त काल्स की अनुमति प्रदान कर सकता है । नियंत्रक अधिकारी अधिक काल्स की अनुमति देते समय इसके औचित्य को लिखित रूप से अंकित करेंगे इस प्रकार की अनुमति विशेष परिस्थिति में ही देंगे परन्तु ऐसा अनुमोदन हर बार के लिये लागू नहीं होगा ।

4–उपरोक्त (3) में लगाये गये काल्स की अधिकतम सीमा का प्रतिबन्ध उपरोक्त मद (1) में उल्लिखित अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होगा ।

5–जिन अधिकारियों को पूर्व में प्रसारित किन्हीं आदेशों के अन्तर्गत टेलीफोन्स में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गयी थी (उपरोक्त) (1) से आवृत अधिकारियों को छोड़कर) वे परिषद् को इन आदेशों के निर्गत होने के तुरन्त बाद परिषदीय आदेशों की प्रति भेजते हुए पुनः एस० टी० डी० सुविधा यथावत् लागू रखे जाने के लिये प्रस्ताव परिषद् को उपलब्ध करायें जिससे कि उस पर किया जा सके और आवश्यकतानुसार आदेशों को नवीनीकृत किया जा सके । परन्तु ऐसे आदेशों के निर्गमन के दो माह के अन्दर अवश्य प्राप्त कर लें अन्यथा दो माह के बाद इन टेलीफोनों पर भी उपरोक्त (2) में दिये गये प्राविधान स्वतः प्रभावी हो जायेगी ।

6–ट्रंककाल के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :–

(अ) प्रस्तर 2 (1) में उल्लिखित अधिकारियों को छोड़कर अन्य अधिकारी महत्वपूर्ण ट्रंककाल नहीं करेंगे (मुख्य अभियन्ता की ओर से भी नहीं ।

(ब) उप खण्ड अधिकारी (वितरण/पारेषण/परीक्षण) सामान्यतः ट्रंककाल अपने मण्डल के अन्तर्गत ही कर सकेंगे ।

(स) अधिशासी अभियन्ता (वितरण/पारेषण/परीक्षण) सामान्यतः ट्रंककाल केवल अपने मण्डल के अन्तर्गत एवं अपने मुख्य अभियन्ता (लेवेल दो) के कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों तक ही करेंगे।

(द) अधीक्षण अभियन्ता ट्रंककाल सामान्यतः उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत ही करेंगे।

(प) उपरोक्त (स) एवं (द) में उल्लिखित अधिकारियों को यदि कथित क्षेत्रों से बाहर ट्रंककाल करने की आवश्यकता अपरिहार्य कारणों से होती है तो इसके लिये संबंधित नियंत्रक अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7–कार्यालय में लगे टेलीफोन पर भी अत्यधिक मितव्ययता की जाय तथा इस पर आने वाले व्यय को कम से कम रखने का हर सम्भव प्रयास किया जाये।

भवदीय

ह०

(भुवन भूषण शर्मा)

सचिव।

सं० 3082(1) जी० ए०/राविप–12/87 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० रा० वि० प०, लखनऊ।

2–मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, उ० प्र० रा० वि० प०, लखनऊ।

3–लेखाधिकारी (पी० एण्ड ए) उ० प्र० रा० वि० प०, लखनऊ।

4–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ० प्र० रा० वि० प०, ।

5–समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० रा० वि० प०, ।

6–मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक।

आज्ञा से,

ह० विनय कुमार अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 95 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री शारदा प्रसाद जायसवाल द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर का संलग्नक–

सेवा में,

श्रीमान् ऊर्जा मंत्री,

उ० प्र० शासन, लखनऊ।

प्रार्थना-पत्र की विषय वस्तु

श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता उपरोक्त परिचालक, उप गृह खड्डा (विद्युत विभाग) के काले कारनामों से सन्दर्भित।

महोदय,

निवेदन है कि श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता उपरोक्त आज के सोलह साल पूर्व से सतत् एक ही स्थान पर कार्यरत है। इसी परिपेक्ष्य में विद्युत विभाग को इस व्यक्ति ने सफेद हाथी मानकर जो घिनौने कृत्य अख्तियार किये उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण प्रशासन की छवि उज्जवल करने की दिशा में यहां जनहित में प्रस्तुत है :–

1–यह कि खड्डा विद्युत केन्द्र के क्षेत्राधिकारी में ग्राम गोनहा से छोटी गण्डक की दूरी लगभग 3 किलोमीटर, गठिया से ग्राम लगड़ी विशुनपुरा की दूरी लगभग दो कि० मी०, सिसवा गोपाल से "सी" स्तर तक की दूरी 2 कि० मी० तथा मदनपुर से गैनटी जंगल की दूरी 2 कि० मी० है। उक्त सीमा में अब स्थित कुल 70 रेल ज्वाइन्ट्स जो विद्युत विभाग द्वारा लगाये गये थे और जिनकी कीमत लगभग 5.00 लाख रुपये होंगे, गायब कर दिये गये है जिसमें श्री गुप्ता उपरोक्त की ही साजिश थी।

2–यह कि यहां पर एक ऐसा संगठित दल हो चुका है जो कर्मचारी श्री गुप्ता के माध्यम से तारों तथा ज्वाइन्ट्स की चोरी करता है और पूर्ण संरक्षण में बेच देता है।

3–यह कि श्री गुप्ता ने एक लाचार महिला का खेत अवैध बैनामें के जरिये जबरन हड़प लिया है तथा उक्त महिला दर-दर की ठोकरें खा रही है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यक्ति के ऊपर 420 बल्ली बेचने तथा फर्जी बैनामें का मुकदमा अदालत में लम्बित है।

4–यह कि उपरोक्त व्यक्ति अपने काले कारनामें के जरिये जेल यात्रा भी किया है। इसकी गतिविधियों से समग्र जन द्वारा पुलिस को अवगत कराया जा चुका है किन्तु प्रशासनिक तौर पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

एतदर्थ एक नागरिक कर्तव्य के रूप हम प्रार्थी सूचनार्थ अपनी फरियाद प्रशासन तक पहुंचना चाहते है।

अतः निवेदन है कि श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता उपरोक्त की समस्त गतिविधियों को मद्देनजर एक अपेक्षित जांच बैठाई जावे जिससे उक्त व्यक्ति के स्वेच्छाचार व दुराचार से आम जनमानस आन्दोलित व विगलित होने से बच सके ।

प्रार्थी,
ह०/-
(हौसिला प्रसाद शर्मा)
अध्यापक
खड्डा (देवरिया)

नोट–एतद् संदर्भित समस्त साक्ष्य समानुकुल
प्रस्तुत किये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर)

वर्ष 1994 में प्राधिकरण की भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाये जाने का विवरण

क्रमांक	दिनांक	कृत कार्यवाही
1	04-01-94	नेहरू नगर III एफ–294 के आवंटी द्वारा सड़क पर टीनसेड व चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटवाया।
2	01-02-94	शास्त्री नगर प्लाट सं०–एस० जी० 67/4 पर डेरी चलाकर अतिक्रमण किया गया था जिसे खाली कराया गया और आवंटी को कब्जा दिलाया गया।
3	09-02-94	नासरपुर फाटक के पास कविनगर की तरफ सड़क की भूमि पर अवैध दुकान का निर्माण किया गया था जिसे हटवाया गया।
4	01-02-94	प्रताप विहार सं०–II में प्लाट सं०–ई० 187ए के पास खाली भूमि पर चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था जिसे हटवाया गया।
5	09-02-94	शास्त्री नगर जी० ब्लाक मार्केट में दुकानों के आगे पार्किंग स्थल पर अतिक्रमण किया जा रहा था जिसे हटवाया गया।
6	18-03-94	हापुड़ रोड पुल के नीचे क्योस्क के आवंटी श्री फिरोज खां द्वारा क्योस्क के पीछे खाली भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था जिसको हटवाया गया।
7	19-03-94	कवि नगर में जैन मन्दिर के पास भूमि पर चार दीवारी बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था जिसे हटवा दिया गया था।
8	25-04-94	सम्राट होटल के पीछे किरन एन्क्लेव के भवन मालिकों के द्वारा सड़क पर दीवार लगाकर अतिक्रमण किया गया था जिसे हटवा दिया गया था।
9	29-05-94	ग्राम छिजारसी में अवैध रूप से बनायी गयी चार दीवारी को तोड़ा गया।
10	30-06-94	विजय नगर से 9 में राज नर्सिंग होम के सामने सड़क पर एक-एक कमरा बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिसे हटवा दिया गया था।
11	11-08-94	विजय नगर प्रताप विहार में प्राधिकरण की भमि पर कई जगह अवैध कब्जे किये हुए थे जिनको खण्ड–13 के सहायक अभियन्ता इन्चार्ज के निर्देशानुसार हटवाया गया।
12	12-08-94	अम्बेडकर रोड पर प्लाट सं०–53, 54 पर तारों के फैन्सिंग कर अवैध कब्जा किया जा रहा था जिसको हटवा दिया गया।
13	17-08-94	विजय नगर से 9 एवं प्रताप विहार में दिनांक 11-8-94 को जो अतिक्रमण हटाये गये थे उसमें पुनः चार दीवारी कर ली गयी थी जिसको हटवाया गया।

क्रमांक	दिनांक	कृत कार्यवाही
14(ए)	18-10-94	"के" ब्लाक विजय नगर में भवन सं०-179 [illegible] व 180 [illegible] आवंटियों द्वारा पीछे रास्ते पर दीवार लगाकर अतिक्रमण किया गया जिसको हटवा दिया गया।
14(बी)	18-10-94	भवन सं० डी० 206 के आवंटी द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर तीन दुकानों का अवैध निर्माण पर अतिक्रमण किया गया जिसको हटवा दिया गया।
15	28-10-94	भवन सं० ई० 120 संजय नगर के आवंटी द्वारा सड़क पर चाहर दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिसको हटवा दिया गया।
16(ए)	25-11-94	ब्लाक-12 राज नगर के पार्क में अवैध रूप से चल रही डेरी को हटवाया गया।
16(बी)	25-11-94	से 23 पी ब्लाक में अभि० खण्ड-1 की सूची के अनुसार अवैध रूप से रह रहे लोगों से भवन खाली कराकर अभियन्त्रण खण्ड-1 के कर्मचारियों को कब्जे दिलवाये गये।
17	26-11-94	से 23 संजय नगर के "एन" ब्लाक में निमित्त भवनों में अवैध रूप से रह रहे लोगों से भवन खाली कराया गया।
18(ए)	28-12-94	विजय नगर से 9 में 18 एच० आई० जी० भवनों के पीछे प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था जिसको हटवाया गया।
18(बी)	28-12-94	विजय नगर से 9 "एच" ब्लाक के पार्क में लगभग 20 झुग्गियां बनाकर अतिक्रमण किया गया था जिनको हटवाया गया।
18(सी)	28-12-94	विजय नगर में धारा सिंह हाई स्कूल से लेकर 3 ब्लाक तक सड़क पर किये गये अवैध निर्माण को हटाया गया।
19	04-09-94	जी० टी० रोड कचहरी के साथ में दो दुकानें गिराई गयी थीं।
20	10-09-94	शास्त्री नगर में स्थित "जी" ब्लाक में खोके तुड़वाये गये
21	25-04-94	विवेकानन्द नगर में तीन दुकानें तुड़वायी गयीं।
22	24-05-94	गुरू नानक फर्नीचर के द्वारा किया गया अवैध निर्माण गिराया गया।
[illegible]	05-10-94	के० डी०/92 कवि नगर में किये गये अवैध निर्माण को रुकवाया गया।
[illegible]	19-08-94	के० एफ०/18 में किये गये अवैध निर्माण को गिराया गया।
[illegible]	28-09-94	बी-9 अशोक नगर में निर्माण रुकवाया गया।
[illegible]	19-08-94	भूखण्ड सं० 505 रामनगर में किये गये अवैध निर्माण को गिराया गया।

27	18-07-94	"डी" ब्लाक कविनगर में स्थित डेरियों को हटवाया गया ।
क्रमांक	दिनांक	कृत कार्यवाही
28	18-07-94	शास्त्री नगर में स्थित झुग्गियां तुड़वायी गयी ।
29	24-08-94	शास्त्री नगर में प्लाट सं० सी-200 से अवैध कब्जा हटवाया गया ।
30	23-08-94	शास्त्री नगर में स्थित भूखण्ड सं० एस० एम०-1 से अवैध निर्माण हटवाया गया ।
31	20-05-94	विवेकानन्द नगर में 413 बी से अवैध कब्जा हटवाया ।
32	12-07-94	के० ई० ब्लाक के मार्केटड में के० आई० नं०-1 की दुकान के मालिक द्वारा किया गया अवैध निर्माण गिराया ।
33	15-06-94	गुरुशाला गर्ल्स कालेज के सामने खड़क सिंह द्वारा बनाई गयी पांच दुकानों को गिरवाया गया ।
34	24-06-94	कविनगर में स्थित के० एफ० 136 प्लाट का अवैध निर्माण तुड़वाकर खाली करवाया गया ।
35	02-07-94	नेहरू नगर में स्थित शिव मन्दिर के साथ लगभग 6 मकान मालिक द्वारा किया गया अवैध निर्माण को तुड़वाया गया ।
36	04-01-94	विजय नगर स्थित ख० नं० 183 व 184 पर जी० डी० ए० की भूमि पर हुए अतिक्रमण को अभियन्त्रण खण्ड के स्टाफ के साथ हटाया गया ।
37	21-11-94	जैन मन्दिर के साथ लगी भूमि पर अवैध रूप से बनायी गयी बाउन्ड्रीवाल गिरायी गयी ।
38	22-11-94	मिर्जापुर (प्रताप विहार) में सामुदायिक केन्द्र भवन हेतु छोड़ी गयी भूमि पर बनाये जा रहे अवैध निर्माण तुड़वाये ।
39	22-11-94	कविनगर हाइडिल कालोनी में सामने सड़क पर खोखे आदि हटाये गये ।
40	09-12-94	गौशाला फाटक पर प्रस्तावित पुल के लिये भूमि हेतु अभियन्त्रण खण्ड-7 के साथ दुकानों का डिमोलेशन किया गया ।
41	20-12-94	ओ० एस० डी० महोदय के निर्देश में पुराने बस अड्डे (जी० डी० ए०) आफिस के पीछे की ओर जी० डी० ए० स्टाफ क्वाटरों में अवैध बनी दुकाने तुड़वायी गयी ।
42	10-01-95	हापुड़ रोड फ्लाई ओवर के आगे कविनगर के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाये गये ।
43	20-05-95	वृज विहार चन्द्र नगर चौराहे से सड़क के किनारे अतिक्रमण के रूप में स्थित 20 अवैध क्योस्क हटाये गये ।

अतिरिक्त प्रति

44	20-07-94	नवीन पार्क राजेन्द्र नगर से तीन के बीच में 25 अवैध अतिक्रमण हटाये गये ।

क्रमांक	दिनांक	कृत कार्यवाही
45	03-08-94	चन्द्र नगर सूर्य नगर चौराहे पर स्थित लगभग 15 अतिक्रमण, जो होटलों के रूप में थे, हटाये गये ।
46	08-09-94	बृज विहार में आवंटियों द्वारा अपनी सीमा के बाहर सड़कों पर बनायी गयी चहार दीवारी गिरायी गई ।
47	08-09-94	सूर्य नगर की "बी" ब्लाक स्थित जी० डी० ए० कामर्शियल काम्पलेक्स में दुकानदारों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया ।
48	13-01-95	वैशाली में लिंक रोड पर स्थित लगभग 13 प्रापर्टी डीलर के खोखे तथा लगभग 4 खोखे (होटल) को हटाये गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृ० 21 पर।

लेसू के अन्तर्गत सब-स्टेशन वार प्रतिमाह भुगतान किये गये ओवर टाइम का विवरण

वित्तीय वर्ष 1994-95

क्र० सं०	सब स्टेशन का नाम	त्रैमास समाप्ति			योग	ओवर टाइम की एक माह औसत धनराशि
		3/94	6/94	9/94		
(अ)	उप स्थानीय अभियन्ता (आलमबाग)					
1	सिंगार नगर	3399	41682	98500	143581 = 9	15953.44
2	आदर्श नगर	9603	46820	138207	194630 = 9	21625.55
3	33 के० वी० नहर पार	17634	80365	112115	210114 = 9	23346.00
4	33 के० वी० एल० डी० ए०	5174	12391	55287	72852 = 9	8094.66
5	राजाजीपुरम्–I	27185	55176	43553	125914 = 9	13990.44
6	राजाजीपुरम् II	7771	28326	56632	92729 = 9	10303.22
7	तालकटोरा	39291	41714	69113	150218 = 9	16690.88
8	अपट्रान	20182	51277	106101	177560 = 9	19728.88
9	ऐशबाग	31395	29625	50502	111522 = 9	12391.33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		4		5
(ब) उप स्थानीय अभियन्ता (रेजीडेन्सी)						
10	अमीनाबाद	32033	66842	503370	602245 = 9	66916.11
11	यू० पी० आई० एल०	7820	45530	240714	294064 = 9	32673.77
12	जी० टी० आई०	5974	25812	182776	214562 = 9	23840.22
13	विक्टोरिया	21848	29247	94851	145946 = 9	16216.22
14	मेडिकल कालेज	2354	31344	75593	110291 = 9	12254.55
15	गऊघाट	18033	39719	129973	187725 = 9	20858.33
16	बालाघाट	3857	44189	55824	103870 = 9	11541.11
17	रेजीडेन्सी	17732	24504	60971	103207 = 9	11467.44
18	हनुमान सेतु	14825	31877	94507	141209 = 9	15689.88
(स) उप स्थानीय अभियन्ता (अलीगंज)						
19	महानगर/निशातगंज	57579	88470	123473	269522 = 9	29946.88
20	अलीगंज	56653	131787	195160	383600 = 9	42622.22
21	निराला नगर/डालीगंज	62860	144341	202783	409984 = 9	45553.77

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3		4		5
(द)	उप स्थानीय अभियन्ता (हुसैनगंज)					
22	एबटरोड	49121	103491	165684	318296 = 9	35366.22
23	लालबाग	9620	16560	26320	52500 = 9	5833.33
24	राजभवन	20244	20678	22681	63603 = 9	7067.00
25	हुपर रोड	16527	18994	23187	58708 = 9	6523.11
26	जवाहर भवन	31792	29925	29321	91038 = 9	10115.33
27	क्लाइव रोड	51986	110814	117969	280769 = 9	31196.55
28	कैन्ट	46468	92867	124976	264311 = 9	29367.88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृष्ठ 35 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1995 के 1ले शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री अमर नाथ यादव, मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर का संलग्नक-1।

वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में विकसित मलिन बस्तियों की सूची :

1-काजीपुर खुर्द	15-वरूणापुल	29-कटरा दाराशिकोह
2-कज्जाकपुरा	16-शादुल्लापुरा	30-अनौला
3-नवापुरा	17-छोटी मलदहिया	31-चमरौटिया
4-सरैया	18-पियरी पोखरी	32-तेलियाबाग
5-ओंकालेश्वर	19-कमलगड़हा	33-अलईपुर (नार्थ)
6-कोनिया	20-सरैया उत्तरी	34-अन्साराबाद (नार्थ)
7-काजीपुरा खुर्द (पूर्वी)	21-सरैया (दक्षिणी)	35-मो० शहीद
8-नक्खी घाट	22-अमरपुर बटलोहिया	36-कुतबन शहीद
9-लहंगपुरा	23-जलालीपुरा (उत्तरी)	37-पलंग शहीद
10-सिकरौल	24-राजाबाजार	38-खजुरीगोला
11-सुअर बड़वा	25-मलहिया टोला	39-कोनिया सट्टी
12-शैलपुत्री	26-पुलकोहना	40-काजीपुर खुर्द
13-पंचइतिया	27-अनपाराबाद	41-तेलियाना
14-कोनिया सट्टी	28-बघवानारा	42-ढेलवरीया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुबंध 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं०-96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

दिनांक 31-8-78 एवं 1-9-78 को चिकित्साधिकारी पद (सामान्य ड्यूटी) पर साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
	सर्वश्री/डा०
1	योगेन्द्र सिंह (एम० बी० बी० एस०)
2	अनूप कुमार भटनागर (एम० बी० बी० एस०)
3	दीपक साहनी (एम० बी० बी० एस०)
4	ब्रिज मोहन सोनी (एम० बी० बी० एस०)
5	अरुण कुमार (एम० बी० बी० एस०)
6	मणि कान्त भटनागर (एम० बी० बी० एस०)
7	एच० के० शर्मा (एम० बी० बी० एस०/डिपार्ट/ओआरडी)
8	राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (एम० बी० बी० एस०)
9	अनिल कुमार (एम० बी० बी० एस०/टीसीडी)
10	स्वर्ण कुमार बासु (एम० बी० बी० एस०)
11	सुखेन्द्र प्रताप सिंह (एम० बी० बी० एस०)
12	अमर नाथ सक्सेना (एम० बी० बी० एस०)
13	वी० कैलाश राठौर (एम० बी० बी० एस०)
14	राकेश खरे (एम० बी० बी० एस०)
15	रजनी कान्त सप्रे (एम० बी० बी० एस०)
16	दया प्रकाश (एम० बी० बी० एस०)
17	मोहनुद्दीन खान (एम० बी० बी० एस०)
18	राजेश कुमार गोयल (एम० बी० बी० एस०/एस० डी०)
19	धीरेन्द्र कुमार (एम० बी० बी० एस०/एस० डी०)
20	रवीन्द्र नाथ मेहरा (एम० बी० बी० एस०)
21	अशोक प्रताप सिंह (एम० बी० बी० एस०/एम० एस०)
22	राजीव कुमार चतुर्वेदी [illegible] बी० एस०/एम०एस०)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
23	चन्द्र गुप्ता (एम० बी० बी० एस०/एम०एस०)
24	राम जीत राम (एम० बी० बी० एस०/डी० (आर्थो)
25	केशव नारायण श्रीवास्तव (एम० बी० बी० एस०/एम०एस०)
26	शिव प्रताप नारायण (एम० बी० बी० एस०/डी०एल०ओ०)
27	नरेनद्र कुमार (एम० बी० बी० एस०/डीटीसीडी)
28	नवीन कुमार (एम० बी० बी० एस०)
29	अशोक कुमार अग्रवाल (एम० बी० बी० एस०/एम०डी०)
30	शिव मूर्ति सिह (एम० बी० बी० एस०)
31	सुधीर सिंह चौहान (एम० बी० बी०/एम०डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 24-11-78 को चिकित्साधिकारी विशेष पद पर साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
	सर्वश्री/डा०
1	गोपाल जी (एम० बी० बी० एस०/ओए)
2	विजय कुमार (डी०अर्थ)
3	धीरेन्द्र कुमार (एम०डी०)
4	श्रीमती नलिनी ए० टण्डन (एम० बी० बी० एस०/डीसीएच)
5	राजीव गोयल (एम० डी० डी० एस०/डीसीएच)
6	राम निवास गोयल (डीसीएच)
7	अजय कुमार (एम० बी० बी० एस०)
8	सुरेश चन्द्र वर्मा (एम० डी० बी० एस०/डीएमआरई)
9	अरूण कुमार सिन्हा (डीजीओ)
10	कु० कुसुम महेन्द्र (डीजीओ)
11	श्रीमती मंजुवानी दानी (एम० डी० बी० एस०)
12	श्रीमती वीना मालवीय (दुबे) (एम० डी० बी० एस०)
13	कु० मुष्यमित्र वर्मा (एम० बी० बी० एस०)
14	श्रीमती आशा रानी वर्तक (एम० बी० बी० एस०)
15	कु० सविता जैन (एम० बी० बी० एस०)
16	श्रीमती मधु बाला वर्मा (एम० बी० बी० एस०)
17	श्रीमती स्तुति खरे (एम०डी०)
18	श्रीमती वीना गोयल (डी०सी०पी)
19	कु० मीना श्रीवास्तव (एम० एस०/डीजीओ)
20	कु० आभा गुप्ता (एम० एस०/डीजीओ)
21	बृज किशोर अग्रवाल (एम०डी०)
22	चरनजीत सिंह आनन्द (एम०एस०)
23	रमेश चन्द्र कपूर (एम०एस०)
24	नरेश कुमार मेहरोत्रा (एम० बी० बी० एस०)
25	जमुना प्रसाद पाण्डेय (एम०एस०)

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम
26	दिनेश प्रताप (एम०एस०)
27	अवधेश कुमार (एम०एस०)
28	देवेन्द्र कुमार जैन (एम०एस०)
29	विजय प्रकाश शर्मा (एम० बी० बी० एस०)
30	शशांक यशवंत कठौरी (एम०एस०) (अर्थ०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ब'

(देखिये अता० प्र० सं०–101 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

कु० मानवेन्द्र सिंह, विधायक के दिनांक 12-7-94 के पत्र में उठाए गए बिन्दुओं का बिन्दुवार उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1–यह कि सामान्य चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी की नियुक्ति हेतु इण्डियन एक्सप्रेस के दि० 22-7-78 के अंक में एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसके संदर्भ में 259 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया जिसमें निर्धारित चयन मापदण्ड पूर्ण करने वाले 61 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निमन्त्रित किया गया ।	जी हां ।
2–यह कि साक्षात्कार की तिथि 31-8-78 एवं 1-9-78 निर्धारित की गई ।	दिनांक 31-8-78 एवं 1-9-78 को सामान्य चिकित्साधिकारी हेतु मात्र 31 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया । विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए 30 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु 24-11-78 को आमंत्रित किया गया ।
3–यह कि विशेषज्ञ चिकित्सकों का साक्षात्कार उपर्युक्त तिथियों पर नियम करने के पश्चात् अकारण ही कई बार टाला गया । अन्य में दिनांक 24-11-78 को नियत की गई (अर्थात तीन माह पश्चात्) ।	साक्षात्कार की तिथियों को नियम करके टालने का आरोप निराधार है । क्योंकि 24-11-78 को निर्धारित साक्षात्कार पूर्व से घोषित तिथि थी ।
4–यह कि साक्षात्कार के लिए मांगे गए आवेदन पत्रों में श्री आर० के० चतुर्वेदी, डा० दीपक साहनी एवं डा० श्रीमती नलिनी टण्डन का क्रमशः "क" सूची में क्रमांक 174 एवं 112 पर निर्धारित था तथा विशेषज्ञ चिकित्सक में डा० श्रीमती नलिनी टण्डन का क्रमांक 55 था ।	जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5–यह कि सामान्य चिकित्साधिकारियों/विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी के साक्षात्कार की अन्तिम तिथि दि० 24-11-78 तक पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 29-9-78 को दो चिकित्सकों को अनुचित/वरिष्ठता प्रभावित करने हेतु दो चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। नियमतः पीस मील में नियुक्ति पत्र जारी करने में सूची "क" एवं "ख" से एक एक अभ्यर्थी लेना चाहिए था (कम से कम)।

6–यह कि दि० 29-9-78 को पीस मील में नियुक्ति पत्र जारी करने के अनुपालन में श्री आर० के० चतुर्वेदी ने दि० 29-10-78 को तथा श्री दीपक साहनी ने दि० 29-12-78 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया।

7 – यह कि निर्धारित सेवा नियमावली/विज्ञापन/नियमों का उल्लंघन करते हुए अनुभव एवं शैक्षिक योग्यता में शिथिलता बरती गई। तथा पूर्व में तदर्थ चिकित्सक डा० श्रीमती नलिनी टण्डन (महिला विशेषज्ञ चिकित्सक) के वरिष्ठता निर्धारण/प्रोन्नति में परिषद द्वारा धांधली बरती गई।

8–यह कि साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात् ही परिणाम घोषित किया जाना चाहिए था।

परियोजना चिकित्सालयों में चिकित्सकों की अत्यन्त कमी को देखते हुए चिकित्साधिकारी (सामान्य ड्यूटी/आपात/आकस्मिक) पद पर पूर्व में साक्षात्कार सम्पन्न कराने के उपरान्त चयनित 8 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए जिसमें से केवल दो अभ्यर्थियों ने चिकित्साधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

चूंकि विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का साक्षात्कार बाद में अर्थात् 24-11-78 को हुआ इसलिये साथ में नियुक्ति पत्र निर्गत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्व प्रश्न के उत्तर में दर्शाये गये आठ अभ्यर्थियों में श्री राजीव कुमार चतुर्वेदी ने दि० 29-10-78 एवं श्री दीपक साहनी ने दि० 29-12-78 को कार्यभार ग्रहण किया।

डा० श्रीमती नलिनी टण्डन ने मूलतः चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) पद हेतु आवेदन किया था। परन्तु विज्ञापन में निर्धारित अनुभव को पूर्ण न कर पाने की स्थिति में डा० टण्डन को चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) पद हेतु अर्ह नहीं पाया गया।

सामान्य चिकित्साधिकारी पद के लिए दो अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया। अतः सामान्य चिकित्साधिकारी की कमी को पूरा करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी पद के लिए अनुपयुक्त पाये गये श्रीमती नलिनी टण्डन को चिकित्साधिकारी महिला पद हेतु प्रस्ताव किया गया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया।

इसी के अनुरूप किया गया।

9–यह कि दि० 22-7-78 "इण्डियन एक्सप्रेस" के विज्ञापन में पदों का विवरण भी दिया गया था।

जी हां।

10–यह कि डा० (श्रीमती) नलिनी टण्डन की वरिष्ठता प्रभावित करने हेतु नियुक्ति पत्र दि० 3-3-79 को जारी किया गया, जबकि वे तदर्थ नियुक्ति पर पूर्व दि० 15-5-78 से ही हरदुआगंज तापीय परियोजना अलीगढ़ में कार्यरत थी।

दि० 24-11-78 को सम्पन्न साक्षात्कार में चयनित होने के उपरान्त डा० टण्डन को दि० 3-3-79 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। चिकित्साधिकारी (तदर्थ) पद पर की गई सेवा का वरिष्ठता निर्धारण में आगे नहीं किया जाता है।

11–यह कि परिषद् द्वारा उनके आवेदन पत्र दि० 17-02-84 एवं 27-2-84 का पंजीकृत पत्र सं० 544 एवं 545 दि० 2-3-84 जो कि श्री ए० के० हंगल, उपसचिव एवं अध्यक्ष को सम्बोधित था, पुनः पंजीकृत सं० 1628 दि० 7-4-84 जो कि तत्कालीन उपसचिव, श्री ए० के० हंगल को प्रेषित था पुनः पंजीकृत पत्र सं० 1448 दि० 29-1-85 तथा पंजीकृत पत्र संख्या 901 दिनांक 18-8-85 जो अध्यक्ष एवं श्री ए०के०हंगल, उपसचिव को सम्बोधित था जिसको अधिकारियों की मिली भगत से गायब कर दिया गया जिसके तहत डा० टण्डन की वरिष्ठता सूची प्रभावित की गई है।

डा० (श्रीमती) नलिनी टण्डन द्वारा समय पर प्रस्तुत पंजीकृत एवं सामान्य प्रतिवेदन जो भी परिषद में प्राप्त हुए हैं, उन पर विस्तार से परीक्षण किया गया तथा समय विचारोपरान्त उन्हें निरस्तारण करते हुए डा० टण्डन को अवगत करा दिया गया था। डा० टण्डन का कोई भी प्रतिवेदन गायब नहीं किया गया है तथा उनकी वयिष्ठता भी नियमानुसार विधिक आधार पर निर्धारित की गई है।

12–यह कि चयन समिति द्वारा चयन के उपरान्त मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई?

विभागीय चयन समिति द्वारा प्रदत्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सूची घोषित की गयी।

ह०/धर्मदास

संयुक्त सचिव।

नत्थी 'ग्र'

(देखिये अता० प्र० सं० 129 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

नगर निगम, वाराणसी

अर्द्ध कुम्भ 1994-95 के अनुदान के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य

क्रमांक	कार्य का नाम	व्ययानुमान की धनराशि
1	2	3
1	उचवा लाज एक्सटेंशन , लक्ष्मणपुरा में मार्ग सुधार	1,93,539.00
2	शिवपुर वार्ड अन्तर्गत सेन्ट्रल जेल रोड से एस० एच० 10/4 एवं 10/52 सुअरबड़वा तक सड़क गली व नाली का सुधार	2,22,729.00
3	संजय नगर कालोनी में जे 13/93-8 से एच–21 श्रीमती गिरजा देवी तक सड़क सुधार	1,07,706.00
4	मो० औरंगाबाद में डी 54/84 से लक्सा क्रासिंग तक 35 एम० एम० व्यास की ह्यूम पाइप लाइन डालना तथा सड़क सुधार	2,02,057.00
5	बी 4/54, 4/32, 4/38 होते हुए हनुमान घाट तक आश्रम तक गली सुधार	92,966.00
6	बिरदोपुर हरिजन बस्ती सीवर व गली सुधार	2,96,052.00
7	तुलसीपुर बी 38/267 से 38/266 तक सड़क व नाली निर्माण	78,401.00
8	डुहिया पोखरी से मुर्गियाटोला मोड़ तक नाली व सड़क निर्माण	5,09,247.00
9	मोहल्ला हबीबपुरा में सी 9/156–एफ से कुआं तक गली सुधार	20,591.00
10	मोहल्ला काजीपुर कलां (नई सड़क) में कूड़ाघर से लेकर म० नं० डी 50/20 तक सड़क एवं अन्डर ग्राउन्ड सीवर लाइन की मरम्मत	1,06,935.00
11	नवाबगंज अग्यवानवीर मंदिर–भूमिगत नाला	2,46,160.00
12	शिवपुर कालोनी में कलवर्ट निर्माण	18,884.00
13	महमूरगंज पाणिनी विद्यालय, मोतीझील, भूमिगत नाला/सड़क निर्माण	7,54,896.00
14	मो० सरैयां मुस्लिम बस्ती में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था करते हुए गली सुधार	3,91,046.00
15	मवेशीखाना से कौड़ी माता मंदिर तक गली सुधार	1,89,640.00
16	29 प्लाट होल्डर कालोनी की सड़क सुधार	1,52,054.00
17	खोजवां सरायनन्दन भूमिगत नाला/सड़क	181,936.00

1	2	3
18	मो० नवाबगंज में बी 26/266 से बी 26/145 तक गली सुधार (चौरी माता मंदिर की गली)	1,51,414.00
19	उपेन्द्र नगर से अस्सी नाले तक भूमिगत नाला निर्माण	2,79,898.00
20	पी० एफ० आर० सी० मैनहोल कवर गली ग्रटिंग की आपूर्ति	3,04,084.00
21	मार्गों एवं गलियों के रख-रखाव हेतु मेटेरियल की आपूर्ति	2,00,000.00
22	विभिन्न स्थानों पर मैनहोल गली पिटट आदि का निर्माण एवं रख-रखाव	3,94,902.00
23	नन्दनगर कालोनी के मार्गों का सुधार एवं नाली निर्माण	3,13,069.00
24	संजय नगर कालोनी में जे 12/63 से विवेक जनरल स्टोर होकर ट्यूबवेल तक सड़क सुधार	2,63,895.00
25	प्रकाश व्यवस्था हेतु	12,02,722.00
26	शौचालय एवं सफाई हेतु	4,21,000.00
27	चौहट्टा लाल खां में सीवर निर्माण हेतु	4,00,000.00
		75,68,903.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'अ'

(देखिये अता० प्र० सं० 180) का उत्तर पीछे पृष्ठ 94 पर)

मेरठ क्षेत्र के 66/33/11 के० वी० उपकेन्द्रों की सूची जहां 11 के० वी० पोषकवार लाइन हानियों की गणना हो रही है ।

क्र०सं०	उपकेन्द्र का नाम	संबंधित वितरण मण्डल
1	गढ़रोड हापुड़	वि० वि० म० गाजियाबाद
2	धीरखेड़ा	
3	निवाड़ी रोड	
4	रावली	
5	पतला	
6	हाईडिल कालोनी (नं० 2)	वि० वि० मं० बुलन्दशहर
7	सियाना अड्डा (नं० 3)	
8	सब्जी मण्डी (नं०–1)	
9	आवास विकास (नं०–4)	
10	खुर्जा जंन०	
11	अरनियां	
12	मैथना	
13	स्याना	
14	गुलावटी नं० 1	
15	गुलावटी नं० 2	
16	रबुपुरा	
17	चन्देरू	
18	जोरवाबाद नं०–1	
19	जारवाबाद नं०–2	
20	66 के० वी० मुजफ्फरनगर	वि० नि० वि० म० मुजफ्फरनगर
21	गांधी कालोनी	
22	शामली रोड	
23	रुड़की रोड	
24	बसेड़ा	
25	रामरज	
26	मीरापुर	
27	जानसर	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ट'

(देखिये अना० प्र० सं० 193 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

क्र०सं०	भूखण्ड संख्या	अवैध कब्जेदार का नाम
1	2	3
1	4036	हाइडिल विभाग
2	4037	राज कृष्ण वर्मा
3	4038	राज कृष्ण वर्मा
4	4039	कुंवर कृष्ण मनुचा व रमेश चन्द्र अग्रवाल
5	4042	शाहिद अहमद आदि
6	4044	अतहर हुसैन आदि
7	4049	मंगल राजकुमारी देवी
8	4050	वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल आदि
9	4051	प्रेम मोहन सिंह आदि
10	4054	श्रीमती शकुन्तला नायर
11	4070	विद्युत विभाग
12	4086 मि०	रघुवीर सरन
13	4098	श्रीमती सत्यभामा
14	4099	दलजीत सिंह आदि
15	4101	भीमसेन बाधवा आदि
16	3102	राजकीय इण्टर कालेज बालिका
17	3974	श्रीमती आशा श्रीवास्तव
18	3976	वीरेन्द्र सिंह
19	3977	प्यारे लाल
20	3978	प्यारे लाल
21	3979	प्यारे लाल
22	3981	बाबू लाल
23	3982	बाले
24	3980	प्यारे लाल
25	3983	श्री बाले

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
26	3988	श्री बलवीर सिंह
27	3993	श्री एन० पी० भटनागर, श्रीमती मीना घोष व अमल चन्द्र चटर्जी
28	4002	श्री त्रिलोकी दास
29	4004	श्रीमती चन्द्रा देवी, झब्बू व शिवबरन
30	4023	श्री राजिस राम
31	4034	कोआपरेटिव बैंक
32	4043	अब्दुल कादिर
33	4067	मो० इस्माइल व हुबराज
34	4072	श्री राम केवल
35	4075	शिक्षा विभाग
36	4085	कृष्ण गोपाल सिंह आदि

उत्तर प्रदेश विधान सभा